



भारत सरकार

परिणाम बजट 2016-2017

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लेजर टाइप सेटिंग : मेसर्स क्वीक प्रिंट्स, नारायणा, नई दिल्ली

मुद्रक : एजुकेशनल स्टोर्स, एस-5, बी एस आर रोड इंडस्ट्रियल एरिया, साईट-1, गाजियाबाद, यू पी

विषय-सूची

कार्यकारी सारांश

सूचना क्षेत्र

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय	2
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	3
भारतीय जनसंचार संस्थान	3
फोटो प्रभाग	4
भारतीय प्रेस परिषद	4
पत्र सूचना कार्यालय	7
प्रकाशन विभाग	8
भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक	9
न्यू मीडिया विंग	10
गीत एवं नाटक प्रभाग	10
मुख्य सचिवालय की सूचना विंग की स्कीमें	
(क) नीति संबंधी अध्ययन, सेमिनार, मूल्यांकन आदि (प्रसार भारती को छोड़कर)	10
(ख) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण	11
(ग) अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम	11
(घ) सोशल मीडिया प्लेटफार्म	12

फिल्म क्षेत्र

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	12
बाल चित्र समिति, भारत	13
फिल्म समारोह निदेशालय	13
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे	14
फिल्म प्रभाग	15
भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	15

सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता	15
मुख्य सचिवालय की फिल्म विंग की स्कीम	
(क) एंटी पायरेसी पहल	16
(ख) फिल्म सामग्री का विकास, संचार और प्रसार	16
(ग) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन	17
(घ) ऐनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना	18
(ङ) फिल्म सुविधा का कार्यालय (एफ.एफ.ओ.) का स्थापना	18

प्रसारण क्षेत्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मनीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी)	19
प्रसार भारती	19
मुख्य सचिवालय के प्रसारण विंग की स्कीमें	
(क) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन.....	23
(ख) प्रसारण विंग का स्वचालितकरण.....	23
(ग) डिजिटलाइजेशन का मिशन.....	24

अध्याय - I

उद्देश्य एवं लक्ष्य, नीति निर्धारण एवं नीतिगत ब्योरा

सूचना क्षेत्र

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय	26
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	27
भारतीय जनसंचार संस्थान	27
फोटो प्रभाग	28
भारतीय प्रेस परिषद	29
पत्र सूचना कार्यालय	30
प्रकाशन विभाग	32
भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक	37

न्यू मीडिया विंग.....	37
गीत एवं नाटक प्रभाग	39
मुख्य सचिवालय की सूचना विंग की स्कीमें	
(क) नीति संबंधी अध्ययन, सेमिनार, मूल्यांकन आदि (प्रसार भारती को छोड़कर)	40
(ख) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण	40
(ग) अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम	41
(घ) सोशल मीडिया प्लेटफार्म	41

फिल्म क्षेत्र

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	41
बाल चित्र समिति, भारत	42
फिल्म समारोह निदेशालय	43
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे	44
फिल्म प्रभाग	45
भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	45
सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता	46
मुख्य सचिवालय की फिल्म विंग की स्कीमें	
(क) एंटी पायरेसी पहल	47
(ख) फिल्म सामग्री का विकास, संचार और प्रसार	47
(ग) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन	50
(घ) ऐनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना	50
(ङ) फिल्म सुविधा कार्यालय (एफ.एफ.ओ.) की स्थापना	51

प्रसारण क्षेत्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी)	51
प्रसार भारती	52

मुख्य सचिवालय के प्रसारण विंग की स्कीमें

(क) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन	54
(ख) प्रसारण विंग का स्वचालितकरण	54
(ग) डिजीटलाइजेशन का मिशन	55

अध्याय-II

वित्तीय परिव्यय, अनुमानित वास्तविक परिणाम एवं अनुमानित परिणाम

सूचना क्षेत्र

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय	57
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	59
भारतीय जनसंचार संस्थान	61
फोटो प्रभाग	64
भारतीय प्रेस परिषद	67
पत्र सूचना कार्यालय	68
प्रकाशन विभाग	72
भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक	77
न्यू मीडिया विंग	80
गीत एवं नाटक प्रभाग	81
मुख्य सचिवालय की सूचना विंग की स्कीमें	
(क) नीति संबंधी अध्ययन, सेमिनार, मूल्यांकन आदि (प्रसार भारती को छोड़कर)	82
(ख) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण	83
(ग) अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम	84
(घ) सोशल मीडिया प्लेटफार्म	85

फिल्म क्षेत्र

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	86
बाल चित्र समिति, भारत	89

फिल्म समारोह निदेशालय.....	91
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे.....	95
फिल्म प्रभाग.....	97
भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार.....	100
सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता.....	101
मुख्य सचिवालय की फिल्म विंग की स्कीमें	
(क) एंटी पायरेसी में पहल.....	103
(ख) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन.....	104
(ग) फिल्म सामग्री का विकास, संचार एवं प्रसार.....	105
(घ) ऐनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना.....	106
(ङ) फिल्म सुविधा कार्यालय (एफ.एफ.ओ.) की स्थापना.....	107

प्रसारण क्षेत्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र.....	108
प्रसार भारती.....	109
मुख्य सचिवालय के प्रसारण विंग की स्कीमें	
(क) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन.....	132
(ख) प्रसारण विंग का स्वचालितकरण.....	133
(ग) डिजीटलाइजेशन मिशन.....	134

अध्याय - III

सुधार के लिए उठाए गए कदम और नीतिगत पहल

सूचना क्षेत्र

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय.....	136
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय.....	137
भारतीय जनसंचार संस्थान.....	137
फोटो प्रभाग.....	137
भारतीय प्रेस परिषद.....	138
पत्र सूचना कार्यालय.....	141

प्रकाशन विभाग	141
भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक	143
न्यू मीडिया विंग	144
गीत एवं नाटक प्रभाग	144
मुख्य सचिवालय की सूचना विंग की स्कीमें	
(क) नीति संबंधी अध्ययन, सेमिनार, मूल्यांकन आदि (प्रसार भारती को छोड़कर)	145
(ख) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण	145
फिल्म क्षेत्र	
केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	146
बाल चित्र समिति, भारत	146
फिल्म समारोह निदेशालय	147
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे	147
फिल्म प्रभाग	147
भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	147
सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता	148
मुख्य सचिवालय की फिल्म विंग की स्कीमें	
(क) एंटी पायरेसी में पहल	148
(ख) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन	149
(ग) ऐनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना	149
(ड) फिल्म सुविधा कार्यालय (एफ.एफ.ओ.) की स्थापना	149
प्रसारण क्षेत्र	
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र	149
प्रसार भारती	150
मुख्य सचिवालय के प्रसारण विंग की स्कीम	
(क) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन	161
(ख) प्रसारण विंग का स्वचालितकरण	162

(ग) डिजिटलाइजेशन मिशन.....	164
----------------------------	-----

अध्याय - IV

सूचना क्षेत्र

पिछले कार्य प्रदर्शन की समीक्षा

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय	165
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय.....	170
भारतीय जनसंचार संस्थान	171
फोटो प्रभाग.....	177
भारतीय प्रेस परिषद	179
पत्र सूचना कार्यालय	180
प्रकाशन विभाग	183
भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक	188
न्यू मीडिया विंग.....	193
गीत एवं नाटक प्रभाग	194
मुख्य सचिवालय की सूचना विंग की स्कीमें	
(क) नीति संबंधी अध्ययन, सेमिनार, मूल्यांकन आदि (प्रसार भारती को छोड़कर)	198
(ख) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण	199
(ग) अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम	200
(घ) सोशल मीडिया प्लेटफार्म	201

फिल्म क्षेत्र

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	203
बाल चित्र समिति, भारत	205
फिल्म समारोह निदेशालय	207
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे	208
फिल्म प्रभाग.....	210
भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	214

सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता	215
मुख्य सचिवालय की फिल्म विंग की स्कीमें	
(क) फिल्म सामग्री का विकास, संचार एवं प्रसार	216
(ख) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन	217
(ग) ऐनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना	218

प्रसारण क्षेत्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र	219
प्रसार भारती	220
मुख्य सचिवालय की प्रसारण विंग की योजनाएं	
(क) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन	276
(ख) डिजिटलाइजेशन का मिशन	277

अध्याय - V

वित्तीय समीक्षा	278
-----------------------	-----

अध्याय - VI

स्वायत्तशासी संस्थाओं का प्रदर्शन एवं समीक्षा

सूचना क्षेत्र

भारतीय जनसंचार संस्थान	298
भारतीय प्रेस परिषद	298

फिल्म क्षेत्र

बाल चित्र समिति, भारत	300
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे	301
सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता	302

प्रसारण क्षेत्र

प्रसार भारती	303
--------------------	-----

कार्यकारी सारांश

सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की नीतियों, पहलों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में सूचनाएं संप्रेषित करता है। यह संप्रेषण समाज के सभी वर्गों के लाभ के लिए जनसंचार माध्यमों के ज़रिए किया जाता है, जिसमें रेडियो, टेलीविजन, फिल्में, प्रेस और मुद्रित प्रकाशन, विज्ञापन और गीत और नाटक जैसे संचार के परम्परागत माध्यमों की मदद ली जाती है। मंत्रालय विभिन्न आयु समूहों की मनोरंजन आवश्यकताओं को पूरा करता है और लोगों का ध्यान राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल और परिवार कल्याण, निरक्षरता दूर करने और महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों से संबद्ध महत्वपूर्ण मुद्दों पर केन्द्रित करता है।

मंत्रालय के बुनियादी कार्यों का संचालन तीन स्कंधों-सूचना, प्रसारण और फिल्म द्वारा किया जाता है। सूचना स्कंध प्रेस और प्रिंट मीडिया संबंधी नीतिगत मामलों तथा भारत सरकार की प्रचार आवश्यकताओं को देखता है। प्रसारण स्कंध दूरदर्शन और आकाशवाणी, एफएम रेडियो और सामुदायिक रेडियो सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित नीतिगत मामलों का संचालन करता है। फिल्मों, फिल्म पुरस्कारों और फिल्म समारोह संबंधी नीतिगत मामले फिल्म स्कंध द्वारा देखे जाते हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए बजट आवंटन 2016-17 में 4083.63 करोड़ रुपये है, जिसमें योजना निधि के रूप में 800.00 करोड़ रुपये और गैर-योजना निधि के रूप में 3283.63 करोड़ रुपये शामिल हैं। मंत्रालय अपनी 21 मीडिया यूनिटों/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के माध्यम से अपना काम-काज संचालित करता है। इन कार्यालयों के कार्यों और उपलब्धियों तथा विभिन्न योजना कार्यक्रमों के परिणामों का सारांश अगले अध्यायों में दिया गया है।

सूचना क्षेत्र

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

क) डीएवीपी की भूमिका: विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (वि.दृ.प्र.नि.) भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए विज्ञापन और सूचनाएं संप्रेषित करने वाला नोडल संगठन है। यह केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की ओर से प्रेस विज्ञापनों, प्रसार भारती एवं प्राइवेट केबल एवं उपग्रह चैनलों के जरिए टीवी स्पॉटों, रेडियो स्पॉटों/जिंगलों, प्रायोजित रेडियो/टीवी कार्यक्रमों, डिजिटल सिनेमा, नए मीडिया प्लेटफार्मों जैसे एसएमएस, इंटरनेट और प्रदर्शनियों, मुद्रित सामग्री और बाह्य प्रचार माध्यमों आदि के जरिए सूचना संप्रेषण अभियानों का संचालन करता है। मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रगत प्रचार के लिए धन उनसे प्राप्त किया जाता है, परंतु, उन क्षेत्रों में, जहां निदेशालय अंतराल महसूस करता है, या जहां एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, वहां डीएवीपी अपनी योजना/गैर-योजना निधि से प्रचार कार्य की शुरुआत करता है और उसे कार्यान्वित करता है।

ख) योजना कार्यक्रमों के लिए धन की व्यवस्था: विभिन्न जन कल्याण और भागीदारी उन्मुख कार्यक्रमों को समग्र ढंग से सुदृढ़ करने, और अपनी सेवाओं के सक्षम निर्वहन के लिए, डीएवीपी ने दो योजना कार्यक्रमों (i) डीसीआईडी के जरिए कार्यान्वित कार्यक्रम 'विकास संचार के माध्यम से जन सशक्तिकरण' और (ii) 'मीडिया ढांचा विकास कार्यक्रम' के लिए अधिक धन की मांग की और प्राप्त किया।

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए संबद्ध कार्यक्रमों के आरसीई अनुमोदन के बाद 'विकास संचार के माध्यम से जन सशक्तिकरण' कार्यक्रम के अंतर्गत योजना परिव्यय 747.81 करोड़ रुपये और 'मीडिया ढांचा विकास कार्यक्रम' के अंतर्गत योजना परिव्यय रु. 30.00 करोड़ रखा गया।

ग) प्रचार कार्य को सुचारु बनाना: सरकार में प्रचार कार्य एवं विज्ञापन के विभिन्न पहलुओं को सुचारु बनाने और इस बारे में और पारदर्शिता लाने के लिए, सरकार ने प्रिंट मीडिया के लिए नई विज्ञापन नीति जारी की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए विज्ञापन/प्रचार के बारे में भी श्रव्य-दृश्य नीति जारी की। अखबारों का नया पैनल तैयार किया गया, जबकि श्रव्य-दृश्य मीडिया की दरों के निर्धारण की प्रक्रिया जारी है।

घ) इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति: भुगतानों की गति में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए, डीएवीपी अपने सभी प्रकार के भुगतान एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फाइल ट्रांसफर सिस्टम के जरिए कर रहा है। बिलों की स्थिति की जांच वेबसाइट www.davp.nic.in पर की जा सकती है।

ङ) शिकायत निवारण और आरटीआई को सुचारु बनाना: डीएवीपी के आरटीआई ढांचे को विकेंद्रीकृत किया गया है, जिसमें प्रत्येक विंग के प्रभारी निदेशक को पीआईओ यानी प्रधान सूचना अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा, डीएवीपी ने अपने 'सिटिजन्स चार्टर' अर्थात् 'नागरिक घोषणापत्र' को शिकायत निवारण की सेवोत्तम प्रणाली के अनुरूप संशोधित किया है, जिसमें नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

च) व्यय पर निगरानी: डीएवीपी के योजना कार्यक्रमों/गैर-योजना व्यय पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है, जिसके लिए वार्षिक योजना के दौरान तय किए गए लक्ष्यों की तुलना में वित्तीय व्यय एवं भौतिक उपलब्धियों का विश्लेषण किया जाता है।

छ) डीएवीपी के ढांचे और सेवाओं का आधुनिकीकरण: डीएवीपी और इसकी सेवाओं के वितरण के आधुनिकीकरण के बारे में एक व्यापक परियोजना रिपोर्ट एक स्वतंत्र परामर्शदाता द्वारा तैयार की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे लागू किया जा रहा है।

ज) प्रभाव मूल्यांकन: डीएवीपी अब विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए अपने द्वारा संचालित विज्ञापन अभियानों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए बाहरी एजेंसियों को अनुबंधित करने की पद्धति एवं प्रक्रिया को सुचारु बना रहा है। इस प्रयोजन के लिए डीएवीपी ने 7 शीर्ष एजेंसियों का एक पैनल तैयार किया है।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डीएफपी) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिदेश के अनुसार, सरकार की नीतियों/ कार्यक्रमों/ योजनाओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए क्षेत्रों में जाकर कार्यक्रम चलाता है। सरकार की विकासात्मक एवं कल्याणकारी पहलों का प्रभावी कार्यान्वयन, विभिन्न कार्यक्रमों/ योजनाओं से लाभार्थियों को मिलने वाले लाभों के बारे में लोगों की जागरूकता पर टिका है। तदनुसार निदेशालय, इस तरह के कार्यक्रमों/ योजनाओं के कार्यान्वयन में लाभार्थियों की स्वैच्छिक और उत्साहपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोगों के बीच से एक ऐसा समूह तैयार करता है, जो इन कार्यक्रमों/ योजनाओं के बारे में पूरी तरह से जानता हो। निदेशालय के जागरूकता पैदा करने के प्रयास 'अंतर-वैयक्तिक संचार' पर आधारित हैं। निदेशालय, जनमत तैयार करने वाले स्थानीय नेताओं और लक्षित लाभार्थियों के साथ संवाद, समूह चर्चा, घर-घर जाकर, सार्वजनिक बैठकें आदि आयोजित कर अपने कार्यों का संचालन करता है। इन प्रयासों को पूरा करने के लिए पारंपरिक और लोक माध्यमों की सहायता लेने के साथ-साथ अन्य औपचारिक व अनौपचारिक तरीके भी अपनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में, निदेशालय को अन्य केंद्रीय और राज्य स्तरीय विभाग/एजेंसियां भी सहयोग करती हैं। कार्यान्वयन एजेंसियों की सुविधा के लिए निदेशालय के क्षेत्रीय पदाधिकारी, सरकार के कार्यक्रमों/ योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में प्रतिपुष्टि भी प्राप्त करते हैं।

भारतीय जन संचार संस्थान

भारत सरकार ने वर्ष 1965 में भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) की स्थापना की। संस्थान को 18 अक्टूबर, 1966 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (XXI) के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया।

आईआईएमसी के मुख्य उद्देश्यों में, देश के सामाजिक-आर्थिक विकास की जरूरतों के मद्देनजर मीडिया और जनसंचार के उपयोग और विकास में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान शामिल हैं। संस्थान को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से, भारत सरकार द्वारा शुद्ध वार्षिक अनुदान सहायता के रूप में वित्त पोषित किया जाता है।

आईआईएमसी का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम आम जनता के लिए खुला है और इसमें लिखित परीक्षा/साक्षात्कार से उम्मीदवारों को चयन किया जाता है। इसके अतिरिक्त संस्थान प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में विदेश मंत्रालय के सहयोग से, विकासशील देशों से पत्रकारों और सूचना अधिकारियों के लिए विकासपरक पत्रकारिता में दो पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस), ग्रुप 'ए' और ग्रुप 'बी' के अधिकारियों के लिए फाउंडेशन/अभिविन्यास/ सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं। भारत सरकार के विभिन्न विभागों/संगठनों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए अन्य अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का प्रबंध भी किया जाता है। संस्थान जन संचार से संबंधित विषयों पर अनुसंधान कार्य करता है। इनमें से अधिकतर प्रायोजित होते हैं। यह समय-समय पर, पत्रकारिता/जनसंचार पर पुस्तकें और अन्य प्रकाशनों को भी प्रकाशित करता है।

यह महसूस किया गया है कि वर्तमान स्थिति में प्राथमिक आवश्यकता यह है कि संस्थान को संसदीय अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में तब्दील किया जाए, तथा उसे अन्य बातों के साथ, विशेष रूप से मास्टर और डॉक्टरेट स्तर पर, डिग्री प्रदान करने हेतु सशक्त बनाया जाए। कम्युनिकेशन रिसर्च विभाग के सुदृढीकरण की अत्यंत

आवश्यकता है जिससे मौजूदा आईआईएमसी का राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के स्तर तक उन्नयन किया जा सके। इसके पश्चात उन्नत पाठ्यक्रम और डॉक्टरेट कार्यक्रमों को शुरू किया जा सकता है।

योजना संबंधी गतिविधियां

इन पहलुओं को देखते हुए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 11 वीं पंचवर्षीय योजना में 51.50 करोड़ रुपये के बजटीय सहयोग से 62.00 करोड़ के कुल परिव्यय वाली योजना स्कीम 'आईआईएमसी का अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार उन्नयन' को मंजूरी दी। इस योजना स्कीम में जम्मू-कश्मीर, मिजोरम, महाराष्ट्र (विदर्भ) और केरल में 4 नए केंद्रों की शुरुआत भी शामिल है। यह 12 वीं पंचवर्षीय योजना में 43 करोड़ रुपये के बजट वाली एक सतत योजना है। 12 पंचवर्षीय योजना में 90.00 करोड़ रुपये के बजटीय सहयोग और 94.20 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से एक नई योजना स्कीम 'आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्रों की शुरुआत' स्वीकृत की गई। इसका उद्देश्य संस्थान के 4 नए क्षेत्रीय केंद्रों के लिए संबंधित राज्यों से निशुल्क उपलब्ध कराई गई/कराई जाने वाली भूमि पर स्थायी परिसर का निर्माण करना है।

वर्ष 2015-16 के दौरान आइजोल और कोट्टायम में स्थायी परिसर का निर्माण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर शुरू कर दिया गया है जोकि वर्ष 2017 में पूरा कर दिया जाएगा। जम्मू और अमरावती में अन्य दो नए क्षेत्रीय केंद्रों के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भूमि का आवंटन कर दिया गया है और जल्द से जल्द उन पर कब्जा ले लिया जाएगा।

फोटो प्रभाग

प्रचार इकाई, फोटो प्रभाग भारत सरकार की ओर से दृश्य प्रलेखन और घरेलू एवं बाहरी प्रचार के लिए फोटोग्राफ तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। फोटो प्रभाग देश में विकास के विभिन्न पहलुओं और ऐतिहासिक घटनाओं का फोटोग्राफों के जरिए रिकार्ड रखता है और देश के लिए एक पूर्ण फोटोग्राफिक प्रलेखन प्रदान करता है। यह फोटो प्रतियोगिता और कार्यशालाओं के जरिए युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करता है। प्रभाग गैर-प्रचार संगठनों और आम लोगों को भुगतान के आधार पर फोटोग्राफों की आपूर्ति भी करता है। फोटोग्राफी उद्योग में विकास की प्रवृत्तियों के साथ गति बनाए रखने के लिए 'राष्ट्रीय फोटोग्राफी केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष अभियान' नाम का एक योजना कार्यक्रम 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया। इसका लक्ष्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर विशेष बल देने हुए बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करना और उपभोक्ताओं/ग्राहकों की वर्तमान मांगें पूरी करना है।

भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण और उसे उच्च नैतिक मानदंड अपनाने के लिए प्रेरित करने में देश के लोगों और उनकी प्रतिनिधि संस्था, संसद की विश्वासपात्र है। परिषद को अर्ध न्यायिक और परामर्शी प्राधिकार सौंपे गए हैं। इस लक्ष्य के संधान में 2016 एक निर्णायक वर्ष रहा। न्यायमूर्ति श्री चंद्रमौली कुमार प्रसाद की अध्यक्षता में परिषद ने अपने 12वें कार्यकाल का प्रथम वर्ष पूरा करते हुए प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति किसी प्रकार के खतरे से निपटने के लिए सक्रिय और त्वरित कार्रवाई करने की अपनी भूमिका सुनिश्चित की। परिषद ने प्रेस को ऐसी स्वतंत्रता की सीमाओं का अतिक्रमण न करने के लिए भी प्रेरित किया।

मुख्य बातें

16.11.2015 को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आतंकवादियों के पत्रों के प्रकाशन के लिए नगालैंड के तीन समाचार पत्रों द्वारा खाली छोड़े गए संपादकीय कालमों के बारे में असम राइफल्स के नोटिस को देखते हुए परिषद ने इस मुद्दे का तत्काल संज्ञान लिया और राष्ट्रीय हित तथा प्रेस की स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। सक्रिय कार्रवाई करते हुए परिषद ने गुवाहाटी में एक विशेष सत्र आयोजित किया, जिसमें असम राइफल्स, सम्बद्ध अखबारों और नगालैंड सरकार के प्रतिनिधियों को एक समान मंच पर बुलाया गया। सुनवाई और विचार-विमर्श के बाद असम राइफल्स और अखबारों के बीच, राष्ट्रीय हित और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने के बारे में, परिषद की संतुष्टि के अनुरूप सहमति विकसित हुई। परिषद अब संघर्षपूर्ण स्थितियों, विशेषकर पूर्वोत्तर के संदर्भ में रिपोर्टिंग संबंधी दिशा-निर्देश विकसित करने के लिए व्यापक विचार विमर्श आयोजित करने की योजना बना रही है। इसी प्रकार, पत्रकारों की सुरक्षा के मुद्दे पर, परिषद ने विस्तृत प्रस्ताव तैयार किए हैं, जिन पर अधिकारियों और अखबारों को कार्रवाई करनी होगी। परिषद को उम्मीद है कि वह पत्रकारों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण कर सकेगी। इस संदर्भ में दिल्ली/महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी परिपत्रों, जिनसे प्रेस की स्वतंत्रता सीमित होने जा रही थी, पर की गई कार्रवाई और सम्बद्ध सरकार की ओर से तत्काल उपचारात्मक उपाय किए जाने का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा। परिषद की विज्ञापन समिति, केंद्रीय और राज्य नीतियों का अध्ययन करने के बाद अब स्वयं इन राज्यों का दौरा कर रही है ताकि अधिकारियों और अखबारों के सम्बद्ध पक्षों को पारदर्शी एवं प्रभावकारी विचार विमर्श के लिए एक मंच पर लाया जा सके। परिषद का ध्यान आकर्षित करने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा पेरिस स्थित 'रिपोर्टर्स विदाउट बार्डर्स' नाम के संगठन द्वारा 'वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स-2014' में भारत को प्रदान की गई रैंकिंग से सम्बद्ध था। इस इंडेक्स में भारत को 180 देशों की सूची में 140वें स्थान पर रखा गया था। समझा जाता है कि इस इंडेक्स में प्रदत्त रैंकिंग एक प्रश्नावली पर आधारित थी, जिसके उत्तर भागीदार संगठनों द्वारा दिए गए थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मीडिया, बिना किसी रुकावट के, पूरी स्वतंत्रता के साथ काम करे, परिषद ने सितम्बर, 2015 में आर.डब्ल्यू.बी. को पत्र भेजा कि वह उस जानकारी को साझा करे, जिसके आधार पर रैंक निर्धारित किया गया, ताकि आवश्यक हो तो उपचारात्मक उपाय किए जा सकें। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि प्रेस परिषद के अध्यक्ष द्वारा 18.01.2016 को भेजे गए रिमाइंडर सहित उससे पहले भेजे गए रिमाइंडरों के बावजूद आर.डब्ल्यू.बी. इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। परिषद इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले किसी वैध उत्तर का इंतजार कर रही है कि भारत को दी गई रैंकिंग परिमाण योग्य आंकड़ों की बजाए धारणा मात्र पर आधारित थी।

अर्ध न्यायिक प्रक्रिया

विवाचक प्राधिकरण होने के नाते जिसके निर्णय अंतिम होते हैं, परिषद शीघ्र न्याय के लिए रचनात्मक उपाय करती है, जिनमें लम्बी अवधि की सुनवाई और अधिक मामलों को सूचीबद्ध करना शामिल है। पिछले 10 महीनों के दौरान परिषद को 751 मामले मिले, जबकि परिषद ने अध्यक्ष के स्तर पर विवाचन या समरी निपटान के जरिए 942 मामलों का निपटारा किया। इस प्रक्रिया के दौरान, परिषद ने ऐसे सिद्धांत तैयार किए हैं, जिनसे प्रेस परिषद अधिनियम 1978 की धारा 13(2)(ख) के अंतर्गत मामलों से सम्बद्ध विधि में गुणात्मक संवर्धन होगा। वादकारियों द्वारा दाखिल किए गए मामलों के अलावा, पत्रकारों की स्वतंत्रता को किसी भी तरह से प्रतिबंधित करने संबंधी मुद्दों के बारे में परिषद ने शीघ्र संज्ञान लिया।

परामर्शी अधिकार क्षेत्र

अपनी परामर्शी क्षमता में, परिषद ने अन्य बातों के अलावा (1) एक मीडिया संस्था द्वारा एक बीमा संस्था में शेयर होल्डिंग के लिए आवेदन के बारे में आई.आर.डी.ए. द्वारा सौंपे गए मामले, (2) औषधि मांग कटौती के बारे में राष्ट्रीय नीति-2015, (3) निजता उल्लंघन, मीडिया ट्रायल और आनलाइन न्यूज प्लेटफार्मों द्वारा निंदात्मक समाचार रिपोर्टिंग, (4) महिला पत्रकारों की सुरक्षा और उनके कार्य स्थल संबंधी अधिकारों एवं हितों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों, (5) भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम, (6) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी और पत्रकारों की सुरक्षा, बहुलवाद को बढ़ावा देने और मीडिया में भागीदारी और आतंकवाद के मुद्दों और आतंकवादी हमलों के बारे में रिपोर्टिंग संबंधी दिशा-निर्देशों के जरिए स्थिर और स्वतंत्र मीडिया संस्थानों की सहायता करने के बारे में सक्षम वातावरण को प्रोत्साहित करने संबंधी यूनेस्को की संकल्पनाएं, जैसे मामलों पर विचार किया। परिषद ने रिपोर्टिंग की नैतिकता के बारे में सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के समक्ष अपने विशेषज्ञतापूर्ण साक्ष्य भी प्रस्तुत किए।

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पत्रकारों के प्रति खतरों की बढ़ती धारणा को ध्यान में रखते हुए, परिषद ने, एक दूरगामी निर्णय के अंतर्गत, यह निश्चय किया कि पत्रकारों को दी जाने वाली धमकियों और हमलों, के मामलों में चाहे वे घातक हों या अन्यथा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी की रक्षा करने के परिषद के अधिदेश के अंतर्गत संज्ञान लिया जाएगा, भले ही पत्रकारों का मंच या फोरम कोई भी क्यों न हो। अतः परिषद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर असर डालने वाले, उपरोक्त से संबंधित सभी मामलों की अपने विभिन्न मंचों पर निरंतर समीक्षा करती है। इसका अनुपालन करते हुए, स्वयं संज्ञान के जरिए परिषद ने कई राज्य सरकारों से रिपोर्टें मांगीं। इन राज्यों में अन्य के अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, नगालैंड, मेघालय और मणिपुर शामिल थे। अनेक मामलों का अंतिम रूप से निपटारा किया गया जबकि इनमें से कुछ प्रक्रियाधीन हैं। इनसे संबंधित निर्णय/रिपोर्टें सम्बद्ध अधिकारियों को भेजी गईं ताकि वे अपने स्तर पर कार्रवाई कर सकें। परिषद को विश्वास है कि उसे प्रेस की स्वतंत्रता सुदृढ़ बनाने के प्रति उसकी वचनबद्धता और राज्य के हित में प्राधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

जागरूकता और सजगता

पत्रकारिता के अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता और सजगता पैदा करने के लिए परिषद देश के विभिन्न भागों में सेमीनारों, कार्यशालाओं और अध्ययनों का आयोजन करती है। यह पत्रकारों के व्यक्तिगत प्रयासों और उत्कृष्ट योगदान का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान करती है। 2015 में भारत के माननीय राष्ट्रपति के हाथों से परिषद को सम्मानित किया जाना देश के मामलों में प्रेस के महत्व को रेखांकित करने वाला महत्वपूर्ण संकेत है। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में, परिषद ने भारत सरकार से सलाह मशविरा करके, सार्क देशों के साथ एक गठबंधन कायम किया है और उसे उम्मीद है कि इसके रचनात्मक परिणाम सामने आएंगे। 2015 में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर बांग्लादेश की प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल की भारत यात्रा इस दिशा में एक कदम थी, जिसमें प्रेस की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाले विभिन्न क्षेत्रों और प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार किया गया और दो नियामक प्राधिकरणों का प्रभाव अत्यंत उपयोगी और आपसी हितकारी रहा।

परिषद के अधिदेश का कारगर ढंग से निर्वहन करने में आने वाली कुछ बाधाओं पर प्रकाश डालना भी अनिवार्य है, जिनमें सबसे चिंताजनक बात यह है कि परिषद के निर्देशों और आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए उसे कोई अधिकार नहीं दिया गया है। इस बारे में प्रस्ताव पिछले 15 वर्षों से भारत सरकार के विचाराधीन है, हालांकि न्यायपालिका और व्यवस्थापिका ने इन प्रस्तावों का स्पष्ट समर्थन किया है। परिषद को उम्मीद है कि संसद द्वारा उसमें व्यक्त किए गए विश्वास को देखते हुए, प्रेस की स्वतंत्रता और नैतिकता को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही उसे कारगर अधिकार दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रेस परिषद के सम्मानित सदस्यों द्वारा धारित पद की गरिमा, उनके व्यवसाय से सम्बद्ध सहकर्मियों के समकक्ष बनाए रखने के लिए यह अनिवार्य है कि परिषद की कार्यवाहियों के दौरान उन्हें दिए जाने वाले भत्ते उनकी विशेषज्ञता के अनुरूप हों। परिषद की वित्तीय स्वायत्तता और उसके कार्यात्मक हितों को देखते हुए, प्रेस परिषद अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत समाचार पत्रों पर लगाए गए शुल्क की दरों में बढ़ोतरी भी अनिवार्य है। उपरोक्त के बारे में प्रस्ताव, भारत सरकार के साथ लम्बित है, जिसे समय पर कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि प्रेस के प्रहरी के रूप में परिषद अपनी भूमिका का कारगर ढंग से निर्वहन कर सके। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना भी अनिवार्य है कि एक स्वतंत्र प्रतिष्ठान के रूप में कार्य करने की बजाय, परिषद को अपने सचिवालय का संचालन सूचना और प्रसारण मंत्रालय की उप-इकाइयों के साथ एक सरकारी भवन से करना पड़ रहा है। संसद द्वारा प्रेस परिषद के लिए सुनिश्चित की गई कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता के बावजूद, इससे अक्सर यह धारणा पैदा होती है कि परिषद सरकार का एक हिस्सा है। अतः यह अनिवार्य है कि परिषद के लिए वर्ष 2000 में आवंटित और भुगतान किए गए प्लॉट पर प्रेस परिषद भवन के निर्माण की बाधाएं प्राथमिकता के आधार पर दूर की जाएं, ताकि प्रेस परिषद की स्वतंत्र कार्य प्रणाली लोगों को स्पष्ट नजर आने लगे।

वर्ष 2016-17 के लिए लक्ष्य:

- प्रेस परिषद अधिनियम में संशोधन के जरिए प्रेस परिषद का सशक्तिकरण, ताकि प्रेस परिषद अधिनियम की धारा 13 और 14 के अंतर्गत परिषद के साथ पंजीकृत मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके।
- पुस्तकालय रिकॉर्डों का ऑटोमेशन (स्वचालन)।

- कर्मचारियों के सेवा रिकार्डों का डिजिटलीकरण।
- अधिक राजस्व अर्जित करने और अस्तित्व न रखने वाले अखबारों की पहचान के लिए शुल्क लगाने संबंधी रिकार्डों का डिजिटलीकरण।
- सरकार के अनुदेशों के अनुसार पारदर्शिता उपायों को प्रोत्साहन।
- राजभाषा नियमों का शत-प्रतिशत अनुपालन।
- ई-गवर्नेंस उपाय -अधिनिर्णयों और अन्य घोषणाओं के साथ प्रेस काउंसिल की वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतन बनाना।

पत्र सूचना कार्यालय

1. पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है, जो सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और कार्यकलापों के बारे में जनता को सूचित करती है। मीडिया (प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक) के साथ संवाद के लिए सरकार के प्रमुख चैनल के रूप में, पत्र सूचना कार्यालय सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और कार्यकलापों तथा सरकार की सूचना नीति से संबंधित जानकारी आम जनता तक पहुंचाता है। यह कार्यालय इस बुनियादी अवधारणा के आधार पर काम करता है कि किसी भी लोकतंत्र में सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसकी नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रेस और अन्य माध्यमों के जरिए सही तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत किया जाए, जिनके समर्थन एवं सद्भावना के आधार पर ही सरकार सत्ता में बनी रहती है।

2. पीआईबी मुख्यालय के अधिकारी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबद्ध रहते हैं, ताकि वे मीडिया तक सूचना का प्रचार-प्रसार करें और अपने नियत मंत्रालयों/विभागों को फीडबैक उपलब्ध कराएं। वे मीडिया सलाहकार के तौर पर कार्य करते हैं और प्रचार-प्रसार के कार्य में तालमेल बनाए रखते हैं।

3. पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालय/शाखाएं कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। इंटरनेट पर ब्यूरो का होमपेज भी है, जिसे www.pib.nic.in पर देखा जा सकता है। इस होमपेज पर देश और विदेश में इस्तेमाल की जा सकने वाली सूचनाएं एवं प्रचार सामग्री उपलब्ध रहती है। पीआईबी की विज्ञप्तियां अब क्षेत्रीय शाखाओं के अलावा, कंप्यूटर नेटवर्क के जरिये स्थानीय समाचार पत्रों और बाहर के महत्वपूर्ण समाचार पत्रों के स्थानीय संवाददाताओं को भेजी जाती हैं। फीचर और ग्राफिक्स इंटरनेट पर उपलब्ध कराए जाने के अतिरिक्त पीआईबी अपने नेटवर्क के माध्यम से फीचर और ग्राफिक्स जारी करता है। इसके अलावा ये इंटरनेट पर भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

4. ब्यूरो मीडिया प्रतिनिधियों को कार्य करने की सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। इसके लिए भारतीय एवं विदेशी मीडिया के पत्रकारों, कैमरामैन और तकनीशियनों को मान्यता प्रदान की जाती है। दिसंबर, 2015 तक 1611 संवाददाताओं और 543 कैमरामैनों को ब्यूरो मुख्यालय से मान्यता दी गई। इनके अलावा 102 तकनीशियनों, संवाददाता-सहकैमरामैन, दीर्घकालीन एवं विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले 140 संपादकों/मीडिया समीक्षकों को भी मान्यता प्रदान की गई। भारतीय एवं विदेशी संवाददाताओं की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ब्यूरो का आधुनिक संचार सुविधाओं से संपन्न राष्ट्रीय प्रेस केंद्र नयी दिल्ली में काम कर रहा है।

5. मीडिया कर्मियों तक सूचना पहुंचाने के लिए ब्यूरो द्वारा प्रेस विज्ञप्तियां और फीचर, प्रेस ब्रीफिंग्स, संवाददाता सम्मेलन और प्रेस दौरों का आयोजन- जैसे विभिन्न तरीके अपनाये जाते हैं।

6. प्रेस विज्ञप्तियों, संवाददाता सम्मेलनों, फीचरों आदि के संदर्भ में पीआईबी के आउटपुट की निगरानी तत्काल हो जाती है और यह समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों की संख्या के रूप में परिलक्षित होता है।

7. समग्र कार्य निष्पादन

वार्षिक योजना 2015-16 के दौरान स्वीकृत परिव्यय 1200.00 लाख रुपये है। 31-12-2015 तक योजना के अंतर्गत 816.66 लाख रुपये व्यय हुए। वर्ष 2015-16 के दौरान वित्तीय संदर्भ में पत्र सूचना कार्यालय का कार्य निष्पादन निम्नलिखित है: -

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	योजना	गैर-योजना	कुल	
1.	31-03-2015 तक वास्तविक व्यय	901.90	5223.23	6125.13
2.	बी.ई. 2015-16	1200.00	5481.00	6681.00
3.	दिसम्बर, 2015 तक व्यय	816.66	4399.33	5215.99
4.	आर.ई. 2015-16	1137.00	5095.00	6232.00
5.	बी.ई. 2016-17	1300.00	7041.00	8341.00
	(आवंटित)	(आवंटित)		

प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग भारत सरकार के प्रमुख प्रकाशन संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना 1941 में की गई थी, जो आज राष्ट्रीय महत्व के विषयों और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं का भंडार बन गया है। विभाग भारतीय परिदृश्य के विविध पहलुओं के बारे में पुस्तकें और पत्रिकाएं प्रकाशित करता है, जिनमें कला और संस्कृति, देश और देशवासी, जीव-जंतु और वनस्पतियां, आधुनिक भारत के निर्माताओं की जीवनियां, भारत की सांस्कृतिक विभूतियां, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबद्ध अन्य प्रमुख भारतीय व्यक्तियों के जीवन एवं कार्य, भारत का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन सहित अनेक अन्य विषय शामिल होते हैं। प्रकाशन विभाग अंग्रेजी और हिन्दी में 100 खंडों में संपूर्ण गांधी वाङ्मय (सीडब्ल्यूएमजी) सहित गांधीवादी विचारधारा पर अनेक पुस्तकें प्रकाशित कर चुका है। सीडब्ल्यूएमजी, जिसे गांधीजी की रचनाओं का सर्वाधिक व्यापक और प्रमाणित संग्रह समझा जाता है, अब पीडीएफ रूप में डिजिटल पद्धति से भी एक्सेस किया जा सकता है।

प्रकाशन विभाग ने उस समय उत्कृष्ट साहित्य के प्रकाशन में अग्रणी भूमिका अदा की थी, जिन दिनों भारतीय प्रकाशन उद्योग अपरिपक्व अवस्था में था और मीडिया की लोगों तक पहुंच अत्यंत सीमित थी। विभाग ने भारत की मिलीजुली और समग्र सांस्कृतिक परंपराओं को पोषित करने और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को प्रबलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

विभाग की नियतकालिक पत्रिकाएं विविध विषयों पर अनेक भारतीय भाषाओं में सामग्री प्रकाशित करती हैं। इन पत्रिकाओं में तमाम समसामयिक मुद्दे शामिल किए जाते हैं, जिनमें आर्थिक विकास, ग्रामीण पुनर्निर्माण, सामुदायिक विकास, साहित्य, संस्कृति, बाल साहित्य और रोजगार एवं व्यवसाय के अवसरों के बारे में जानकारी मुख्य रूप से शामिल होती है।

प्रकाशन विभाग चार मासिक पत्रिकाएं और एक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित करता है। इसकी प्रमुख पत्रिका 'योजना' (स्थापित : 1957) विकास संबंधी मुद्दों पर

विचार-विमर्श और संप्रेषण का एक मंच प्रदान करती है। यह पत्रिका हिन्दी, अंग्रेजी और 11 अन्य भाषाओं में प्रकाशित होती है। 'कुरुक्षेत्र' (स्थापित: 1952), अंग्रेजी और हिन्दी में छपती हैं, जिसमें ग्रामीण विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। 'आजकल' (स्थापित: 1945) हिन्दी और उर्दू में छपने वाली एक साहित्यिक-सांस्कृतिक पत्रिका है। 'बाल भारती' (स्थापित: 1948) बच्चों की पत्रिका है; और 'एम्प्लॉयमेंट न्यूज़'/'रोज़गार समाचार' (स्थापित : 1976) एक साप्ताहिक अखबार है, जो केंद्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/स्वायत्त संगठनों आदि में रोज़गार और व्यवसाय के अवसरों की जानकारी प्रदान करता है और हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू में छपता है।

प्रमुख उद्देश्य

प्रकाशन विभाग को राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर पुस्तकें एवं पत्रिकाएं प्रकाशित करने, बेचने और वितरित करने का कार्य सौंपा गया है। इसका लक्ष्य भारत के बारे में प्रामाणिक जानकारी कम मूल्य पर प्रदान करना है।

प्रकाशन विभाग के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं:

(क) बौद्धिक धरोहर के भंडार के रूप में काम करना और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर पुस्तकें एवं पत्रिकाएं प्रकाशित करते हुए ज्ञान के हस्तांतरण के दायित्व का निर्वाह करना, ताकि अधिक से अधिक लोगों को उचित मूल्य पर यह सामग्री उपलब्ध कराई जा सके;

(ख) भारत के बारे में अद्यतन और सही जानकारी देते हुए, स्वदेश और विदेश में पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की बिक्री करना।

(ग) भारत के राष्ट्रपतियों और प्रधान मंत्रियों के चुने हुए भाषणों को प्रकाशित करना, ताकि उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वैचारिक धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा जा सके;

(घ) 'एम्प्लॉयमेंट न्यूज़'/'रोज़गार समाचार' के जरिए सरकारी क्षेत्र में रोज़गार के अवसरों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना;

(ङ) पुस्तकों को बढ़ावा देने और लोगों में पढ़ने की आदत डालने के लिए पुस्तक प्रदर्शनियों और ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करना और उनमें भाग लेना, ताकि विभाग के प्रकाशनों की पहुंच बढ़ाई किया जा सके।

बजट अनुमान

वर्ष 2016-17 के लिए गैर-योजना मद में प्रकाशन विभाग के बजट अनुमान रु. 3715.00 लाख के हैं।

वर्ष 2016-17 के लिए गैर-योजना मद में 'एम्प्लॉयमेंट न्यूज़'/'रोज़गार समाचार' के बजट अनुमान रु. 2235.00 लाख के हैं।

वर्ष 2016-17 के लिए योजना मद में 'एम्प्लॉयमेंट न्यूज़'/'रोज़गार समाचार' सहित प्रकाशन विभाग के बजट अनुमान रु. 500.00 लाख के हैं।

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आरएनआई) प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के तहत अस्तित्व में आया। आरएनआई के सांविधिक कार्यों के तहत, भारत में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र/पत्रिकाओं के सांख्यिकीय रिकॉर्ड रखना, नए समाचार पत्र/पत्रिकाओं के लिए शीर्षक का सत्यापन, पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करना, प्रकाशनों के प्रसार दावा का सत्यापन, प्रकाशकों द्वारा जमा कराए गए वार्षिक विवरणों का विवेचन और प्रिंट मीडिया की स्थिति पर 'प्रेस इन इंडिया' शीर्षक से एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार/संकलित करना, शामिल है। गैर-वैधानिक कार्यों के तहत, पंजीकृत वास्तविक उपयोगकर्ताओं को अखबारी कागज के आयात के लिए पात्रता प्रमाण पत्र जारी करता है। इसके अलावा, आरएनआई मुद्रण मशीनरी जैसे अखबारों के पृष्ठ पारेषण और प्राप्ति, प्रतिकृति सिस्टम या उपकरण और टेलीफोटो पारेषण और प्राप्ति प्रणाली आदि के आयात के लिए भी अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रायोजक प्राधिकरण है।

न्यू मीडिया विंग

1945 में स्थापित गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग का नया नाम 'न्यू मीडिया विंग' है। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए सूचना सेवा इकाई के रूप में कार्य करती है। वर्तमान में विंग को सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक, यू-ट्यूब और ट्विटर आदि पर प्रचार प्रतिपुष्टि और सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने का नया कार्य सौंपा गया है। इस विंग का कार्य मंत्रालय, इसके माध्यम एककों एवं जन संचार से जुड़े अन्य संगठनों के उपयोग में आने वाली संदर्भ और शोध सामग्री उपलब्ध कराना और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माध्यम एककों को शोध हेतु सामग्री के संकलन और उसे तैयार करने में सहायता प्रदान करना, महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी का एक सार-संग्रह तैयार करना और माध्यम एककों के उपयोग के लिए वर्तमान एवं अन्य विषयों पर मार्गदर्शन और बैकग्राउंड नोट तैयार करना है। न्यू मीडिया विंग माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री की अध्यक्षता में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव एवं अपर सचिव तथा मीडिया प्रमुखों बैठकों में चर्चा और विवेचना के लिए विभिन्न समाचारपत्रों की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, संस्करणवार रिपोर्ट, वितरण के मुताबिक रिपोर्ट आदि विभिन्न रिपोर्ट तैयार करती है।

गीत एवं नाटक प्रभाग

गीत एवं नाटक प्रभाग की स्थापना 1954 में संचार की समृद्ध लोक और परंपरागत विधाओं का उपयोग करने हेतु एक प्रयोगात्मक इकाई के रूप में की गई। आज जीवंत मीडिया के नाम से प्रसिद्ध यह माध्यम बहुत ही प्रभावशाली साबित हुआ क्योंकि इसमें जनसमुदाय के साथ सीधे सम्पर्क कायम करने की अंतर्निहित क्षमता है और यह समसामयिक मुद्दों, विचारों एवं तरीकों को जोरदार तरीके से अपना सकता है। इसलिए दुर्गम पहाड़ी, रेगिस्तानी, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों/क्षेत्रों और सीमा क्षेत्र सहित जमीनी स्तर पर संवाद कायम करने में प्रभाग के बड़ी मदद मिली।

मुख्य सचिवालय की सूचना विंग की स्कीमें

(क) मीडिया इकाइयों सहित सभी तीन क्षेत्रों के लिए नीतिगत अध्ययन, संगोष्ठी, मूल्यांकन आदि (प्रसार भारती को छोड़कर) (नई योजना)

अर्थव्यवस्था के मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र में विकास की उच्च क्षमता है। विकास की गति और परिभाषित लक्ष्यों/उद्देश्यों को हासिल करने हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा फिल्म, सूचना एवं प्रसारण के क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाता है। इस संदर्भ में, नियमित रूप से निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक तंत्र विशेष का प्रयोग किया जाना भी अनिवार्य है। अतः 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान 'मीडिया इकाइयों सहित सभी तीन क्षेत्रों के लिए नीतिगत अध्ययन, संगोष्ठी, मूल्यांकन आदि (प्रसार भारती को छोड़कर)' नामक स्कीम निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ लागू की जा रही है:

- फिल्म, सूचना एवं प्रसारण के क्षेत्रों में प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित करना।
- फिल्म, सूचना एवं प्रसारण के क्षेत्रों के संबंध में नियामक और विकास की नीतियों के प्रभाव का अध्ययन और मूल्यांकन करना।

- सेमिनार और कार्यशालाओं में भाग लेना और उनका आयोजन तथा मीडिया एवं मनोरंजन जैसे विषयों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यशालाओं में पेपर प्रस्तुत करना।
- मीडिया एवं मनोरंजन के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना।

(ख) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण

लोक सेवा के स्वरूप को बदलने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली अत्यावश्यक है जिससे नौकरियों और व्यक्ति की क्षमताओं में तालमेल कायम किया सके और प्रशिक्षण के जरिये वर्तमान और भविष्य के योग्यता अंतराल को दूर किया जा सके। इन दक्षताओं में से कुछ नेतृत्व, संचार, वित्तीय और मानव प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, परियोजना प्रबंधन आदि से संबंधित हैं। अन्य दक्षताएं पेशेवर या विशेष कौशल जैसे मीडिया प्रबंधन से संबंधित हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सूचना, प्रसारण और फिल्म क्षेत्रों का नोडल मंत्रालय है। मंत्रालय की भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी अपने कैरियर के दौरान इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और पारस्परिक मीडिया इकाइयों में तैनात रहते हैं। इसी तरह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के अधिकारी मीडिया क्षेत्र के लिए नीति बनाने में लगे हुए हैं और विभिन्न मीडिया इकाइयों को प्रशासनिक सुविधा प्रदान कर रहे हैं। यह आवश्यक है कि ये सभी अधिकारी प्रशिक्षित हों ताकि वे चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम हों।

‘विदेशों में स्थित संस्थानों में मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण तथा आईआईएस अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण’ नाम की योजना स्कीम मुख्य सचिवालय द्वारा संचालित की जा रही है।

(ग) अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम

यह बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही नई योजना स्कीम ‘मानव संसाधन विकास’ के घटकों में से एक है। इस कार्यक्रम में मीडिया आदान-प्रदान कार्यक्रम, सूचना एवं फिल्म के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह और सहयोग पर समझौते तथा अंतरराष्ट्रीय मीडिया सेमिनार/कार्यशालाएं आदि शामिल हैं। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं:

- देशों के बीच बेहतर समझ को बढ़ावा देने में और मीडिया के लोगों के बीच अधिक से अधिक संपर्क के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने में और एक दूसरे के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए, मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना।
- समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों और सहिष्णुता को बढ़ावा देने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना।
- इस योजना का व्यापक उद्देश्य सूचना एवं मास मीडिया के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने और विकसित करने की आम इच्छा से प्रेरित होकर सूचना और प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में, एक बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करना है।
- भारत और अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना।
- मास मीडिया, प्रसारण और फिल्मों के क्षेत्रों में भारत और अन्य देशों के बीच विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
- उच्च स्तरीय मीडिया प्रशिक्षण

- संकट संचार
- सोशल और मल्टीमीडिया प्रशिक्षण

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रम के लिए 1.50 करोड़ का परिव्यय रखा गया है जिसमें से 15 लाख रुपए की वर्ष 2016-17 के लिए है।

(घ) सोशल मीडिया प्लेटफार्म

सोशल मीडिया प्लेटफार्म बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही विकास संचार और सूचना प्रसार नाम की नयी स्कीम के घटकों में से एक है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन लक्षित लोगों तक सरकार का सीधा संपर्क कायम करना और उसकी मौजूदगी दर्ज करना है जो सोशल मीडिया का उपयोग हर सप्ताह चौबीसों घंटे करते हैं।

न्यू मीडिया सेल सरकार और जनता के बीच महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र का काम करता है जिसके माध्यम से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, सूचना-प्रसारण मंत्रालय के ब्लॉग, गूगल प्लस और इंस्टाग्राम के जरिए सूचनाएं संप्रेषित की जाती हैं। इन सशक्त प्लेटफार्मों के उपयोग से प्रेस विज्ञप्तियों और प्रेस कांफ्रेंस जैसे संचार के परंपरागत तरीकों को और सुदृढ़ करने में मदद मिली है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस घटक के लिए 22.50 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है जिसे संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) में 18.23 करोड़ रुपये दिखाया गया है। इसमें से 4.00 करोड़ रुपये वर्ष 2016-17 के लिए रखे गये हैं।

फिल्म क्षेत्र

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई

फिल्म सेंसर बोर्ड, जिसे एक जून, 1983 से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नाम दिया गया, केन्द्र सरकार द्वारा सिनेमाटोग्राफ अधिनियम की धारा 3 के तहत गठित किया गया। इसका उद्देश्य फिल्मों की सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्वीकृति प्रदान करना था।

2. वर्तमान में बोर्ड के एक अध्यक्ष तथा कई सदस्य हैं। बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है और इसके नौ क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में हैं।

3. प्रमाणन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सी बी एफ सी ऑन लाइन प्रमाणन की योजना ला रहा है। सी बी एफ सी की गतिविधियां इसकी प्रेस विज्ञप्तियों तथा इसकी वेबसाइट www.cbfc.gov.in के जरिए प्रचारित की जाती हैं।

बाल चित्र सोसायटी, भारत

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI, 1860 के तहत मई, 1955 में बाल फिल्म सोसायटी ऑफ इंडिया (सीएफएसआई) की स्थापना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक स्वायत्त निकाय के रूप में हुई थी। बाल फिल्म सोसायटी का मुख्य उद्देश्य मूल्य आधारित मनोरंजन को हर बच्चे का अधिकार बनाना तथा बच्चों की फिल्मों को बढ़ावा देकर एवं इसके आंदोलन को मजबूत करना था, ताकि फिल्मों के माध्यम से बच्चों को भविष्य के उत्तम नागरिक के रूप में विकसित किया जा सके।

उपरोक्त उद्देश्यों का निम्नलिखित में विभाजित किया गया है:

- i. फिल्मों का निर्माण
- ii. स्कूलों में फिल्मों का प्रदर्शन, और
- iii. फिल्म समारोह।

फिल्मों के निर्माण पर उन समितियों, जिनमें फिल्म उद्योग की हस्तियां शामिल होती हैं, द्वारा और फिल्म प्रस्तावों के कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से नजर रखी जाती है।

स्कूलों में फिल्मों की प्रदर्शनी के संबंध में गैर सरकारी संगठनों और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा बच्चों तक पहुंच बनाई जाती है। वेबसाइट के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार और निगरानी रखी जाती है।

अंतरराष्ट्रीय सिनेमा को आकर्षित करने और सीएफएसआई द्वारा निर्मित फिल्मों के प्रदर्शन के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु हर दूसरे वर्ष अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बाल फिल्म निर्माताओं के सृजन के लिए और बच्चों द्वारा बनाई गई फिल्मों को प्रचारित करने और उन्हें मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन उस वर्ष किया जाता है जिस वर्ष अंतरराष्ट्रीय महोत्सव नहीं होता। विपणन और पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशों में आयोजित किए जाने वाले फिल्म महोत्सवों में सीएफएसआई की फिल्मों को भागीदारी करने/ प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए भेजा जाता है।

उपर्युक्त सभी गतिविधियों की व्यापक जानकारी सीएफएसआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है जिससे उचित निगरानी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली का सृजन सुनिश्चित किया जा सके।

फिल्म समारोह निदेशालय

फिल्म समारोह निदेशालय (डी.एफ.एफ.) की स्थापना देश में भारतीय फिल्म कला को प्रोत्साहन देने और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के उद्देश्य से हुई थी। यह निदेशालय विदेशों में आयोजित होने वाले विभिन्न फिल्म समारोहों में भारत की भागीदारी तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान के एक हिस्से के रूप में भारतीय फिल्मों की विदेशों में तथा विदेशी फिल्मों के भारत में प्रदर्शन को भी सुनिश्चित करता है तथा साथ ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन भी करता है।

सांस्कृतिक आदान प्रदान के एक प्रमुख वाहक के रूप में फिल्म समारोह निदेशालय अंतरराष्ट्रीय मित्रता का संवर्द्धन करता है, विश्व सिनेमा में नई प्रवृत्तियों तक पहुंच तथा स्वस्थ प्रतियोगिता उपलब्ध कराता है तथा भारतीय फिल्मों के स्तर को सुधारने में सहायता करता है।

डी एफ एफ की प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं:

- (1) राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
- (2) विदेशों में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हिस्सा लेना
- (3) भारतीय पैनोरमा के लिए फिल्मों का चयन
- (4) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
- (5) भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव

भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आई एफ एफ आई) से सम्बंधित गतिविधियों में भारतीय पैनोरमा के लिए फिल्मों का चयन तथा विदेशों में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हिस्सा लेना साथ ही मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के अंतर्गत 12वीं योजनागत स्कीम "फिल्म सामग्री के विकास, संचार तथा प्रसार" के भाग "भारत तथा विदेशों में फिल्म समारोह तथा फिल्म मार्केट में भारतीय सिनेमा का संवर्द्धन" के रूप में इसकी गतिविधियां प्रमुख हैं।

12वीं योजनागत स्कीम "फिल्म सेक्टर से संबंधित अवसंरचना विकास कार्यक्रम" के घटक "सीरीफोर्ट कॉम्प्लेक्स का उन्नयन" के रूप में सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में सुविधाओं में निरंतर सुधार के साथ-साथ इस योजना में सीरी फोर्ट सांस्कृतिक परिसर के समग्र परिवेश के उन्नयन, प्रोजेक्शन प्रणाली, ध्वनि तथा प्रकाश के सुधार/ उन्नयन तथा इस प्रकार संचार प्रणाली में सुधार से संबंधित है। इस प्रकार इस योजना का उद्देश्य ऑडिटोरियम को आधुनिकतम तकनीक से लैस कर इसके उपयोग को बढ़ा कर सरकार के राजस्व में वृद्धि करना है।

2. इन प्रमुख गतिविधियों के बारे में सूचना आम जनता तक इन तरीकों से पहुंचाई जाती है-

- (1) पी आई बी के जरिए नियमित प्रेस विज्ञप्तियों से
- (2) डी ए वी पी के जरिए समाचार पत्रों में नियमित विज्ञापनों से
- (3) डी ए वी पी के जरिए प्रमुख अवसरों पर बैनर तथा पोस्टरों के प्रदर्शन से
- (4) प्रमुख अवसरों के दौरान समारोह प्रकाशनों से
- (5) भारत में विदेशी मिशनों तथा विदेशों में भारतीय मिशन के जरिए सूचना का प्रसार किया जाता है
- (6) वेबसाइटों <http://www.dff.nic.in>, <http://www.iffi.nic.in> के जरिए

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रम बनाने की कला एवं तकनीक में प्रशिक्षण देने वाला एक प्रमुख संस्थान है। यह फिल्मों, धारावाहिकों और वृत्तचित्रों में अभिनय और निर्देशन के क्षेत्र में नवोदित प्रतिभाओं को उभरने का अवसर प्रदान करता है।

फिल्म प्रभाग

फिल्म प्रभाग की स्थापना जनवरी 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा देश में कुल 10 वितरण शाखा कार्यालयों के अलावा इसके तीन निर्माण केंद्र बेंगलुरु, कोलकाता तथा नई दिल्ली में हैं। फिल्म प्रभाग द्वारा बनाए वृत्तचित्रों की विषय-वस्तु में कृषि से लेकर कला और संस्कृति तक, उद्योग से अंतरराष्ट्रीय मुद्दों तक, स्वास्थ्य देखभाल, आवास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि तक सभी कुछ शामिल हैं।

देश में वृत्तचित्र निर्माण को बढ़ावा देने के लिए फिल्म प्रभाग द्विवार्षिक मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करता है।

फिल्म प्रभाग की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जनता को निम्न तरीके से सूचनाएं प्रदान कराई जाती हैं-

- पी आई बी के जरिए नियमित प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से।
- फिल्म प्रभाग की वेबसाइट [www. filmsdivision.org](http://www.filmsdivision.org) के जरिए।

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (एन.एफ.ए.आई.), पुणे

अंतर्राष्ट्रीय पहचान लिए एन एफ ए आई एक ऐसा संगठन है जो देश में फिल्म धरोहर के संरक्षण का कार्य करता है। अपने उद्देश्यों को हासिल करने की दिशा में एन एफ ए आई विभिन्न योजनाओं को लागू करने की दिशा में कार्यरत है जिनमें शामिल है अभिलेख सामग्री को चिन्हित करना तथा उसके संरक्षण की दिशा में आवश्यक अवसंरचना का निर्माण करना। वर्ष 2015-16 के दौरान एन एफ ए आई निम्नलिखित दो योजनागत स्कीमों के जरिए लक्षित उद्देश्यों को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है-

1. अभिलेखीय फिल्मों तथा फिल्म सामग्री को हासिल करना
2. जयकर बंगला सहित एन एफ ए आई की अवसंरचना का उन्नयन तथा डिजीटल पुस्तकालय की स्थापना

एन एफ ए आई की योजनागत स्कीमों की प्रगति की निगरानी मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्टों के जरिए की जाती है जो नियमित रूप से मंत्रालय को प्रेषित की जाती हैं। विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के तहत एन एफ ए आई द्वारा की जा रही गतिविधियों की प्रगति की सूचना एन एफ ए आई की वेबसाइट nfaipune.gov.in पर उपलब्ध है।

सत्यजित राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

सत्यजीत राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता, फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रम बनाने की कला और तकनीक में प्रशिक्षण देने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय स्तर का दूसरा संस्थान है। यह फिल्मों, धारावाहिकों और वृत्तचित्रों में अभिनय और निर्देशन के क्षेत्र में राष्ट्र की नवोदित प्रतिभाओं को उभरने का अवसर प्रदान करता है।

मुख्य सचिवालय-फिल्म विंग स्कीम

(क) एंटी पाइरेसी पहल

पायरेसी विरोधी योजना का उद्देश्य निम्नलिखित गतिविधियों में सहयोग प्रदान करना है:

अ) पायरेसी से सम्बंधित मल्टी मीडिया अभियानों का प्रसार

ब) कॉपीराइट अधिनियम के बारे में पुलिस, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन।

स) पायरेसी के दुष्प्रभावों के बारे में अनुसंधान करना और इससे निपटने के उपाय करना तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी से रणनीति लागू करना।

(ख) फिल्मी सामग्री का विकास, संप्रेषण और प्रसार

भारतीय फिल्मों के निर्माण, उन्हें बढ़ावा देने और उनके संरक्षण की दिशा में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और मीडिया इकाइयों की गतिविधियों में तालमेल कायम करने हेतु 12 वीं योजना के दौरान 'फिल्मी सामग्री का विकास, संप्रेषण और प्रसार' नामक व्यापक स्कीम लागू की जा रही है। इस स्कीम के घटक इस प्रकार हैं: -

क) भारत और विदेशों में फिल्म समारोहों और फिल्म बाजारों के माध्यम से भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना।

ख) विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों और वृत्तचित्रों का निर्माण।

ग) भारतीय सिनेमा का शताब्दी समारोह (समाप्त होने तक)।

घ) फिल्म प्रभाग के फिल्म अभिलेखागार की वेबकास्टिंग।

ई) अभिलेखीय फिल्मों और फिल्म सामग्री का अधिग्रहण।

च) फिल्म सुविधा कार्यालय की स्थापना।

इन योजनाओं को निम्नलिखित मीडिया इकाइयों द्वारा लागू किया जा रहा है:

क) फिल्म समारोह निदेशालय

ख) सीएफएसआई

ग) फिल्म प्रभाग

घ) एनएफएआई

ई) एनएफडीसी

इन प्रमुख कार्यक्रमों से संबंधित सूचनाओं को निम्नलिखित तरीकों से प्रसारित किया जाएगा-

(i) पीआईबी के जरिये नियमित प्रेस विज्ञप्तियां;

(ii) डीएवीपी के जरिये समाचार पत्रों में नियमित रूप से विज्ञापन;

(iii) कार्यक्रमों के दौरान प्रदर्शित बैनर और पोस्टर;

(iv) कार्यक्रमों के दौरान महोत्सवों की प्रकाशित सामग्री;

(v) वेब साइटों की माध्यम से जानकारी देना जैसे <http://www.dff.nic.in>, <http://www.iffi.nic.in>, <http://www.filmdivision.org> और <http://www.cfsindia.org>

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन

भारत में मोशन पिक्चरों का प्रारम्भ होने के साथ वर्ष 1930 से 1931 के दौरान लगभग 1300 मूक फिल्मों का निर्माण हुआ तथा इसके पश्चात् वर्ष 2010 तक 40,000 से अधिक फिल्मों का निर्माण हुआ। वर्तमान समय में भारत में लगभग 900 लघु फिल्मों तथा वृत्त चित्र प्रतिवर्ष बनाई जाती हैं। सरकार इस फिल्म धरोहर को डिजीटलाइजेशन तथा संरक्षण के जरिए अभिलेखित कर रही है।

योजना के तहत इस उद्देश्य 'त्रुटिरहित जीर्णोद्धार, अंतहीन पहुँच' के साथ योजना में फिल्मों के संरक्षण का प्रस्ताव है। तदनुसार 12वीं योजना में निम्न उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय फिल्म हेरिटेज मिशन की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव रहा -

ए) फिल्मों की दशा का मूल्यांकन करना तथा उनकी बची हुई कालावधि को सुनिश्चित करना

बी) 1,32,000 फिल्म रीलों को संरक्षण

सी) 1050 लैन्ड मार्क फीचर फिल्मों के 2के/4के पिक्चर तथा ध्वनि जीर्णोद्धार (280 वर्तमान योजना के दौरान) तथा 960 लघु फिल्मों (432 वर्तमान योजना के दौरान) में प्रत्येक के न्यू पिक्चर तथा साउन्ड इन्टर नेगेटिव का अभिलेखन

डी) 1050 फीचर फिल्मों (600 वर्तमान योजना के दौरान) तथा 1200 लघु फिल्मों (390 वर्तमान योजना के दौरान) का डिजीटलाइजेशन

ई) एन एफ एच एम के तहत संरक्षित फिल्मों के लिए धूल एवं उमस रहित, कम तापमान की परिस्थितियों का एन एफ ए आई, पूणे कैम्पस में सुविधाओं का निर्माण तथा संरक्षण तथा जीर्णोद्धार के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना

इस उद्देश्य के साथ कि भारतीय फिल्म विरासत का संरक्षण करना है 'राष्ट्रीय फिल्म हेरिटेज मिशन' का विस्तार 2014-15 से 2020-21 तक रखा गया है। इस योजना में कुल लागत रु. 597.41 करोड़ (रु. 291 करोड़ 12 वीं योजना में तथा रु.306.41 करोड़ तेरहवीं योजना में) रखी गई है।

(घ) ऐनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

एनीमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स सेक्टर की उत्कृष्टता हेतु केंद्र (एनसीओई) की स्थापना:

वैश्विक मनोरंजन के क्षेत्र में एनीमेशन और गेमिंग विकास और सफलता के क्षेत्र में एक सफल विस्तार के रूप में उभरा है। यद्यपि, इस उद्योग में यह स्वीकार किया गया है कि इस कार्यक्षेत्र में विकास की जबरदस्त संभावना है, इस विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त मानव शक्ति इस उद्योग के भविष्य की सफलता की कुंजी है। एनीमेशन और गेमिंग हेतु प्रशिक्षित श्रमशक्ति की मांग तात्कालिक आपूर्ति से काफी अधिक है और प्रतिभाओं की गैर उपलब्धता भारतीय संगठनों की एक प्रमुख चुनौती है। अतः इस क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने की जरूरत है। विशेषतः, अन्य एशियाई बाजारों से मुकाबले की दृष्टि में।

अतः, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एनीमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स सेक्टर की उत्कृष्टता हेतु केंद्र की स्थापना प्रस्तावित की गई है। इसके लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा चुका है और योजना आयोग ने इस परियोजना के लिए 12 वीं योजना परिव्यय को सम्मति दे दी है। एनसीओई का उद्देश्य एक ऐसे राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण करना है ताकि वहनीय शुल्क पर एनीमेशन, गेमिंग, विशेष प्रभावों तथा कॉमिक्स में विश्वस्तरीय शिक्षा दी जा सके तथा भारत में एक टैलेंट पूल बनाया जाए जो विश्वस्तरीय हो।

यह परियोजना मीडिया तथा मनोरंजन दक्षता परिषद (एमईएमपी) के सहयोग से सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रणाली पर चलाने हेतु प्रस्तावित की गई है।

(ङ) फिल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) की स्थापना

किसी भी देश में फिल्म शूटिंग से बहुत सारे लाभ होते हैं इसलिए उस देश का प्रयास होता है कि प्री प्रोडक्शन तथा पोस्ट प्रोडक्शन भी उसी जगह हो। होस्पिटैलिटी (खातिरदारी) व्यवसाय से रोजगार के अवसर के साथ ही राजस्व में भी महत्वपूर्ण वृद्धि होती है, जब किसी देश या क्षेत्र में ब्लॉकबस्टर की शूटिंग होती है। फिल्म से संबंधित पर्यटन शूटिंग के प्रोत्साहित करता है और इससे लगातार लाभ मिल सकता है।

सांस्कृतिक रूप से सम्पन्न तथा विविधता से युक्त भारत वैश्विक दर्शकों (ऑडिअंस) को बहुत कुछ दे सकता है। वैश्विक फिल्म समुदाय के बीच भारत के स्थानीय लोगों की जरूरत प्राथमिकता से महसूस की जाती है। भारतीय फिल्म उद्योग की विविधता से युक्त कार्य क्षमता अपेक्षाकृत अंतरराष्ट्रीय फिल्म प्रोड्यूसर जो भारत में शूटिंग करना चाहते हैं, के लिए उच्च प्रतियोगितात्मक फिल्म प्रोडक्शन समाधान पेश करती है।

हालांकि विदेशी फिल्म निर्माता जब भारत की ओर रुख करते हैं तो उन्हें कई चुनौतियों/समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे क्लीयरेंस के लिए कई एजेंसियों तक जाना, मंजूरी के लिए कई दस्तावेजों का होना, लाइन प्रोड्यूसर के माध्यम से पहुंच की जरूरत तथा सुरक्षा, पर्यावरण जैसे कई विशेष मामलों में अनुमति के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश का अभाव। इन सब बातों के मद्देनजर एक सरल/संयुक्त तंत्र की जरूरत है जिससे भारत में फिल्म शूटिंग की आवेदन प्रक्रिया तथा अपेक्षित अनुमति अधिक आसान तथा मित्रवत हो। इसके साथ ही फिल्म सेक्टर में स्किल्स (क्षमताओं) को बढ़ाने तथा स्तरीकरण की भी जरूरत है। उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म सुविधा केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है जो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा संचालित किया जाएगा।

प्रसारण क्षेत्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र (ईएमएमसी)

नागरिकों को टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित किए जा रहे अवांछनीय सामग्री से बचाना एक प्रतिमान है जिसका दुनिया के सभी प्रमुख लोकतंत्रों में पालन किया जा रहा है। भारत में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र (ईएमएमसी) को टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित की जा रही सामग्री की निगरानी का कार्य सौंपा गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 1500 चैनलों के लिए सामग्री अधिग्रहण सुविधा विकसित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ईएमएमसी की निगरानी क्षमता को चरणबद्ध तरीके से संवर्धित किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2014-15 के अंत तक, ईएमएमसी ने सफलतापूर्वक 600 टीवी चैनलों की सामग्री अधिग्रहण सुविधा की लक्षित योजना को हासिल कर लिया। वित्त वर्ष 2015-16 में अतिरिक्त 300 चैनलों के लिए आरएफ डाउनलिंग करने के लिए सुविधाएं विकसित की गई हैं।

प्रसार भारती

प्रसार भारती, देश का लोक सेवा प्रसारक है। उसके दो संघटक -आकाशवाणी और दूरदर्शन हैं। प्रसार भारती 23 नवम्बर 1997 को अस्तित्व में आया। इसका उद्देश्य जनता को सूचना देने, शिक्षित करने और उसका मनोरंजन करने वाली लोक प्रसारण सेवाओं का आयोजन और संचालन करना तथा देश में प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करना है।

संगठनात्मक ढांचा

निगम के मामलों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन प्रसार भारती बोर्ड करता है। बोर्ड समय-समय पर बैठकें करता है और महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श करता है, महत्वपूर्ण नीतियां तय करता है व नीतियों के कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश देता है। कार्यकारी सदस्य निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में कार्य करते हैं और बोर्ड का नियंत्रण और निरीक्षण करते हैं।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक बोर्ड के नीति-निर्देशों और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की रोजमर्रा के मामलों के प्रबंधन के लिए सदस्य (वित्त), सदस्य (कार्मिक) और सीईओ के निकट सहयोग से कार्य करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन में, विभिन्न गतिविधियों, जैसे प्रोग्राम, इंजीनियरिंग, प्रशासन और वित्त के लिए मोटे तौर पर चार अलग-अलग स्कंध हैं। इनके अतिरिक्त, दोनों निदेशालयों में एक-एक समाचार सेवा प्रभाग भी है, जिनकी कमान भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के हाथ होती है।

सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए शुरुआत में 3826 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय को स्वीकृति दी थी, जिसमें से 2614.86 करोड़ रुपये का परिव्यय चालू योजनाओं के लिए और 1211.14 करोड़ रुपये नई योजनाओं के लिये था। 'प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास' के लिए, 3500 करोड़ रुपये की राशि 'विषयवस्तु विकास एवं प्रसार' के लिए और 140 करोड़ रुपये की राशि 'विशेष परियोजनाओं' के लिये निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014-15 में 'किसान चैनल' के लिए 26 करोड़ रुपये और वर्ष 2015-16 में 45 करोड़ रुपये का पृथक परिव्यय उपलब्ध जा रहा है और वर्ष 2016-17 के लिए 60 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है।

2016-17 की वार्षिक योजना के लिए कुल परिव्यय 450 करोड़ रुपये हैं, जिनमें से 60 करोड़ रुपये किसान चैनल के लिए और 390 करोड़ रुपये 'प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास' और 'विशेष परियोजना' योजना के लिए हैं।

आकाशवाणी

प्रसार भारती का अभिन्न अंग आकाशवाणी (एआईआर), प्रसार भारती अधिनियम, 1990 में दिए गए अधिदेश के तहत कार्य करता है। आकाशवाणी, देश भर में फैले विभिन्न स्टेशनों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को सूचना देता है, शिक्षित करता है और उसका मनोरंजन करता है। यह ध्वनि प्रसारण के माध्यम से देश के सभी लोगों को सरकारी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की जानकारी देता है। इसके कार्यक्रम संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, महत्वपूर्ण समाचार और प्रासंगिक रुचि की समसामयिक घटनाओं पर आधारित होते हैं। यह शिक्षा और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने के लिए अपने प्रसारण के माध्यम से विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम संतुलित और निष्पक्ष हैं। (अध्याय-1)

आकाशवाणी के लिए वार्षिक योजना 2016-17 के पूंजी के अंतर्गत परिव्यय हेतु 177 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष बजटीय सहायता का प्रावधान है, जो मुख्य रूप से 'प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास' के लिए हैं। इस योजना में मुख्य रूप से आकाशवाणी नेटवर्क के डिजिटलीकरण, सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी/दूरदर्शन की कवरेज के सुदृढ़ीकरण, एफएम सेवा के विस्तार और ई-गवर्नेंस पर बल दिया गया है। संचालित की जाने वाली इन गतिविधियों का विवरण अध्याय-2 में दिया गया है।

सार्वजनिक प्रसारक के रूप में अपने दायित्व पूरे करने के लिए संगठन का और आगे विकास करने से संबंधित नीतिगत फैसलों के आधार पर आकाशवाणी द्वारा विभिन्न तरह की पहल की गई हैं। इन्हें आम जनता और विशेष लक्षित समूहों, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण की जरूरतों, महिला सशक्तिकरण और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर लागू किया जाता है। (अध्याय-3)

वार्षिक योजना 2014-15 और 2015-16 के दौरान वास्तविक एवं वित्तीय कार्य निष्पादन का योजना-वार विवरण अध्याय-4 में दिया गया है।

निगरानी प्रणाली

आकाशवाणी की सभी वार्षिक योजना स्कीमों के कार्य निष्पादन की निगरानी उसके द्वारा प्रसार भारती को सौंपी जाने वाले मासिक खर्च के विवरण के माध्यम से की जाती है और खर्च में हुई प्रगति और मंत्रालय द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के पूरा होने के आधार पर अनुदान जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सरकार/योजना आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अर्द्धवार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (एचपीआर) तैयार की जाती है।

आकाशवाणी की वार्षिक परियोजना योजनाओं की निगरानी उसके द्वारा प्रसार भारती को निधियां जारी होने के समय भेजे गए अपने मासिक खर्च के वक्तव्य के माध्यम से की जाती है। ये निधियां खर्च और मंत्रालय द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के पूर्ण होने की दिशा में हुई प्रगति के आधार पर जारी होती हैं। इसके अलावा सरकार/योजना आयोग द्वारा नियत प्रारूप में अर्धवार्षिक रिपोर्ट्स (एचपीआर) भेजी जाती हैं। प्रसार भारती के वित्तीय कार्य निष्पादन के योजनावार विवरण की नियमित निगरानी योजना कार्यान्वयन प्रकोष्ठ द्वारा मासिक वक्तव्य के रूप में की जाती है। प्रसार भारती के सीईओ नियमित तौर पर योजनाओं की प्रगति की निगरानी करते हैं और जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक कदमों का निर्देश देते हैं। आरएफडी में शामिल की गई योजनाओं की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी भी नामित किये गये हैं।

वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए महानिदेशक को 20 करोड़ रुपये के वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के संबंध में प्रसार भारती बोर्ड को प्रदत्त वित्तीय अधिकार जनवरी, 2012 में बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दिये थे।

परियोजना के लिए खरीद और अन्य सभी प्रमुख कार्यकलापों के लिए समय-सारणी निर्धारित कर ली गयी है और उसकी प्रगति भी तय कार्यक्रम के अनुसार निगरानी की जाती है। उपकरण की खरीद संबंधी प्रक्रिया को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए ई-निविदा प्रणाली अपनायी गई है।

उपरोक्त के अलावा, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों और सिविल निर्माण प्रकोष्ठ (सीसीडब्ल्यू) में नियमित समीक्षा बैठकें होती हैं।

दूरदर्शन

दूरदर्शन प्रसारण की शुरुआत दिल्ली में सितम्बर, 1959 को प्रायोगिक सेवा के तौर पर हुई थी। बीते दौर के साथ इसमें जबरदस्त वृद्धि हुई है और वह दुनिया के प्रमुख टीवी संगठनों में से एक बन चुका है। बीते वर्षों के साथ दूरदर्शन ने सिर्फ देश के कोने-कोने तक अपने नेटवर्क का ही विस्तार नहीं किया, बल्कि वह टीवी प्रसारण के क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकीय घटनाओं के साथ ही कदम से कदम मिलाकर चला है।

वर्तमान में दूरदर्शन के 34 उपग्रह चैनल हैं और इसका 67 स्टूडियो और 1416 ट्रांसमीटरों वाला विशाल नेटवर्क भी है, जिसके बल पर यह देश की करीब 92 प्रतिशत आबादी तक कवरेज उपलब्ध कराता है। इसके अलावा दूरदर्शन फ्री-टू-एयर डीटीएच सेवा भी प्रदान कर रहा है।

दूरदर्शन के सेटेलाइट चैनल

दूरदर्शन वर्तमान में 34 सेटेलाइट चैनलों का संचालन करता है:-

अखिल भारतीय चैनल (6)	डी डी नेशनल डी डी भारती	डी डी न्यूज डी डी उर्दू	डी डी स्पोर्ट्स डी डी किसान
क्षेत्रीय चैनल-(16)	डी डी मलयालम डी डी पोधिगई डी डी ओड़िया डी डी बांग्ला डी डी बिहार डी डी सप्तगिरी	डी डी चन्दना डी डी सहयाद्रि डी डी कशीर डी डी पंजाबी डी डी उत्तर प्रदेश	डी डी यादागिरी डी डी गिरनार डी डी पूर्वोत्तर डी डी राजस्थान डी डी मध्य प्रदेश
राज्य नेटवर्क-(11)	हिमाचल प्रदेश हरियाणा मिजोरम अरुणाचल प्रदेश	झारखंड उत्तराखंड मेघालय नगालैंड	छत्तीसगढ़ त्रिपुरा मणिपुर
अंतरराष्ट्रीय चैनल-1	डी डी इंडिया		

दूरदर्शन नेटवर्क

कार्यक्रम निर्माण केंद्र

देशभर में इन-हाउस कार्यक्रम निर्माण के लिए 67 स्टूडियो केंद्र हैं। इनमें राज्यों की राजधानियों में 17 बड़े स्टूडियो केंद्र, गुवाहाटी में एक क्षेत्रीय निर्माण केंद्र और देश के विभिन्न भागों में 49 अन्य स्टूडियो केंद्र शामिल हैं।

भूभागीय ट्रांसमीटर

भूभागीय यानी जमीनी कवरेज के लिए, देश भर में अलग-अलग क्षमता के 1416 ट्रांसमीटर लगाये गए हैं। ये सभी चालू हैं। इन ट्रांसमीटरों का ब्यौरा इस प्रकार है:

सेवा	एचपीटी	एलपीटी	वीएलपीटी	ट्रांसमीटर	कुल
डीडी1 ट्रांसमीटर	138	733	355	18	1244
डीडी समाचार ट्रांसमीटर	73	78	17	-	168
अन्य ट्रांसमीटर (डिजिटल)	4	-	-	-	4
कुल	215	811	372	18	1416

भूभागीय मोड में डीडी-1 (राष्ट्रीय) चैनल की कवरेज का दायरा देश की करीब 92 प्रतिशत आबादी तक उपलब्ध है। डीडी न्यूज चैनल की भूभागीय कवरेज अनुमानित रूप से करीब 49 प्रतिशत आबादी तक उपलब्ध है। डीडी-1 और डीडी-न्यूज की क्षेत्र वार कवरेज क्रमशः 81 प्रतिशत और 26 प्रतिशत है।

फ्री-टू-एयर डीटीएच 'डीडी फ्री डिश'

दूरदर्शन ने अपनी फ्री-टू-एयर डीटीएच सेवा (केयू-बैंड), "डीडी फ्री डिश" (पहले इसका नाम "डीडी डायरेक्ट प्लस था) की शुरुआत दिसम्बर 2004 में 33 टीवी चैनलों के समूह के साथ की थी। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य अब तक भू-भागीय प्रसारण कवरेज के दायरे से बाहर रह गये क्षेत्रों को टेलीविजन कवरेज उपलब्ध कराना था। इसके बाद डीटीएच प्लेटफार्म की क्षमता बढ़ाकर इसमें 64 टेलीविजन चैनल शामिल कर लिए गए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर डीटीएच सिग्नल (केयू-बैंड) देश के सभी हिस्सों में छोटे आकार की डिश के जरिए उपलब्ध हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सितम्बर 2009 में सी-बैंड के साथ 10 चैनलों वाली डीटीएच सेवा शुरू की गई। दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफॉर्म "डीडी फ्री डिश" का उन्नयन 64 से बढ़ाकर 104 चैनल करने का काम पूरा हो चुका है और इस उन्नयित प्लेटफॉर्म का चालू होना सशर्त पहुंच प्रणाली (सीएस) के कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। वर्तमान में 64 टीवी चैनल डीटीएच प्लेटफॉर्म पर फ्री टू एयर (एफटीए मोड) में उपलब्ध हैं।

वार्षिक योजना 2016-17 में दूरदर्शन के लिए प्रस्तावित प्रत्यक्ष बजटीय सहायता 273 करोड़ रुपये है। इस आवंटन में पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन के लिए 221 करोड़ रुपये का अनुदान शामिल है, जो मुख्यतः 'प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास' के अंतर्गत कवर की जाने वाली योजनाओं के लिए है, जिसमें किसान चैनल के लिए 8 करोड़ रुपये शामिल है। इस योजना में मुख्य रूप से दूरदर्शन नेटवर्क के डिजिटलीकरण, डीटीएच का विस्तार, एचडीटीवी का विस्तार, दूरदर्शन स्टूडियो, ट्रांसमीटर और सेटेलाइट प्रसारण उपकरण का आधुनिकीकरण और भारत-नेपाल सीमा पर दूरदर्शन के कवरेज के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया गया है। इस तरह, 52 करोड़ रुपये का शेष परिव्यय किसान चैनल के लिए विषयवस्तु विकास एवं प्रसार हेतु आवंटित किया गया है। (अध्याय-2)

वार्षिक योजना 2014-15 और 2015-16 के दौरान वास्तविक एवं वित्तीय कार्य निष्पादन का योजना-वार विवरण अध्याय-4 में दिया गया है।

निगरानी की व्यवस्था

प्रत्येक वर्ष दूरदर्शन की सभी प्रमुख परियोजनाओं के संदर्भ में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उनकी निगरानी क्षेत्रीय कार्यालय के साथ-साथ निदेशालय के स्तर पर की जाती है, ताकि उन्हें समय पर सम्पन्न किया जा सके और समय और लागत को बढ़ने से रोका जा सके। सिविल कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए क्षेत्रीय एडीजी (ई) सीसीडब्ल्यू संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें करते हैं। ई-इन-सी स्तर पर निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय और सीसीडब्ल्यू के अधिकारियों की नियमित रूप से परियोजना समीक्षा बैठकें होती हैं।

डीजी:डीडी एवं प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्तर पर भी समय-समय पर समीक्षा बैठकें होती हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी डीडी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए समय-समय पर समीक्षा बैठकें बुलाता है। परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए दूरदर्शन हर सम्भव कदम उठाता है।

मुख्य सचिवालय की प्रसारण विंग की स्कीमें (क) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग

संचार, विकास और लोकतंत्र की सफलता के केंद्र में होता है। सामुदायिक रेडियो (सीआर) एक महत्वपूर्ण संचार उपकरण है, विशेष रूप से उन समुदायों में जहां ज्यादातर लोग पढ़-लिख नहीं सकते। यह जन साधारण को स्वर देने का असाधारण और अदृश्य माध्यम है।

मंत्रालय ने सकारात्मक सामाजिक बदलाव और सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए एक आदर्श उपकरण के रूप में सीआर की क्षमता का उपयोग किया है। सीआर स्टेशन अनिवार्य रूप से कम बिजली खर्च करने वाले रेडियो स्टेशन होते हैं, जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा स्थापित और संचालित किया जाता है। एक सीआर स्टेशन स्थानीय समुदाय में गहराई से निहित होता है जो स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा आदि पर केंद्रित होते हुए उसे विशिष्ट लाभ प्रदान करता है।

पिछले चार वर्षों में सीआर स्टेशनों की दिशा में मंत्रालय के दृष्टिकोण में जबरदस्त बदलाव आया है। अब मंत्रालय मात्र एक लाइसेंस प्रदाता/ नियामक नहीं, वरन् सुविधाप्रदाता बन गया है। इस महत्वपूर्ण बदलाव से भारत में सीआर का तेजी से विकास हो रहा है। आज देश में 188 सीआर स्टेशन सक्रिय हैं। 320 से अधिक स्टेशनों पर काम चल रहा है, यानी एक मौन क्रांति के लिए मंच तैयार हो रहा है।

आवेदन कार्यप्रणाली का सरलीकरण, आवेदनों की प्रोसेसिंग की पारदर्शिता में सुधार, अनुमोदन की गति में तेजी, जागरूकता बढ़ाना, सीआरएस को वित्तीय सहायता देने के लिए प्लान योजना की शुरुआत जैसे कदमों से हितधारकों के बीच तालमेल बढ़ा है और सीआर प्रसारण में सरकारी मंत्रालयों की भागीदारी ने देश में सीआर के सार्थक विकास की एक ठोस नींव रखी है।

(ख) प्रसारण शाखा का स्वचालितीकरण

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को वर्ष 2011 में अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत में टेलीविजन चैनलों को अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग की अनुमति प्रदान करने का अधिकार है तथा साथ ही मंत्रालय को, आवेदकों को मल्टी सिस्टम आपरेटर्स (एमएसओ) की अनुमति, डीटीएच लाइसेंस, एचआईटीएस लाइसेंस और सीआरएस तथा आईपीटीवी सेवाओं की अनुमति सिंगल विंडो क्लियरेंस के माध्यम से प्रदान करने का भी अधिकार है, क्योंकि आवेदकों को अनुमति प्रदान करने से पूर्व, आवेदकों के लिए सभी

आवश्यक अनापत्तियां (या क्लीयरेंस) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्राप्त की जाती हैं।

यह मंत्रालय अपलिकिंग और डाउनलिकिंग संबंधी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निजी उपग्रह टीवी चैनलों को अनुमति प्रदान करता है। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में प्रगति के साथ ही भारत से टीवी चैनलों की अपलिकिंग और डाउनलिकिंग की अनुमति देने की मांग कई गुणा बढ़ गई जिसकी वजह से वर्ष 2002 में अपलिकिंग और 2005 में डाउनलिकिंग के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों को निरूपित किया जाना आवश्यक हो गया और बाद में दिसम्बर 2011 में इन दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, विभिन्न प्रसारण सेवाओं की अनुमति/पंजीकरण को मंजूरी देने के लिए प्रसारण शाखा के टीवी (आई) विभाग, बीपी एंड एल विभाग और सीआरएस विभाग जैसे विभिन्न विभागों को स्वचालित करने का प्रस्ताव किया गया। इस परियोजना में एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल का विकास, परीक्षण और उसका स्थापन शामिल है।

योजना राजस्व के अंतर्गत यह 'प्रसारण शाखा का स्वचालितकरण' नामक नयी योजना स्कीम है। इस परियोजना को बेसिल द्वारा कार्यान्वित करने की परिकल्पना की गयी है, जिसमें प्रणाली को एकीकृत करने, मानवशक्ति और कार्यान्वयन के बाद सहायता सहित पूरी लागत शामिल होगी।

इस योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रसारण लाइसेंस/अनुमतियां प्रदान करने के लिए आवेदनों को त्वरित रूप से संसाधित करने हेतु कम्प्यूटरीकृत वैब आधारित प्रणाली तैयार करना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अन्य संबद्ध मंत्रालयों से जुड़ा होगा।

प्रस्तावित सुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल संबद्ध एजेंसियों के जरिये आवेदन की प्रक्रिया को सुचारू बनाएगा तथा विभाग के अधिकारियों और आवेदकों, दोनों को आवेदन की स्थिति की निगरानी में सक्षम बनाएगा। यह आवेदन की स्थिति के संदर्भ में पारदर्शिता लाते हुए आवेदनों के त्वरित निपटारे में सक्षम बनाएगा।

(ग) डिजिटल मिशन

सरकार ने 31 दिसम्बर 2016 तक देश में सभी एनॉलाग केबिल टी वी सेवाओं को पूरी तरह से समाप्त कर 4 चरणों में पूरी तरह डिजिटल करने की महात्वाकांक्षी योजना को भारत सरकार ने शामिल किया है। केबिल टी वी डिजिटलाइजेशन के प्रथम दो चरण 42 शहरों में पूरी तरह से सफल रहे सिवाय चेन्नई (पहले चरण में) तथा कोयंबटूर (दूसरे चरण में)। पहले दो चरणों में 30 मिलियन से अधिक सेट टॉप बॉक्स (एस टी बी) लगाए गए। सभी शेष शहरी क्षेत्रों (जो चरण 1 तथा 2 में शामिल नहीं थे) को आच्छादित करता हुआ तीसरा चरण 31 दिसम्बर 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य रहा जबकि शेष भारत को कवर करके चौथे चरण को पूरा करने का लक्ष्य 31 दिसम्बर 2016 का है।

तीसरे चरण को पूरा करने के लिए मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स का गठन किया जिसकी प्रत्येक माह बैठकें हुईं। प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जन जागरूकता अभियान प्रारम्भ किए गए। उपभोक्ताओं सहित सभी स्टेक होल्डरों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एक बहुभाषी टोल फ्री नम्बर 18001804343 प्रारम्भ किया गया। डिजिटल मिशन लागू करने में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए राज्य तथा जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों को नामांकित किया गया तथा समन्वय स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर 11 अभिविन्यास कार्यशालाएं आयोजित की गईं। एक प्रबंध सूचना सिस्टम (एम आई एस) का भी विकास किया गया जिसमें एम एस ओ, डी टी एच तथा एच आई टी एस परिचालकों ने सप्ताह में कम-से-कम एक बार क्षेत्रानुसार सेट टॉप बॉक्स (एस टी बी) लगाने से सम्बन्धित विवरण दर्ज किया। 31 दिसम्बर 2015 तक 642 एम एस ओ को पंजीकृत किया गया। प्रगति की नियमित निगरानी की गई तथा एम आई एस के अनुसार 31.12.2015 तक लगभग 75 प्रतिशत कुल सीडिंग रही। हालांकि एम एस ओ एसोसिएशन द्वारा दाखिल याचिका पर माननीय आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना उच्च न्यायालय, हैदराबाद ने 30.12.2015 को दो माह का एक्सटेंशन दे दिया।

मेसर्स नासिक जिला केबिल ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इसी आधार पर माननीय बाम्बे उच्च न्यायालय ने 4.1.2016 को यह आदेश पारित किया, "उच्चतम न्यायालय द्वारा कुसुम इनगॉट्स तथा एलॉय लिमिटेड बनाम भारत संघ 6(2004)6 सुप्रीम कोर्ट केस 2548 में किए गए प्रेक्षण के आधार पर चूंकि आंध्र प्रदेश तथा सिक्किम उच्च न्यायालय ने यथा स्थिति कायम रखने का आदेश पारित किया है तथा अधिक विशेष रूप में उक्त आदेश के अनुच्छेद-22 के अनुसार इस मामले में अंतरिम आदेश पारित करने का प्रश्न नहीं उठता है।" समान मामलों में कुछ अन्य स्टेक होल्डरों द्वारा ओडिशा, असम, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, केरल, इलाहाबाद तथा कर्नाटक उच्च न्यायालयों

में मामले फाइल किए गए हैं तथा इनमें से कुछ मामलों में माननीय न्यायालय ने डिजीटाइजेशन चरण-3 की कट ऑफ तिथि 31.12.2015 तय करने के गजट नोटिफिकेशन को स्टे कर दिया है। मंत्रालय इन मामलों में न्यायालय से स्टे समाप्त करने के लिए मामलों की पैरवी कर रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में मामलों को अन्तरित करने के लिए स्थानान्तरण आवेदन भी लगाया जा रहा है। ऐसा अनुमान था कि लगभग 90 मिलियन सेट टॉप बॉक्स चरण-3 के दौरान वांछित हैं। एम एस ओ, डी टी एच तथा एच आई टी एस परिचालकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 1 फरवरी 2016 तक चरण-3 क्षेत्रों में 35 मिलियन सेट टॉप बॉक्स लगाए जा चुके हैं तथा इस प्रकार लगभग 87 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। एसोसिएशन ऑफ डॉमेस्टिक मैन्युफैक्चरर ऑफ सेट टॉप बॉक्स ने मंत्रालय को यह सूचित किया है कि सेट टॉप बॉक्स की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर वे और अधिक मात्रा में सेट टॉप बॉक्स उपलब्ध करा सकते हैं। एसोसिएशन ने सेट टॉप बॉक्स निर्माताओं के लिए एक समान धरातल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इस क्रम में सरकार ने सेट टॉप बॉक्स को एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क उपकरण के भाग के रूप में उद्घोषित करते हुए सी फार्म मामले को निपटा लिया है।

दीर्घावधि वित्त का मामला विचाराधीन है। एक स्वदेशी कन्डीशनल एक्सेस सिस्टम (सी ए एस) का विकास किया गया है जो घरेलू सेट टॉप बॉक्स निर्माताओं को स्वदेशी सेट टॉप बॉक्स बनाने तथा आपूर्ति करने हेतु माहौल प्रदान करेगा तथा इस प्रकार 'मेक इन इंडिया' लक्ष्य को हासिल करते हुए रोजगार के अवसर भी सृजित किए जा सकेंगे।

केबिल टी वी सेक्टर के डिजीटलाइजेशन के कारण प्रसारण सेक्टर एक आदर्श विस्थापन के दौर से गुजर रहा है। केबिल टी वी के डिजीटलाइजेशन के कारण केबिल उपभोक्ताओं को न सिर्फ अधिक गुणवत्ता सेवा तथा अधिक चैनलों तक पहुंच प्राप्त हो रही है वरन् अन्य मूल्य आधारित सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक कार्यक्रम गाइड, कम्प्यूटर बिल तथा विस्तृत शिकायत निवारण तंत्र टोल फ्री हेल्पलाइन के साथ प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकारों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार यह देखा गया है कि प्रथम तथा द्वितीय चरण में रिपोर्ट किए गए टी वी कनेक्शन की संख्या 2 से 3 गुना तक बढ़ गई है तथा इस प्रकार मनोरंजन कर संग्रहण में भी वृद्धि हुई है। केबल टी वी नेटवर्क के डिजीटाइजेशन से केबल टी वी नेटवर्क के जरिए उच्च गति के ब्राड बैंड पहुंच के प्रावधानों को प्राप्त किया जा रहा है। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत डिजिटल इंडिया पहल को सफलतापूर्वक हासिल करने के लिए रोडमैप तैयार हो रहा है।

अध्याय-1

अधिदेश, लक्ष्य, उद्देश्य, नीतिगत ढांचा तथा नीति वक्तव्य

सूचना क्षेत्र

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

अधिदेश, लक्ष्य, उद्देश्य, नीतिगत ढांचा तथा नीति वक्तव्य

1.1 **अधिदेश** : डीएवीपी बहु-प्रचार माध्यम विज्ञापन एवं सूचना संप्रेषण अभियान के लिए भारत सरकार का नोडल संगठन है। यह विभिन्न मंत्रालयों और उनके विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए व्यापक जन समुदाय को सूचित एवं शिक्षित करता है। यह अनेक स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की प्रचार संबंधी जरूरतें भी पूरी करता है। सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक संदेशों को समाज के निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न संचार-माध्यमों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(क) समाचारपत्र विज्ञापन

(ख) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी स्पॉट्स रेडियो जिंगल आदि,

(ग) उभरते हुए नए माध्यम, जैसे डिजिटल सिनेमा, मोबाइल टेलीफोनी और सोशल नेटवर्किंग साइट्स सहित इंटरनेट।

(घ) मुद्रित सामग्री-पुस्तिकाएं, ब्रोशर्स, पोस्टर आदि,

(ङ) बाह्य माध्यम - होर्डिंग्स, मेट्रो रेल पैनल, बस पैनल, किओस्क, जन सुविधाएं, यूनिपोल्स आदि।

(च) शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में मेलों आदि सहित भीड़ एकत्र होने के स्थानों पर चुने हुए विषयों पर फोटो प्रदर्शनियां।

1.2 **नीति फ्रेमवर्क** : डीएवीपी अनेक वर्षों से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों और विकास के उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है और व्यापक जन समुदाय में जागरूकता पैदा करने, तथा गरीबी एवं सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लक्ष्य से विकास गतिविधियों और समावेशी शासन प्रक्रिया में उन्हें भागीदार बनाने में सक्रिय है। डीएवीपी का प्रचार कार्य सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी भारत सरकार की विज्ञापन नीति और श्रव्य-दृश्य नीति द्वारा निर्देशित है, जिसमें प्रिंट मीडिया प्रचार कार्य विज्ञापन नीति द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रव्य-दृश्य नीति द्वारा निर्देशित है।

1.3 **लक्ष्य** : डीएवीपी का चार्टर या घोषणापत्र, जो इसकी वेबसाइट www.davp.nic.in पर उपलब्ध है, अपने ग्राहकों, नागरिकों एवं अन्य संबद्ध पक्षों को मात्रात्मक ढंग से सेवाएं वितरित करने का संकल्प व्यक्त करता है। डीएवीपी वर्तमान में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों में गुणवत्ता-जागरूकता पैदा करते हुए, एक ग्राहक-संचालित संगठन बनने का प्रयास कर रहा है। इस प्रयोजन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, सेवाओं के व्यावसायीकरण, और इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सहित कामकाज के आधुनिकीकरण, प्रक्रियाओं एवं संरचनाओं के स्वचालन जैसे साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मंत्रालयों/विभागों की प्रचार जरूरतों की जानकारी मीडिया केंद्रों तक पहुंचाने के लिए पोस्टल ऑफिस मात्र की तरह काम करने की बजाय, डीएवीपी का लक्ष्य ऐसी विषय-वस्तु का निर्माण एवं सृजन करना है, जो सरकारी सूचना एवं संचार जरूरतों के लिए समेकित भूमिका का निर्वाह कर सके।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों में से एक है। निदेशालय अपने 22 क्षेत्रीय कार्यालयों के नियंत्रण और देखरेख में 207 क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों के नेटवर्क के माध्यम से सरकार की विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों का प्रचार-प्रसार करता है।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 1853 में अस्तित्व में आया और उस समय इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय तथा 32 प्रचार इकाइयां थीं। इसका ढांचा 'पंचवर्षीय योजना प्रचार संगठन' नामक एकीकृत प्रचार कार्यक्रम के तहत खड़ा किया गया।। शुरुआत में इसकी इकाइयां और क्षेत्रीय कार्यालय सीधे तौर पर मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में थे। आगे चलकर, क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों की गतिविधियों को नियंत्रित करने और उनकी निगरानी के लिए 1959 में "क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय" नाम से एक पूर्ण निदेशालय का गठन किया गया।

1962 के भारत-चीन युद्ध और 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद, राष्ट्र के मनोबल को ऊंचा करने और किसी बाहरी आक्रमण की दशा में उसका सामना करने के लिए लोगों को मानसिक तौर पर तैयार करने हेतु, डीएफपी के दृष्टिकोण और कार्य के तरीकों में कुछ क्रांतिकारी बदलाव करना अपरिहार्य हो गया। तदनुसार, 1963 में 34 नई इकाइयों का गठन किया गया और 1965 में, विशेष रूप से सीमावर्ती इलाकों में प्रचार के लिए अलग से 33 इकाइयां बनायीं गयीं।

भारतीय जनसंचार संस्थान

भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) 17 अगस्त, 1965 को अस्तित्व में आया। जन संचार के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के उद्देश्य से स्थापित इस संस्थान का उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री और तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था।

मामूली कर्मचारियों, यूनेस्को और एमओए के दो सलाहकारों और केंद्रीय तथा राज्य सूचना सेवा एवं प्रचार अधिकारियों के लिए मुख्य रूप से प्रारंभ किए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के साथ, इस संस्थान ने पिछले 50 वर्षों में, आधुनिक दौर में तेजी से व्यापक होते और बदलते मीडिया एवं जन संचार उद्योग की विविधता और मांग को पूरा करने के लिए अनेक विशेषज्ञ पाठ्यक्रम संचालित किए हैं।

हाल के वर्षों में, जन संचार में बदलाव आया है और यह एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरा है जिसने निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित किया है। सूचना प्रौद्योगिकी में आई क्रांति ने जन संचार के विस्तार में काफी योगदान किया है। इसने विद्यार्थियों, शिक्षकों और इस क्षेत्र के पेशेवरों के लिए चुनौतियां पेश की हैं। तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी ने इस क्षेत्र की जटिलता को जिस प्रकार रूपांतरित किया है, वह शैक्षणिक गतिविधि के किसी भी अन्य क्षेत्र में नहीं हुआ है। इसलिए यह समय की मांग है कि मीडिया और संचार की प्रभावशीलता को बरकरार रखने और उसे बढ़ाने के लिए इन चुनौतियों का सामना किया जाए।

संस्थान यह प्रयास करता है कि सूचना संरचना को भारतीय ही नहीं, विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार सृजित और मजबूत किया जाए। यह भारत और विदेशों की संस्थाओं/निकायों को अपनी विशेषज्ञता और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। संस्थान भारत सरकार के विभिन्न विभागों/संगठनों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त होने वाले अनुरोधों पर उन्हें प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है।

प्रशिक्षण गतिविधियों की बढ़ती लोकप्रियता और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ संस्थान ने पूर्वी क्षेत्र की मांगों को पूरा करने हेतु 1993 में ढेंकनाल, ओडिशा में एक क्षेत्रीय केंद्र शुरू किया। वर्तमान में इस क्षेत्रीय केंद्र में अंग्रेजी और उड़िया में पत्रकारिता पर दो स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

अगस्त, 2011 में संबंधित राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए गए अस्थायी आवास के साथ अमरावती (महाराष्ट्र) और आईजोल (मिजोरम) में नए क्षेत्रीय केंद्रों को शुरू किया गया। इसी प्रकार अगस्त, 2012 संबंधित राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए गए अस्थायी आवास के साथ जम्मू (जम्मू-कश्मीर) और कोट्टायम (केरल) में नए क्षेत्रीय केंद्रीय केंद्र शुरू किए गए और पाठ्यक्रम संचालित किए जाने लगे। इन केंद्रों में अंग्रेजी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स का संचालन किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से संस्थान को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। संस्थान की गतिविधियां कार्यकारी परिषद द्वारा निर्देशित होती हैं, जिसका अध्यक्ष मंत्रालय का सचिव होता है जो कि संस्थान (सोसायटी) का अध्यक्ष भी होता है। संस्थान के अन्य सदस्यों में संस्थान के महानिदेशक, संस्थान के संकाय के प्रतिनिधि एवं मीडिया और संचार की दुनिया की प्रख्यात हस्तियां शामिल होती हैं।

शैक्षणिक कार्यक्रम

संस्थान की गतिविधियां शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के तीन केंद्रीय क्षेत्रों पर केंद्रित होती है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संस्थान निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित करता है:

1. भारतीय सूचना सेवा (ग्रुप ए और बी) के अधिकारियों के लिए फाउंडेशन/अभिविन्यास/ सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम।
2. एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और पूर्वी यूरोप के पत्रकारों और सूचना अधिकारियों के लिए करियर के मध्य में विकासपरक पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
3. पत्रकारिता (अंग्रेजी) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम - नई दिल्ली, अमरावती (महाराष्ट्र), आइजोल (मिजोरम), ढेंकनाल (ओडिशा), जम्मू (जम्मू-कश्मीर) और कोट्टायम (केरल)।
4. पत्रकारिता (हिंदी) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम - नई दिल्ली।
5. विज्ञापन और सार्वजनिक संबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम - नई दिल्ली।
6. रेडियो और टीवी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स - नई दिल्ली।
7. पत्रकारिता (उड़िया) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम - ढेंकनाल (ओडिशा), और
8. वर्ष 2013-14 के दौरान पत्रकारिता (उर्दू) में डिप्लोमा पाठ्यक्रम नई दिल्ली केंद्र में शुरू किया गया।

फोटो प्रभाग

फोटो प्रभाग का प्रमुख कार्य सरकार द्वारा शुरू किए गए विकासात्मक कार्यक्रमों और उनके परिणामस्वरूप देश में हो रहे सामाजिक परिवर्तन को फोटोग्राफिक रूप में प्रलेखित करना है। फोटो प्रभाग देश और विदेश में भारत के प्रधानमंत्री और भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित रोजमर्रा की आधिकारिक फोटो कवरेज के प्रति जिम्मेदार हैं। प्रभाग द्वारा फोटो प्रदर्शनी और सरकारी गतिविधियों के आंतरिक प्रचार के लिए पत्र सूचना कार्यालय और डीएवीपी को फोटो प्रदान किए जाते हैं। देश के भीतर/बाहर प्रचार के लिए विदेश मंत्रालय की एक्सपी डिविज़न को भी फोटो प्रदान किए जाते हैं। फोटो प्रभाग लोकसभा सचिवालय की फोटोग्राफ संबंधी जरूरतें पूरी करने में भी मदद करता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त फोटो प्रभाग भुगतान के आधार पर केंद्र/राज्य सरकारों के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और “मूल्यन योजना” के अंतर्गत आम जनता को भी फोटोग्राफ की आपूर्ति करता है।

12वीं पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम के पांचवें वर्ष 2016-17 के लिए निम्नांकित घटक शामिल हैं, जिनके लिए रु. 112.00 लाख का परिव्यय निर्धारित किया गया है:-

(लाख में)

क्रम सं.	कार्यक्रमों के नाम	वार्षिक योजना 2016-17
1.	2.	3.
1.	राष्ट्रीय फोटोग्राफी केंद्र	
	क) आउटसोर्सिंग सहायता	24.00
	ख) राष्ट्रीय फोटो पुरस्कार	27.00
	ग) स्थाई फोटो दीर्घ	56.00
2.	पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष अभियान	5.00
	कुल योग	112.00

भारतीय प्रेस परिषद

प्रेस परिषद की उत्पत्ति और कार्यों के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी

भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना पहली बार प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों पर वर्ष 1966 में की गई थी। वर्तमान में यह प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के अंतर्गत कार्य करती है और प्रेस की स्वतंत्रता तथा प्रेस के मानकों को बनाए रखने और उनमें सुधार लाने के अपने दोहरे कार्य का निर्वहन करते हुए प्रिंट मीडिया की स्वतंत्रता और उसके कारगर संचालन को अधिशासित करती है। एक तरफ यह सिविल अदालत के सभी अधिकारों के साथ अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है और दूसरी तरफ, अपनी परामर्शी क्षमता में प्रेस और प्राधिकरणों को किसी ऐसे मामले के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करती है, जिसका संबंध प्रेस की आजादी और उसके मानकों पर पड़ता हो। जब तक संविधान का उल्लंघन न हो, और परिषद अपने अधिकारों से बाहर जाकर काम न करे, तब तक इसके कार्यों पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता।

प्रेस परिषद का प्रमुख इसका अध्यक्ष होता है, जो परम्परा के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय का एक वर्तमान/सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। इसके अतिरिक्त परिषद के 28 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें से 20 प्रेस से, 5 संसद के दोनों सदनों से और 3 सदस्य सांस्कृतिक, साहित्यिक और विधि क्षेत्रों से सम्बद्ध होते हैं, जो साहित्य अकादमी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और बार काउंसिल आफ इंडिया द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

परिषद के लिए धन की व्यवस्था इसके द्वारा देशभर में पंजीकृत समाचार पत्रों पर लगाए गए शुल्क की राजस्व वसूली के जरिए की जाती है। यह शुल्क अखबारों की प्रसार संख्या के आधार पर लगाया जाता है, यदि कोई कमी रहती है, तो उसे केंद्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में पूरा किया जाता है। परिषद अपनी वित्त व्यवस्था के लिए सरकारी धन पर निर्भर है, परंतु जहां तक कार्यात्मक स्वायत्तता का प्रश्न है, यह अपने कार्यों के निर्वहन में किसी बाहरी दबाव से पूरी तरह अप्रभावित और स्वतंत्र रूप से काम करती है।

परिषद के अर्द्ध न्यायिक कार्य का निर्वहन प्रेस परिषद अधिनियम 1978 की धारा 14 और 15 के अधिदेश और प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए किया जाता है। परिषद अपने परामर्शी और दिशा-निर्देशक कार्यों का संचालन धारा 13 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत करती है।

पत्र सूचना कार्यालय

पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार की उन प्रमुख एजेंसियों में से एक है, जिनका प्रमुख कार्य विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराना है। वर्तमान में ब्यूरो के आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, भोपाल, चंडीगढ़, गुवाहाटी, लखनऊ और हैदराबाद में स्थित हैं। इसके 27 शाखा कार्यालय, 5 कार्यालय-सह-सूचना केंद्र और दो सूचना केंद्र हैं जो देशभर में फैले हुए हैं। इन स्थानों से अनेक पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं और बड़ी संख्या में पत्रकार इन कार्यालयों में नियमित रूप से आते हैं। भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी पत्रकारों/प्रेस कर्मियों को देने के लिए मंत्री/सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी संवाददाता सम्मेलन करते हैं।

2. पिछले कुछ वर्षों में, दुनिया भर में मीडिया परिदृश्य में दो बड़े घटनाक्रम हुए हैं- प्रथम, इंटरनेट का बड़े पैमाने पर तेजी से विस्तार और दूसरे -चौबीसों घंटे चलने वाले न्यूज चैनलों का आगमन। इन दोनों के कारण संचार की गति बहुत तेज हो गई है, राष्ट्रों की सीमाओं तक प्रसार हो रहा है और समाचार संग्रह तथा जनता तक उसके प्रसार में बहुत तेजी आ गई है। इसलिए, जबकि परंपरागत मीडिया-खासतौर से प्रिंट मीडिया का महत्व बना हुआ है, वहीं अब पत्र सूचना कार्यालय को नए मीडिया की जरूरतें पूरी करने के लिए भी काम करना है और नए उभरते साधनों का इस्तेमाल करते हुए उसे मीडिया और पूरी जनसंख्या को सेवाएं प्रदान करनी हैं।

3. आजकल समस्त विषयों के बारे में सूचनाएं इंटरनेट के जरिए तत्काल मिल जाती हैं और उनकी व्यापक पारदर्शिता और पहुंच के कारण, सूचनाओं का प्रसार करने से संबंधित पीआईबी के परंपरागत साधनों को ज्यादा सामयिक और आधुनिक मीडिया की जरूरतों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। इसलिए ब्यूरो अपने ग्राहकों को अधिक आकर्षक एवं उपयोगी तरीकों से सूचना उपलब्ध कराने के लिए अभिनव प्रणालियों का इस्तेमाल करता है।

4. पत्र सूचना कार्यालय अखबारों और अन्य माध्यमों से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं को विभिन्न सरकारी विभागों को उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है ताकि वे आवश्यक सुधारात्मक कदम उठा सकें अथवा नयी दिशाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

5. इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2015-16 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों/योजनाओं/परियोजनाओं को चलाने का प्रस्ताव है :

नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र (नेशनल मीडिया सेंटर) की स्थापना- ब्यूरो ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों को एक ही स्थान पर मीडिया सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र (नेशनल मीडिया सेंटर) की स्थापना की है। इसका अपना भवन है, जिसमें आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑडिटोरियम, प्रेस लाउंज, ब्रीफिंग/कांफ्रेंस रूम और लाइब्रेरी समेत तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना में जारी योजना के रूप में सम्मिलित किया गया था। परियोजना की 60 करोड़ रुपये की कुल लागत में से एनबीसीसी को वित्त वर्ष 2013-14 तक 57.41 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई थी। इसका उद्घाटन 24-08-2013 को हुआ था और यहां पूरी तरह से काम-काज हो रहा है।

मीडिया आउटरीच प्रोग्राम और विशेष कार्यक्रमों का प्रचार : इस योजना में निम्नलिखित संघटक शामिल हैं :-

(क) मीडिया आउटरीच प्रोग्राम

(ख) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई)

(ग) प्रवासी भारतीय दिवस समारोह (पीबीडी)

उपरोक्त सभी संघटकों को 12वीं पंचवर्षीय योजना में जारी योजना के रूप में शामिल किया गया है। प्रत्येक संघटक का विवरण निम्नलिखित है:-

(क) मीडिया आउटरीच प्रोग्राम -इस योजना का लक्ष्य जन सूचना अभियानों का आयोजन, मीडिया विचार-विमर्श सत्रों, सफलता की कहानियों का प्रचार-प्रसार और प्रेस दौरों के आयोजन के माध्यम से सरकार की प्रमुख योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है।

वर्ष 2015-16 के दौरान ब्यूरो को एसबीजी के तहत 7.75 करोड़ रुपये की राशि (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 2.00 करोड़ रुपये सहित) का आवंटन किया गया। इस अवधि के दौरान प्रस्तावित कार्यक्रमों में 70 जन सूचना अभियानों, 85 मीडिया विचार-विमर्श सत्रों, 1 सम्पादकों का सम्मेलन, 84 वार्तालाप, एचआर एडमिन सहायता और प्रेस दौरे आयोजित करना शामिल था। हालांकि, दिसम्बर 2015 तक 44 पीआईसी, 58 वार्तालाप और 5 प्रेस दौरे आयोजित करने पर 5.22 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया। 1 और 2 फरवरी, 2016 को जयपुर में अखिल भारतीय क्षेत्रीय सम्पादक सम्मेलन का आयोजन किया गया। आर ई स्तर पर, पीआईबी को केवल 7.12 करोड़ रुपये (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 2.00 करोड़ रुपये सहित) आवंटित किए गए। इसलिए, पहले से निर्धारित किए गए लक्ष्यों में तदनुसार संशोधन करना होगा। वार्षिक योजना 2016-17 के दौरान पीआईबी को योजना स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए 8.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

(ख) भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह और प्रवासी भारतीय दिवस समारोह:—इस संघटक का उद्देश्य पत्रकारों को विशेष प्रत्यायन सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने अधिकारी तैनात करना और पत्रकारों की सहायता के लिए मीडिया सेंटर में कंप्यूटर किराये पर लेना शामिल है। वर्ष 2015-16 के लिए एसबीजी के रूप में 25.00 लाख रुपये आवंटित किए गए। समारोह स्थल पर मीडिया सेंटर बनाया गया जहां पत्रकारों को विशेष प्रत्यायन आतिथ्य व्यवस्था, प्रेस कांफ्रेंस, प्रेस रिलीज बनाने के लिए कंप्यूटर एवं इंटरनेट युक्त कमरा, टेलीफोन, अखबार, स्टेशनरी, फोटोकॉपी मशीन इत्यादि जैसी सुविधाएँ दी गईं। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के संदर्भ में, पीआईबी प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के दौरान पत्रकारों को विशेष प्रत्यायन देने और मीडिया सेंटर में पत्रकारों की सुविधा के लिए कंप्यूटर किराये पर हेतु अपने अधिकारियों को तैनात करती है। वर्ष 2015-16 के दौरान, आईएफएफआई के लिए 25 लाख रुपयों का आवंटन किया गया था, जिनमें से दिसम्बर, 2015 तक 19.45 लाख रुपयों का उपयोग किया गया।

3. पीआईबी का आधुनिकीकरण

यह योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना में नई योजना के रूप में प्रस्तावित की गई है। इस योजना का उद्देश्य पीआईबी के मुख्यालय तथा उसके क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों की दक्षता में व्यापक बदलाव लाने के लिए तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए पीआईबी में संचार एवं सूचना वितरण प्रणाली को आधुनिक एवं उन्नत बनाना है।

वर्ष 2015-16 के दौरान इस योजना कार्यान्वयन पर 4.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। प्रस्तावित गतिविधियां इस प्रकार हैं:

- (1) एनपीसी में आईटी अवसंरचना
- (2) अधिकारियों को प्रौद्योगिकियों के उपयोग में सक्षम बनाना
- (3) सोशल मीडिया साधनों का उपयोग
- (4) मुख्य वेबसाइट को उन्नत बनाना
- (5) ऑनलाइन मीडिया प्रत्यायन
- (6) वीडियो/डिजिटल संसाधनों की रचना
- (7) लाइव वेबकास्ट
- (8) वीडियो कांफ्रेंसिंग
- (9) नए सॉफ्टवेयर तैयार करना
- (10) ई-कार्यालय
- (11) सभी कार्यालयों में आधुनिक आईटी की बुनियादी सुविधाएं

दिसंबर, 2015 तक इस योजना के तहत 2.76 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया। दूसरी छमाही के दौरान पीआईबी के अधिकारियों को लैपटॉप अथवा स्मार्ट फोन्स जैसे मल्टी स्मार्ट उपकरण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया। 4.00 करोड़ रुपये के बी.ई. आंकड़े आर.ई. 2015-16 में बरकरार रखे गये हैं। वार्षिक योजना के दौरान पीआईबी के लिए 5.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

प्रकाशन विभाग

प्रमुख गतिविधियां

1. पुस्तकों का प्रकाशन

प्रकाशन विभाग भारतीय परिदृश्य के विविध पहलुओं के बारे में पुस्तकें प्रकाशित करता है, जिनमें कला, संस्कृति, इतिहास, देश और देशवासी, जीव-जंतु और वनस्पतियां, गांधीवादी साहित्य, बाल साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशिष्ट भारतीय व्यक्तियों की जीवनियों से लेकर संदर्भ ग्रंथ *इंडिया* और *भारत* शामिल हैं।

क) *वार्षिक संदर्भ ग्रंथ* : संदर्भ ग्रंथों- इंडिया 2016 और भारत 2016 का विमोचन 18 फरवरी 2016 को माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा किया गया। ये दोनों ग्रंथ ई-बुक्स के रूप में भी उपलब्ध हैं और ई-कामर्स प्लेटफार्मों पर बेचे जा रहे हैं। प्रामाणिक और व्यापक वार्षिक संदर्भ ग्रंथ के रूप में, इंडिया और भारत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में अद्यतन जानकारी प्रदान करते हैं। ये ग्रंथ भारतीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के बारे में भी महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करते हैं। वार्षिक ग्रंथों की मांग निरंतर बढ़ रही है। इसके 2016 के संस्करण के लिए प्रारंभिक प्रिंट ऑर्डर 1.14 लाख प्रतियों के लिए दिया गया है।

ख) 2015-2016 में पुस्तकें : प्रकाशन विभाग ने जनवरी 2016 तक विभिन्न विषयों पर करीब 65 पुस्तकें प्रकाशित की। विभाग ने राष्ट्रपति भवन की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने के लिए एक पुस्तक शृंखला प्रकाशित की है। इसके अंतर्गत *अबोड अंडर द डोम*, *द प्रेजिडेंट्स बॉडीगार्ड*, *प्रेजिडेंसियल रीट्रीट्स* और *सेलेक्टेड स्पीचज़ ऑफ प्रेजिडेंट श्री प्रणव मुखर्जी* के तीन खंड जैसी पुस्तकें शामिल हैं। अंग्रेजी में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशनों में लेजेण्ड्स ऑफ इंडियन सिलवर स्क्रीन, बिलीफ इन द बैलट, सागा ऑफ वैलर, *एसैशियल राइटिंग्स* ऑफ धरमपाल, और *द आर्ट एण्ड साइंस ऑफ प्लेइंग तबला* शामिल हैं।

हिन्दी में महत्वपूर्ण प्रकाशनों के अंतर्गत निम्नांकित पुस्तकें शामिल हैं: *भारतीय कला उद्भव और विकास*, *हिन्दी बाल साहित्य कुछ पड़ाव* और *लक्ष्मी नारायण मिश्र*।

क्षेत्रीय भाषा प्रकाशनों में आधुनिक भारत के *मदनमोहन मालवीय*, (मराठी, तेलुगू, गुजराती), *पंजाब दा लोक संगीत* (पंजाबी), *अली सरदार जाफरी* (उर्दू) शामिल हैं।

बाल साहित्य के अंतर्गत प्रकाशित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों में *ऐसे जंगल स्वच्छ हुआ*, *शरारत*, *मिज़ोरम की लोक कथाएं* और *रॉबिनसन क्रूसो* (हिन्दी अनुवाद) और *ब्लैक ब्यूटी* (हिन्दी अनुवाद) शामिल हैं।

प्रकाशन विभाग ने कुछ लोकप्रिय पुस्तकों जैसे *द गॉस्पल ऑफ बुद्धा*, *बंगाली थिएटर- 200 इयर्स*, *इंडियन क्लासिकल डांस*, *एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक*, *नन्दू भैया की पतंगें* और *आइए आविष्कारक बनें* के संशोधित संस्करण भी प्रकाशित किए।

प्रकाशन विभाग ने दिसम्बर 2015 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली के सहयोग से एक पुस्तक चर्चा कार्यक्रम भी आयोजित किया, जिसमें 'फैसट्स ऑफ इंडियन आर्ट एण्ड कल्चर' शीर्षक के अंतर्गत विभाग द्वारा हाल ही में प्रकाशित चार पुस्तकों के बारे में संबद्ध क्षेत्रों के प्रमुख विद्वानों ने विचार-विमर्श किया।

2. पत्रिकाओं का प्रकाशन

प्रकाशन विभाग कुल 18 नियतकालिक पत्रिकाएं प्रकाशित करता है, जिनमें अंग्रेजी, हिन्दी और 11 अन्य भाषाओं में *योजना*, *कुरुक्षेत्र* (अंग्रेजी और हिन्दी), *आजकल* (हिन्दी और उर्दू) और हिन्दी में *बाल भारती* शामिल हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़/रोज़गार समाचार अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में प्रकाशित किया जाता है। विभाग की पत्र-पत्रिकाओं की पाठकों की बड़ी संख्या है और लोगों में उनकी विश्वसनीयता का स्तर बहुत ऊंचा है। ये पत्रिकाएं विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों को उजागर करती हैं और देश की प्रगति को दर्शाती हैं। इनमें आर्थिक विकास, ग्रामीण पुनर्निर्माण, सामुदायिक विकास, साहित्य, संस्कृति, बाल साहित्य और रोज़गार एवं व्यवसाय के अवसरों के बारे में जानकारी जैसे व्यापक विषय शामिल होते हैं।

क) योजना (अंग्रेजी, हिंदी और 11 क्षेत्रीय भाषाएं)

1957 से प्रकाशित की जा रही यह पत्रिका सरकार के नीतिगत उपायों के बृहत् फ्रेमवर्क में आर्थिक विकास के विषय के प्रति समर्पित है। 13 भाषायी संस्करणों (अंग्रेजी, हिन्दी, असमिया, बांग्ला, कन्नड़, गुजराती, मराठी, मलयालम, ओड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू और उर्दू) में संयुक्त रूप से दो लाख की मासिक प्रसार संख्या के साथ, विकास पत्रकारिता में योजना की भूमिका राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह नीति निर्माताओं, विद्वानों और विद्यार्थियों जैसे व्यापक वर्गों के लक्षित पाठकों को ध्यान में रखकर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से प्राप्त समृद्ध सामग्री प्रकाशित करती है। सरकार के महत्वपूर्ण विकास प्रयासों जैसे *राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन* और *कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति, 2015*, *भारत के आईएनडीसी लक्ष्य, मुद्रा और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी* आदि को 2015 के अंकों में विस्तार से लिया गया है। उदाहरण के लिए 'इनक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया : ए रोड मैप' में दिव्यांग बच्चों की शैक्षिक चुनौतियों पर विचार किया गया; 'ट्रैवलिंग टु द फ्यूचर विद ग्रीन ट्रांसपोर्ट' में पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित परिवहन के तरीकों की चर्चा की गयी; और 'इक्विटी एंड ए ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट' में पिछले जलवायु परिवर्तन समझौतों में राष्ट्रों के बीच बराबरी का बर्ताव करने संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गयी। अन्य विशेष लेखों में 'इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सस्टीनेबल एग्रीकल्चर' नाम के लेख में किसानों और उसके व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की चर्चा की गयी। 'एक्सपर्ट्स फ्रॉम गांधीजीज डिस्कशन विद टीचर ट्रेनीज' में (जो अक्टूबर 2015 में गांधी जयंती के अवसर पर था) और 'टुवर्ड्स ए वैल्यू बेस्ड सोसाइटी : लर्निंग टु लिव टुगैदर' में बच्चे के दीर्घकालीन विकास के लिए स्कूल स्तर पर ही मूल्य आधारित शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया था। 2015 में योजना के चार विशेषांक निकाले गए। जनवरी 2016 अंक 'शिक्षा-सफलता की कुंजी' विषय पर निकाला गया विशेषांक था।

ख) कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी और हिंदी)

कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास से संबद्ध एक प्रमुख पत्रिका है, जो 1952 से प्रकाशित हो रही है। यह ग्रामीण विकास और व्यापक संदर्भ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित अन्य बुनियादी विषयों के प्रति समर्पित है। 2015-16 के दौरान इसका औसत संयुक्त (अंग्रेजी और हिन्दी) मासिक प्रिंट ऑर्डर प्रति अंक एक लाख प्रतियों से अधिक रहा। यह एक ऐसा मंच प्रदान करती है, जहां शिक्षाविद्, योजनाकार, स्वैच्छिक संगठन और चिंतक ग्रामीण विकास के मुद्दों पर तटस्थ रूप से व्यापक विचार-विमर्श करते हैं। पत्रिका मुख्य रूप से इस बात का मूल्यांकन करने पर ध्यान केन्द्रित करती है कि सरकार की नीतियां जमीनी स्तर पर वास्तविकता में किस तरह परिवर्तित होती हैं।

2015-16 के दौरान कुरुक्षेत्र ने ग्रामीण क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को उजागर किया। इसमें विभिन्न विषयों जैसे ग्रामीण विकास बजट 2015-16, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण पर्यटन, पंचायती राज और ग्रामीण-शहरी संपर्क, ग्रामीण संचार आदि पर आलेख प्रकाशित किए गए। पत्रिका के अक्टूबर 2015 के वार्षिक विशेषांक में खादी और ग्रामीण रोजगार पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इसमें सरकार के नये प्रयासों, विशेष रूप से वित्तीय समावेशन के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों, आदर्श ग्राम योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और स्वच्छ भारत अभियान के बारे में भी अनेक आलेख प्रकाशित किए गए।

ग) आजकल (हिन्दी और उर्दू)

साहित्यिक पत्रिका/ आजकल भारतीय संस्कृति और साहित्य के विविध पक्षों को उजागर करती है। आजकल (हिन्दी) में माखनलाल चतुर्वेदी, भीष्म साहनी और रघुवीर सहाय पर विशेष सामग्री के साथ-साथ भारतीय संस्कृति और साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर सामग्री प्रकाशित की गयी। आजकल (उर्दू) में प्रसिद्ध लेखिका इस्मत चुगताइ, फिल्म निर्माता और लेखक राजेन्द्र सिंह बेदी और अख्तरुल इमान जैसे जाने-माने साहित्यकारों की जन्म शताब्दियों, उर्दू पत्रकारिता और भारत की स्वतंत्रता पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया। विज्ञान और टेक्नोलाजी, महिला लेखन, उर्दू पत्रकारिता और भारत की आजादी पर विशेषांक निकाले गये। गालिब, हाली, सिबली जैसे जाने-माने उर्दू शायरों और गद्यकारों पर आलेख भी प्रकाशित किए गए।

घ) बाल भारती (हिन्दी)

बाल भारती मासिक हिन्दी पत्रिका है, जो 1948 से प्रकाशित हो रही है। यह लोकप्रिय पत्रिका सूचनाप्रद आलेखों, लघु कथाओं, कविताओं और चित्रकथाओं के जरिए बच्चों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने के साथ-साथ उनमें सामाजिक मूल्यों और वैज्ञानिक चेतना विकसित करने में भी मदद करती है। बाल भारती ने बच्चों में रचनात्मक कौशल को

प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बाल निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस वर्ष की प्रतियोगिता के विषय स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया, गंगा स्वच्छता और स्मार्ट सिटी अभियानों से संबद्ध थे। प्रकाश के बारे में जून में विज्ञान विशेषांक प्रकाशित किया गया। बाल भारती ने विश्व धरोहर के बारे में सूचनाप्रद आलेख और पूर्वोत्तर की कथाएं भी प्रकाशित कीं।

3. सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय (100 खंडों) का डिजिटीकरण

2015 में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में संपूर्ण गांधी वाङ्मय की डिजिटीकृत मास्टर कापी (ई-सीडब्ल्यूएमजी) जनता को समर्पित की गई। यह ऐतिहासिक साहित्य अब पीडीएफ रूप में आसानी से सर्च किया जा सकता है। ई-सीडब्ल्यूएमजी बहुमूल्य राष्ट्रीय धरोहर को संरक्षित करने तथा उसे मानव मात्र को संप्रेषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रकाशन विभाग ने इस डिजिटल संस्करण को गुजरात विद्यापीठ के सहयोग से तैयार किया है। सूचना और प्रसारण, वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्री अरुण जेटली ने 8 सितम्बर 2015 को इस संस्करण का विमोचन किया। गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल (सेवानिवृत्त) राज्यवर्धन राठौड़ भी उपस्थित थे। मंत्री ने गांधी हेरिटेज पोर्टल पर इस ई-संस्करण के अपलिंक का भी उद्घाटन किया। इसका रखरखाव साबरमती आश्रम संरक्षण एवं स्मारक न्यास द्वारा किया जा रहा है।

ई-सीडब्ल्यूएमजी 55,000 से अधिक पृष्ठों में 100 खंडों की पुस्तक माला के रूप में गांधीजी के संपूर्ण साहित्य के लिए मास्टर कापी का काम करेगी। यह शृंखला वर्ष 1884 से लेकर 30 जनवरी, 1948 को गांधीजी की शहादत तक, उनके द्वारा साल के हर दिन कही गई और लिखी गई बातों का एक स्मारक दस्तावेज़ है। इस शृंखला में दुनिया भर से एकत्र की गई और कड़े शैक्षिक अनुशासन के साथ संरचित महात्मा गांधी की संपूर्ण रचनाएं शामिल की गई हैं। महात्मा गांधी की पूर्ण रचनाओं का प्रामाणिक रिकार्ड प्रकाशित करने का श्रमसाध्य कार्य पूरी निष्ठा, सुचिंतित मानदंडों और उच्च स्तरीय व्यावसायिक मानकों को बनाए रखते हुए पूरा किया गया। सीडब्ल्यूएमजी प्रकाशन विभाग की सर्वाधिक प्रतिष्ठित परियोजनाओं में से एक है।

क) अन्य प्रकाशनों का डिजिटीकरण

12वीं पंचवर्षीय योजना में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक कार्यक्रम “मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट प्रोग्राम” के अंतर्गत उप-कार्यक्रम “प्रकाशन विभाग और रोज़गार समाचार का जीर्णोद्धार, उन्नयन और आधुनिकीकरण” के तहत प्रकाशन विभाग को “डीपीडी के प्रकाशनों का डिजिटल अभिलेखागार” बनाने का कार्य सौंपा गया है। इस स्कीम के अंतर्गत कार्य 2015 में प्रारंभ हो पाया, और डीपीडी ने इंडिया 2015 और भारत-2015 की ई-बुक तैयार करने का काम शुरू किया। विभाग अब धरोहर के समान महत्व रखने वाली पुरानी पुस्तकों, जिनकी हालत दयनीय है, को संरक्षित करने के लिए डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित करने का कार्य कर रहा है। करीब 300 पुस्तकें डिजिटल रूपांतरण की प्रक्रिया में हैं।

4. व्यापार और विपणन

प्रकाशन विभाग का व्यापार विंग विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री और वितरण में संलग्न है। बिक्री का कार्य विभागीय बिक्री केंद्रों और पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से किया जाता है। प्रकाशन विभाग अपने प्रकाशनों का दायरा बढ़ाने, उन्हें सुलभ कराने और पाठकों को उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इसके लिए विभाग पुस्तक प्रदर्शनियों, पुस्तक मेलों, जन सूचना अभियानों और बिक्री प्रोत्साहन गतिविधियों में हिस्सा लेता है।

क) व्यापार नीति संबंधी नए दिशा-निर्देश

गहन विचार-विमर्श और चिंतन के बाद, प्रकाशन विभाग ने 2015 में व्यापार नीति संबंधी नए दिशा-निर्देश तैयार किए, जो मंत्रालय के अनुमोदन के बाद इस वर्ष से प्रभावी हो गए हैं। व्यापार नीति संबंधी नये दिशा-निर्देशों से उम्मीद की जा रही है कि प्रकाशन विभाग की पहुंच में महत्वपूर्ण इज़ाफा होगा और संगठन प्रकाशन जगत में हो रही व्यापक

परिवर्तनों के साथ गति बनाए रख सकेगा। नई नीति के अंतर्गत उत्पादन लागत पर आधारित एक फार्मूले के अनुसार पत्रिकाओं और रोजगार समाचार के मूल्य संशोधित किए गए हैं। इसी प्रकार, पुस्तकों के दाम भी निर्धारित प्रतिशत तक संशोधित एवं युक्तिसंगत बनाए गए हैं। ई-मार्केटिंग के मामले में, ई-बुक्स की बिक्री अब लोकप्रिय प्लेटफार्मों का इस्तेमाल करते हुए राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर की जा सकती है। मुद्रित पुस्तकों भी ई-टेलर्स के साथ अनुबंध करने के बाद बेची जा सकती हैं। एजेंटों, व्यक्तियों और सरकारी एजेंसियों को दी जाने वाली छूट में भी 25 से 45 प्रतिशत तक संशोधन किया जा रहा है; जबकि प्रदर्शनियों के दौरान 10 से 45 प्रतिशत तक डिस्काउंट की अनुमति दी गई है। नीति के अनुसार कड़े नियमित ढंग से एजेंटों के लिए क्रेडिट और एक्सचेंज सुविधा में भी संशोधन किया गया है।

ख) प्रकाशन विभाग की मुद्रित पत्रिकाओं की बिक्री के लिए ऑनलाइन पोर्टल

डीपीडी की मासिक पत्रिकाओं (योजना, कुरूक्षेत्र, बाल भारती और आजकल) के लिए अंशदाताओं से भुगतान आम तौर पर चेक और ड्राफ्ट आदि के जरिए प्राप्त किया जाता रहा है, जिससे विलम्ब और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः देशभर से अंशदाताओं द्वारा ऑनलाइन भुगतान सुविधा की मांग निरंतर की जाती रही है। डीपीडी ने अब वित्त मंत्रालय के भारत कोष पोर्टल की मदद से अपनी पत्रिकाओं की ऑनलाइन बिक्री शुरू करने के लिए एक पोर्टल विकसित किया है। यह पोर्टल भारत कोष पेमेंट गेटवे के जरिए ऑनलाइन भुगतान प्राप्त करने में सक्षम है। इस परियोजना का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा प्रकाशन विभाग के एसबीआई खाते में ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था करना है।

ग) प्रेषण और वितरण

प्रकाशन विभाग ने देशभर में अपनी पत्रिकाओं और पुस्तकों का प्रेषण सुदृढ़ बनाने के लिए डाक विभाग के साथ अनुबंध किया है। इस भागीदारी से प्रकाशन विभाग के प्रकाशनों के समय पर वितरण में मदद मिली है, और प्रेषण एवं वितरण के बारे में शिकायतों में कमी आई है।

घ) पुस्तक मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी

अपने प्रकाशनों को अधिक उजागर करने के लिए, प्रकाशन विभाग ने देश के विभिन्न भागों में प्रमुख पुस्तक मेलों में हिस्सा लिया। अप्रैल 2015 से जनवरी 2016 तक, प्रकाशन विभाग ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नेयवेली, एरोड, नई दिल्ली, पटना, तिरुवनन्तपुरम, हैदराबाद, विजयवाड़ा, जयपुर आदि में 24 महत्वपूर्ण पुस्तक मेलों में हिस्सा लिया। प्रकाशन विभाग ने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2016 (9-17 जनवरी 2016) में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। विभाग ने अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं की करीब 1100 पुस्तकें प्रदर्शित की और 13.85 लाख रुपये की कुल बिक्री की। सभी व्यवसायों से संबद्ध जाने-माने व्यक्तियों ने प्रकाशन विभाग के स्टाल का दौरा किया और प्रदर्शित पुस्तकों की सराहना की। नये प्रकाशनों में विविध विषयों को शामिल किया गया है, इनमें सागा ऑफवेलर, एसेंशियल राइटिंग्स ऑफ धरमपाल, भारतीय कला: उद्भव और विकास, हिन्दी बाल साहित्य: कुछ पड़ाव, लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऐसे जंगल स्वच्छ हुआ, रॉबिनसन क्रूसो और शरारत जैसी पुस्तकों का विमोचन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विशेष सचिव श्री जे. एस. माथुर ने प्रकाशन विभाग के पवेलियन में किया।

मंत्रालय और प्रकाशन विभाग के अधिकारियों के एक शिष्टमंडल ने संयुक्त सचिव (पी एंड ए) के नेतृत्व में अक्टूबर 2015 में फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेले में भी हिस्सा लिया, जिसमें प्रकाशन विभाग ने एनबीटी और साहित्य अकादमी के साथ मिलकर सह-प्रदर्शनकर्ता के रूप में हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य अपने महत्वपूर्ण प्रकाशन को अंतर्राष्ट्रीय पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना था। महात्मा गांधी, स्वतंत्रता आंदोलन, कला और संस्कृति, राष्ट्रपति भवन, आधुनिक भारत के निर्माता शृंखला और भारत की सांस्कृतिक विभूतियां शृंखला से संबद्ध पुस्तकों का अंतर्राष्ट्रीय पाठकों ने स्वागत किया।

स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, हिन्दी पखवाड़ा जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अवसर पर प्रकाशन विभाग ने देशभर में अपने 10 बिक्री केन्द्रों के परिसरों में स्व-स्थाने पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन किया।

प्रकाशन विभाग द्वारा पुस्तकों के अतिरिक्त 21 पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं और दिल्ली तथा 8 क्षेत्रीय कार्यालयों से बेची जाती हैं। 2015-16 में इनका संयुक्त प्रिंट ऑर्डर करीब 46 लाख प्रतियों का था। अप्रैल 2015 - दिसम्बर 2015 की अवधि के लिए पुस्तकों, पत्रिकाओं की बिक्री और विज्ञापनों के जरिए अर्जित राजस्व करीब 470.47 लाख रुपये (अस्थाई-रोजगार समाचार को छोड़कर) रहा।

5. रोज़गार समाचार/एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ (अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू)

रोज़गार समाचार की शुरुआत 1976 में की गई थी। इसका उद्देश्य देशभर में रोज़गार के अवसरों की जानकारी संप्रेषित करना और साथ ही युवाओं को उनकी पसंद के व्यवसायों के बारे में जानकारी प्रदान करना था। रोज़गार समाचार/एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, विश्वविद्यालयों सहित स्वायत्त निकायों आदि में नौकरियों के लिए विज्ञापन, व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश सूचनाएं, परीक्षाओं के नोटिस और संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और अन्य भर्ती निकायों जैसे संगठनों के परिणामों को प्रकाशित करता है। इसके अतिरिक्त रोज़गार समाचार विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर संपादकीय और रोज़गार मार्गदर्शन संबंधी आलेख भी प्रकाशित करता है।

रोज़गार समाचार युवा स्नातकों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और रोज़गार चाहने वाले तथा अपनी संभावनाओं में सुधार के इच्छुक अन्य सुयोग्य व्यक्तियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इंटरनेट के बढ़ते प्रसार और नए रोज़गार पत्र-पत्रिकाओं एवं पोर्टलों के अस्तित्व में आने के बाद जाली विज्ञापनों के जरिए धोखा-धड़ी की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। रोज़गार समाचार की औसत संयुक्त प्रसार संख्या प्रति सप्ताह करीब 3 लाख प्रतियां हैं। यह पत्र नौकरी की तलाश कर रहे लोगों में अत्यंत लोकप्रिय है। इस समाचार पत्र के सात हज़ार से अधिक अंशदाता हैं। ट्विटर और फेसबुक जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों पर भी इस पत्र की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। 2014-15 के दौरान इसने 55.19 करोड़ रुपये राजस्व अर्जित किया। वर्ष 2015-16 के दौरान दिसम्बर 2015 तक राजस्व 33 करोड़ रुपये था। रोज़गार समाचार में 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसम्बर 2015 तक 3691 विज्ञापन प्रकाशित हुए।

ई-एम्प्लॉयमेंट न्यूज़

12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के पुराने और वर्तमान अंकों का डिजिटलीकरण किया गया है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की वेबसाइट www.employmentnews.gov.in; www.rojgarsamachar.gov.in को नया रूप प्रदान किया गया है। एक पोर्टल विकसित किया गया है और यह चंदे के आधार पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है और इसे वित्त मंत्रालय के भारत कोष के ई-पेमेंट गेटवे के साथ जोड़ा गया है। विभाग की वेबसाइट के जरिए, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का डिजिटल संस्करण व्यापक सर्च विशेषताओं और अत्याधुनिक फिल्टरों के साथ, सभी अंशदाताओं को देखने, पढ़ने और डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध रहेगा। इससे अंशदाताओं/पाठकों को चंदा शुल्क भेजने में कोई देरी नहीं होगी और उन्हें मुद्रित प्रतियां साधारण डाक के जरिए वितरित की जा सकेंगी। विभाग के आंतरिक निर्णयों के आधार पर पोर्टल पर ऑनलाइन एक्सेस/डाउनलोड्स की व्यवस्था की जा सकती है और उसे नियंत्रित किया जा सकता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के कार्यालय का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के वेबसाइट पर हर रोज़ करीब 30,000 लोग हिट करते हैं।

6. योजना कार्यक्रम, बजट और राजस्व

12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक उप-कार्यक्रम “प्रकाशन विभाग निदेशालय और रोज़गार समाचार का जीर्णोद्धार, उन्नयन और आधुनिकीकरण” की परिकल्पना की गई है, जिसके निम्नांकित घटक हैं: विशेष विषयों पर पुस्तकों की शुरुआत, प्रकाशन विभाग के प्रकाशनों का डिजिटल अभिलेखागार, निदेशालय के माल सूची प्रबंधन, रॉयल्टी और अन्य गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण, कार्यालय ढांचे का आधुनिकीकरण, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को वेबसाइट पर उपलब्ध कराना और रोज़गार समाचार के डिजिटल अभिलेखागार का निर्माण।

कार्यक्रम कार्यान्वयन: मूल ईएफसी के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना का कुल परिव्यय रु. 10 करोड़ था। उपरोक्त घटकों के दायरे के विस्तार की आवश्यकता को देखते हुए फरवरी 2015 में आबंटन बढ़ा कर 29.78 करोड़ रुपये अनुमोदित किया गया।

बजट और राजस्व: वित्त वर्ष 2016-17 के लिए गैर-योजना के अंतर्गत बजट अनुमान प्रकाशन विभाग के लिए 37.15 करोड़ रुपये और रोज़गार समाचार के लिए रु. 22.35 करोड़ रखा गया है।

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक

अधिदेश, लक्ष्य और उद्देश्य, नीति की रूपरेखा और नीति वक्तव्य

आरएनआई, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय के रूप में 1 जुलाई 1956 से अस्तित्व में आया था। इसके लिए संसद द्वारा प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 में संशोधन कर नया अधिनियम बनाया गया था। अधिनियम के तहत इसके वैधानिक कार्यों की सूची निम्न प्रकार से है:-

- (1) भारत में प्रकाशित समाचार पत्र/पत्रिकाओं के ब्यौरे से युक्त एक रजिस्टर का रखरखाव और संकलन,
- (2) समाचार पत्र/पत्रिकाओं के संबंध में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सुझाए गए शीर्षकों की उपलब्धता के सत्यापन के बाद पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करना,
- (3) समाचार पत्र/पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हो रहा है, यह सुनिश्चित करना,
- (4) प्रकाशकों द्वारा प्रसार के संबंध में किए गए दावों का सत्यापन,
- (5) सरकार को भारत में प्रेस के बारे में और विशेष रूप से समाचार पत्र/पत्रिकाओं की विभिन्न श्रेणियों में रुझान के अनुसार सूचना और आंकड़ों से युक्त वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और प्रस्तुत करना।

इसके अलावा, आरएनआई कुछ गैर सांविधिक प्रकृति के कार्यों का निष्पादन भी करता है। उनमें निम्नलिखित हैं:-

- (क) समाचार पत्रों को अखबारी कागज आयात करने के योग्य बनाने के लिए पात्रता प्रमाण पत्र जारी करता है।
- (ख) मुद्रण और आवश्यक मशीनरी व माल के संबंध में समाचार पत्र प्रतिष्ठानों की अनिवार्य आवश्यकताओं का आकलन और सत्यापन।

न्यू मीडिया विंग

अधिदेश, लक्ष्य और उद्देश्य, नीतिगत ढांचा तथा नीति विवरण

न्यू मीडिया विंग का कार्य सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मीडिया एकाओं द्वारा प्रकाशित रचनाओं आदि के संबंध में शोध हेतु सामग्री के संकलन और तैयार करने में सहायता प्रदान करना, महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी का एक सार-संग्रह तैयार करना और माध्यम एकाओं के उपयोग के लिए वर्तमान एवं अन्य विषयों पर मार्गदर्शन और बैकग्राउंड नोट तैयार करना है। 1945 में स्थापित यह विंग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इसके अंतर्गत विभिन्न माध्यम एकाओं के लिए सूचना सेवा इकाई के रूप में कार्य करती है। विंग जन संचार माध्यम में प्रचलन का अध्ययन करती है और जन संचार माध्यमों के बारे में संदर्भ और दस्तावेज सेवा प्रदान करती है। इस विंग का कार्य मंत्रालय, इसके माध्यम एकाओं एवं जन संचार में शामिल अन्य के उपयोग में आने वाले बैकग्राउंड, संदर्भ और शोध सामग्री उपलब्ध कराती है। एम एंड ओ तथा आई एंड बी की पत्र संख्या ए-33035/4/2007- आईआईएस दिनांक 7.9.2007, द्वारा जारी योजना आयोग के परामर्श के मुताबिक इस प्रभाग की योजना स्कीम “आईआईएस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण” को गैर - योजना गतिविधि (नियमित गुण) में बदल दिया गया है। अभी इस कार्य को टाल दिया गया है।

विंग एक वार्षिक संदर्भ ग्रंथ, इंडिया - का संकलन करता है। इस पुस्तक में केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों, राज्यों / संघ शासित प्रशासन और पीएसयू / स्वायत्त संस्थाओं द्वारा वर्ष भर में की गई प्रगति का संकलन होता है। इंडिया को हिंदी भाषा में भी भारत शीर्षक से छापा जाता है।

सोशल मीडिया में कवरेज: यह विंग परियोजना का 24 घंटे निरीक्षण और उसकी रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट, सारांश व्याख्या, ईएमएमसी की रिपोर्ट, प्रधानमंत्री के दौरों की विशेष रिपोर्ट, बाढ़ और राष्ट्रीय घटनाओं पर रिपोर्ट तैयार कर वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को जून 2014 से लगातार भेजती है।

विश्लेषणात्मक	-	60
सूचनात्मक	-	60
प्रिंट मीडिया की स्थिति सूचना	-	30
राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर विशेष रिपोर्ट	-	15
मंत्रालय के वेबसाइट की स्थिति अद्यतनीकरण	-	4
मंत्रालय की मांग पर रिपोर्ट	-	4

महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के रिकॉर्ड और संदर्भ के लिए प्रभाग घटनाओं की डायरी तैयार करता है। प्रभाग विषय विशेष, एफडीआई की हिस्सेदारी वाली और भारत में प्रकाशन की अनुमति वाली विषय आधारित पत्रिकाओं की माहवार रिपोर्ट तैयार करता है। पत्रिकाओं पर इस बात को लेकर नजर रखी जाती है कि क्या वे प्रभाग सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश का पालन कर रहे हैं या नहीं।

संदर्भ पुस्तकालय

विभिन्न विषयों पर दस्तावेजों, चयनित नियतकालिक पत्र-पत्रिकाओं के जिल्दबंद अंक और मंत्रालयों, समितियों तथा कमीशनों के विभिन्न रिपोर्ट के वृहत संग्रह के साथ प्रभाग के पास भरा-पूरा पुस्तकालय है। पत्रकारिता, लोक संबंध, विज्ञापन और दृश्य-श्रव्य मीडिया, महत्वपूर्ण विश्वकोश सीरीज, ईयरबुक और समकालीन आलेख आदि विषयों पर विशेष किताबें इसके संग्रह में शामिल हैं। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा पुस्तकालय की सुविधा मान्यताप्राप्त भारतीय और विदेशी संवाददाताओं को भी उपलब्ध है। पुस्तकालय को 2008 में शास्त्री भवन से सूचना भवन में अस्थायी स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। इसे वर्तमान अस्थायी स्थान से सूचना भवन में निर्धारित तल पर स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

जनसंचार पर राष्ट्रीय दस्तावेज केंद्र

जन माध्यमों में घटनाओं और प्रचलन के बारे में पत्रिकाओं के द्वारा सूचना का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार के लिए मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर प्रभाग के एक भाग के तौर पर 1976 में जनसंचार के लिए राष्ट्रीय दस्तावेज केंद्र (द नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर ऑन मास कम्यूनिकेशन-एनडीसीएमसी) की स्थापना की गई थी। एनडीसीएमसी समाचार सामग्री, आलेख और जन माध्यमों / संचार माध्यमों पर उपलब्ध अन्य सूचना सामग्री का दस्तावेजीकरण करता है। इस केंद्र का वर्तमान कार्य देश के बाहर न केवल जनसंचार के विकास के लिए बल्कि अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रवाह में भाग लेने के लिए भी सूचना के संकलन और दस्तावेजीकरण से लेकर इसका प्रसार करना है।

समाचारपत्रों और जर्नल में जन माध्यमों पर प्रकाशित चयनित आलेखों पर टीका करने वाला सूचकांक - 'सामयिक जागरूकता सेवा' के द्वारा संग्रहित सूचना को संभाला और प्रसारित किया जाता है। इसकी सेवा गत एक वर्ष में समाचारपत्रों और जर्नलों में जन माध्यमों पर प्रकाशित आलेखों पर टिप्पणी करने वाले विषय सूचकांक - 'ग्रंथ सूची सेवा' द्वारा ली जाती है और केंद्र, भारत में फिल्म उद्योग पर विभिन्न प्रकार की प्रगति का सारांश - 'फिल्मों के बुलेटिन', जन माध्यमों के क्षेत्र में सामयिक हितों के विषय पर पृष्ठभूमि पत्र - 'संदर्भ सूचना सेवा', चर्चा में रहे विभिन्न मीडिया हस्तियों की जीवनियां - 'मास मीडिया में कौन क्या है', राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों सहित जन संचारकों के लिए वर्ष भर में घोषित पुरस्कारों की झलक देने वाला - 'जनसंचारकों पर दिए गए सम्मान', और रिकॉर्ड और संदर्भ के लिए बड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रमों पर केंद्रित 'मीडिया अपडेट', इसकी सेवा लेते हैं।

न्यू मीडिया विंग के तहत जनसंचार पर राष्ट्रीय दस्तावेज केंद्र (एनडीसीएमसी) वर्ष 2015-16 के दौरान (जनवरी 2016 तक) जन माध्यमों के विभिन्न पहलुओं पर 35 सेवाएं ला चुका है।

वर्ष 2015-16 की झलकियां

● इंडिया/भारत - 2016 का विमोचन।

● आरआर एंड टीडी की एक इकाई जनसंचार पर राष्ट्रीय दस्तावेज केंद्र (एनडीएमसी) वर्ष 2015-16 के दौरान (दिसंबर, 2016 तक) जन माध्यमों के विभिन्न पहलुओं पर 30 सेवाएं ला चुका है।

गीत एवं नाटक प्रभाग

प्रभाग के कार्य, उद्देश्य तथा संस्थागत स्वरूप

प्रभाग का मुख्य कार्य जैसा कि आधिकारिक वेबसाइट पर दिया गया है, राष्ट्र के विकास के लिए संवहनीय सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक विचारों के बारे में आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाना और भावनात्मक स्वीकार्यता बढ़ाना, सीमा क्षेत्र के लोगों के बीच रक्षा तैयारियों और देश के शेष भागों के साथ सांस्कृतिक एकता की समझ विकसित करना और सजीव मनोरंजन माध्यमों जिसके तहत देश के सभी भागों में फैले नाट्यकला के दोनों स्वरूप - शहरी और लोक, के जरिए सेना के एकांत प्रदेशों में तैनात जवानों का मनोबल बनाए रखना है। और इसके साथ ही बड़े समूह के बीच समाज के व्यापक हित के लिए विकास की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए जागरूकता फैलाना है। एलडब्ल्यूई क्षेत्र, सीमा से सटे क्षेत्र, जम्मू - कश्मीर, पंजाब और उत्तर - पूर्व क्षेत्र जैसे संवेदनशील और आंतरिक क्षेत्रों में सीमा पार से किए जाने वाले दुष्प्रचार का मुकाबला करने और इन क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने के लिए प्रभाग द्वारा विशेष प्रचार किया जाता है।

अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रभाग लोक और परंपरागत नाटकों, नृत्यनाटकों (बैलेट), गीतिनाट्य (ओपेरा), नृत्य के साथ अभिनयकर्म, लोक और परंपरागत वृतांत, कठपुतली का तमाशा और यहां तक कि सदियों पुरानी परंपरा के सैकड़ों मदारी के खेल जैसे व्यापक लोक और परंपरागत स्वरूपों का उपयोग करता है। इसके अलावा प्रभाग आधुनिक तकनीकों के साथ ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शनी और **सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता, धर्म निरपेक्षता, सांस्कृतिक धरोहर का प्रचार, स्वच्छ भारत मिशन (एक कदम स्वच्छता की ओर), एक भारत - श्रेष्ठ भारत, बेटे बचाओ - बेटे पढ़ाओ, कुपोषण और गैरकानूनी व्यापार, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** विषयों पर जागरूकता आदि जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय थीमों पर अभिनय करने के लिए सैकड़ों कलाकारों का उपयोग करता है।

देश के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले कई लोक और परंपरागत स्वरूपों का उपयोग करते हुए प्रभाग एक ओर इन स्वरूपों के पुनरुद्धार और इन्हें जीवंत बनाए रखने का एक शक्तिशाली जरिया बन गया है तो दूसरी तरफ उद्देश्यपूर्ण संचार के लिए हजारों अभिनयकर्ताओं/कलाकारों को उनके कौशल/क्षमता का उन्हीं की भाषा, लोकोक्ति और बोली में उपयोग करते हुए आजीविका प्रदान करने में सक्षम है।

इस प्रभाग के अध्यक्ष निदेशक होते हैं, यह तीन स्तरों पर कार्य करता है जैसे-

(1) दिल्ली के मुख्यालयों

(2) बंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, पुणे और रांची स्थित दस क्षेत्रीय कार्यालय।

(3) दरभंगा, गुवाहाटी, इम्फाल, जम्मू, जोधपुर, नैनीताल और शिमला स्थित सहायक निदेशक की अध्यक्षता में सात सीमा केंद्र और भुवनेश्वर, दिल्ली, हैदराबाद, पटना, पुणे और श्रीनगर (जम्मू) स्थित प्रबंधकों की अध्यक्षता में छह विभागीय ड्रामा दल

प्रभाग की विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयां तैयारी, प्रस्तुति और प्रचार संबंधी कार्यक्रमों की निगरानी के लिए उत्तरदायी होती हैं। उपर्युक्त के अलावा प्रभाग के पास एएफईडब्ल्यू योजना के तहत विभागीय कलाकारों के दो दल/इकाई (दिल्ली और चेन्नई में एक - एक) हैं, जो दूर-दराज सीमांत और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में तैनात सेना के जवानों के मनोरंजन के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

मुख्य सचिवालय की सूचना विंग योजनाएं

(क) मीडिया इकाइयों सहित सभी तीन क्षेत्रों के लिए नीतिगत अध्ययन, संगोष्ठी, मूल्यांकन आदि (प्रसार भारती को छोड़कर) (नई योजना)

अधिदेश, लक्ष्य और उद्देश्य, नीतिगत रूपरेखा और नीतिगत वक्तव्य

12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के दौरान अर्थव्यवस्था के मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र में उच्च विकास की उम्मीद है। इस विकास को हासिल करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा फिल्म, सूचना एवं प्रसारण के क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। 'मीडिया इकाइयों सहित सभी तीन क्षेत्रों के लिए नीतिगत अध्ययन, संगोष्ठी, मूल्यांकन आदि (प्रसार भारती को छोड़कर)' नामक स्कीम नीतिगत अध्ययन एवं सेमिनार करने तथा मीडिया एवं मनोरंजन के क्षेत्र में मौजूदा/नई योजना स्कीमों के मूल्यांकन का प्रावधान करती है। अध्ययन/सेमिनार और किए गए/आयोजित किए गए मूल्यांकन से नई योजना को तैयार करने, प्रतिपादित करने और उनकी निगरानी करने में मदद मिलेगी।

(ख) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण

लोक सेवा के स्वरूप को बदलने के लिए एक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली अत्यावश्यक है जोकि व्यक्ति को मंत्रालय/विभाग/संगठन के मिशन और लक्ष्यों का मूल्यांकन, प्रेरित, विकसित और सक्षम करने के महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखे। इस परिवर्तनकारी प्रक्रिया के भीतर यह अनिवार्य है कि नौकरियों और व्यक्ति की क्षमताओं में तालमेल कायम हो और प्रशिक्षण के जरिये वर्तमान और भविष्य के योग्यता अंतराल को दूर किया जा सके।

2. क्षमताओं में ज्ञान, कौशल और व्यवहार शामिल होता है जोकि किसी पद से संबंधित कार्य प्रभावी ढंग से करने के लिए अपेक्षित होते हैं। क्षमता को मुख्य दक्षताओं में व्यापक रूप से विभाजित किया जा सकता है जोकि सरकारी कर्मचारियों में विभिन्न कार्यों या स्तर के लिए प्रवीणता के विभिन्न स्तरों के साथ जरूरी होती हैं। इन दक्षताओं में से कुछ नेतृत्व, संचार, वित्तीय और मानव प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, परियोजना प्रबंधन आदि से संबंधित हैं। अन्य दक्षताएं पेशेवर या विशेष कौशल जैसे सड़कें बनाने, सिंचाई परियोजनाओं, बाढ़ नियंत्रण उपायों, नागरिक उड्डयन, चिकित्सा देखभाल, मीडिया प्रबंधन से संबंधित हैं।

3. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सूचना, प्रसारण और फिल्म क्षेत्रों का नोडल मंत्रालय है। अपनी विभिन्न मीडिया इकाइयों के माध्यम से मंत्रालय विभिन्न सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, फिल्में, पारस्परिक प्रचार, लाइव कला और संस्कृति, जन सूचना अभियान जैसे भिन्न-भिन्न मीडिया इकाइयों का उपयोग किया जाता है। मंत्रालय की भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी अपने कैरियर के दौरान इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और पारस्परिक मीडिया

इकाइयों में तैनात हैं। इसी तरह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के अधिकारी मीडिया क्षेत्र के लिए नीति बनाने में लगे हुए हैं और विभिन्न मीडिया इकाइयों को प्रशासनिक सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। यह आवश्यक है कि ये सभी अधिकारी प्रशिक्षित हों ताकि वे चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम हों।

(ग) अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम

सूचना और संचार के परिदृश्य में महत्वपूर्ण अधिकारियों को शामिल करते हुए मीडिया नीतियों और रणनीतियों के दायरे में भारत और अन्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने लिए बारहवीं योजना के दौरान अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम पेश किया गया था। अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में राष्ट्रों के बीच एक बेहतर समझ को बढ़ावा देने में और मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने में मीडिया विशेष कर वे जो सकारात्मक संचार और संस्थागत प्रक्रिया में शामिल होते हैं, की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सूचना, फिल्मों और प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में आदान-प्रदान को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

(घ) सोशल मीडिया प्लेटफार्म

सोशल मीडिया प्लेटफार्म स्कीम की शुरुआत बारहवीं योजना के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफार्मों, जैसे फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, यूट्यूब, ब्लॉग, फ्लिकर, स्मार्ट फोन एप और एसएमएस आदि के साथ सरकार की तस्वीर को जोड़ने के उद्देश्य से की गई थी। इसका मकसद धारणा प्रबंधन, विभिन्न प्लेटफार्म के बीच संचार को आपस में समन्वित करना और संदेश तैयार करना था ताकि देश की सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और भाषायी विविधता को इस घटक के तहत ले जाया जा सके।

न्यू मीडिया सेल समसामयिक महत्व के नये किस्म के विशेष कार्यक्रम (टॉकाथोन) का भी संचालन कर रहा है। टॉकाथोन न्यू मीडिया सेल की अनोखी पहल है जिसमें ट्विटर का इस्तेमाल करने वालों के सवालियों के रिअल टाइम में जवाब दिये जाते हैं। न्यू मीडिया सेल ने 67वें गणतंत्र दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जैसे अवसरों पर कार्यक्रमों का सजीव वेब कास्ट भी किया।

फिल्म क्षेत्र

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई

अधिदेश, उद्देश्य तथा लक्ष्य, नीति ढांचा तथा नीति कथन

सी बी एफ सी सिनेमाटोग्राफ अधिनियम 1952, द सिनेमाटोग्राफ (सार्टिफिकेशन) रूल्स, 1983 के अंतर्गत तथा केन्द्र सरकार द्वारा दिशा निर्देशों के अधीन भारत में प्रदर्शन के लिए फिल्मों का प्रमाणन करती है।

सी बी एफ सी का उद्देश्य सिनेमाटोग्राफ अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जनता के लिए स्वस्थ मनोरंजन तथा रिक्रिएशन सुनिश्चित करना है।

सी बी एफ सी का प्रयास प्रमाणन प्रक्रिया को पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाना है। इस छोर पर सी बी एफ सी ने कम्प्यूटरीकरण के जरिए प्रमाणन प्रक्रिया के लिए आधुनिकतम

तकनीक का प्रयोग प्रारम्भ किया है। सी बी एफ सी अपने सलाहकारी पैनल सदस्यों, मीडिया तथा फिल्म निर्माताओं के बीच प्रमाणन के बारे में दिशा निर्देशों तथा फिल्मों के बारे में नए रुझानों के प्रति जागरुकता फैलाने का कार्य कार्यशालाओं तथा बैठकों के माध्यमों से करता है।

योजनागत स्कीमें:

ए. सी बी एफ सी तथा प्रमाणन प्रक्रिया का उन्नयन, आधुनिकीकरण तथा विस्तार

1. फिल्म आवेदनों एवं प्रमाणनों की ऑनलाइन प्रक्रिया का विकास, वेबसाइट उन्नयन, हार्डवेयर प्राक्योरमेन्ट
2. चार कार्यालयों के लिए प्रोजेक्शन सिस्टम को डिजीटलाइज करना तथा सभी कार्यालयों के लिए डिजीटल थिएटर
3. सी बी एफ सी, मुम्बई तथा इसके अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अतिरिक्त स्थानों को हासिल करना

बी. मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण (योजना)

1. फिल्मों के प्रमाणन से सम्बन्धित बोर्ड सदस्यों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए कार्यशालाओं/ सेमिनारों का आयोजन
2. प्रत्येक क्षेत्र के सलाहकारी पैनल सदस्यों के लिए प्रशिक्षण/ सेमिनारों का आयोजन
3. समूह ए, बी तथा सी स्टाफ के लिए प्रशिक्षण/ सेमिनारों का आयोजन
4. समूह ए अधिकारियों के लिए विदेश में प्रशिक्षण

बाल चित्र समिति, भारत

संक्षिप्त परिचय

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI, 1860 के तहत मई, 1955 में स्थापित बाल फिल्म सोसायटी ऑफ इंडिया (सीएफएसआई) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में काम करती है जिसे अपनी योजनागत और गैर-योजनागत गतिविधियों के लिए भारत सरकार से अनुदान सहायता प्राप्त होती है। सीएफएसआई बच्चों को मूल्य आधारित मनोरंजन प्रदान करती है, साथ ही फिल्मों के माध्यम से उनकी मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करती है।

सिनेमा के क्षेत्र में एक प्रख्यात व्यक्ति सोसायटी का अध्यक्ष होता है। वह कार्यकारी परिषद और आम सभा का प्रमुख होता है जिसके सदस्यों को भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है। मीडिया इकाई का प्रमुख- मुख्य कार्यकारी अधिकारी दैनंदिन कार्य संभालता है: प्रशासनिक, निर्माण, विपणन और लेखा विभाग सीएफएसआई के मुख्यालय मुंबई में स्थित हैं जबकि विपणन विभाग नई दिल्ली और चेन्नई के शाखा कार्यालयों में स्थित हैं।

संगठन की गतिविधियां:

1. निर्माण और खरीद: सीएफएसआई फीचर फिल्मों, एनीमेशन, लघु फिल्मों, कठपुतली फिल्मों और टीवी धारावाहिकों के निर्माण के साथ-साथ बच्चों और युवाओं के लिए वीडियो प्रारूप का कार्य करती है। संगठन कुछ विदेशी फिल्मों, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में लोकप्रियता मिली हो, के प्रदर्शन अधिकार भी खरीदता है। सोसायटी द्वारा निर्मित फिल्मों और जिन फिल्मों के अधिकार हासिल किए गए हैं, उन्हें प्रदर्शन के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में डब किया जाता है।

2. फिल्म समारोह:

क. राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव : बच्चों को फिल्म निर्माण के लिए बढ़ावा देने तथा बाल फिल्मकारों को परस्पर विचारों और बातचीत का मंच प्रदान करने हेतु सीएफएसआई प्रत्येक दो वर्षों में बारी-बारी से प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव और राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन करता है।

ख. अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह में भागीदारी: सीएफएसआई की फिल्मों ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लिया है और पुरस्कार जीते हैं। सीएफएसआई के अधिकारी भी सोसायटी की फिल्मों को विदेशों में बढ़ावा देने और उनकी मार्केटिंग करने के लिए ऐसे महोत्सवों में भाग लेते हैं।

3. फिल्मों की प्रदर्शनी एवं वितरण:

1. **व्यक्तिगत शो:** कई स्कूल और व्यक्ति गैर वाणिज्यिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों की खरीद करते हैं। सीएफएसआई भी निर्धारित किराये के भुगतान पर एलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से सिनेमाघरों या स्कूलों में फिल्म शो का आयोजन करती है।

2. **जिला व राज्य स्तरीय समारोह:** इस गतिविधि को जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया जाता है। अलग-अलग राज्यों में विभिन्न जिलों की पहचान की जाती है और स्क्रीनिंग कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। अधिकतर स्कूली बच्चे सरकारी/ नगर निगम/ जिला परिषद के स्कूलों में पढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2007-08 से मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया गया कि गरीब बच्चों से कोई राशि नहीं ली जाएगी और सीएफएसआई फिल्मों को मुफ्त प्रदर्शित किया जाएगा। जो बच्चे फिल्म टिकट खरीद सकते हैं, उनसे एक मामूली शुल्क लिया जाएगा, जोकि प्रदर्शनी पर होने वाले खर्च के अनुसार निर्धारित होगा।

3. **गैर-नाट्य मुफ्त शो:** ग्रामीण और गरीब बच्चों तक पहुंचने के लिए सीएफएसआई म्युनिसिपल और आदिवासी बच्चों के लिए मुफ्त शो आयोजित करता है। इसके लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय की स्वायत्त शाखा नेहरू युवा केंद्र संगठन, गैर सरकारी संगठनों, जिला प्रशासन की सेवाएं ली जाती हैं। इन मुफ्त शोज के लिए होने वाले परिव्यय को सीएफएसआई द्वारा वहन किया जाता है। सोसायटी को इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार से अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत रिमांड होम, अनाथालय में रहने वाले बच्चे भी आते हैं।

4. **वितरकों के माध्यम से प्रदर्शन:** थियेटर्स और स्कूलों में फिल्म प्रदर्शन के कार्य में सीएफएसआई वितरकों/आयोजकों को भी शामिल करती है। वे आवंटित क्षेत्र में निश्चित मासिक किराये का भुगतान करके फिल्म खरीदते हैं और उनका प्रदर्शन करते हैं।

5. **मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों के माध्यम से सीएफएसआई फिल्में:** टिकट शो के लिए ब्लॉक बुकिंग द्वारा स्कूलों के साथ मिलकर मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों के माध्यम से सीएफएसआई फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाता है।

6. **टेलीविजन पर फिल्मों की स्क्रीनिंग:** सीएफएसआई फिल्मों को दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क और दिल्ली दूरदर्शन केंद्र के क्षेत्रीय चैनलों और अन्य उपग्रह चैनलों पर भी दिखाया जाता है।

7. **डीवीडी की बिक्री:** लोकप्रिय चुनिंदा सीएफएसआई फिल्मों को डीवीडी प्रारूप पर बदला जाता है और बेचा जाता है।

8. **उत्तर-पूर्व और जम्मू-कश्मीर में गतिविधियां:** सीएफएसआई निर्माण, कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों को बढ़ावा देती है।

फिल्म समारोह निदेशालय

अधिदेश, उद्देश्य तथा लक्ष्य, नीतिगत ढांचा तथा नीति कथन

फिल्म समारोह निदेशालय (डी.एफ.एफ.) विदेशों में आयोजित होने वाले विभिन्न फिल्म समारोहों में भारत की भागीदारी तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान के एक हिस्से के रूप में भारतीय फिल्मों की विदेशों में तथा विदेशी फिल्मों के भारत में प्रदर्शन को भी सुनिश्चित करता है तथा साथ ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के आयोजन, विदेशों में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भागीदारी, भारतीय पैनोरमा के लिए फिल्मों का चयन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम तथा भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन करता है। ये

गतिविधियां सौंदर्यबोध और तकनीकी उत्कृष्टता एवं सामाजिक प्रासंगिकता वाली फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन देने का अनूठा अवसर प्रदान करके देश के विविध क्षेत्रों की संस्कृतियों को सिनेमेटिक तरीके से समझने और अखंडता को भी बढ़ावा देती है। ये फिल्में भारत और अन्य देशों को सिनेमा के क्षेत्र में विचार, संस्कृति और अनुभवों को बांटने का महान अवसर उपलब्ध कराती है। ये गतिविधियां भारतीय सिनेमा उद्योग को एक सशक्त मंच भी उपलब्ध कराती हैं और उनके लिए व्यवसायिक अवसरों के द्वार खोलती है। फिल्म उद्योग, छात्रों और आम जनता की अंतरराष्ट्रीय सिनेमा के ताजा-तरीन रुझानों तक पहुंच उपलब्ध कराई गई है।

इन अधिदेशों को हासिल करने की दिशा में मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के अंतर्गत 12वीं योजनागत स्कीम “फिल्म सामग्री के विकास, संचार तथा प्रसार” के भाग के रूप में “भारत तथा विदेशों में फिल्म समारोह तथा फिल्म मार्केट में भारतीय सिनेमा का संवर्द्धन” को तय किया गया है। इसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं-

- (1) भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
- (2) भारत तथा विदेशों में भारतीय पैनोरमा फिल्मों की भागीदारी
- (3) भारतीय पैनोरमा के लिए फिल्मों का चयन

इसके साथ ही सीरी फोर्ट कॉम्प्लेक्स का रखरखाव तथा व्यवस्था भी डी एफ एफ की जिम्मेदारी है। 12वीं योजनागत स्कीम “फिल्म सेक्टर से सम्बंधित अवसंरचना विकास कार्यक्रम” के घटक “सीरीफोर्ट कॉम्प्लेक्स का उन्नयन” के रूप में सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में सुविधाओं में निरंतर सुधार के साथ-साथ इस योजना में सीरी फोर्ट सांस्कृतिक परिसर के समग्र परिवेश के उन्नयन, प्रोजेक्शन प्रणाली, ध्वनि तथा प्रकाश के सुधार/ उन्नयन तथा इस प्रकार संचार प्रणाली में सुधार से सम्बंधित है।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

अधिदेश, लक्ष्य और उद्देश्य, नीतिगत ढांचे और नीति वक्तव्य:

फिल्म संस्थान को 1960 में, पुणे में, कला और फिल्म निर्माण की तकनीक में प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। 1974 से, इसने दूरदर्शन के कर्मचारियों को भी टेलीविजन प्रोडक्शन में प्रशिक्षण देना शुरू किया और संस्थान को ‘ भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान’ के रूप में नया नाम दिया गया। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, अपनी तरह का प्रमुख संस्थान है, जो फिल्म निर्माण और टेलीविजन प्रशिक्षण में प्रशिक्षित करने की पूरी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है।

शैक्षणिक गतिविधियां

संस्थान द्वारा चलाए जा रहे अकादमिक पाठ्यक्रम:

क्रम सं.	पाठ्यक्रमों के नाम	छात्रों की उपस्थिति
(क)	फिल्म एंड टेलीविजन में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	146
(ख)	दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	24
(ग)	अभिनय में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	20
(घ)	टेलीविजन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम	47
(ड.)	फीचर फिल्म पटकथा लेखन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम	10
	कुल:	247

*वर्ष 2012 और 2013 के लिए एनिमेशन और कंप्यूटर ग्राफिक्स में कोई प्रवेश नहीं हुआ।

लघु पाठ्यक्रम:

कार्यरत पेशेवरों के लिए और संबंधित क्षेत्र में रुचि रखने वाले कर्मियों के लिए के लिए एफटीआईआई विभिन्न लघु पाठ्यक्रम चलाता है।

योजना स्कीम

संस्थान मुख्यतः प्रशिक्षण के लिए बुनियादी सुविधाओं और प्रशिक्षण के तरीके के संवर्द्धन और आधुनिकीकरण के लिए योजना स्कीम को लागू करता है, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षित मानव शक्ति की आपूर्ति को बढ़ाना, सुव्यवस्थित और आधुनिक अवसंरचना के साथ उपलब्ध सुविधाओं का विकास करना और फिल्म की शूटिंग आदि के लिए जहां भी संभव हो सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इससे संस्थान के लिए राजस्व प्राप्त होता है। योजना स्कीम आधुनिक तकनीकों के साथ फिल्म और टेलीविजन का प्रशिक्षण लेने के लिए भी एक उपयुक्त माहौल तैयार करने का प्रयास करता है।

फिल्म प्रभाग

प्रभाग का उद्देश्य राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लोगों को राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू करने के लिए शिक्षित करना तथा देश की परंपरागत विरासत और देश की छवि को देश-विदेश के सम्मुख प्रस्तुत करना है।

फिल्म प्रभाग द्वारा बनाए वृत्तचित्रों की विषय-वस्तु में कृषि से लेकर कला और वास्तुशिल्प तक, उद्योग से अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य तक, खानपान से त्यौहारों तक स्वास्थ्य देखभाल से आवास तक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से खेल तक, व्यापार और वाणिज्य से परिवहन तक तथा आदिवासी कल्याण से लेकर सामुदायिक विकास आदि तक सभी कुछ शामिल हैं। फिल्म प्रभाग द्वारा द्विवार्षिक रूप में आयोजित किए जाने वाले मुम्बई अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (एम.आई.एफ.एफ.) का उद्देश्य ज्ञान के वृहत्तर क्षेत्र में योगदान करने वाली फिल्मों का संप्रेषण करना और विश्व के देशों के बीच सुदृढ़ भाई चारे की भावना को बढ़ावा देना है। यह समारोह विभिन्न देशों के फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों, वितरकों, प्रदर्शन के बारे में और विचारों का परस्पर आदान-प्रदान करते हैं।

भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार

अधिदेश, उद्देश्य तथा लक्ष्य

कला और ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में फिल्मों के संरक्षण का महत्व पूरे विश्व में माना जाता है। अपनी विविध अभिव्यक्तियों और स्वरूपों में फिल्म संरक्षण का कार्य किसी पर्याप्त संसाधनों, स्थायी व्यवस्था और स्थानीय फिल्म उद्योग के लिए विश्वसनीय राष्ट्रीय संगठन को दिया जाना जरूरी था। इसीलिए फरवरी 1964 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त इकाई के रूप में भारतीय फिल्म अभिलेखागार की स्थापना की गई। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1. भारतीय सिनेमा की धरोहर की पहचान, इसकी प्रगति और इसे चिरस्थायी बनाना और विश्व सिनेमा का प्रतिनिधि संकलन तैयार करना।
2. फिल्मों से जुड़े आंकड़ों को वर्गीकृत और व्यवस्थित करना, सिनेमा के बारे में अनुसंधान को बढ़ावा देना और ऐसी सामग्री को प्रकाशित तथा वितरित करना।
3. भारत में फिल्म संस्कृति के प्रचार-प्रसार के केंद्र के रूप में कार्य करना और विदेशों में भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक उपस्थिति दर्ज कराना।

सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

अधिदेश, लक्ष्य और उद्देश्य, नीतिगत ढांचे और नीति वक्तव्य:

सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कोलकाता में स्थापित किया गया था। यह कला और फिल्म निर्माण की तकनीक में प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रमुख संस्थान है। यह सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्तर का दूसरा संस्थान है। एसआरएफटी के लक्ष्य - निम्नलिखित विषयों में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम:

- (क) निर्देशन और पटकथा लेखन
- (ख) मोशन पिक्चर फोटोग्राफी
- (ग) संपादन
- (घ) ऑडियोग्राफी
- (ड.) फिल्म और टेलीविजन के लिए उत्पादन
- (च) एनीमेशन

फिल्म और टेलीविजन, अनुसंधान और समाजशास्त्र में खोजपूर्ण अध्ययन, फिल्म और टेलीविजन की संस्कृति और प्रौद्योगिकी, एसआरएफटीआई के केंद्रबिंदु में शामिल अन्य क्षेत्र हैं।

विभाग वार उपस्थित छात्रों की उपस्थिति निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

सत्र वर्ष	9वां सत्र 2010-13	10वां सत्र 2011-14	11वां सत्र 2012-15	12वां सत्र 2013-16	13वां सत्र 2015-18	कुल
निर्देशन और एसपीडब्ल्यू	08	10	10	10	10	48
छायांकन	10	9	11	10	10	52
संपादन	09	09	11	11	10	50
ध्वनि रिकॉर्डिंग डिजाइन	05	11	06	08	8	38
फिल्म और टेलीविजन के एनीमेशन सिनेमा	.	.	09	08	8	25
	6	6
	32	41	47	47	52	219

आधारभूत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अलावा, संस्थान विभिन्न अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी चलाता है और विभिन्न संगठनों और फिल्म उद्योग की मांग पर पर विभिन्न परियोजनाएं चलाता है।

संस्थान वर्तमान में अवसंरचनात्मक विकास के लिए 12वीं योजना स्कीम को लागू कर रहा है। इसमें महिला छात्रावास का निर्माण, कक्षा कक्ष थिएटर और कॉमन वर्क स्टेशन का निर्माण, संपादन विभाग के लिए नए भवन का निर्माण, मुख्य थिएटर का नवीनीकरण, पूर्वावलोकन थियेटर, टीवी पर आधारित उत्कृष्टता केंद्र की रचना, एनिमेशन/ उत्पादन विभागों के लिए खरीद और मौजूदा विभागों के पूरे उपकरणों का उन्नयन शामिल है।

मुख्य सचिवालय की फिल्म विंग स्कीमें

(क) एंटी पाइरेसी पहल (नई योजना)

चोरी (पायरेसी) किसी भी रचनात्मक क्षेत्र में विशेष रूप से फिल्म के क्षेत्र में एक बड़ा खतरा है। अतः, इस योजना का प्रमुख लक्ष्य सभी हितधारकों के बीच पायरेसी के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना और इसका सामना करने हेतु शिक्षित करना है। ये योजना, इस सम्बंध में मंत्रालय द्वारा उठाये गए कदमों को आगे बढ़ने को ही प्रस्तावित करता है। ये योजना फिल्म, प्रसारण और संगीत उद्योग के सभी हितधारकों को सम्मिलित करते हुए अभियान के शुरुआत की परिकल्पना करती है। सिनेमा और मीडिया की हस्तियों से अनुरोध किया जायेगा कि अभियान करे और लोगों से अनुरोध करे और पायरेटेड माल खरीदने से बचे। ये अभियान दूरदर्शन/एआईआर और निजी टीवी चैनलों और निजी एफएम पर निष्पादित किए जाएंगे। कॉपीराइट एक्ट के बारे में जागरूक करने के लिए पुलिस, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के आयोजन देश के अलग-अलग हिस्सों में किए जाएंगे। पायरेसी के प्रभाव पर शोध चोरी का मुकाबला करने के लिए सार्वजनिक निजी रणनीतियों के विकास के साथ ही कार्यान्वयन सक्षम करने के लिए आयोजित किया जाएगा।

(ख) फिल्मी सामग्री का विकास, संप्रेषण और प्रसार

देश में सौंदर्य की दृष्टि से और तकनीकी रूप से उत्कृष्ट फिल्मों के निर्माण को सहयोग देने और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों और फिल्म बाजारों में इन फिल्मों को बढ़ावा देने तथा फिल्मी सामग्री के संरक्षण हेतु मंत्रालय ने 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक स्कीम की परिकल्पना की है। इस योजना स्कीम में फिल्म सुविधा केंद्र (एफएफओ) की स्थापना जैसा एक घटक भी शामिल है जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय फिल्मकारों द्वारा भारत में फिल्मांकन को सुगम बनाना और फिल्मांकन गंतव्य के रूप में भारत को बढ़ावा देना है। इस घटक को वर्ष 2015-16 में शामिल किया गया है। उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में विभिन्न मीडिया इकाइयों के बीच एक बेहतर समन्वय स्थापित करने और विभिन्न कार्यक्रमों जैसे भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्पी), भारत और विदेशों में फिल्म बाजारों और विभिन्न फिल्म समारोहों में भागीदारी, वृत्तचित्रों के लिए मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (एमआईएफएफ) का आयोजन, अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव और देश भर में बाल फिल्मों की प्रदर्शनी को प्रभावी ढंग से आयोजित करने तथा फीचर फिल्मों, वृत्तचित्रों, बाल फिल्मों का निर्माण करने के लिए, 12 वीं योजना में ' फिल्म सामग्री का विकास, संप्रेषण और प्रसार ' नामक एक योजना स्कीम में मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के तहत इन सभी गतिविधियों का विलय कर दिया गया है। योजना के विभिन्न घटक इस प्रकार हैं:-

- भारत और विदेशों में फिल्म समारोहों में भागीदारी और आयोजन, जिसमें अधिकारियों और फिल्मी हस्तियों की विदेश यात्रा, देश में फिल्म समारोहों के आयोजन के लिए गैर सरकारी संगठनों/राज्य सरकार के संगठनों को अनुदान सहायता, कलात्मक दृष्टिकोण वाली फिल्मों की प्रदर्शनी के लिए एफएफएसआई को अनुदान सहायता, फिल्म चेतना का प्रसार, फिल्म समीक्षा से संबंधित पत्रिकाओं का प्रकाशन और सेमिनार, कांफ्रेंस आदि का आयोजन शामिल है।

- भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इप्फी) का आयोजन और भारतीय पैनोरमा के तहत फिल्मों का चयन तथा भारतीय पैनोरमा की फिल्मों का अधिग्रहण।
- भारत और विदेशों में फिल्म बाजारों में भागीदारी।
- वृत्तचित्रों के लिए मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (एमआईएफएफ) के द्विवार्षिक समारोह का आयोजन।
- अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का द्विवार्षिक (दो वर्ष में एक बार) आयोजन।
- राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का द्विवार्षिक (दो वर्ष में एक बार) आयोजन।
- देश भर में स्कूलों के जरिये बाल फिल्मों की प्रदर्शनी।
- विभिन्न भारतीय भाषाओं में फीचर फिल्मों का निर्माण।
- वृत्तचित्रों का निर्माण।
- बाल फिल्मों का निर्माण।
- फिल्म प्रभाग के फिल्म अभिलेखागार की वेबकास्टिंग।
- अभिलेखीय सामग्री का अधिग्रहण।
- फिल्म सुविधा कार्यालय का गठन और परिचालन।

देश में सार्थक सिनेमा के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पैनोरमा के तहत सिनेमाई, विषयगत और सौंदर्यपूर्ण उत्कृष्टता की फीचर और गैर फीचर फिल्मों का चयन हर वर्ष जारी रहेगा। इसी प्रकार, भारत और विदेशों में भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए हर साल भारतीय पैनोरमा के लिए फिल्मों का चयन भी जारी रहेगा।

योजना में विश्व के विभिन्न फिल्म बाजारों में भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने का भी प्रावधान है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत और विदेशों में होने वाले विभिन्न फिल्म समारोहों के प्रमुख फिल्म बाजारों में भारतीय मंडप का गठन करता है जिससे विभिन्न फिल्म समारोहों में भारतीय फिल्म उद्योग को प्रतिनिधित्व मिलता है।

इस योजना के तहत फिल्म प्रभाग द्वारा वृत्तचित्रों पर केंद्रित मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (एमआईएफएफ) का आयोजन भी जारी रहेगा।

बाल फिल्म सोसायटी, भारत (सीएफएसआई) द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव (आईसीएफएफ) का आयोजन किया जाएगा। जीएफएसआई की योजना राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह को देश के अन्य भागों में ले जाने की है जिससे सभी क्षेत्रों के बच्चों को उन फिल्मों का भागीदार बनने और आनंद लेने का अवसर मिले जो विशेष रूप से उनके लिए बनाई गई हैं।

अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित बच्चों और म्यूनिसिपल/जिला परिषद स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त फिल्म दिखाने के लिए 'म्यूनिसिपल स्कूलों में बाल फिल्मों की प्रदर्शनी' नामक योजना स्कीम की परिकल्पना की गई है, जो अच्छी गुणवत्तापूर्ण बाल फिल्मों से वंचित रह जाते हैं।

योजना में युवा और नए निर्देशकों को सहयोग देने और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों के निर्माण में सहयोग देने के दृष्टिकोण से विभिन्न भारतीय भाषाओं में फीचर फिल्मों के निर्माण को प्रस्तावित किया गया है। योजना में देश में वृत्तचित्र आंदोलन को गति देने के साथ वृत्तचित्रों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस योजना से व्यक्तिगत निर्माताओं सहित गैर सरकारी संगठन भी विभिन्न विषय पर वृत्तचित्र निर्माण में सक्षम होंगे। योजना का एक घटक सीएफएसआई द्वारा बाल फिल्मों का निर्माण भी है।

फिल्म प्रभाग के अभिलेखों की वेबकास्टिंग के साथ, योजना में एनएफएआई द्वारा भावी पीढ़ी हेतु संरक्षण के लिए अभिलेखीय सामग्री के अधिग्रहण की परिकल्पना की गई है।

‘फिल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) की स्थापना’ नामक एक नया घटक शुरू किया गया है। एफएफओ फिल्म निर्माताओं के लिए एक सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करेगा जो उन्हें अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने और फिल्मांकन स्थलों के संबंध में तथा प्रोडक्शन/पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भारतीय फिल्म उद्योग को उपलब्ध सुविधाओं की सूचना प्राप्त करने में सहयोग करेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों के साथ मिलकर इसी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने के संबंध में कार्य करेगा। एनएफडीसी इस घटक की कार्यान्वयन एजेंसी है।

योजना के विभिन्न घटकों और संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी के विवरण इस प्रकार हैं: -

क्रम सं.	योजना का नाम	कार्यान्वित प्रतिनिधि
1.	भारत और विदेशों में फिल्म समारोहों में भागीदारी और उनका आयोजन, जिसमें अधिकारियों और फिल्मी हस्तियों की विदेश यात्रा, देश में फिल्म समारोहों के आयोजन के लिए गैर सरकारी संगठनों/राज्य सरकार के संगठनों को अनुदान सहायता, कलात्मक दृष्टिकोण वाली फिल्मों की प्रदर्शनी के लिए एफएफएसआई को अनुदान सहायता, फिल्म चेतना का प्रसार, फिल्मी समीक्षा से संबंधित पत्रिकाओं का प्रकाशन और सेमिनार, कांफ्रेंस आदि का आयोजन	फिल्म समारोह निदेशालय
2.	भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफपी) का आयोजन और भारतीय पैनोरमा के तहत	फिल्म समारोह निदेशालय
3.	भारत और विदेशों के फिल्म बाजारों में भागीदारी/विभिन्न भारतीय भाषाओं में	राष्ट्रीय फिल्म विकास निदेशालय
4.	वृत्तचित्रों पर केंद्रित मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (एमआईएफएफ) के द्विवार्षिक	फिल्म प्रभाग
5.	अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का द्विवार्षिक(दो वर्ष में एक बार) का आयोजन/ राष्ट्रीय	बाल चित्र समिति, भारत
6.	देश भर में स्कूलों के जरिये बाल फिल्मों की प्रदर्शनी।	
7.	फिल्म प्रभाग के फिल्म अभिलेखागार की वेबकास्टिंग।	फिल्म प्रभाग
8.	अभिलेखीय सामग्री का अधिग्रहण।	राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार
9.	फिल्म सुविधा कार्यालय का गठन और परिचालन।	राष्ट्रीय फिल्म विकास प्राधिकरण

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 12वीं योजनागत स्कीम " राष्ट्रीय फिल्म हेरिटेज मिशन " (एन एफ एच एम) को लागू कर चुका है जिसका उद्देश्य फिल्मों तथा फिल्म सामग्रियों को एन एफ ए आई के जरिए संरक्षित, डिजीटाइज तथा जीर्णोद्धार करना है। इस योजना को लागू किए जाने का प्रशासनिक अनुमोदन 24.11.2014 को जारी किया गया था।

योजना के तहत इस उद्देश्य 'त्रुटिरहित जीर्णोद्धार, अंतहीन पहुँच' के साथ योजना में फिल्मों के संरक्षण का प्रस्ताव है। इस योजना में प्रस्तावित गतिविधियां इस प्रकार हैं-

ए) 1050 फीचर एवं 960 लघु फिल्मों का संरक्षण

बी) 1050 फीचर फिल्मों तथा 1200 लघु फिल्मों का डिजीटलाइजेशन

सी) आर्काइविंग के उद्देश्य से 1050 फीचर एवं 960 लघु फिल्मों के इन्टर नेगेटिव को स्ट्राइक ऑफ करना

डी) संरक्षण तथा जीर्णोद्धार के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना

(घ) एनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई) की स्थापना

शासनादेश, लक्ष्य तथा उद्देश्य, नीतिगत ढांचा तथा नीतिगत वक्तव्य:

तीव्र प्रौद्योगिकीय विकास ने एनिमेशन, गेमिंग और विशेष दृश्य प्रभाव क्षेत्र में विकास को गति प्रदान की है। 2डी सेल एनिमेशन और 3डी एनिमेशन तकनीकों के प्रयोग एनीमेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के व्यापक इस्तेमाल सहित टेलीविजन कार्यक्रमों, फिल्मों और वीडियो गेम की एनिमेशन सामग्री के विकास हेतु उपयोग किया जाता है। 3डी मोशन कैप्चर एनिमेशन तकनीकी का प्रयोग कम रिजोल्यूशन के गेम, इंटरनेट करेक्टर, स्पेशल इफेक्ट आदि हेतु किया जाता है, इसी भांति, गेम डिजाइन, प्लेटफार्म डिजाइन और प्ले कैरेक्टरिस्टिक नवीनतम गेमिंग सॉफ्टवेयर हेतु गेमिंग उद्योग नवीनतम गेमिंग सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। भारतीय गेमिंग उद्योग का मोबाइल और ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रों में अवसरों पर वर्चस्व जमाने की उम्मीद है। एनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट उद्योग प्रौद्योगिकी और तकनीकी और व्यावसायिक जनशक्ति गहन दोनों हैं। भारतीय उद्योग पहले से ही विरोधाभास का सामना कर रही है। यद्यपि, भारत का इन उद्योगों में तात्कालिक योगदान काफी छोटा है, परंतु, वैश्विक मांग और भारत के पास आईटी पेशेवरों का विशाल पूल के होने की वजह से इसके पास बहुल क्षमता है।

विजुअल इफेक्ट्स एक अत्यंत कुशल गतिविधि है और ऑडियो-विजुअल उद्योग में तेजी से प्रयोग हो रहा है। इस कौशल का विकास एनिमेशन और गेमिंग के समरूप होगा और इसमें बहुल राजस्व की क्षमता भी है। जबकि, तीव्र गति से फैलता एनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स का यह उद्योग पहले से ही प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी का सामना कर रही है। इस उद्योग के अनुमानित विकास की आशा है जिसके लिए तेजी से कुशल श्रमशक्ति की मांग के अंतर को भरने की तात्कालिक जरूरत है। अतः, ये अत्यावश्यक है कि भारत एनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स के सेक्टर हेतु प्रशिक्षित कर्मियों की वृद्धि को सुनिश्चित करे। लक्ष्य को प्राप्त करने के क्रम में, इस सेक्टर के लिए एक मानव संसाधन योजना की आवश्यकता होगी ताकि कुशल कर्मियों की तादाद तेजी से बढ़े अतः उच्चशिक्षा में स्कूल के पाठ्यक्रम और एनिमेशन ट्रेनिंग के बीच एक स्पष्ट सह-सम्बन्ध की आवश्यकता है। ऊपर वर्णित लक्ष्यों के द्वारा यह परिकल्पित किया गया है कि एनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स के क्षेत्र हेतु एक विशेष प्रशिक्षण और परामर्श संस्थान सार्वजनिक /निजी भागीदारी में स्थापित किया जाएगा। इन क्षेत्रों में मानक शिक्षण और प्रशिक्षण के मामले में बेंचमार्क को लागू करने और पूरे क्षेत्र के लिए नेतृत्व की भूमिका प्रदान करने के लिए।

यह परियोजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रणाली पर चलाने हेतु प्रस्तावित की गई है। एनिमेशन, गेमिंग तथा विजुअल इफेक्ट्स के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीइओ) की स्थापना 12 वीं योजना की एक स्कीम है। मीडिया तथा मनोरंजन दक्षता परिषद (एमईएससी) इस दिशा में कार्य कर रहा है ताकि मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में दक्षता संबंधी अंतर की जरूरतों को पूरा किया जा सके। एमईएससी ने इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है।

(ड) फिल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) की स्थापना

अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के लिए भारत में फिल्म शूटिंग की प्रक्रिया को सरल तथा आसान बनाने के लिए इस मंत्रालय ने फिल्म सुविधा कार्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी है।

मोटे तौर पर इस कार्यालय के कार्य इस प्रकार हैं:

(क) सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करना जिससे फिल्म निर्माताओं को अनुमति मिलने में आसानी हो तथा उन्हें मदद मिले।

(ख) भारतीय फिल्म उद्योग में प्रोडक्शन/पोस्ट प्रोडक्शन से संबद्ध शूटिंग स्थल तथा उपलब्ध सुविधाओं का प्रचार-प्रसार करना।

(ग) राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करना ताकि उन्हें (निर्माताओं को) ऐसी सुविधाएं मिल सकें।

(घ) लंबे समय तक सुविधाएं मिलती रहें, इसके लिए कई मंत्रालयों के साथ कार्य करना जैसे-भारत में शूटिंग के लिए वीजा जारी करने की मानक प्रक्रिया के लिए विदेश मंत्रालय के साथ, संस्कृति मंत्रालय के साथ दिशा-निर्देश बनाने के लिए जो दिशा-निर्देश फिल्म निर्माताओं की जरूरतों के लिए अधिक संवेदनशील हैं, तथा अतुल्य भारत के उप ब्रांड के तौर पर विभिन्न शूटिंग स्थलों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय के साथ।

(ड) इस उद्देश्य के लिए वेब पोर्टल का निर्माण।

एफएफओ, एनएफडीसी (राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम) के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। इसके कार्यालय एनएफडीसी के परिसरों—दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता में होंगे।

प्रसारण क्षेत्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र (ईएमएमसी)

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है। इसे 9 जून, 2008 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था (1) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 में निहित व नियम के तहत बनाए गए कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं (2) निजी एफएम रेडियो चैनलों और (3) प्रसारण क्षेत्र की सामग्री की निगरानी से संबंधित कोई अन्य कार्य के उल्लंघन पर नजर रखना था।

सरकार ने पहले ही 850 टीवी चैनलों के लिए अनुमति दे चुकी है, जिसका विचार के लिए लंबित आवेदनों की बड़ी संख्या को देखते हुए तेज गति में बढ़ने की संभावना है। 1,500 सैटेलाइट टीवी चैनलों की रिकॉर्डिंग और निगरानी क्षमता वृद्धि 12वीं पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित किया गया है। वर्तमान में, देश भर में 245 निजी एफएम स्टेशन संचालित हो रहे हैं और तीसरे चरण में 800 एफएम स्टेशन प्रस्तावित हैं। 12वीं योजना अवधि के दौरान केंद्रीकृत एफएम सामग्री की निगरानी शुरुआत की जानी है। इसके अलावा वर्तमान में लगभग 180 सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) संचालित हो रहे हैं और 200 से अधिक आवेदन पत्र प्रक्रिया में हैं। सीआरएस के लिए केंद्रीकृत सामग्री की निगरानी की सुविधा भी शीघ्र ही चालू हो जाएगा। तदनुसार, ईएमएमसी की सुदृढीकरण के लिए 90 करोड़ रुपये की कुल लागत की योजना स्कीम को मंजूरी दी गई है।

प्रसार भारती

अधिदेश, लक्ष्य एवं उद्देश्य और नीतिगत प्रारूप एवं नीति व्यक्तव्य

अधिदेश

भारतीय प्रसारण निगम की स्थापना का प्रावधान करने वाले प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 को 15 सितंबर 1997 से लागू किया गया। इस अधिनियम में प्रावधान है कि सर्वसाधारण को जानकारी देने, शिक्षित करने और मनोरंजन करने के लिए लोक सेवा प्रसारण का आयोजन और संचालन करना निगम का प्राथमिक दायित्व होगा। यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का अंग रहने के दौरान जो कार्य पहले आकाशवाणी और दूरदर्शन करते थे, वे कार्य अब यह निगम करेगा। निगम के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन के कार्य प्रसार भारती बोर्ड को सौंपे जाएंगे। यह बोर्ड अपने सभी अधिकारों का इस्तेमाल और अपने ऐसे सभी कार्य उसी प्रकार करेगा जिस प्रकार इस अधिनियम के तहत निगम द्वारा किए जाते हैं।

निगम अपने कार्य सुचारू रूप से कर सके, इसके लिए अधिनियम में प्रावधान है कि संसद द्वारा कानूनी तौर पर इस बारे में विधिवत विनियोजन किए जाने के बाद, केंद्र सरकार आवश्यकतानुसार निगम को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इक्विटी, सहायता अनुदान के रूप में धनराशि प्रदान कर सकती है। निगम का अपना कोष होगा और निगम की सारी प्राप्तियां इसी कोष में जमा की जाएंगी और निगम सभी भुगतान इसी कोष से करेगा।

नीति व्यक्तव्य

लोक सेवा प्रसारक के रूप में प्रसार भारती के उद्देश्य हैं:

- गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम बनाना और
- महिलाओं, बच्चों, वंचितों, विशिष्ट भाषाई समूहों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदि पर केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से सूचना प्रदान करने, शिक्षा देने और मनोरंजन करने के प्रयोजन को पूरा करना।

लक्ष्य एवं उद्देश्य-आकाशवाणी

प्रसार भारती का अभिन्न अंग आकाशवाणी (एआईआर), प्रसार भारती उपरोक्त अधिदेश के तहत निरंतर कार्य करना जारी रखे हुए है। आकाशवाणी, विभिन्न स्टेशनों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को सूचना देता है, शिक्षित करता है और उसका मनोरंजन करता है। यह ध्वनि प्रसारण के माध्यम से देश के सभी लोगों को सरकारी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की जानकारी संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा सामाजिक एवं आर्थिक विषयों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से देता है। यह देश भर के लोगों को महत्वपूर्ण समाचारों और प्रासंगिक रुचि की समसामयिक घटनाओं की जानकारी देता है। यह अपने प्रसारण के माध्यम से विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम संतुलित और निष्पक्ष हैं। यह शिक्षा और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देता है। यह प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अपने तीव्र प्रसार के द्वारा जनता एवं सरकारी विभागों को समय पर सूचना प्रदान कर उनकी सहायता भी करता है। यह एक व्यावसायिक सेवा (विविध भारती) भी संचालित करता है जो विज्ञापनों के जरिये वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री को बढ़ावा देती है। आकाशवाणी का विदेश सेवा प्रभाग विदेशी श्रोताओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित करता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग और दूरदर्शन समाचार 24 घंटे ताजा समाचार उपलब्ध कराता है। इनके अलावा, आकाशवाणी के एफएम और डीटीएच चैनल संगीत, गीतों आदि के माध्यम से चौबीसों घंटे लोगों का मनोरंजन करते हैं।

लक्ष्य एवं उद्देश्य- दूरदर्शन

दूरदर्शन का लक्ष्य भूभागीय ट्रांसमिशन में शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण प्राप्त करना है। दूरदर्शन ने मौजूदा सुविधाओं के आधुनिकीकरण, सुधार, बदलाव और समन्वयन के लिए भी कदम उठाए हैं।

दृष्टिकोण पत्र- आकाशवाणी

आकाशवाणी का स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है और स्वतंत्रता के बाद से आकाशवाणी ने अपने प्रसारण केंद्रों, सहायक रिसिविंग केंद्रों और एफएम ट्रांसमीटरों सहित ट्रांसमीटरों की स्थापना के जरिये (जनसंख्या और क्षेत्रवार दोनों रूपों में) काफी प्रगति की है। आकाशवाणी का लक्ष्य प्रसारण भारती के अधिदेश के अनुसार लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। अनेक प्रकार के नए कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे आकाशवाणी के 96 चुनिंदा स्टेशनों से खेत और घर से जुड़े कार्यक्रम- किसान वाणी कार्यक्रम, पर्यावरण, परिवार कल्याण, ग्रामीण बच्चों और छोटे बच्चों को केंद्र में रखकर बनाए गए विशेष कार्यक्रम, महिला कार्यक्रम, शैक्षिक प्रसारण (इग्नू/एनसीईआरटी/सीआईईटी), एचआईवी/एड्स और दूसरे स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रम, इग्नू, राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका (विज्ञान भारती), के सहयोग से प्रसारित किए जाते हैं, साथ ही संगीत और नाटक से संबंधित कार्यक्रमों का भी नियमित प्रसारण किया जाता है।

इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, देश में एफएम कवरेज का दायरा बढ़ाने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो वर्तमान में आबादी के लिहाज से 45 प्रतिशत है। एफएम उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली स्टीरियोफोनिक साउंड तो उपलब्ध कराता ही है, साथ ही इसे 800 mt वाले मोबाइल फोन पर भी सुना जा सकता है। यह व्यापक पहुंच कायम करने के अपार अवसर उपलब्ध कराता है। 100 वॉट के 100 ट्रांसमीटरों को उन्नत बनाकर 1के डब्ल्यू बनाने का प्रस्ताव है, साथ ही आकाशवाणी नए हाई पॉवर एफएम ट्रांसमीटर्स के बारे में विचार कर रहा है। 2 या 3 रेडियो चैनल प्रस्तुत करने वाले डिजिटल एमडब्ल्यू (डीआरएम) ट्रांसमीटर्स की स्थापना की जा रही है। इसमें उपयुक्त किफायती रिसीवर्स के विकास के माध्यम से इसकी लोकप्रियता पर बल दिया जाएगा। इसके अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में वर्तमान स्टुडियो और नेटवर्क का डिजिटलीकरण करना, भारत-पाक सीमा और भारत-नेपाल सीमा से सटे इलाकों में जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों, एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना करना शामिल है। धरोहर सामग्री का डिजिटलीकरण अब आकाशवाणी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

सरकार ने 12 वीं योजना के दौरान आकाशवाणी के लिये 2252 करोड़ रुपये आवंटित किए थे:- जिसमें से 1232 करोड़ रुपये की राशि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई और 12वीं योजना के दौरान जारी योजनाओं के लिए निर्धारित की गयी थी। 12 वीं योजना में शुरू की जाने वाली नयी परियोजनाओं के लिए 1020 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। आकाशवाणी की “प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास” योजना को सीसीईए ने मार्च 2014 में जारी योजना के अंतर्गत 1213.86 करोड़ रुपये के परिव्यय और 12वीं पंचवर्षीय योजना में नयी योजना के तहत 393.00 करोड़ रुपये को मंजूरी प्रदान की।

दृष्टिकोण पत्र- दूरदर्शन

यह अब सिद्ध हो चुका है कि ‘डीडी फ्री डिश’ डीटीएच प्लेटफॉर्म ग्रामीण इलाकों के भीतरी हिस्सों तक अपनी पैठ बना चुका है। 12वीं योजना में दूरदर्शन अपने वर्तमान 64 टीवी चैनलों की संख्या में वृद्धि करके 250 टीवी चैनलों तक ले जाएगा।

दूरदर्शन के 11 क्षेत्रीय चैनल हैं, जो रोजाना भूभागीय नेटवर्क पर 4 से 6 घंटों तक सीमित कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। इन पर चौबीसों घंटे प्रसारण नहीं होने के कारण यह केबल एवं उपग्रह (डीटीएच)नेटवर्क पर प्रसारित नहीं होते। दूरदर्शन जम्मू, लेह, रांची आदि जैसे पर्वतीय एवं जनजातीय स्टेशनों सहित इन चैनलों को चौबीसों घंटे प्रसारण करने वाले चैनलों में परिवर्तित करना चाहता है और इन्हें डीडी फ्री डिश और केबल नेटवर्क पर लाना चाहता है।

दूरदर्शन ने अपने भूभागीय प्रसारणों का डिजिटलीकरण प्रारम्भ किया है और यथासमय अपने एनालॉग प्रसारण को बंद कर देगा। डिजिटल ट्रांसमीटर मल्टी चैनल वाले हैं और वे स्थानीय भाषाओं में क्षेत्रीय सामग्री (कन्टेंट) सहित व्यापक सामग्री उपलब्ध कराएंगे। और तो और संवर्धन एवं राजस्व के साधन के रूप में निजी सामग्री पर भी विचार किया जा रहा है। डिजिटल प्रसारण मोबाइल हैंड-हैल्ड उपकरणों पर प्राप्ति में सक्षम बनाता है।

दूरदर्शन का विज्ञान दुनिया भर में मानक हो चुके एचडी और एसडी प्रारूप में कार्यक्रमों का निर्माण करने के लिए अपने स्टूडियो का पूरी तरह डिजिटलीकरण करना है।

दूरदर्शन विरासत से जुड़ी सामग्री का समृद्ध भंडार गृह और राष्ट्रीय संसाधन है। वह मेटाडेटा के साथ चिन्हित, विरासत से संबंधित अपनी सामग्री के सम्पूर्ण डिजिटलीकरण, पुनः प्राप्ति और त्वरित संदर्भ एवं उपयोग के लिए ऑनलाइन सिस्टम की प्रक्रियाओं में तेजी ला रहा है।

भारत सरकार ने दूरदर्शन के लिए 2119.14 करोड़ रुपये का कुल बजट आवंटित किया है, यानी 2013.14 करोड़ रुपये पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए हैं और 106 करोड़ रुपये 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए सामग्री का निर्माण और प्रसार करने के लिए आवंटित किए गए हैं।

मुख्य सचिवालय के प्रसारण विंग की स्कीमें

(क) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की अनुमति देता है। सरकार ने वर्ष 2002 में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को संचालित करने के अनुमति संबंधी नीतिगत दिशानिर्देश पेश किए थे जिन्हें वर्ष 2006 में संशोधित किया गया। पूर्व दिशानिर्देशों में केवल शैक्षिक संस्थानों में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को अनुमति दी गई थी। नए दिशानिर्देशों ने पात्रता मानदंड को व्यापक बनाया और समुदाय आधारित संगठनों, जैसे नागरिक समाज और स्वयंसेवी संगठनों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, पंजीकृत सोसायटी/स्वायत्त निकायों/सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत पब्लिक ट्रस्टों को भी सामुदायिक रेडियो स्टेशन संचालित करने की अनुमति दे दी, बशर्ते वे पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

मंत्रालय जागरूकता कार्यशालाओं के माध्यम से सामुदायिक रेडियो योजना को लोकप्रिय बना रहा है जिससे जमीन से जुड़े अधिक-से-अधिक संगठन सीआर स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित हों। 11 वीं पंचवर्षीय योजना स्कीम 'सामुदायिक रेडियो के लिए आईईसी गतिविधियां' के अंतर्गत, मंत्रालय ने 37 जागरूकता/क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया। 12 वीं पंचवर्षीय योजना में 'भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग' नामक एक नई योजना शुरू की गई है। आईईसी गतिविधियों के अतिरिक्त नई योजना उपकरणों की खरीद और प्रशिक्षण आदि के लिए नए और मौजूदा सीआरएस को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह नई योजना सीआर क्षेत्र में नवाचार को समर्थन देगी। 12 वीं योजना के पहले 4 वर्षों में, 34 जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए सीआर स्टेशनों/अनुमति धारकों से आवेदनों को आमंत्रित किया गया है।

(ख) प्रसारण शाखा का स्वचालितीकरण

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय निजी उपग्रह टेलीविजन चैनलों को मंजूरी प्रदान करता है। नए टीवी चैनलों से संबंधित आवेदनों की जांच, अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के नीतिगत दिशा-निर्देशों में निर्धारित किए गए अहर्ता मानदंडों के आलोक में की जाती है। आवेदन कंपनी और कंपनी के निदेशकों की सुरक्षा क्लीयरेंस (या अनापत्ति) के लिए गृह मंत्रालय भेज दिये जाते हैं। उसी समय ये आवेदन क्लीयरेंस प्राप्त करने के लिए जैसा आवश्यक समझा जाए, अंतरिक्ष विभाग/राजस्व विभाग, को भेजे जा सकते हैं। कंपनी की अहर्ता तय करने के लिए अन्य अहर्ता मानदंडों के साथ-साथ कंपनी की निवल सम्पत्ति का भी आकलन किया जाता है। अंतर मंत्रालयी क्लीयरेंस और लागू पंजीकरण एवं अनुमति शुल्क प्राप्त करने के बाद मंत्रालय द्वारा आवेदकों को अनुमतियां प्रदान की जाती हैं।

मंत्रालय ने अभी तक 850 से अधिक टीवी चैनलों को अनुमति दी है। कई आवेदन अभी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। इनके अलावा इनसेट अनुभाग की काफी बड़ी तादाद में ऐसे अनुरोध प्राप्त होते हैं, जिनमें नाम, लोगो, निदेशकों की नियुक्ति, शेयर होल्डिंग में बदलाव, अस्थायी अपलिकिंग आवेदन और एसएनजी/डीएसएनजी वैन किराए पर लेने के अनुरोध मिलते हैं। इस अनुभाग को एफआईपीबी मामलों, विदेशी मुद्रा विप्रेषण क्लियरेंस, संसदीय प्रश्नों, आरटीआई याचिकाओं और वीआईपी संदर्भों से निपटना पड़ता है। चैनलों के लिए अनुमति का नवीनीकरण तथा अपलिकिंग और डाउनलिकिंग दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करना जैसी अन्य गतिविधियां भी जारी रहती हैं। इन सब में बड़ी तादाद में कागजी कार्रवाई और मंत्रालयों तथा आवेदकों के साथ फॉलोअप शामिल होता है। सम्बद्ध एजेंसियों द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए तथा विभाग के अधिकारियों और आवेदकों दोनों को आवेदनों की स्थिति पर नजर रखने के लिए, सुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने का सुझाव दिया गया है, जो आवेदनों की स्थिति के संदर्भ में पारदर्शिता लाते हुए आवेदनों के त्वरित निपटारे में सक्षम बनाएगा।

(ग) डिजिटलाइजेशन मिशन

अधिदेश, उद्देश्य तथा लक्ष्य, नीति ढांचा तथा नीति कथन

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रमुख बिंदु के रूप में देश में केबिल टी वी का डिजिटलाइजेशन रहा। केबिल टी वी देश में टी वी वितरण का बैक बोन रहा है। देश में केबिल टी वी के नेटवर्क प्रमुखतः एनॉलॉग प्रकृति के रहे हैं। एफ आई सी सी आई – के पी एम जी 2014 द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार वर्तमान समय में देश में 88 मिलियन केबिल टी वी होम हैं जिनमें से ज्यादातर घरों में यह सिगनल एनॉलॉग मोड में रिसीव किए जाते हैं। एनॉलॉग केबिल टी वी वितरण में कई प्रकार की समस्याएं, क्षमता सीमितताएं तथा चैनलों का चुनाव तथा सिगनल की गुणवत्ता के सम्बन्ध में समस्याएं आती हैं।

एनॉलाग प्रणाली के कारण आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने केबिल टीवी सेक्टर के डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखा है जो चरणबद्ध रूप में पूरा किया जाता है तथा अंततः 31.12.2016 तक सभी एनॉलाग सेवाओं को डिजिटल करने का लक्ष्य है। पहले चरण में तीन मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई तथा कोलकाता को डिजिटल किया जा चुका है। चेन्नई में मामला अभी न्यायालय में लंबित है। दूसरा चरण जिसमें 38 शहरों (एक मिलियन जनसंख्या से अधिक वाले) को 31.3.2013 तक डिजिटलाइज किया जाना था, पूरा हो चुका है। तीसरा चरण जिसमें शेष शहरी क्षेत्र (चरण-1 तथा 2 के अलावा) शामिल हैं, 31.12.2015 तक पूरा होने का लक्ष्य था तथा चौथे चरण में शेष भारत को कवर किया गया है जो 31.12.2016 तक पूरा होने का लक्ष्य है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय डिजिटलाइजेशन के रोडमैप को समय से एवं प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए अधिदेशित है। केबिल टी वी अधिनियम में दिसम्बर, 2011 में संशोधन के पश्चात् मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में नियम जारी कर दिए हैं। टी आर ए आई ने भी संबंधित दरों तथा अंतर्कनेक्शन विनियमों को अधिसूचित कर दिया है जिससे सभी स्टेक होल्डरों को इस योग्य बनाया जा सके कि वे डिजिटलाइजेशन के लिए आवश्यक कदमों को उठा कर इसे लागू कर सकें।

डिजिटलाइजेशन में प्रमुख रूप से शामिल है डिजिटल हेड एन्ड स्थापना को प्रारम्भ करना तथा एम एस ओ द्वारा डिजिटल एनक्रिप्टेड सिगनल को फीड करना, एल सी ओ द्वारा वितरण नेटवर्क का उन्नयन तथा उपभोक्ता परिसर में सेट टॉप बॉक्स की स्थापना जिससे वे डिजिटल केबिल टी वी सिगनल का आनन्द उठा सके। इनमें से सबसे प्रमुख कार्य है पूरे देश में विस्तृत उपभोक्ता घरों में लगभग 88 मिलियन केबिल सेट टॉप बॉक्स की सीडिंग। सेट टॉप बॉक्स की खरीद तथा सीडिंग एम एस ओ द्वारा स्थानीय केबिल ऑपरेटर (एल सी ओ) के जरिए सम्बन्धित क्षेत्र में की जाती है। ऐसा अनुमान है कि देश में लगभग 6000 एम एस ओ तथा 60,000 एल सी ओ हैं। एम एस ओ को निर्धारित संख्या में आवश्यक सेट टॉप बॉक्स व्यक्तिगत रूप में खरीद करना होता है तथा डिजिटल होने की तय तिथि से पूर्व इन्हें उपभोक्ता के घरों में लगा कर इन्हें एक्टिवेट करना होता है। इस हेतु एम एस ओ को अपने खरीद शीड्यूल के अनुसार सेट टॉप बॉक्स प्राप्त कर साप्ताहिक सेट टॉप बॉक्स सीडिंग लक्ष्य तैयार कर तदनुसार योजना बनानी होती है जिससे तय तिथि से पहले इस लक्ष्य

को हासिल किया जा सके। सम्पूर्ण प्रोजेक्ट को एक मिशन मोड रूप में विशेष रूप से ध्यान देकर निर्धारित मैन पावर प्रयोग कर पूरा करना होगा। इस विस्तृत कार्य को करने के लिए मंत्रालय के पास पर्याप्त मैन पावर नहीं है। प्रोजेक्ट में शामिल हैं- आंकड़ों का कुशल संग्रहण तथा विश्लेषण जिससे डेडलाइन पर निगाह रखी जा सके। धरातल पर वास्तविकताओं का पता लगाने के लिए प्रोजेक्ट में गहन फील्ड विजिट का प्रावधान भी रखा गया है। पहला चरण 4 शहरों में तथा दूसरा चरण 38 शहरों में विस्तृत था। इन दो चरणों के प्रबंधन के लिए मंत्रालय, बेसिल तथा प्रसार भारती में उपलब्ध स्टाफ से काम हो गया। परंतु तीसरे चरण में 3000 से अधिक शहरी क्षेत्र तथा चौथे चरण में सैकड़ों कस्बे तथा गांव शामिल हैं। वर्तमान उपलब्ध मैनपावर से इन चरणों का प्रबंधन नहीं किया जा सकता। इसी वजह से योजना के अंतर्गत “मिशन डिजिटाइजेशन” प्रारम्भ किया गया तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया। योजनागत स्कीम को मंत्रालय की पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइज बेसिल द्वारा नामांकन आधार पर निष्पादित किया जाना है। इसमें 12 क्षेत्रीय इकाइयों, एक बहुभाषी वेबसाइट तथा बहुभाषी टोल फ्री हेल्पलाइन की स्थापना शामिल है।

प्रोजेक्ट का उद्देश्य एक ऐसे तंत्र को प्रारम्भ करना रहा जो सेट टॉप बॉक्स की सीडिंग की प्रभावकारी निगरानी तथा अन्य सम्बंधित गतिविधियों की निगरानी करने में सक्षम हो सके जिससे सरकार द्वारा केबिल टी वी डिजिटाइजेशन के लक्ष्य को तय समय सीमा के भीतर हासिल किया जा सके।

अध्याय-2

वित्तीय परिव्यय, वास्तविक परिणाम और अनुमानित परिणाम

सूचना क्षेत्र

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17			निर्धारित/ वितरणीय भौतिक परिव्यय	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम का घटक
			4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1	2	3	4			5	6	7	8
1.	योजना स्कीम का नाम विकास संचार के जरिए जनता का सशक्तीकरण	1 स्थापना 2 प्रदर्शनी 3 डिस्प्ले वर्गीकृत 4 रेडियो स्पॉट 5 मुद्रित प्रचार, वितरण 6 बाह्य प्रचार	48.28 1.80 30.00 1.30 2.80 0.38	0.00 4.19 37.68 72.85 5.02 5.86		4309.64 प्रदर्शनी 5.23 प्रदर्शन 66.97 (हजार में) 12.92 कार्य की संख्या 5.20 डिस्प्ले लाख में	सांप्रदायिक सौहार्द्र, राष्ट्रीय एकता, विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरिए सामाजिक-आर्थिक उन्नयन, प्रदर्शनी, वाह्य प्रचार, रेडियो/टी वी, समाचार पत्र तथा पोस्टर/ ब्रोशर पर प्रचार आम जनता के भीतर जागरूकता का संचार करेगा तथा विकास में भागीदारी को बढ़ावा देगा।	नियत समय सीमा आवश्यकता के भीतर कार्य का प्रचार किया जाना है।	
		कुल (1)	84.56	125.60					

2	मीडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट प्रोग्राम	1. कार्यलय व्यय		0.10			कंप्यूटरीकरण एवं डिजिटलीकरण कार्यालय ढांचा मानव संसाधन विकास		
		2. अन्य प्रशासनिक व्यय		0.05					
		3. गौणा कार्य		0.70					
		4. प्रोफेशनल सेवाएं		2.00					
		5. सूचना तकनीकी		0.15					
		कुल (2)		3.00					
		कुल (1 एवं 2)	84.56	128.60					

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

अनुमानित बजट 2015-16 के अध्याय II में तालिकाओं का स्वरूप

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	परियोजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17			मात्रात्मक वास्तविक प्रतिफल भौतिक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम का घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
(A)	डाइरेक्ट कॉन्टैक्ट प्रोग्राम विकास संचार एवं प्रसार के तहत		4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
I	विशेष आउटरीच कार्यक्रम	12वीं योजना के अंतर्गत इस घटक में अंतर्गत डी एफ पी ने भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर सम्बन्धित मंत्रालयों को शामिल कर विश्व आउटरीच कार्यक्रम पूरे देश में करने का प्रस्ताव किया। वर्ष 2015-16 में 690 विशेष कार्यक्रम की योजना है। डी एफ पी की दो क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों को रिमोट मीडिया शैडो क्षेत्र में तैनात किया जाएगा जो सरकारी योजनाओं के बारे में सूचनाएं प्राप्त करेंगी।		2.7688		300 विशेष कार्यक्रम (1) कार्यक्रम आयोजित होने वाली है। (2) प्रत्येक क्षेत्रीय ईकाई में	भारत सरकार के प्रमुख योजनाओं में आम जनता की बेतर भागीदारी	वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत	

क्रम सं.	परियोजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17			मात्रात्मक वास्तविक प्रतिफल भौतिक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणी/जोखिम का घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
III	मूलभूत सयोग में सीधा संपर्क कार्यक्रम	इस घटक के जरिए तकनीक के आधुनिकीकरण के द्वारा निदेशालय को अवसंरचना तथा संसाधन सहयोग उपलब्ध कराना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में डी एफ पी की स्थापना अद्वतन तकनीक से युक्त होगी जिनमें शामिल हैं - मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर, डी वी डी प्लेयर, वायरलेस पी ए सिस्टम, डिजीटल स्टिल कैमरा, फोटो कॉपियर्स मशीन, प्रोजेक्टर फोन, आउटसोर्सिड मैनपावर इत्यादि जिससे अपने कार्यालय में बेहतर तरीके से कार्य हो सके। इस प्रकार अन्य घटकों को बेहतर तरीके से लागू करने में डी एफ पी को सहायता मिलेगी।		1.2312		25 वान खरीदें 11 मल्टीमीडिया परियोजना 15 फोटो कापी 15 लोपटोप और 15 स्मार्ट फोन	ए वी इक्विपमेन्ट व्हीकल तथा उसके भीतर अन्य सामग्री क्षेत्रीय इकाइयों की कार्य क्षमता में वृद्धि करेगी।	वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत	
		कुल योग		4.000					

भारतीय जनसंचार संस्थान

(रुपये करोड़ों में)

क्रम सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2016-17			मात्रात्मक लाभ/ भौतिक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम का कारक
			4(i) गैर-नियोजित बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1	2	3	4			5	6	7	8
1.	i) जन संचार में प्रशिक्षण, शिक्षण एवं अनुसंधान	मीडिया और जनसंचार क्षेत्र में लगे कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना और क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों का आयोजन	13.37	-	-	निम्नलिखित में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम का संचालन: - योजना के तहत नई दिल्ली, ढेंकनाल, 4 नए क्षेत्रीय केंद्रों में पत्रकारिता (अंग्रेजी) - नई दिल्ली में पत्रकारिता (हिंदी) - रेडियो और टीवी पत्रकारिता - नई दिल्ली में विज्ञापन और पीआर - उपरिलिखित प्रत्येक पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में से प्रत्येक में एनआरआई के लिए 5 सीटें आरक्षित - ढेंकनाल में उड़िया पत्रकारिता - नई दिल्ली में उर्दू पत्रकारिता	1. अलग-अलग भाषाओं में अच्छे पत्रकारों को विकसित किया जाएगा। 2. अच्छी पत्रिकाओं को प्रकाशित किया जाएगा जिससे विद्यार्थियों, शिक्षकों और बाहरी विशेषज्ञों को अभिव्यक्ति और विशेषज्ञता प्रदान की जा सके।	पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए (अखिल भारतीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा के माध्यम से) एडमिशन प्रक्रिया जुलाई 2016 तक पूरा हो जाएगी और इन पाठ्यक्रमों को तुरंत शुरू किया जाएगा।	अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ शारीरिक रूप से विकलांग और एनआरआई के लिए आरक्षित श्रेणियों में से कुछ में सीटें 100% नहीं भरी जा सकती हैं या एडमिशन के बाद कुछ विद्यार्थी संस्थान छोड़ सकते हैं।

नोट: कोष्ठक के भीतर आंकड़े भर्ती किए गए विद्यार्थियों की संख्या का संकेत देते हैं।

					<p>- विकासपरक पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम</p> <p>- आईआईएस के ग्रुप ए और बी अधिकारियों के लिए फाउंडेशन/ अभिविन्यास/ सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित और भेजा गया है। अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं।</p> <p>- जन संचार के विभिन्न पहलुओं (4-5 अध्ययन) पर अनुसंधान कार्य का संचालन और</p> <p>- दो छमाही पत्रिकाओं (अंग्रेजी में कम्युनिकेटर और हिंदी में संचार माध्यम) का प्रकाशन</p>	<p>मांग और प्रायोजक संगठनों के साथ स्वीकृत अनुसूची के अनुसार संचालित</p> <p>अनुसंधान कार्यों को व्यक्तिगत समयावधि के अनुसार संचालित किया जाएगा।</p> <p>पत्रिकाएं प्रकाशित की जाएंगी</p>	<p>प्रतिभागियों की संख्या प्रायोजक प्राधिकरण जैसे विदेशी मामलों के मंत्रालय पर निर्भर करती है।</p> <p>प्रायोजक संगठनों द्वारा बजट में कटौती के कारण कम कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।</p>
--	--	--	--	--	---	---	---

1.	ii) अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार आईआईएमसी का उन्नयन	जनसंचार में प्रशिक्षण, शिक्षण और अनुसंधान अंतरराष्ट्रीय मानकों की स्थापना से मीडिया और जन संचार को मजबूती मिलेगी और आधुनिक शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। यह मीडिया उद्योग में विश्वव्यापी प्लेसमेंट के लिए अच्छे पेशेवरों को तैयार करेगा। इस प्रस्तावित उन्नयन में 4 नए केंद्रों में राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए गए अस्थायी आवास भी शामिल है जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में जन संचार के अध्ययन की सुविधा में असंतुलन को दूर किया जा सकेगा। इस योजना को 62 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 51.50 करोड़ रुपये के सरकारी अनुदान के साथ अनुमोदित किया गया है।	—	6.00	—		इससे मीडिया उद्योग में विश्वव्यापी प्लेसमेंट के लिए अच्छे पेशेवरों को तैयार किया जा सकेगा।	पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए (अखिल भारतीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा के माध्यम से) एडमिशन प्रक्रिया जुलाई 2016 तक पूरा हो जाएगी और इन पाठ्यक्रमों को तुरंत शुरू किया जाएगा। डीडी और डीयूएसी के बिलडिंग प्लान की स्वीकृति पर निर्भर	अन्य पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ शारीरिक रूप से विकलांग और एनआरआई के लिए आरक्षित श्रेणियों में से कुछ में सीटें 100% नहीं भरी जा सकती हैं या एडमिशन के बाद कुछ विद्यार्थी संस्थान छोड़ सकते हैं। डीडीए या अन्य लोक प्राधिकरणों द्वारा बिलडिंग प्लान की स्वीकृति के अधीन
	iii) आईआईएमसी के नई क्षेत्रीय केंद्रों की शुरुआत	4 नए क्षेत्रीय केंद्रों में स्थायी परिसरों का निर्माण।	—	13.00	—		इससे विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रतिभागों का दोहन करना सहज होगा और उन्हें पेशेवर पत्रकार बनाया जा सकेगा।	निर्माण के लिए समय सीमा सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्देशित निर्माण के लिए समय सीमा सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्देशित पूर्व निवेश गतिविधियां शुरू होंगी	निर्माण के लिए समय सीमा सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्देशित निर्माण के लिए समय सीमा सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्देशित -

फोटो प्रभाग
निष्पादन बजट 2016-17 के अध्याय-2 में तालिकाओं का प्रारूप

(करोड़ रुपये में)

गैर-योजना

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17 प्रस्तावित	परिणाम योग्य निष्पादन योग्य/भौतिक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	प्रलेखन, प्रचार और प्रति संदर्भ, सरकार के विकास कार्यों का दृश्य चित्रों के जरिए प्रलेखन	राजनीतिक, वित्तीय और सामाजिक परिवर्तनों का संग्रह और प्रचार	गैर -योजना 5.47	सतत फोटो प्रलेखन दर्ज की जाने वाली अवधि के परिवर्तनों का आगे आने वाली पीढ़ी के लिए दृश्य रिकॉर्ड होगा। इन्हें सर्वाधिक मूल्यवान दस्तावेज समझा जायेगा जिनका इस्तेमाल आवश्यकतानुसार समय-समय पर किया जाएगा।	इन प्रलेखों के सृजन से देश को सही इतिहास तक पहुंच कायम करने और प्रति संदर्भ की सुविधा मिलेगी।	-	

फोटो प्रभाग

योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17	परिणाम योग्य निष्पादन योग्य/भौतिक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	राष्ट्रीय फोटोग्राफी केंद्र a) आउटसोर्सिंग सहायता	a) आउटसोर्सिंग सहायता (आईटी कर्मचारियों, लाइब्रेरियन, पुस्तकालय सहायकों की भर्ती, जो उच्च क्षमता सर्वर पर चित्रों की अपलोडिंग और प्रबंधन कर सकें)।	0.24	(क) प्रभाग के आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑन-लाइन उपयोग के लिए फोटो अभिलेखागार को सुचारू बनाना।	(क) एक समुचित फोटो पुस्तकालय इस्तेमालकर्ताओं को आसानी से चित्रों को खोजने में मदद पहुंचाएगा।	वार्षिक	
	b) राष्ट्रीय फोटो पुरस्कार	b) छठा राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार	0.27	(ख) आज फोटोग्राफी सर्वाधिक महत्वपूर्ण दस्तावेजों में एक है और इस क्षेत्र में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस क्षेत्र से जुड़े व्यवसायियों के योगदान को सम्मानित करने का निर्णय किया है, जिससे इस क्षेत्र में उनकी प्रतिबद्धता और विकास को व्यापक बल मिलेगा।	(ख) आज के संदर्भ में इस माध्यम के महत्व को समझने का एक आधार तैयार करना।	वार्षिक	
	ग) स्थाई फोटो दीर्घा	ग) प्रभाग के परिसर में स्थाई फोटो दीर्घा की स्थापना	0.56	ग) सरकार की विकासात्मक गतिविधियों की फोटो प्रदर्शनियों को बढ़ावा देने के लिए पुस्तकालयों और रचनात्मक फोटोग्राफरों को विभिन्न विषयपरक प्रदर्शनियों को डिस्प्ले करने में सहायता करना।	ग) इसे लोगों और युवा पीढ़ी को फोटोग्राफी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित करने में मदद मिलेगी।	वार्षिक	

योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17	परिणाम योग्य निष्पादन योग्य/भौतिक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए विशेष अभियान	पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में चुनी हुई परियोजनाओं, जीवन और पर्यावरण की पहचान और प्रलेखन का कार्यान्वयन	0.05	पूर्वोत्तर राज्यों, और अलग थलग पड़े क्षेत्रों जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर में, विकासात्मक परियोजनाओं का फोटो प्रलेखन। प्रभाग डिजिटल फोटो असेट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है जिसके लिए वहां की यात्रा करना/ फोटों प्रभाग में उन्हें आमंत्रित करना जैसी व्यवस्थाएं की जाती हैं।	विकास के उन क्षेत्रों को प्रकाश में लाना, जो अभी तक उजागर नहीं हुए हैं।	वार्षिक	
		कुल रुपये	1.12				

* आरसीई में रु. 26.00 लाख की राशि अनुमोदित की गई। परंतु, सीसीडब्ल्यू ने रु. 56.00 का अनुमान प्रस्तुत किया।

भारतीय प्रेस परिषद

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना एवं कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2016-17			परिणाम योग्य वितरण योग्य/ भौतिक उपलब्धि	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
1	2	3	4			5	6	7	8
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	परिषद एक अर्ध न्यायिक निकाय है अतः यह किसी कार्यक्रम का संचालन नहीं करती है	प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और उसे बनाए रखना तथा भारत में अखबारों और अखबार एजेंसियों के स्तर में सुधार लाना	7.38	शून्य	परिषद प्रेस परिषद अधिनियम 1978 की धारा 16 के अंतर्गत पंजीकृत समाचार पत्रों/ नियत कालिक पत्रिकाओं और समाचार एजेंसियों से शुल्क वसूल करती है और जमा निधियों पर ब्याज अर्जित करती है। 2016-17 में परिषद का लक्ष्य शुल्क और अन्य प्राप्तियों से 1.46 करोड़ रुपये वसूल करने का है ताकि वह भारत सरकार से प्राप्त अनुदान की सम्पूर्ति कर सके।	चूंकि प्रेस परिषद के कार्य अर्ध न्यायिक किस्म के होते हैं, और यह नैतिक मानदंडों के साथ प्रेस को नियमित करती है, इसलिए भौतिक उपलब्धियां और नतीजे परिमाणित नहीं किए जा सकते।	1. व्यावसायिक पत्रकारों को बाहरी हमलों से संरक्षित करते हुए प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है। 2. इससे विशेष रूप से समाचार विषयों और आमतौर पर अखबारों की गुणवत्ता के स्तर में सुधार आएगा।	यह वादकारियों की आवश्यकता और जांच प्रक्रिया पूरी होने पर निर्भर करेगा।	शिकायत के मामलों के निपटान में कोई जोखिम नहीं है।

पत्र सूचना कार्यालय
परिव्यय एवं परिणाम/लक्ष्य संबंधी वक्तव्य (2016-17) संबंधी वक्तव्य

योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	वार्षिक योजना 2016-17 (करोड़ रु. में)	मात्रात्मक लाभ 2016-17	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
	जारी योजना स्कीम						
1.	मीडिया आउटरीच प्रोग्राम एवं विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रचार। इस योजना में 3 संघटक शामिल हैं:-						
i	मीडिया आउटरीच प्रोग्राम	जन सूचना अभियानों का आयोजन, मीडिया विचार-विमर्श सत्रों, सफलता की कहानियों का प्रचार-प्रसार और प्रेस दौरों के आयोजन के माध्यम से केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में सूचना का प्रचार-प्रसार करना	7.71	70 जन सूचना अभियानों, 86 मीडिया विचार-विमर्श सत्रों, 1 सम्पादकों का सम्मेलन, 85 वार्तालाप, 4 सम्मेलन, सफलता की 35 गाथाएं और 8 प्रेस दौरे आयोजित करना शामिल	100 %	अभी अंतिम रूप दिया जाना है।	70 जन सूचना अभियानों के आयोजन, 86 मीडिया विचार-विमर्श सत्रों तथा 8 प्रेस दौरों के आयोजन के लक्ष्य की समीक्षा वर्ष 2015-16 के लिए बीई के अनुसार की।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	वार्षिक योजना 2016-17	मात्रात्मक लाभ 2016-17	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
							जायेगी। पीआईसी गतिविधियों को 2016-17 से पीआईबी से स्थानांतरित करके डीएफपी को सौंपे जाने का एक प्रस्ताव सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विचाराधीन है।
ii.	भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह प्रवासी भारतीय दिवस समारोह	पीआईबी आईएफएफआई और प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के दौरान पत्रकारों को विशेष प्रत्यायन सेवाएं प्रदान करने और मीडिया सेंटर के लिए कंप्यूटर किराये पर लेने के लिए अपने अधिकारी तैनात करता है।	0.29	आईएफएफआई और प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के दौरान पत्रकारों को विशेष प्रत्यायन सेवाएं प्रदान करने और मीडिया सेंटर के लिए कंप्यूटर किराये पर लेने के लिए अपने अधिकारी तैनात करना	जैसा कि कॉलम 5 में है	तीसरी तिमाही में - भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह चौथी तिमाही में- प्रवासी भारतीय दिवस समारोह चालू वित्त वर्ष में कॉलम 5 में उल्लिखित सभी गतिविधियां होंगी।	

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	वार्षिक योजना 2016-17	मात्रात्मक लाभ 2016-17	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	योजना: मीडिया ढांचागत विकास कार्यक्रम (एमआईडीपी) उपयोजना: पीआईबी का आधुनिकीकरण	<ul style="list-style-type: none"> - एनपीसी में आईटी अवसंरचना - अधिकारियों को प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने में सक्षम बनाना - सोशल मीडिया साधनों का उपयोग - मुख्य वेबसाइट को उन्नत बनाना - ऑनलाइन मीडिया प्रत्यायन - वीडियो/डिजिटल संसाधन तैयार करना - लाइव वेबकास्ट - वीडियो कांफ्रेंसिंग - नए सॉफ्टवेयर तैयार करना - ई-कार्यालय - सभी कार्यालयों में आधुनिक आईटी अवसंरचना 	5.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. अधिकारियों को स्मार्ट उपकरण 2. सोशल मीडिया साइट्स/ अकाउंट्स 3. वेबसाइट का आधुनिकीकरण नवीनतम इंटरकनेक्टिविटी और डिलीवरी टूल्स 4. मीडिया प्रत्यायन की ऑनलाइन पावती, प्रॉसेसिंग और सूचना देना 5. 1.2 लाख पुराने रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण 6. डिजिटल आर्काइविंग सिस्टम-सॉफ्टवेयर विकास/और पूर्ण करने के लिए आंकड़ों का समेकन 7. रिपोर्टिंग, एमआईएस आदि के लिए कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर का विकास 8. ई-कार्यालय: अनुभागों और इकाइयों को ई-कार्यालय में बदला जाएगा। 9. हार्डवेयर, लेन नेटवर्क का आधुनिकीकरण 	जैसा कि कॉलम 5 में है	चालू वित्त वर्ष में	
	कुल		13.00				

परिणाम बजट 2016-17 के अध्याय -2 की तालिकाओं का प्रारूप

गैर-योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17 गैर योजना बजट	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गैर-योजना उपशीर्ष वेतन, ओवरटाइम चिकित्सा व्यय, घरेलू यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, प्रकाशन, अन्य प्रशासनिक व्यय, विज्ञापन और प्रचार व्यवसायिक सेवाएं और पत्रकार कल्याण इत्यादि।	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है, जो सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और कार्यकलापों के बारे में जनता को सूचित करती है। मीडिया (प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक) के साथ संवाद के लिए सरकार के प्रमुख चैनल के रूप में, पत्र सूचना कार्यालय सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और कार्यकलापों तथा सरकार की सूचना नीति से संबंधित जानकारी आम जनता तक पहुंचाता है। यह कार्यालय इस बुनियादी अवधारणा के आधार पर काम करता है कि किसी भी लोकतंत्र में सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसकी नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रेस और अन्य मीडिया के माध्यम से सही तरीके से आम लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए, जिनके समर्थन एवं सद्भावना के आधार पर ही सरकार सत्ता में बनी रहती है।	70.41	वेतन, एलटीसी, लीव एन्केशमेंट ओवरटाइम का भुगतान, चिकित्सा व्यय का भुगतान, यात्रा भत्ता, कार्यालय संचालन के लिए जाने वाली खरीद, रख-रखाव व्यय, आतिथ्य/मनोरंजन पर हुआ व्यय, व्यवसायिक और विशेष सेवा भुगतान, परामर्श शुल्क इत्यादि पर हुआ खर्च, क्षेत्रीय कार्यालयों में पीआईबी के कार्यालय की इमारत में मरम्मत पर हुआ खर्च	पीआईबी की इस गतिविधि में इसके कर्मचारियों और कार्यालय के मानव संसाधन और ढांचागत पहलुओं का ध्यान रखा जाता है ताकि विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और कार्यक्रमों की सूचना का प्रचार-प्रसार उपयुक्त ढंग से हो सके। इसका लक्ष्य पत्रकारों और मीडिया प्रतिनिधियों के लिए बेहतर सुविधाओं को प्रोत्साहन देना है।	निर्धारित समय सीमाओं के अनुसार	लागू नहीं

प्रकाशन विभाग

निष्पादन बजट 2016-17 के अध्याय II में तालिकाओं का प्रारूप

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17			प्रक्षेपित परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	टिप्पणियां/जोखिम घटक
			परिमाण वितरणीय/वास्तविक परिव्यय	4	5			
1	2	3	4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन	6	7	8
1.	प्रकाशन विभाग	पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन	37.15	5.00		<p>विभाग निम्नांकित लक्षण हासिल करना चाहता है :</p> <p>(i) राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित करना और उन्हें सस्ते मूल्यों पर आम लोगों को उपलब्ध कराना।</p> <p>(ii) विभिन्न विषयों पर केंद्रित राष्ट्रीय और सामाजिक रुचि पर पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित होता है और इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है।</p>	<p>वार्षिक आधार पर पुस्तकें</p> <p>मासिक पत्रिकाएं</p>	
2.	रोजगार समाचार	इम्प्लाइमेंट न्यूज एवं रोजगार समाचार प्रकाशन द्वारा बेरोजगारों को नौकरी के अवसर प्रदान करता है।	22.35			<p>इम्प्लाइमेंट न्यूज और रोजगार समाचार के 52 साप्ताहिक प्रतियां</p>	<p>इम्प्लाइमेंट न्यूज और रोजगार समाचार की इकाई का निम्नलिखित लक्ष्य है- इसमें केंद्र सरकार</p>	

क्रम सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17			प्रक्षेपित परिणाम	प्रक्रिया/ समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
			परिमाण	वितरणीय/ वास्तविक परिव्यय	4			
1	2	3	4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन	6	7	8
							और राज्य सरकार सार्वजनिक उपक्रम, प्रवेश/सूचना/परीक्षा की सूचना और परिणाम जैसे यूपीएससी एसएससी राष्ट्रीयकृत बैंक, रेलवे भर्ती बोर्ड और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, संस्थानों में रिक्तियों और परीक्षा परिणामों की जानकारी दी जाती है। इसे वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाता है।	

प्रकाशन विभाग

निष्पादन बजट 2016-17 के अध्याय II में तालिकाओं का प्रारूप

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/ परिणाम	परिव्यय 2016-17		मात्रात्मक परिणाम/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
			4 (I)	4 (II)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
			4 (I)	4 (II)				
	प्रकाशन विभाग और रोजगार समाचार का नई जान फूंकने, उन्नयन और आधुनिकीकरण	योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	विशिष्ट विषयों के बारे में पुस्तकों का प्रकाशन	प्रकाशनों की विषयवस्तु और गुणवत्ता में सुधार	0.94	-	1. 61 पुस्तकों का प्रकाशन 2. कार्मिक अनुबंधित करना	राष्ट्रपति भवन शृंखला/ सीडब्ल्यूएमसी बुक्स	वार्षिक आधार	
2.	व्यापार संवर्द्धन गतिविधियां	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनियों मेलों सेमिनारों में भागीदारी और मोबाइल वैनो के ज़रिए प्रदर्शनी	0.40		1. 4 अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भागीदारी। 2. 5 घरेलू प्रदर्शियों मेलों में भागीदारी। 3. मोबाइल वैनो के ज़रिए प्रदर्शनी	लोगों में जागरूकता को बढ़ावा देना। इस घटक की मुख्य विशेषता प्रचार है।		
3.	प्रकाशन विभाग का डिजिटल अभिलेखागार और ई-बुक तैयार करना	प्रकाशनों का डिजिटलीकरण और ई-बुक	0.50	-	1. 700 पुस्तकों का डिजिटलीकरण 2. कार्मिकों की आउटसोर्सिंग 3. वेबसाइट रखरखाव।	प्रकाशन विभाग का डिजिटल अभिलेखागार और ई-बुक तैयार करना	वार्षिक आधार	

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/ परिणाम	परिव्यय 2016-17		मात्रात्मक परिणाम/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
			4 (I)	4 (II)				
1	2	3	4		5	6	7	8
			योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
4.	विभाग के व्यापार प्रचालनों में सुधार के लिए माल-सूची प्रबंधन रॉयल्टी और अन्य गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण	माल-सूची प्रबंधन रॉयल्टी और अन्य गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण	2.30	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. मालसूची प्रबंधन के कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना का अनुमोदन। 2. ई. कामर्स क्षमता के लिए वेबसाइट रीडिजाइन 3. भंडार का कम्प्यूटरीकरण और 4. मालसूची प्रबंधन 5. लेखा प्रणाली का स्वचालन 6. लेखक प्रबंधन प्रणाली का विकास। 7. शिकायत निवारण प्रणाली। 8. डेस्कटॉप और अनुषंगी उपकरणों जैसे हार्डवेयर की खरीद। 9. एनआईसी द्वारा प्रशिक्षण और हैंडहोल्डिंग। 	विभाग के व्यापार प्रचालनों में सुधार स्टाफमें कमी पर काबू पाना सक्षम लेखाविधि को संभव बनाना। पुस्तकों की छपाई पुनः छपाई के बारे में निर्णय करने की प्रक्रिया को शीघ्र एवं प्रभावकारी बनाना	वार्षिक आधार	

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/ परिणाम	परिव्यय 2016-17		मात्रात्मक परिणाम/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4 (I)	4 (II)				
			योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
5.	कार्यालय ढांचे और रखरखाव का आधुनिकीकरण	ढांचे का उन्नयन और आधुनिकीकरण	0.60	-	1. दो आउटस्टेशन यूनितों का आधुनिकीकरण। 2. सूचना भवन के 7वें तल (रो.स.) पर कार्यालय स्थल का रखरखाव।	ढांचे को सुदृढ़ बनाने से स्थान और कार्मिकों तथा अन्य संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव हो सकेगा।	वार्षिक आधार	
6.	रोजगार समाचार को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना और ईएन के डिजिटल अभिलेखागार का निर्माण	डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना और डिजिटल अभिलेखागार का निर्माण	0.26	-	1. दो आउटस्टेशन यूनितों का आधुनिकीकरण। 2. सूचना भवन के 7वें तल (रो.स.) पर कार्यालय स्थल का रखरखाव।	1. रोजगार समाचार का डिजिटीकरण 2. वेबसाइट के कार्मिक रखरखाव की आउटसोर्सिंग। 3. हार्डवेयर और संबंधित वस्तुएं	रोजगार समाचार को चंदे पर डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना और ईएन के पुराने अंकों के डिजिटल अभिलेखागार का निर्माण	वार्षिक आधार
		कुल	5.00	-				

भारत के समाचारपत्र पंजीयक का कार्यालय

गैर योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	उद्देश्य/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17		मात्रात्मक परिणाम/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
			गैर योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	वेतन, ओटीए, चिकित्सा व्यय, घरेलू यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, प्रकाशन।	शीर्षक निकासी, पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना, अखबारी कागज के आयात के लिए पात्रता प्रमाणपत्र, रियायती शुल्क पर मुद्रण मशीनरी के आयात के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र, भारत में प्रिंट मीडिया आदि के विकास पर एक वार्षिक रिपोर्ट पर प्रेस का प्रकाशन जैसे इस कार्यालय की विभिन्न गतिविधियों को पूरा करना।	7.36	शून्य	शीर्षक सत्यापन* पंजीयन मामले* कोई अखबार प्रमाण पत्र नहीं* मुद्रण मशीनरी के आयात के लिए प्रकाशनों को पात्रता प्रमाणपत्र पत्र जारी किया जाना* मुद्रण मशीनरी के आयात के लिए प्रकाशनों को अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाना* प्रसार की जांच का दावा* *प्रकाशनों से प्राप्त आवेदन/ निवेदनों पर निर्भर करता है	इन गतिविधियों से मीडिया परिदृश्य और इसके प्रभाव के प्रभावी मूल्यांकन सुनिश्चित होगा। इन प्रकाशनों को सरकारी विज्ञापन डीएवीपी द्वारा इस तरह के यथार्थवादी आकलन के आधार पर जारी किया जाएगा। एक तरफ इससे प्रिंट मीडिया के माध्यम से सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रसार होगा वहीं दूसरी ओर वास्तविक आकलन के कारण राजस्व की बचत होगी।	निर्धारित समय-सीमा के अनुसार	-

भारत के समाचारपत्र पंजीयक का कार्यालय

योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17		मात्रात्मक परिणाम/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
			योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	मीडिया के बुनियादी ढांचे विकास कार्यक्रम, उप योजना आरएनआई मुख्यालय का सुदृढीकरण	समाचार पत्रों के लिए, शीघ्र कुशल और पारदर्शी सेवा प्रदान करने और पीआरबी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा प्रसार की जांच को सख्ती के साथ लागू करने के लिए विकसित हो रहा है। आरएनआई मुख्यालयों के सुदृढीकरण की योजना एक साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया और इसका उद्देश्य (1) आरएनआई के दस्तावेजों की डिजिटलीकरण, (2) वार्षिक विवरणी की ई-फाइलिंग, और (3) इस तरह के शीर्षक के प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन/पंजीकरण	0.50	शून्य	आरएनआई के दस्तावेजों/ रिकॉर्डों का डिजिटलीकरण: लगभग 94,000 पंजीकृत प्रकाशनों की जानकारी से युक्त प्रेस रजिस्टर, शीर्षक आवेदनों/ प्रकाशकों की ओर से दायर घोषणाओं जैसे दस्तावेज आदि, महत्वपूर्ण अदालती फैसले, समय-समय पर महत्वपूर्ण मुद्दों आदि पर जारी होने दिशा निर्देशों की पहचान डिजिटल रूप से संरक्षित करने के लिए की गई है, जिससे पारदर्शिता और प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप हितधारकों को बेहतर सेवा मुहैया हो पाएगी। वार्षिक विवरणी की ई-फाइलिंग: वार्षिक विवरणों को ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया वित्त वर्ष 2013-14 से शुरू हुई है और 100 प्रतिशत वार्षिक विवरण ऑनलाइन प्राप्त हुए। हितधारकों को अपने अपने वैधानिक	इससे आम जनता को विशेष लाभ होगा क्योंकि वे सभी नई दिल्ली में आरएनआई के मुख्यालय का दौरा किए बिना शीर्षक सत्यापन, शीर्षक के पंजीकरण, प्रसार दावों का सत्यापन आदि से संबंधित मामलों में क्षेत्रीय कार्यालयों पर संपर्क कर सकते हैं।	नागरिक चार्टर में तय मानदंडों के अनुसार	-

भारत के समाचारपत्र पंजीयक का कार्यालय

गैर-योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17		मात्रात्मक परिणाम/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
			गैर योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1	2	3	4		5	6	7	8
					<p>कर्तव्यों को पूरा करने में आसानी होगी। चूंकि ऑनलाइन जमा कराने की प्रक्रिया इन विवरणों को मैन्युल जमा कराने के साथ ही होगा अतः यह उम्मीद है कि अधिक रिटर्न होगा जमा होंगे।</p> <p>शीर्षकों का ऑनलाइन सत्यापन/ इस तरह के का प्रमाण पत्र के शीर्षक का पंजीकरण: एनआईसी के सहयोग से ऑनलाइन शीर्षक सत्यापन/ पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करके, यह आरएनआई के मुख्य वैधानिक कार्यों को सुविधाजनक बना देगा।</p> <p>इस प्रणाली के तहत लगभग 600 डीएम को उन्हें शीर्षक आवेदनों/ दस्तावेजों को पंजीयन प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने, प्रक्रियाबद्ध करने और अग्रेसित करने के लिए अलग विंडोज देकर उन्हें एकीकृत किया गया है।</p>			-

न्यू मीडिया विंग

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17			परिमाण वितरणीय/वास्तविक परिव्यय	प्रक्षेपित परिणाम	प्रक्रिया/समयबद्धता	टिप्पणियां/जोखिम घटक
			4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1	2	3	4			5	6	7	8
गैर योजना			2.94						
1.	(क) जन माध्यमों के विभिन्न पहलुओं को जोड़ते हुए दस्तावेज सेवा	जन माध्यमों में घटनाओं और प्रचलन के बारे में पत्रिकाओं के द्वारा सूचना				इस योजना के तहत प्रभाग ने 2016-17 के दौरान 30 दस्तावेजी सेवाएं प्रारंभ करने का लक्ष्य	भारतीयों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए जानकारी उपलब्ध करवाना	अंतराल के आधार पर	कोई विशेष जोखिम नहीं
	(ख) 'इंडिया-एक वार्षिक संदर्भग्रंथ का संकलन	देश के विभिन्न पहलुओं, इसके भूगोल और जनसांख्यिकी गुणों, राज्यव्यवस्था, अर्थशास्त्र, समाज और संस्कृति पर महत्वपूर्ण स्रोत				संदर्भ ग्रंथ भारत 2016 का प्रकाशन	उपर्युक्त के समान	उपर्युक्त के समान	उपर्युक्त
	(ग) पाक्षिक सेवा के तहत घटनाओं की डायरी तैयार करना	मंत्रालय और उनकी मीडिया इकाइयों को दिन-प्रति-दिन की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों से अवगत कराना				विश्लेषणात्मक -60 सूचनात्मक-60 प्रिंट मीडिया की स्थिति सूचना-30 राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर मंत्रालय के वेबसाइट की अद्यतनीकरण-4 मंत्रालय की मांग पर रिपोर्ट-4	सोशल मीडिया के विकास की जानकारी एवं सूचना विभिन्न मंत्रालय को प्रदान किया जाता है	कार्यक्रम के अनुसार	

गीत एवं नाटक प्रभाग

परिणाम बजट 2016-17 के अध्याय II तालिकाओं का स्वरूप

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	परियोजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2016-17			मात्रात्मक वितरणीय/ भौतिक उत्पादन	प्रस्तावित परिणाम	प्रक्रिया/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	जीवन कला और संस्कृति	42.70	3.00	-	-	प्रचार प्रक्रिया	अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रभाग लोक और परम्परागत नाटकों, नृत्य नाटकों (बैलेट), गीति नाट्य, नृत्य के साथ अभिनयकर्म, लोक और परम्परागत वृत्तांत, कटुतली का तमाशा और यहां तक कि सदियों पुरानी परम्परा के सैकड़ों मदारी के खेल जैसे कई कार्यक्रम आयोजित करता है। ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय थीम जैसे साम्प्रदायिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक धरोहर, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा आदि को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं।		

मुख्य सचिवालय के सूचना स्कंध की स्कीमें

(क) मीडिया इकाइयों सहित सभी तीन क्षेत्रों के लिए नीतिगत अध्ययन, संगोष्ठी, मूल्यांकन आदि
(प्रसार भारती को छोड़कर) (नई योजना)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2016-17		गणना योग्य प्रदेय/ वास्तविक निष्कर्ष	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ घटनाक्रम	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजना बजट	4(ii) पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	मीडिया इकाइयों सहित सभी तीन क्षेत्रों के लिए नीतिगत अध्ययन, संगोष्ठी, मूल्यांकन आदि (प्रसार भारती को छोड़कर) (एमएस)	<ul style="list-style-type: none"> - फिल्म, सूचना एवं प्रसारण के क्षेत्रों में प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित करना । - फिल्म, सूचना एवं प्रसारण के क्षेत्रों के संबंध में नियामक और विकास की नीतियों के प्रभाव का अध्ययन और मूल्यांकन करना । - सेमिनार और कार्यशालाओं में भाग लेना और उनका आयोजन तथा मीडिया एवं मनोरंजन जैसे विषयों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यशालाओं में पेपर प्रस्तुत करना । - मीडिया एवं मनोरंजन के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना । 	0.15	—	<ul style="list-style-type: none"> - एमआईएस का विकास - नीतिगत अध्ययन करना - सेमिनार आयोजित करना - जारी/नई स्कीमों की अनुशंसा/मूल्यांकन (मध्यावधि की अनुशंसा) 	<ul style="list-style-type: none"> i) यह मीडिया एवं मनोरंजन के क्षेत्रों- उसके क्रियाकलाप, विकास की दिशा में आने वाली बाधाओं, विकास में उसके योगदान आदि के विषय में यह मौजूदा ज्ञान के आधार को बढ़ाएगा । ii) यह मंत्रालय स्तर पर नीतिगत निर्णयों को मजबूती देगा । iii) यह पब्लिक डोमेन में सूचनाओं के प्रसार में मदद करेगा । 		

(ख) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण

मीडिया इकाई का नाम : मुख्य सचिवालय

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	परिव्यय (2016-17)	वास्तविक परिणाम	अनुमानित निष्कर्ष	टिप्पणी/जोखिम कारक
1.	मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण	3.00	आईआईएस अधिकारियों को विभिन्न घरेलू और विदेशी प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाएगा।	अधिकारियों की क्षमता और क्षमता निर्माण, कौशल उन्नयन से मीडिया इकाइयों का कुशल संचालन होगा।	कोई विशेष जोखिम नहीं

**(ग) अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम
2016-17 में परिणाम बजट में परिणाम/लक्ष्य**

योजना का नाम : अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना का नाम	परिणाम	भौतिक परिणाम	अनुमानित परिणाम	टिप्पणियां/जोखिम कारक
	अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम	0.15	कार्यशालाओं / सेमिनारों /सम्मेलनों/ प्रशिक्षणों / बैठकों में भागीदारी	मीडिया सहयोग के क्षेत्र में देशों के बीच बेहतर समझ को बढ़ावा देना	विदेश में अधिकारियों की यात्रा निमंत्रण / नामांकन प्राप्त होने और अनुमोदन/ उसी के लिए सक्षम प्राधिकारी के नामांकन के अधीन है

(घ) सोशल मिडिया प्लेटफार्म

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2016-17	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सोशल मीडिया प्लेटफार्म	बड़े प्लेटफार्म पर सोशल मिडिया की उपस्थिति को स्थापित करना।	4.00	1. बड़े प्लेटफार्म पर सोशल मिडिया की उपस्थिति को स्थापित करना। 2. करंट विषय पर मासिक विशेष कार्यक्रम 3. व्यापार और ट्रेकिंग की क्षमता के लिए सोशल मिडिया संचार हब की स्थापना।	लक्षित श्रोताओं के लिए सरकार की उपस्थिति और सीधा हस्तक्षेप। मीडिया प्लेटफार्म 24 घण्टे सक्रियता से कार्य करता है।		

फिल्म क्षेत्र
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2016-17			परिणात्मक प्रदेय/ भौतिक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ टाइम लाइन	टिप्पणी/ जोखिम घटक
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
1	2	3	4			5	6	7	8
			गैर योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	सी बी एफ सी		9.00	4.00	शून्य				
i)	फिल्म आवेदनों एवं प्रमाणनों की प्रोसेसिंग के लिए साफ्टवेयर का विकास, वेबसाइट उन्नयन, हार्डवेयर प्राक्योरमेन्ट	सी बी एफ सी की वेबसाइट तथा इसमें प्रयोग किए जा रहे साफ्टवेयर का उन्नयन आधुनिकतम तकनीक तथा हार्डवेयर के साथ, सी बी एफ सी, मुम्बई तथा इसके अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए भी				1) वेबसाइट तथा प्रयोग किए जा रहे हार्डवेयर का उन्नयन 2) इस उद्देश्य के लिए एक सर्विस प्रोवाइडर चिन्हित करने के लिए प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् प्रमाणन के लिए ऑन लाइन प्रक्रिया लागू करना	1) जनता के लिए इन्टरफेस ऑनलाइन होगा, स्पीड एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए	वार्षिक आधार	

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2016-17			परिणात्मक प्रदेय/ भौतिक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ टाइम लाइन	टिप्पणी/ जोखिम घटक
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
1	2	3	4			5	6	7	8
			गैर योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
ii)	सी बी एफ सी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम तथा डिजिटल थिएटर	चार कार्यालयों के लिए प्रोजेक्शन सिस्टम तथा सभी कार्यालयों के लिए डिजिटल थिएटर का डिजिटलीकरण				प्रमाणन के लिए फिल्मों को देखने के लिए डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम को लागू करना	डिजिटल फिल्मों के इन हाउस प्रोजेक्शन से सी बी एफ सी को अधिक राजस्व प्राप्त करने में मदद मिलेगी साथ ही यात्रा का समय भी बचेगा	वार्षिक आधार	
iii)	सी बी एफ सी, मुम्बई तथा इसके अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अतिरिक्त स्थानों को हासिल करना	मुम्बई तथा इसके अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अतिरिक्त स्थानों को हासिल करना				सी बी एफ सी, मुम्बई तथा इसके अन्य सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अवसंरचना का उन्नयन	एक बेहतर कार्यलय माहौल का निर्माण करना	वार्षिक आधार	

योजना का नाम : मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण (फिल्म मीडिया के लिए एच आर डी)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2016-17			परिणात्मक प्रदेय/ भौतिक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ टाइम लाइन	टिप्पणी/ जोखिम घटक
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
1	2	3	4			5	6	7	8
			गैर योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
ii)	मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण	फिल्मों के प्रमाणन से सम्बन्धित बोर्ड सदस्यों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए कार्यशालाओं/ सेमिनारों का आयोजन इसमें सी बी एफ सी के समूह ए, बी तथा सी अधिकारी शामिल हैं		0.25		बोर्ड सदस्यों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए त्रैमासिक कार्यशालाओं/ सेमिनारों का आयोजन ए. विभिन्न देशों में प्रमाणन से सम्बन्धित रुझानों के बारे में वरिष्ठ इक्जैमिनिंग अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण बी. क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों का भारत एवं विदेशों में विभिन्न संस्थानों में मिडिल लेवल मैनेजमेन्ट मामलों पर प्रशिक्षण सी. इक्जैमिनिंग अधिकारियों के लिए डाक्यूमेन्टरी एपरीसिएशन प्रशिक्षण डी. समूह बी, सी अधिकारियों के लिए लेखा, प्रशासन एवं बजट संबंधी मामलों में प्रशिक्षण	ए. विभिन्न देशों में प्रमाणन से सम्बन्धित रुझानों के बारे में वरिष्ठ इक्जैमिनिंग अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण बी. क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों का भारत एवं विदेशों में विभिन्न संस्थानों में मिडिल लेवल मैनेजमेन्ट मामलों पर प्रशिक्षण सी. इक्जैमिनिंग अधिकारियों के लिए डाक्यूमेन्टरी एपरीसिएशन प्रशिक्षण डी. समूह बी, सी अधिकारियों के लिए लेखा, प्रशासन एवं बजट संबंधी मामलों में प्रशिक्षण		

बाल चित्र समिती, भारत

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम (चालू योजनाएं)	नाम घटक/उद्देश्य/परिणाम	लागत 2016-17 (रुपये करोड़ में)			मात्रात्मक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/जोखिम कारक	
			4(i)	4(ii)	4(iii)					
	1	2	3			4	5	6	7	
			4(i)	4(ii)	4(iii)					
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट स्रोत	वास्तविक परिणाम				
1	<p>क) सीएफएसआई के राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन</p> <p>ख) अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव में भागीदारी</p>	<p>1) उद्देश्य: बच्चों को फिल्म निर्माताओं के रूप में बढ़ावा देना तथा उनके विकास के लिए मंच प्रदान करना।</p> <p>2) बच्चों के बीच विचारों के आदान-प्रदान के जरिये उन्हें देश की विभिन्न संस्कृतियों से परिचित कराना।</p> <p>3) परिणाम: एक राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव और सीएफएसआई फिल्मों की गुणवत्ता का मूल्यांकन।</p>	गैर-योजना बजट	2.60	शून्य	<p>वर्ष 2016-17 में एक राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा</p>	<p>1) फिल्मी दुनिया से बच्चों को परिचित कराना और फिल्म निर्माण में उनकी रुचि पैदा करना।</p> <p>2) बच्चों के बीच विचारों के आदान-प्रदान के जरिये उन्हें देश की विभिन्न संस्कृतियों से परिचित कराना।</p> <p>3) संभावित फिल्मकारों के साथ विपणन और सह निर्माण की संभावनाओं की तलाश करना।</p>	31.12.16	31.3. 2017	चिन्हित विदेशी फिल्म महोत्सवों की उपयुक्तता पर निर्भर

गैर योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम (चालू योजनाएं)	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2016-17 (रुपये करोड़ में)			मात्रात्मक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/जोखिम कारक
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
	1	2	3			4	5	6	7
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट स्रोत	वास्तविक परिणाम	योजनाएं		
1.	स्कूलों में बाल फिल्मों की प्रदर्शनी	1) उद्देश्य: राज्य और जिला प्रशासन, नेहरू युवा केंद्र, गैर सरकारी संगठनों की मदद से देश के बच्चों तक पहुंचना और स्कूलों एवं अन्य स्थानों पर हमारी फिल्मों का प्रदर्शन। 2) परिणाम: लगभग 11760 प्रदर्शनों की व्यवस्था और 35 लाख बच्चों को लाभ प्रदान करना।	शून्य	0.70	शून्य	लगभग 11760 प्रदर्शनों की व्यवस्था और 35 लाख बच्चों को लाभ प्रदान करना	देश के दूरदराज के क्षेत्रों सहित अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचना।	31.03.17	राज्य/जिला अधिकारियों की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर।
		उत्तर पूर्व के लिए आवंटन।		0.40					
		फिल्मों एवं डाक्यूमेंट्री का विभिन्न भारतीय भाषाओं में निर्माण							
2	बच्चों की फिल्मों (सीएफएसआई) का निर्माण।	1) उद्देश्य: फिल्मों के माध्यम से शिक्षा और संस्कृति को आगे बढ़ाना और स्वस्थ मनोरंजन के लिए बच्चों में फिल्म समीक्षा की समझ का विकास करना। 2) परिणाम: 5 फीचर फिल्मों और 2 लघु फिल्मों/एनीमेशन फिल्मों का निर्माण, 12 फिल्मों को प्रमुख भारतीय फिल्मों में डब करना, 7 फिल्मों को सब टाइटिल करना, 2 पुरस्कार विजेता फिल्मों की खरीद करना और फिल्म सर्कुलेशन के लिए 30 प्रिंट बनाना।	शून्य	9.00	1.00	5 फीचर फिल्मों और 2 लघु फिल्मों/ एनीमेशन फिल्मों का निर्माण, 12 फिल्मों को प्रमुख भारतीय फिल्मों में डब करना, 7 फिल्मों को सब टाइटिल करना, 2 पुरस्कार विजेता फिल्मों की खरीद करना और फिल्म सर्कुलेशन के लिए 30 प्रिंट बनाना।	बच्चों की फिल्मों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों पर उपलब्ध कराया जाता है।	31.03.17	बाल फिल्मों की कला की समीक्षा हेतु समझदारी को बढ़ाना और विभिन्न भारतीय भाषाओं में डबिंग/ सब टाइटिल के माध्यम से बाल दर्शकों तक पहुंचना। विशिष्ट क्षेत्र के लिए आवंटन के उद्देश्य के कारण फिल्म प्रस्तावों के चयन की गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता।
		उत्तर पूर्व के लिए आवंटन।		1.00					
	वेतन	वेतन	3.10	-	शून्य				
		कुल	3.10	13.70					

फिल्म समारोह निदेशालय

अंतिम आउटले, अनुमानित भौतिक आउटपुट तथा आउटकम फिल्म समारोह निदेशालय

(करोड़ रुपये में)

गैर योजना

क्र. सं.	योजना का नाम परिणाम	उद्देश्य/ नतीजे	परिव्यय 2016-17			निर्धारित वितरणीय/ भौतिक परिव्यय	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
1	2	3	4			5	6	7	8
			गैर योजना बजट	योजना	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	स्थापना से सम्बंधित व्यय	वेतन, भत्ते, ओ ई, डी.टी.ई आदि	3.52	-	शून्य				
2.	गौण कार्य	सीरी फोर्ट सांस्कृतिक कॉम्पलेक्स का रखरखाव	6.10	-	शून्य	सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में सुविधाओं में निरंतर सुधार के साथ-साथ इस योजना में सीरी फोर्ट सांस्कृतिक परिसर के समग्र परिवेश के उन्नयन, प्रोजेक्शन प्रणाली, ध्वनि तथा प्रकाश के सुधार/ उन्नयन तथा इस प्रकार संचार प्रणाली में सुधार से सम्बंधित	बेहतर रखरखाव के साथ सुविधाओं के उपयोग से प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि का अनुमान है।	एक वर्ष	-
3.	सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के अंतर्गत फिल्म समारोह	समृद्ध भारतीय संस्कृति का विस्तार सम्पूर्ण विश्व में करना तथा भारतीय सिनेमा को पूरे विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करना	0.10		शून्य	भारत तथा विश्व में सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 4 फिल्म समारोहों का आयोजन करना	भारतीय सिनेमा का संवर्द्धन तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान के तहत देशों से सम्बंध मजबूत करना	सी ई पी पूरे वर्ष के दौरान आयोजित किए जाते हैं	-

गैर योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम परिणाम	उद्देश्य/ नतीजे	परिव्यय 2016-17			निर्धारित वितरणीय/ भौतिक परिव्यय	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
4.	राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार	भारत में बनने वाली फिल्मों के लिए राज्य पुरस्कारों की स्थापना के जरिए बेहतर सिनेमा का संवर्द्धन, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान	3.40	-		वर्ष 2015 के लिए 3 मई 2016 को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन तथा 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2016 के लिए जूरी स्क्रीनिंग का आयोजन	भारतीय कला तथा संस्कृति में सुधार करना तथा असाधारण प्रतिभा की पहचान तथा प्रोत्साहन जिससे भारतीय सिनेमा को और बेहतर किया जा सके	एक वर्ष	-
		योग	13.12						

फिल्म समारोह निदेशालय

योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	उद्देश्य/ नतीजे	परिव्यय 2016-17			परिणामात्मक प्रदेय/ भौतिक परिव्यय	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
1	2	3	4			5	6	7	8
			गैर योजना बजट	योजना	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम का उन्नयन (योजना कैपिटल)	सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में सुविधाओं में सुधार जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुविधाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर की हों	-	1.00	शून्य	सिविल तथा इलेक्ट्रिकल कार्यों को समाहित कर उन्नयन कर ऑडिटोरियम काम्प्लेक्स में सुविधाओं में वृद्धि कर समग्र परिवेश में वृद्धि करना	बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराकर यह अनुमानित है कि किराए से आने वाली आय में वृद्धि की जा सकेगी	एक वर्ष	-

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	उद्देश्य/ नतीजे	परिव्यय 2016-17			परिणामात्मक प्रदेय/ भौतिक परिव्यय	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समाबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
1	2	3	4			5	6	7	8
			गैर योजना बजट	योजना	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	सर्वोत्तम भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा का प्रदर्शन	-	6.20	शून्य	नवम्बर, 2016 में गोवा में 47वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन	भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा को एक साथ लाना तथा परिचर्चा के लिए भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के लिए प्लेटफार्म का निर्माण	एक वर्ष	-
2.	भारत तथा विदेशों में फिल्म समारोहों का आयोजन तथा भागीदारी	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भारतीय पैनोरमा खण्ड के लिए फिल्मों का चयन तथा भारत एवं विदेशों में विभिन्न फिल्म समारोहों में भागीदारी	-	2.72	शून्य	भारतीय पैनोरमा 2016 के लिए फिल्मों का चयन तथा 40 फिल्म समारोहों में भागीदारी	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह तथा भारत एवं विदेशों में आयोजित होने वाले अन्य समारोहों में सर्वोत्तम भारतीय सिनेमा का प्रदर्शन किया जाता है।	एक वर्ष	-
	कुल			8.92					

फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान, पुणे

2016-17 (योजना और गैर-योजना) के लिए परिणाम बजट में परिणाम/लक्ष्य

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2016-17 (रु. करोड़ों में)			परिमाणात्मक उत्पाद/ भौतिक उत्पादन	संभावित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
1	2	3	4			5	6	7	8
			गैर योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
(क)	भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे के लिए सहायता अनुदान (गैर-योजना)	गैर-योजना आवंटन का उद्देश्य शिक्षकों, तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों को वेतन और भत्ते का भुगतान करना, ढांचागत उपकरणों का रखरखाव और संस्थान का दिन प्रति दिन का संचालन और परियोजना कार्यों पर खर्च सहित पाठ्यक्रमों को पूरा करना है।	24.66			संकाय, तकनीकी और अन्य कर्मचारियों को वेतन और भत्ते का भुगतान, उपकरण और बुनियादी ढांचे का रखरखाव और शैक्षणिक गतिविधियों एवं संस्थान के संबंधित गतिविधियों के लिए खर्च।	राष्ट्रीय रचनात्मक प्रतिभाओं को टीवी धारावाहिकों, फिल्मों आदि में ऑडियो विजुअल रचनात्मकता के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र प्रदान किए जाएंगे। इससे न केवल युवाओं को बल्कि इस प्रकार के क्षेत्रों में भारत को भी पुरस्कार विजेता प्राप्त होंगे।	व्यय निधियों को विशिष्ट लक्ष्यों के आधार पर खर्च किया जाना है। लक्ष्यों को कम से कम तय शैक्षणिक लक्ष्यों के आधार पर पूरा किया जाना है।	लक्ष्यों को सफलापूर्वक पूरा किया जाना निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।
(ख)	एफटीआईआई, पूणे को अनुदान सहायता - एफटीआईआई को अद्यतन तथा आधुनिकीकरण के लिए गया है।	अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार करना, मौजूदा बुनियादी ढांचे का उन्नयन करना और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक प्रौद्योगिकी हासिल करना है।		20.00		उपकरणों की खरीद आवासीय घरों का निर्माण, कला कार्यशाला, अन्य बुनियादी ढांचागत गतिविधियों के विकास की निविदा प्रक्रिया की योजना/ पूरा करना।	प्रशिक्षण से रचनात्मकता और अन्य कौशल का मूल्य वर्द्धन होता है।	संस्थान द्वारा वार्षिक कार्य योजना पर आधारित समय सीमा का निर्धारण किया गया है और उसका अनुपाल किया जाएगा।	स्कीम के लक्ष्यों की प्राप्ति निधि की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

1	2	3		4		5	6	7	8
									2. रसीद की वैधानिक मंजूरी। 3. संस्थान के नियंत्रण से बाहर अन्य कोई कारक।
(ग)	सहायता अनुदान सामान्य - फिल्म मीडिया के लिए मानव संसाधन।			0.45		छात्रों और शिक्षकों के कौशल विकास के लिए सेमिनार, कार्यशाला और मास्टर कक्षाओं का आयोजन।	आधुनिक प्रौद्योगिकीय चुनौतियों का सामना करने के लिए छात्रों और शिक्षकों का कौशल विकास।	संस्थान द्वारा कैलेंडर पर आधारित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों की रचना।	
		कुल	24.66	20.45					

फिल्म प्रभाग

(गैर-योजना)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2016-17	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्पादन	उत्पादन का मुख्य है लक्ष्य लोगों को सूचित, जागरूक, प्रोत्साहित तथा सांस्कृतिक बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार की जरूरतों के अनुसार वृत्त चित्र, एनिमेशन तथा लघु फिल्मों का निर्माण। देशभर के लोगों तथा संस्थाओं को उनकी जरूरत के अनुसार वीसीडी फॉरमेट में लघु फिल्मों, एनिमेशन, वृत्त चित्र की बिक्री तथा वितरण सुनिश्चित करना।	21.41	36 फिल्मों	सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की सूचना, शिक्षा एवं प्रेरणा तथा महत्वपूर्ण मसलों के बारे में जानकारी का प्रसार होगा।	1.4.2016 से 31.3.2017 तक	अनुमान है कि अधिक से अधिक वृत्त चित्रों का निर्माण होगा। बाहरी निर्माता और इन-हाउस निर्माता इसमें भागीदारी करेंगे। हालांकि निजी एजेंसियां प्रदर्शकों से 1 प्रतिशत से कम किराया ले रही हैं, जोखिम की बात है।
2	थिएटरों में वृत्त चित्रों का वितरण	परिणाम प्रदर्शकों से वसूले जाने वाला किराया होने, राजस्व प्राप्ति सिर्फ स्टॉकशाट्स और वीसीडी आदि की बिक्री से होगी। स्टॉक शाट्स की बिक्री केवल मुंबई स्थित मुख्यालय से होगी।	30.32	4000 थिएटर/ सिनेमा घरों में वितरण		1.4.2016 से 31.3.2017 तक	थिएटरों को वृत्त चित्रों का वितरण
3	प्रशासन	प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य उत्पादन एवं वितरण प्रकोष्ठों की निगरानी करना है। हालांकि, कार्मिकों की परिणति विभिन्न परियोजनाओं और उत्पादन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन में हो रही है।	7.73	फिल्म प्रभाग के कार्यकलापों तथा कार्मिकों के सेवा मामलों के प्रशासन के लिये तथा कार्मिकों का कारगर इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिये उनकी तैनाती	संगठन का कुशल कामकाज	1.4.2015 से 31.3.2016 तक	प्रशासन से संबंधित खर्च
	कुल		59.46				

गैर योजना में व्यय : उत्पादन 36%, वितरण 51%, प्रशासन 13%

**फिल्म प्रभाग
परिणाम बजट 2016-17**

(योजना)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2016-17	भौतिक परिणाम	परियोजना परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयसीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुंबई अंतरराष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु और एनिमेशन फिल्मों महोत्सव	मुख्य उद्देश्य वृत्तचित्र का द्वि-वार्षिक अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, मुंबई में लघु और एनिमेशन फिल्म का आयोजन है, पूर्वोत्तर सहित 12 वीं योजना अवधि में दो फिल्म समारोहों का आयोजन है।	0.0750	28 जनवरी से 3 फरवरी, 2016 के दौरान 14 वें एमआईएफएफ 2016 का संचालन और भारत में विभिन्न स्थानों में एमआईएफएफ 2016 की पुरस्कार विजेता फिल्मों के फेस्टिवल का आयोजन	28 जनवरी से 3 फरवरी तक मिप्फ का आयोजन किया गया। पुरस्कार विजेता की फिल्म	एमआईएफएफ एक द्विवार्षिक फिल्म समारोह है, जिसमें दुनिया भर के फिल्मकारों से प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं और प्रसिद्ध निर्णायक मंडल की सिफारिशों के आधार पर चयनित फिल्मों, निर्देशकों और तकनीशियनों को पुरस्कार के साथ सम्मानित किया जाता है।	अगर अतिरिक्त फंड की आवश्यकता आरई के परियोजना को उल्लेखित होगा
2	फिल्म अभिलेखों की वेबकास्टिंग	भावी पीढ़ी के लिए डिजिटल स्वरूप में अभिलेखीय फिल्मों के फिल्म प्रभाग के संग्रह के संरक्षण और जनता के उपयोग के लिए उन्हें अपलोड करना	1.00	(i) फिल्म प्रभाग की फिल्मों को डिजिटल स्वरूप में फिल्मों का हस्तांतरण और वेबकास्ट। (ii) एसएएन द्वारा संपादित एवं चिंतकित को हुई वस्तु का आर्थिक संग्रहण (iii) ऑन लाइन सर्वर पर फिल्मों का अपलोड (iv) डाटा सेंटर (नागरिक)/विद्युत/हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एएमसी	कार्यशाला पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह सृजनात्मक को बढ़ावा देना है।	1.4.2016 से 31.3.2017	

(योजना)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2016-17	भौतिक परिणाम	प्रस्ताविक परिणाम परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयसीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
3	डॉक्यूमेंट्री निर्माण	देश के फिल्म निर्माताओं के काम का प्रदर्शन और फिल्म निर्माण की प्रतिभा रखने वाले युवाओं की योग्यता का उपयोग करने के लिए। पूर्वोत्तर सहित देश के आगामी प्रतिभावान फिल्म निर्माताओं के लिए अवसर प्रदान करना।	5.00	योजना को अंतिम रूप देने और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त धनराशि दिलाने के लिए।	प्रतिभाशाली निर्माताओं की भागीदारी के साथ देश में लघु फिल्म आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए।	वृत्तचित्र फिल्म प्रस्ताव, अखबार के विज्ञापन और फिल्म्स डिविजन की वेबसाइट पर निमंत्रण के माध्यम से मंगाए गए हैं। प्राप्त प्रस्ताव सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा जांच किए जाते हैं और फिर इनके बारे में एक और लागत समिति द्वारा जांच की जाती है और अंत में फिल्म प्रस्तावों को चुना जाता है। चयनित फिल्मों के निर्देशकों द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किये जाते हैं और इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होता है।	

भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार

2015-16 के परिणाम बजट की रूपरेखा

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ नतीजे	परिव्यय 2016-17			परिणात्मय प्रदेय/ भौतिक आउटपुट	अनुमानित नतीजे	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
1	2	3	4			5	6	7	8
			गैर योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
	नई योजना								
1)	अभिलेखीय फिल्मों तथा फिल्म सामग्री को हासिल करना	संरक्षण के लिए फिल्मों को हासिल किया जाना	शून्य	2.00	शून्य	100 फिल्मों / डी वी डी तथा एन्सीलरी सामग्री को हासिल करना	फिल्मों, एन्सीलरी सामग्री को हासिल करना तथा उनका संरक्षण	2016-17	
2)	जयकर बंगला सहित एन एफ ए आई की अवसंरचना का उन्नयन तथा डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना	वर्तमान अवसंरचना का भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार उन्नयन तथा अभिलेखीय गतिविधियों के बेहतर प्रबंधन हेतु डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना	शून्य	5.00	शून्य	जयकर बंगला के पुनरुद्धार को प्रारंभ करना	अभिलेखीय गतिविधियों के बेहतर प्रबंधन हेतु वर्तमान अवसंरचना का उन्नयन	2016-17	

सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता
परिणाम/लक्ष्य 2016-17 (योजना और गैर-योजना)

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17			निर्धारित/ वितरणीय भौतिक परिव्यय	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम का घटक
			4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
(क)	सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के लिए सहायता अनुदान (गैर-योजना)	गैर-योजना आवंटन का उद्देश्य शिक्षकों, तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों को वेतन और भत्ते का भुगतान करना, ढांचागत उपकरणों का रखरखाव और संस्थान का दिन प्रति दिन का संचालन और परियोजना कार्यों पर खर्च सहित पाठ्यक्रमों को पूरा करना है। फिल्म और टेलीविजन में शिक्षित करने के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करना	13.47			1. लघु फिल्म, वृत्तचित्र, प्ले बैक व डिप्लोमा फिल्म आदि जैसे छात्र परियोजनाओं के लिए पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इन्हें कक्षा शिक्षण के पूरक के तौर पर चलाया जाता है। 2. प्रमुख फिल्मी हस्तियों द्वारा विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। 3. फिल्म निर्माण में आधुनिक प्रवृत्ति और तकनीक के बेहतर प्रदर्शन के लिए स्वदेशी और विदेशी फिल्मों की नियमित प्रदर्शनी भी की जाती है।	राष्ट्रीय रचनात्मक प्रतिभाओं को टीवी धारावाहिकों, फिल्मों आदि में ऑडियो विजुअल रचनात्मकता के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र प्रदान किए जाएंगे। इससे न केवल युवाओं को बल्कि इस प्रकार के क्षेत्रों में भारत को भी पुरस्कार विजेता प्राप्त होंगे।	छात्रों के नए सत्र (सत्र 2015-18 के लिए 13वीं बैच) के लिए नए नामांकन हो चुके हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं बैच के छात्रों के लिए कक्षाएं, कार्यशालाएं और परियोजनाएं साथ-ही-साथ चल रहीं हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान 17 डिप्लोमा फिल्म परियोजनाओं (30 मिनट की अवधि के), 12 प्लेबैक परियोजनाओं, 11 वृत्तचित्रों और 10 लघु फिल्मों की शूटिंग छात्रों द्वारा पूरी की जा चुकी है।	धन की उपलब्धता।

						4. संस्थान, एनालॉग से डिजिटल फिल्म निर्माण के साथ अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम में बदलाव ला रहा है।			
(ख)	एसआरएफटीआई, कोलकाता को अनुदान सहायता, एसआरफटीआई में अवसंरचनात्मक विकास (योजना)	अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार करना, मौजूदा बुनियादी ढांचे का उन्नयन करना और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक प्रौद्योगिकी हासिल करना है।		07.00		अवसंरचना विकास के तहत निर्माण से जुड़ी श्रृंखलाबद्ध गतिविधियों और मौजूदा अवसंरचना व उपकरणों को अद्यतन किया जाना शामिल है। इनमें महिला छात्रावास का निर्माण, कक्षाओं के लिए भवन का निर्माण, संपादन विभाग के लिए नए भवन का निर्माण, नए खंड का निर्माण (प्रथम चरण) मुख्य थिएटर की मरम्मत शामिल है। मौजूदा विभागों के उपकरणों का अद्यतन किया जाना।	प्रशिक्षण से रचनात्मकता और अन्य कौशल का मूल्य वर्द्धन होता है।	(1) निर्माण कार्यों का डिजाइन और नियोजन (2) सिविल निर्माण और बिजली अवस्थापन कार्य (सीसीडब्ल्यू द्वारा निष्पादित किया जाना) (2.1) महिला छात्रावास भवन को पूरा किया जाना (2.2) कक्षा, थिएटर भवन के निर्माण को पूरा किया जाना (2.3) बुनियाद को पूरा किया जाना और नए संपादन भवन के भूतल का निर्माण (2.4) टीवी खंड का डिजाइन और नियोजन तथा उसके निर्माण कार्य की शुरुआत (3) उपकरणों की खरीद और अवस्थापन (4) चरणबद्ध मानव श्रम प्रशिक्षण	1. स्कीम के लक्ष्यों की प्राप्ति निधि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। 2. रसीद की वैधानिक मंजूरी। 3. संस्थान के नियंत्रण से बाहर अन्य कोई कारक।
(ग)	सहायता अनुदान सामान्य - फिल्म मीडिया के लिए मानव संसाधन।			0.30		छात्रों और शिक्षकों के कौशल विकास के लिए सेमिनार, कार्यशाला और मास्टर कक्षाओं का आयोजन।	आधुनिक प्रौद्योगिकीय चुनौतियों का सामना करने के लिए छात्रों और शिक्षकों का कौशल विकास।	संस्थान द्वारा कैलेंडर पर आधारित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों की रचना।	धन की उपलब्धता
		कुल	13.47	7.30					

मुख्य सचिवालय फिल्म विंग योजना
(क) एंटी पायरेसी पर पहल

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17			निर्धारित/ वितरणीय भौतिक परिव्यय	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम का घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	एन्टी पाइरेसी पहल	2वीं योजना के दौरान एक प्रभावशाली और मल्टी मीडिया प्रचार सहित व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाएगा जिसमें फिल्म और संगीत उद्योग के सभी हितधारकों को शामिल किया जायेगा।	—	0.01	—	सार्वजनिक निजी रणनीतियों विशेषकर पाइरेसी से निपटने के लिये मल्टीमीडिया प्रचार की पहल	एंटी पायरेसी के प्रति जागरूकता लाने के लिए पहल	स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप विविध गतिविधियों का आयोजन	

(ख) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ नतीजे	परिव्यय 2016-17			परिणात्मय प्रदेय/ भौतिक आउटपुट	अनुमानित नतीजे	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	राष्ट्रीय फिल्म हेरिटेज मिशन	“राष्ट्रीय फिल्म हेरिटेज मिशन” (एन एफ एच एम) जिसका उद्देश्य फिल्मों तथा फिल्म सामग्रियों को एन एफ ए आई के जरिए संरक्षित, डिजीटाइज तथा जीर्णोद्धार मिशन मोड रूप में करना है।	शून्य	30.00	शून्य	प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट तथा आर एफ पी के लिए सर्विस प्रोवाइडर को चिन्हित करने के उद्देश्य से कन्सलटेन्सी फर्म को नियुक्त करना	“राष्ट्रीय फिल्म हेरिटेज मिशन” का उद्देश्य फिल्मों तथा फिल्म सामग्रियों को एन एफ ए आई के जरिए संरक्षित, डिजीटाइज तथा जीर्णोद्धार	2016-17	टेन्डर प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है

(ग) फिल्म सामग्री का विकास, संचार और प्रसार

(जारी)

फिल्म समारोहों और फिल्म बाजारों के जरिए भारत और विदेशों में भारतीय सिनेमा को बढ़ाना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/ परिणाम	परिव्यय 2016-17			भौतिक परिणाम	लक्षित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समाबद्धताएं	टिप्पणी/ जोखिम तत्व
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
1	2	3	4			5	6	7	8
			गैर योजना बजट	योजना बजट	प्रोत्साहनकारी अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	भारत और विदेशों में फिल्म समारोहों द्वारा भारतीय सिनेमा का प्रचार और प्रसार (योजना -राजस्व)	अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल और बाजार में अच्छी भारतीय फिल्मों का प्रचार। देश में डॉक्यूमेंट्री मूवमेंट, बाल फिल्मों का प्रचार। भारतीय फिल्मों का प्रचार प्रसार	शून्य	16.00	शून्य	संबंधित मीडिया इकाई के अध्याय में समाहित			
2.	विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों का निर्माण	विभिन्न भारतीय भाषाओं की अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों, बाल फिल्मों के निर्माण का प्रचार		16.00					
3.	फिल्म अभिलेखों की वेबकास्टिंग	सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्म डिविजन की अभिलेखीय फिल्मों की वेबकास्टिंग		1.00					
4.	फिल्म अभिलेखों की मिशन	एनएफएआई फिल्म और फिल्म सामग्री का अभिलेखीय उद्देश्य से संकलन करता है		2.00					
5.	फिल्म सुविधा कार्यालय की स्थापना	भारत में फिल्म शूटिंग की सुविधा		4.00		एफएफओ का कार्य लगातार बढ़ रहा है	अधिक से अधिक विदेशी फिल्म निर्माताओं को भारत में फिल्म बनाने के लिए आकर्षित करता है	वित्त वर्ष के दौरान	
				39.00					

(घ) ऐनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/ परिणाम	परिव्यय 2016-17			भौतिक परिणाम	लक्षित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम तत्व
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
1	2	3	4			5	6	7	8
			गैर योजना बजट	योजना बजट	प्रोत्साहनकारी अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	एनीमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स सेक्टर की उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना	श्रमशक्ति की समस्या से जूझने हेतु सार्वजनिक निजी प्रणाली के तहत एनीमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स सेक्टर की उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना	-	5.10	-	आवश्यक स्वीकृति प्राप्ति की कोशिश	आवश्यक स्वीकृति प्राप्ति की कोशिश	-	

(ड.) फिल्म सहायता कार्यालय की स्थापना (एफएफओ)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/ परिणाम	परिव्यय 2016-17			भौतिक परिणाम	लक्षित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम तत्व
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना बजट	प्रोत्साहनकारी अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	भारत और विदेशों में फिल्म समारोह और फिल्म बाजार के द्वारा भारतीय सिनेमा का प्रचार और प्रसार (योजना-राजस्व)	सभी मुख्य फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन को बढ़ावा देना और फिल्म बाजार में भारतीय फिल्मों के लिए अवसर तैयार करना।	-	4.00	-	भारतीय फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात कर निर्माताओं और खरीददारों को एक प्लेटफार्म प्रदान किया गया है। इसमें सह-निर्माता विभिन्न बैनर के तले ऑडियो विजुअल के सह-निर्माता के बीच समझौता होता है। अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल और बाजार में अच्छी भारतीय फिल्मों का प्रचार।	भारतीय फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात कर निर्माताओं और खरीददारों को एक प्लेटफार्म प्रदान किया गया है।	2016-17 के दौरान	

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानिट्रिंग केंद्र

परिणाम बजट 2016-17 (योजना/गैर योजना)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17 (रुपए करोड़ में)			परिमात्रात्मक उत्पादन/भौतिक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	टिप्पणीयां जोखिम/वाले कारक
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
1	2	3	4			5	6	7	8
			गैर योजना बजट	योजना बजट (अनुमोदित) राजस्व	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानिट्रिंग केंद्र (ईएमएमसी) का सुदृढीकरण	ईएमएमसी, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 में निहित व नियम के तहत बनाए गए कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन की निगरानी के लिए स्थापित किया गया है। वर्तमान में 600 टीवी चैनलों की रिकॉर्डिंग की सुविधा है। 12वीं योजना के दौरान इसकी क्षमता को बढ़ाकर 1500 टीवी चैनलों के लिए किया जाना है। केंद्रीकृत एफ/एम और सीआरएस निगरानी तंत्र भी स्थापित किया जाएगा।	1.42	12.00	पूरी तरह से सरकार वित्त पोषित। कोई अतिरिक्त बजटीय संसाधन नहीं।	i) सूचना भवन के 11वीं मंजिल में बदलाव लाना और नेटवर्किंग का काम करवाना ii) 600 टीवी चैनलों की रिकॉर्डिंग और मॉनिटरिंग व्यवस्था को चालू करना iii) 100 निजी एफएम चैनलों में केंद्रीकृत मॉनिटरिंग सुविधा की योजना, डिजाइन और चालू करना iv) 30 सामुदायिक रेडियो स्टेशन में केंद्रीकृत मॉनिटरिंग सुविधा के लिए योजना, डिजाइन और चालू करने के कार्य को अंतिम रूप देना।	यह केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के विधायी कार्य को करने में सक्षम करेगा जिससे नागरिकों को टीवी, एफएम और सामुदायिक रेडियो चैनलों में आपत्तिजनक सामग्री न दिखाई जा सके।	अंतिम सूची इस प्रकार है- i) मार्च 2017 ii) मार्च 2016 iii) मार्च 2017 iv) दिसंबर 2017	एक बहु जातीय/भाषाई समाज में, ईएमएमसी की अत्याधुनिक सुविधा टीवी, एफएम और सीआरएस चैनलों की सामग्री की निगरानी के लिए एक सार्थक उपकरण होगा। योजना का क्रियान्वयन समाज के लिए एक परिसंपत्ति साबित होगा।

वार्षिक योजना 2016-17

अध्याय-II

आकाशवाणी

परिव्यय और परिणाम/लक्ष्य का विवरण (2016-17)

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17	मात्रात्मक लाभ / वास्तविक लाभ	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	टिप्पणियां/ जोखिम वाले कारक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	योजना-1 प्रसार ढांचा नेटवर्क विकास						
1	मौजूदा नेटवर्क का डिजिटलीकरण (पूंजी)	डिजिटलीकरण के माध्यम से प्रसारण, रिकॉर्डिंग की गुणवत्ता और संपर्क में सुधार। डिजिटलीकरण के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त सुविधाओं को किराए पर देकर दक्षता, स्वचालन और अतिरिक्त राजस्व करना।		डिजिटलीकरण के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त सुविधाओं को किराए पर देकर दक्षता, स्वचालन और अतिरिक्त राजस्व करना।			
	मौजूदा नेटवर्क का डिजिटलीकरण (राजस्व)						
1.1	ट्रंसमीटरों का डिजिटलीकरण						
a	मेगावाट ट्रंसमीटर (जारी)		3.86				
	100 किलोवाट -में 11 संख्या। [विजयवाड़ा (अ.प्र.), पटना (बिहार), पणजी (गोवा), रांची (बिहार), मुंबई 'अ' (महाराष्ट्र), मुंबई 'ब' (महाराष्ट्र), पुणे (महाराष्ट्र), तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु), वाराणसी (उत्तर प्रदेश), कोलकाता 'A' (पश्चिम बंगाल), और पासीघाट (10 से 100 किलोवाट से किलोवाट)			पासीघाट स्थित मौजूदा 10 kW MW ट्रंसमीटर की क्षमता बढ़कर 100 kW MW ट्रंसमीटर की हो जाएगी जिसकी 2016-17 में पूरी होने की संभावना है।	प्राप्त सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार होगा। विनिर्माण / सेवा क्षेत्र के रोजगार में वृद्धि होगी। बड़े पैमाने पर डिजिटल रिसेवर के निर्माण से रिसेवर की कीमत में कमी आ सकती है।	Q1: कोलकाता बी में आर/ओ 100 KW MW ट्रंसमीटर का कार्य और भुगतान लंबित, Q1-Q4: आर / ओ पासीघाट में लंबित विभागीय कार्य, फीडर लाइन, एटीयू, जरूरी उन्नयन, आदि और भुगतान, आदि लंबित कार्य पूर्ण।	100KW MW डीआरएम वाले 11 ट्रंसमीटरों में से 10 की मार्च 2016 में पूरा होने की उम्मीद है। डिजिटल सिग्नल की वर्तमान लागत अधिक है।

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17	मात्रात्मक लाभ / वास्तविक लाभ	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम वाले कारक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ii	200 किलोवाट -संख्या में 10 [दिल्ली 'अहमदाबाद (गुजरात), बंगलौर और धारवाड़ (कर्ना.), जबलपुर (मध्य प्रदेश), अजमेर (राज), चेन्नई ए '(तमिलनाडु), सिलीगुड़ी, कोलकाता' बी '(पश्चिम बंगाल] और ईटानगर (200 किलोवाट मेगावाट डीआरएम से 100 किलोवाट मेगावाट का प्रतिस्थापन)			सिलीगुड़ी स्थित 200 KW ट्रांसमीटर का प्रतिस्थापन और इटानगर स्थित मौजूदा 100 kW MW ट्रांसमीटर की क्षमता बढ़कर 200 kW MW ट्रांसमीटर हो जाएगी जिसकी 2016-17 में पूरी होने की संभावना है।	प्राप्त सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार होगा। विनिर्माण/सेवा क्षेत्र के रोजगार में वृद्धि होगी। बड़े पैमाने पर डिजिटल रिसेवर के निर्माण होने से रिसेवर की कीमत में कमी आ सकती है।	Q1: सिलीगुड़ी में आर/ओ 200 KW MW ट्रांसमीटर का कार्य और भुगतान लंबित, Q1-Q4 आर / ओ ईटानगर में लंबित विभागीय कार्य, फीडर लाइन, एटीयू, जरूरी उन्नयन, आदि और भुगतान, आदि लंबित कार्य पूर्ण।	200KW MW डीआरएम वाले 10 ट्रांसमीटरों में 8 के मार्च 2016 में पूरा होने की उम्मीद है डिजिटल सिग्नल की वर्तमान लागत अधिक है।
iii	300 किलोवाट - संख्या-6। [डिब्रूगढ़ (असम), राजकोट (गुजरात), जम्मू (जम्मू-कश्मीर), जालंधर (पंजाब), सूरतगढ़ (राज), लखनऊ (उत्तर प्रदेश)]			डिब्रूगढ़ स्थित 300 KW ट्रांसमीटर का प्रतिस्थापन की 2016-17 में पूरी होने की संभावना है।	प्राप्त सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार होगा। विनिर्माण/सेवा क्षेत्र के रोजगार में वृद्धि होगी। बड़े पैमाने पर डिजिटल रिसेवर के निर्माण होने से रिसेवर की कीमत में कमी आ सकती है।	Q1-Q4 आर / ओ दिब्रूगढ़ में लंबित विभागीय कार्य, फीडर लाइन, एटीयू, जरूरी उन्नयन, आदि और भुगतान, आदि लंबित कार्य पूर्ण।	300 KW MW डीआरएम वाले 6 ट्रांसमीटरों में 5 के मार्च 2016 में पूरा होने की उम्मीद है। डिजिटल सिग्नल की वर्तमान लागत अधिक है।
(b)	एसडब्ल्यू ट्रांसमीटर (कुल)		1.60				
(i)	एसडब्ल्यू ट्रांसमीटर (जारी स्कीम)		1.60				

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17	मात्रात्मक लाभ / वास्तविक लाभ	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम वाले कारक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	एस डब्ल्यू डीआरएम ट्रांसमीटर के 5 एसडब्ल्यू ट्रांसमीटरों का प्रतिस्थापन (दिल्ली में 2, अलीगढ़ में 2, बंगलौर में 1)			2 की संख्या में 100 KW SW डीआरएम ट्रांसमीटर का पुनर्स्थापना और स्थापना 2016-17 में पूरी होने की संभावना है।	प्राप्त सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार होगा। विनिर्माण / सेवा क्षेत्र के रोजगार में वृद्धि होगी। बड़े पैमाने पर डिजिटल रिसेवर के निर्माण होने से रिसेवर की कीमत में कमी आ सकती है।	Q1-Q4 आर / ओ दिब्रूगढ़ में लंबित विभागीय कार्य, फीडर लाइन, एटीयू, जरूरी उन्नयन, आदि और भुगतान, आदि लंबित कार्य पूर्ण।	100 KW MW डीआरएम वाले 2 ट्रांसमीटर दिल्ली में लग चुके हैं। अलीगढ़ SW ट्रांसमीटर परियोजना बाहर की जा चुकी है और बंगलूरु में 500 kW SW ट्रांसमीटर स्थापित और चालू हो चुके हैं।
(ii)	SW ट्रांसमीटर (नई योजना)						
	12वीं योजना के तहत 38 SW ट्रांसमीटरों की प्रतिस्थापन और उन्नयन						
(C)	एफएम ट्रांसमीटर (कुल)		103.53	एफएम ट्रांसमीटर के स्थापना और परीक्षण/शुरुआत 12वीं योजना के तहत चालू परियोजना के 2016-2017 और 2017-18 तक चालू रहने की संभावना है। हालांकि, अमृतसर, चौतनहिल, नौशेरा, आदि जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर एफएम ट्रांसमीटरों के 2016-17 में पूरा होने की उम्मीद है।	प्राप्त सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार होगा। विनिर्माण / सेवा क्षेत्र के रोजगार में वृद्धि होगी। बड़े पैमाने पर डिजिटल रिसेवर के निर्माण होने से रिसेवर की कीमत में कमी आ सकती है।		ट्रांसमीटर और संबंधित उपकरणों की खरीद प्रक्रिया जारी है और ट्रांसमीटरों सहित इन ट्रांसमीटरों की जारी योजनाओं के 2017-2018 में स्थापित किए जाने की उम्मीद है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से कुछ के 2018-2019 तक पूरा होने की उम्मीद है।
	एफएम ट्रांसमीटर (जारी योजना)						

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17	मात्रात्मक लाभ / वास्तविक लाभ	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम वाले कारक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
(i)	एफएम विस्तार योजना (जारी योजनाएं)		18.25	जम्मू-कश्मीर में तीन एफएम ट्रांसमीटरों को छोड़कर, एफएम ट्रांसमीटर के स्थापना और परीक्षण/शुरुआत 12वीं योजना के तहत चालू परियोजना के 2016-2017 तक पूरी होने की संभावना है।			ट्रांसमीटर और संबंधित उपकरणों की खरीद प्रक्रिया जारी है और 2016-2017 में स्थापित किए जाने की उम्मीद है।
	एफएम विस्तार योजनाएं (जारी)			हल्द्वानी, रायबरेली और चंपावत में एफएम ट्रांसमीटर स्थापित करने की परियोजना। (क) हल्द्वानी और चंपावत की साइटों का अधिग्रहण, सी/ओ चारदीवारी और इमारत (ख) रायबरेली में टावर का निर्माण, 20 KW एफएम ट्रांसमीटर की स्थापना। इन सेटअप के 2016-2017 में स्थापित किए जाने की उम्मीद है।			हल्द्वानी और चंपावत में भूमि के अधिग्रहण में देरी की वजह से मौजूदा टीवी साइटों पर एफएम ट्रांसमीटर स्थापित करने पर विचार हो रहा है। रायबरेली में निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है।
				फाजिल्का, अमृतसर, चौतनहिल में एफएम ट्रांसमीटर स्थापित करने की परियोजना (क) उपकरणों की स्थापना और शुरुआत	प्राप्त सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार होगा और यह मोबाइल सेट पर भी उपलब्ध होगा। विनिर्माण / सेवा क्षेत्र के रोजगार में वृद्धि होगी।	Q1-ट्रांसमीटर की शुरुआत और विभागीय काम लंबित है।	अमृतसर में दूरदर्शन का टावर पूरा नहीं हो सका है। अमृतसर में परियोजना के पूरा होने की उम्मीद टावर कार्य के पूरा होने पर है।

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17	मात्रात्मक लाभ / वास्तविक लाभ	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम वाले कारक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				दार्जिलिंग, कूचबिहार, धनबाद, बर्धमान, सूर्यापेट में 10 KW एफएम ट्रांसमीटर की स्थापना। इन स्थानों पर टावरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।		Q1-टावरों के लिए निविदाएं जारी हैं। Q-2-Q3-Q4 टॉवर का निर्माण, एफएम ट्रांसमीटर परियोजनाओं की शुरूआत। सूर्यापेट में निर्माण कार्य।	कार्य स्थलों पर ट्रांसमीटर उपकरण प्राप्त हो गए हैं और टावरों की अनुपलब्धता के कारण अन्य स्थानों के लिए भेज दिया गया है। टावरों के मुद्दों से निपटने और टावरों के निर्माण का अगले वित्तीय वर्ष तक पूरा होने की उम्मीद है।
				देहरादून में 10 KW एफएम ट्रांसमीटर की स्थापना (क) एसटीएल की खरीद और स्थापना (ख) कैप्टिव भू स्टेशन की खरीद	प्राप्त सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार होगा और यह मोबाइल सेट पर भी उपलब्ध होगा। विनिर्माण / सेवा क्षेत्र के रोजगार में वृद्धि होगी।	Q2-Q3-Q4 सीईएस की स्थापना और परीक्षण, एसटीएल की शुरूआत और पूरे सेट अप के लिए सीईएस की शुरूआत का आदेश।	सीईएस की खरीद वर्ष 2016-17 में पूरा होने की उम्मीद है।
				गंगटोक में 10 KW एफएम ट्रांसमीटर और सिलचर में 5 KW एफएम ट्रांसमीटर की स्थापना (क) एसटीएल की खरीद और स्थापना (ख) कैप्टिव भू स्टेशन की खरीद	ट्रांसमीटर और स्टूडियो के बीच सिग्नल गुणवत्ता में डिजिटल मोड में सुधार होगा।	Q-1-एसटीएल की प्राप्ति Q2- उपकरणों की स्थापना और परीक्षण Q3 सेट अप की शुरूआत।	एसटीएल के लिए आर्डर दिया जा चुका है। ट्रांसमीटर की स्थापना हो गई है और परीक्षण/शुरू हो गया है।
				एनईएसपी योजनाओं के तहत 19 स्थानों पर 1 KW एफएम ट्रांसमीटर की स्थापना। टावरों के निर्माण सहित एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना को 2016-2017 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।	प्राप्त सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार होगा और यह मोबाइल सेट पर भी उपलब्ध होगा। विनिर्माण / सेवा क्षेत्र के रोजगार में वृद्धि होगी।	Q1-Q4: एफएम ट्रांसमीटर की चरणबद्ध तरीके से शुरूआत और प्रत्येक तिमाही में 4-5 ट्रांसमीटर को नियमित रूप से ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है।	इन परियोजनाओं में स्थानीय मुद्दों और मुश्किल कार्य परिस्थिति की वजह से देरी हो रही है।

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17	मात्रात्मक लाभ / वास्तविक लाभ	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम वाले कारक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	मौजूदा 24 आकाशवाणी / टीवी साइटों तथा ग्यारहवीं योजना के तहत मौजूदा डीडी/आकाशवाणी के 100 एलपीटी के 100 वाट का विस्तारीकरण।			12 स्थानों पर 5 KW एफएम ट्रांसमीटर की स्थापना (क) ट्रांसमीटर और संबंधित उपकरणों की खरीद। शरू करने की प्रक्रिया चालू	प्राप्त सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार होगा और यह मोबाइल सेट पर भी उपलब्ध होगा। विनिर्माण / सेवा क्षेत्र के रोजगार में वृद्धि होगी।	Q1-Q4: 4-5 स्थानों पर एफएम ट्रांसमीटरों के 2016-17 में पूरा होने की उम्मीद है। एफएम ट्रांसमीटरों को कुछ अन्य स्थानों के लिए भेज दिया गया है और 2016-17 तथा 2017-18 में मूल स्थानों को वापस लाकर स्थापित किया जाएगा।	
ii	एफएम / मेगावाट ट्रांसमीटरों का प्रतिस्थापन						
	ग्यारहवीं योजना के तहत 40 मौजूदा स्टेशनों में उच्च शक्ति के साथ FM/MW का प्रतिस्थापन			7 स्थानों पर 10 KW FM का प्रतिस्थापन और 6 स्थानों पर 1 KW MW के स्थापन पर 10 KW MW की स्थापना। टावर निर्माण और लंबित विभागीय कार्यों सहित इस योजना के तहत सभी परियोजनाओं के 2016-17 में पूरा करने का लक्ष्य है।	प्राप्त सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार होगा और यह मोबाइल सेट पर भी उपलब्ध होगा। विनिर्माण / सेवा क्षेत्र के रोजगार में वृद्धि होगी।		नए टॉवर की योजना से जुड़े निर्माण सहित कई योजनाओं के 2017-18 तक पूरा होने की उम्मीद है
	एफएम ट्रांसमीटर (नई योजना)		85.28				
	18 स्थानों में ट्रांसमीटर के विभिन्न पावर की स्थापना द्वारा एफएम विस्तार प्रस्तावित			प्रक्रिया के तहत ट्रांसमीटरों की खरीद जिसके 2016-17 में प्राप्त होने की उम्मीद है।			

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17	मात्रात्मक लाभ / वास्तविक लाभ	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम वाले कारक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	एलपीटी डीडी के 100 स्थानों में 1 KW एफएम ट्रांसमीटर की स्थापना			धन राशि के आवंटन के साथ व्यय को ध्यान में रखते हुए 23 स्थानों पर 1KW FM के 23 ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए मध्यावधि समीक्षा प्रस्ताव रखा गया है।		योजना को 2017-18 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है	
	बारहवीं योजना के तहत 77 स्थानों और 6 MW ट्रांसमीटरों में FM ट्रांसमीटरों द्वारा दूरस्थ तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में पुराने एफएम ट्रांसमीटरों का प्रतिस्थापन प्रस्तावित।			ट्रांसमीटरों की खरीद प्रक्रिया जारी है और वर्ष 2016-17 में प्राप्त होने की उम्मीद है।	10 KW के 72 एफएम ट्रांसमीटरों की बोली और 5 KW के 14 की शुरुआत तथा खरीद प्रक्रिया जारी।	योजना को 2017-18 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है	
1.2	स्टूडियो और नेटवर्किंग (कुल)		32.43				
(i)	स्टूडियो (जारी योजना)		20.68				
	ग्यारहवीं योजना के तहत 4 स्थानों पर 98 स्टूडियो का डिजिटलीकरण, नेटवर्किंग, आरएनयू का स्वचालन, 7 नए आरएनयू का सृजन, दिल्ली में अभिलेखीय सुविधा का विस्तार।			केंद्रीकृत भंडारण और सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ सर्वर का एसआईटीसी (डाटा सामग्री सर्वर 38 + 10, डिजिटल कार्य केंद्र (643 + 138 + 94), अनुमादित आदेश मूल्य 23.30 करोड़ रुपये		योजना को 2017-18 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है	एनआईटी जारी की जानी है
				कंसोल्ट की अधिप्राप्ति (38 करोड़ का आर्डर)		आदेश के 2017-18 में पूरा होने की संभावना है।	

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17	मात्रात्मक लाभ / वास्तविक लाभ	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम वाले कारक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				स्टूडियो की नेटवर्किंग		योजना को 2017-18 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है	एनआईटी जारी की जानी है
				स्टूडियो का नवीनीकरण		योजना को 2017-18 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है	
	स्टूडियो (नई योजना)						
	बारहवीं योजना के तहत गुवाहाटी में 29 स्टूडियो का डिजिटलीकरण, 1 नए आरएनयू का निर्माण, अभिलेखीय सुविधा का निर्माण तथा स्टूडियो का नवीनीकरण।		11.75	उपकरणों की खरीद जारी है। 2016-17 में प्राप्त होने की उम्मीद है।		आदेश के 2017-18 में पूरा होने की संभावना है।	
1.3	संपर्क		13.58				
(i)	संपर्क (योजना जारी)		11.88				
	82 एसटीएल का प्रतिस्थापन और 35 नए एसटीएल खरीद			योजना को 2017-18 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है	ट्रान्समीटर और स्टूडियो के बीच सिग्नल गुणवत्ता में डिजिटल मोड के तहत सुधार होगा।		
	कैप्टिव भू स्टेशनों की स्थापना			पांच स्थानों पर सीईएस. निविदाएं प्राप्त हो चुकी हैं		योजना को 2017-18 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है	

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17	मात्रात्मक लाभ / वास्तविक लाभ	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम वाले कारक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
ii	कनेक्टिविटी (नई योजना)						
	दूरसंचार सुविधा का विस्तार: 2-पोल का 4 पोल फीड में प्रतिस्थापन- 32 एमसीपीसी द्वारा एससीपीसी 24 डिशों में प्रतिस्थापन - 32		1.70	योजना को 2016-17 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है	वित्तीय बोली शुरू हो गई है और खरीद जारी है		2 पोलों का 4 पोलों के फीड में प्रतिस्थापन में विलंब की वजह से 2017-18 तक हो सकता है
1.4	कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण (संपूर्ण)		0.59				
	प्रशिक्षण की सुविधा का विस्तार (जारी योजना)		0.59				
	क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान सहित एसटीआई (टी) और एसटीआई (पी) का विस्तार।			योजना को 2016-17 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है			
	प्रशिक्षण की सुविधा का विस्तार (नई योजना)						
(b)	दिल्ली और भुवनेश्वर के लिए बारहवीं योजना के तहत DRM + और ट्रांसमीटर सहित डिजिटल प्रसारण उपकरणों की खरीद					योजना को 2017-18 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है	

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17	मात्रात्मक लाभ / वास्तविक लाभ	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम वाले कारक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.5	अनुसंधान एवं विकास का सुदृढ़ीकरण (कुल)	डीआएम/डीआरएम डीवीबी, एफएम, वीएचएफ, यूएचएफ, सी डब्ल्यू आदि जैसे डिजिटल प्रसारण पर प्रचार अध्ययन। डिजिटल प्रसारण के लिए निगरानी प्रणाली विकसित करना। विकास के लिए व्यापक सहभागी	1.50			योजना को 2017-18 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है	
	अनुसंधान एवं विकास का सुदृढ़ीकरण (जारी योजना)	प्रसारण सेवा	1.50	खरीद और विभागीय कार्य जारी है		योजना को 2017-18 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है	
	अनुसंधान एवं विकास का सुदृढ़ीकरण (नई योजना)		-				
	अनुसंधान एवं विकास के लिए 12वीं योजना में नई योजनाएं		-	खरीद और विभागीय कार्य जारी है		योजना को 2017-18 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है	

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17	मात्रात्मक लाभ / वास्तविक लाभ	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम वाले कारक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2	सीमा क्षेत्र का सुदृढीकरण (संपूर्ण)		17.58				
	सीमा क्षेत्र का सुदृढीकरण- जम्मू-कश्मीर (योजना जारी)		17.58				
i	जम्मू एवं कश्मीर में एचपीटी / एलपीटी की स्थापना: - 10 KW के 3 एफएम ट्रांसमीटर और 10 KW के 3 टीवी ट्रांसमीटरों की स्थापना। मौजूदा डीडी साईट पर 10 KW एफएम ट्रांसमीटर की स्थापना मौजूदा आकाशवाणी साईट पर 5 KW के 4 एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना 100 वाट के 4 ट्रांसमीटरों की स्थापना			100 वाट एफएम ट्रांसमीटरों की खरीद (4 संख्या) योजना को 2016-17 में (नौशेरा) पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है राजौरी में 5 KW के 2 टीवी ट्रांसमीटर की खरीद (I) सिविल कार्य की प्रगति (II) 10 KW एफएम ट्रांसमीटर की खरीद (1 + 1) और तीन स्थानों पर डीडी के लिए 10 किलोवाट टीवी ट्रांसमीटर (1 + 1) की खरीद	आदेश जारी हो चुका है	पूर्ण योजना को 2017-18 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है योजना को 2017-18 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है	
	सीमा क्षेत्र का सुदृढीकरण (भारत-नेपाल सीमा (नई योजना)		0.00				
	भारत-नेपाल सीमा (i) भारत-नेपाल सीमा पर एफएम प्रसारण सेटअप, 8 स्थानों में डीडी सेटअप (ii) 2 स्थानों पर निर्माण केंद्र (iii) 2 स्थानों पर अनलिक।			योजना में संशोधन किया गया है। उपकरणों की खरीद के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। उपयुक्तता के लिए साईटों की जांच की जा रही है।		योजना को 2018-19 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है	

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17	मात्रात्मक लाभ / वास्तविक लाभ	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम वाले कारक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3	वैकल्पिक प्लेटफार्मों पर प्रसारण (नई योजना)	आकाशवाणी के चैनलों का उपयोग करने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को सक्षम बनाना,	0.00	योजना को 2016-17 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है	कुछ आकाशवाणी चैनलों का लाइव स्ट्रीमिंग हो गया है। इंटरनेट उपयोगकर्ता आकाशवाणी चैनलों का उपयोग कर सकते हैं।		
4	आधारभूत संरचना का समेकन (संपूर्ण)	गुणवत्ता और प्रसारण स्तर को बढ़ाने के लिए वर्तमान सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ताकि कोर्पोरेट कार्य वातावरण का निर्माण करना। स्टॉफ वेलफेयर की सुविधा प्रदान करना।	2.23				
	आधारभूत संरचना का समेकन (जारी योजना)		2.23	योजना को 2016-17 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है			
	श्रीनगर में छात्रावास आवास सहित गुवाहाटी में कार्यालय निवास / स्टाफ क्वार्टर			श्रीनगर में होस्टल आवास को छोड़कर पूरा (लक्षित 2016-17)			
	आधारभूत संरचना का समेकन (नई योजना)		-				

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17	मात्रात्मक लाभ / वास्तविक लाभ	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम वाले कारक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	दिल्ली और मुंबई में सामुदायिक केंद्र			सीसीडब्ल्यू द्वारा आकलन तैयार किया जा रहा है।		योजना को 2017-18 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है	
	सुरक्षा बाड़ लगाने आदि का सुदृढ़ीकरण			सीसीडब्ल्यू द्वारा आकलन तैयार किया जा रहा है।		योजना को 2017-18 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है	
5	ई-गवर्नेंस (नई योजना)	ऑन लाइन प्रबंधन प्रणालियों पर आधारित नेटवर्क उपलब्ध कराकर मीडिया इकाइयों के लिए जानकारी की तेजी से प्रचार-प्रसार की सुविधा प्रदान करना तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन स्टेशनों के विशाल नेटवर्क वाले प्रबंधन के लिए ईआरपी समाधान। आकाशवाणी के सभी स्टेशनों और शिकायत निवारण प्रणाली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-टेंडरिंग, वेबसाइट की सुविधा प्रदान करना।	0.00	आईटी डिवीजन द्वारा तैयार की जा रही विशिष्टता।		योजना को 2017-18 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है	

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17	मात्रात्मक लाभ / वास्तविक लाभ	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम वाले कारक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	योजना IV: विशेष परियोजनाएं		0.10				
(i)	दिल्ली में सभागार का नवीकरण (नई योजना)	एक सभागार का निर्माण करना क्योंकि आकाशवाणी के पास दिल्ली में कोई भी ऑडिटोरियम नहीं है; आमंत्रित दर्शकों के सामने कार्यक्रमों की व्यवस्था के लिए सुविधा प्रदान करना; बड़े समूहों की भागीदारी के साथ लाइव कार्यक्रम आयोजित करना।	0.10	योजना का अनुमोदन वर्तमान भवन की योजना का सिविल निविदा का नवीनीकरण, अनुमानों की स्वीकृति कार्य आरंभ, एनईटी और उपकरण की प्राप्ति के लिए विशेष विवरण की तैयारी		Q1: योजना का अनुमोदन Q2: अनुमानों की स्वीकृति, विनिर्देशों की तैयारी Q3: सिविल कार्य पर फैसला। Q3: एनआईटी जारी करना, सिविल कार्य की शुरूआत। लक्ष्य: 2017-18	अभी तक योजना को मंजूरी नहीं दी गई है। उच्च लागत के कारण प्रसार भारती ने इस प्रस्ताव में संशोधन किया है। सीसीडब्ल्यू ने संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है।
	कुल (आकाशवाणी)		177.00				

दूरदर्शन: वार्षिक योजना 2016-17

परिव्यय और परिणाम/लक्ष्य का विवरण (2016-17)

(रु. करोड़ में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17	मात्रात्मक लाभ / वास्तविक लाभ	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणियां/ 31-12-15 के अनुसार
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	जारी योजना						
1	ट्रांसमीटरों और स्टूडियो का डिजिटलीकरण		33.00				
	(क) ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण	टैरेस्ट्रियल ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण		डिजिटल एचपीटीएस-21	दर्शक कई टीवी चैनलों को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। ट्रांसमिशन गुणवत्ता में सुधार होगा।	21 डिजिटल एचपीटी के लिए आर्डर देना-तीसरी तिमाही	12 वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार, प्रसार भारती ने 16.10.15 को आयोजित अपनी 129वीं बोर्ड मीटिंग में 63 मूल स्थानों पर डिजिटल ट्रांसमीटरों की स्थापना को मंजूरी दी (यानी 40 (19 + 21)। तदनुसार, 11 वीं योजना के बाकी बचे 21 डिजिटल एचपीटी और की स्थापना और 12 वीं पंचवर्षीय योजना के शेष 23 डिजिटल एचपीटी की स्थापना के लिए कार्रवाई शुरू की जा रही है।
				डीटीएस की नेटवर्किंग के लिए भू केंद्र	क्षेत्रीय डिजिटल ट्रांसमीटरों के लिए कार्यक्रम भरण की सुविधा रखी गई है।	तीसरी तिमाही के लिए आर्डर	जब तक डीवीबी-टी 2 ट्रांसमीटरों के व्यापार मॉडल को प्रसार भारती द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया जाता है तब तक इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इसके अलावा अगली कार्रवाई पंजाब के व्यापार मॉडल को अंतिम रूप देने पर निर्भर है।

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17	मात्रात्मक लाभ / वास्तविक लाभ	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणियां/ 31-12-15 के अनुसार
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	b) स्टूडियो का डिजिटलीकरण	उत्पादन, उत्पादन पश्चात् और संपादन सुविधाओं का पूर्ण डिजीटलीकरण		39 स्टूडियो का पूर्ण डिजिटलीकरण (कैमरा श्रृंखलाओं की खरीद)	कार्यक्रम निर्माण की तकनीकी गुणवत्ता में सुधार होगा	कैमरा श्रृंखलाओं की आपूर्ति और संस्थापना पहली तिमाही	निविदाएं प्राप्त, मूल्यांकन और वाणिज्यिक बोलियां शुरू। खरीद प्रस्ताव को वित्तीय जांच और व्यवस्था के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है।
2	ट्रांसमीटर और स्टूडियो उपकरण का आधुनिकीकरण, वृद्धि और पुराने उपकरणों को बदलना		22.00				
	स्टूडियो उपकरण का आधुनिकीकरण, वृद्धि और पुराने उपकरणों को बदलना	अपनी उपयोगिता पूरी कर चुके उत्पादन संबंधित उपकरणों का तकनीकी अनिवार्यताओं के कारण डिजीटल काउंटर पार्ट के साथ आधुनिकीकरण, वृद्धि और पुराने उपकरणों का बदलना।		बड़े केंद्रों का आधुनिकीकरण (कैमरा श्रृंखलाओं की खरीद)	कार्यक्रम निर्माण की तकनीकी गुणवत्ता में सुधार और मजबूती आएगी।	कैमरा श्रृंखलाओं की आपूर्ति और संस्थापना पहली तिमाही	निविदाएं प्राप्त, मूल्यांकन और वाणिज्यिक बोलियां शुरू। खरीद प्रस्ताव को वित्तीय जांच और व्यवस्था के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है।
	ट्रांसमीटर उपकरण का आधुनिकीकरण, वृद्धि और पुराने उपकरणों को बदलना।	टॉवर का निर्माण		डिब्रूगढ़ में नया टावर	स्थलीय प्रसारण के कवरेज क्षेत्र में वृद्धि होगी।	आर्डर देना-पहली तिमाही	सीसीडब्ल्यू द्वारा एकल निविदा प्राप्त हो गई है और कार्रवाई की जा रही है। टॉवर का ऊंचाई को लेकर आगे की कार्रवाई एचएसीएफ की मंजूरी पर निर्भर है।

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17	मात्रात्मक लाभ / वास्तविक लाभ	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणियां/ 31-12-15 के अनुसार
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3	डीटीएच	देश के दूरदराज, आदिवासी और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए डीटीएच सेट की खरीद	18.00	30,000 डीटीएच सेट की खरीद	दूरदर्शन के डीटीएच सिग्नलों की प्राप्ति के लिए दूरस्थ, आदिवासी और सीमावर्ती क्षेत्रों में डीटीएच सेट का वितरण।	आर्डर देना-पहली तिमाही डीटीएच सेट्स की आपूर्ति- चौथी तिमाही	सीएएस के विस्तारित डीटीएच कार्यान्वयन के बाद 30,000 डीटीएच सेट की खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रसार भारती बोर्ड ने 16.10.15 को आयोजित अपनी 129 वीं बैठक में भारतीय सीएएस वेंडर डाईट, डीडी फ्री डिश में सीएएस के कार्यान्वयन हेतु मैसर्स बाई डिजाइन विक्रेता को मंजूरी दे दी है। भारतीय सीएएस वेंडर, मैसर्स बाई डिजाइन से अनुबंध के लिए पहल की जा चुकी है।
4	ट्रांसमीटर उपकरण का आधुनिकीकरण, वृद्धि और पुराने उपकरणों को बदलना।	अपनी उपयोगिता पूरी कर चुके उपग्रह प्रसारण से संबंधित उपकरणों का तकनीकी अनिवार्यताओं के कारण आधुनिकीकरण, वृद्धि और पुराने उपकरणों के बदल कर डिजिटल उपकरण लगाना। समाचार संग्रह सुविधाओं को मजबूत करना।	10.00	चार भू केंद्रों का उन्नयन	पुरानी हो चुके उपकरण को बदला जाएगा और ट्रांसमिशन के टूटने की संभावना को ध्यान में रखते हुए इसके निराकरण के लिए प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार किया जाएगा।	चार भू केंद्रों का उन्नयन पूर्ण पहली तिमाही	आर एफ उपकरण को छोड़कर सभी भूकेंद्र उपकरणों की चंडीगढ़, हिसार, पणजी और पोर्ट ब्लेयर में स्थापना और परीक्षण कार्य किया गया। आर एफ उपकरण के लिए निविदाएं प्राप्त होने के साथ प्रक्रियाएं जारी हो चुकी हैं और वित्तीय मंजूरी के लिए खरीद प्रस्ताव जमा किए जा चुके हैं।
				गोरखपुर में एक नये भू केंद्र की स्थापना	गोरखपुर में उपग्रह अपलिंकिंग की सुविधा की उपलब्धता में सुधार करने के साथ पूर्वोत्तर सीमावर्ती क्षेत्रों में समाचार योगदान।	आदेश देना, दूसरी तिमाही उपकरण की आपूर्ति और संस्थापना। चौथी तिमाही	भू स्टेशन भवन निर्माण। उप-प्रणालियों के लिए मूल्यांकन के तहत निविदाएं प्राप्त हो गई हैं।
				1 स्थान पर (देहरादून) भू-स्टेशन कंप्रेशन उपकरणों का प्रतिस्थापन	पुरानी हो चुके उपकरण को प्रतिस्थापित किया जाएगा और प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार किया जाएगा।	आदेश देना, दूसरी तिमाही उपकरण की आपूर्ति और संस्थापना। चौथी तिमाही	भवन निर्माण। कंप्रेशन उपकरण के लिए मूल्यांकन के तहत निविदाएं शुरू हो गई हैं

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17	मात्रात्मक लाभ / वास्तविक लाभ	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणियां/ 31-12-15 के अनुसार
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				डीवीबी-S2 आधारित आईआरडी के साथ मौजूदा आईआरडी का प्रतिस्थापन	पुराने हो चुके उपकरण को प्रतिस्थापित किया जाएगा और प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार किया जाएगा।	उपकरण की आपूर्ति पहली तिमाही में	निविदाएं प्राप्त हो गई हैं जिन्हें पहले तकनीकी खामियों के कारण रद्द कर दिया गया था। मूल्यांकन के तहत ताजा निविदाएं शुरू हो चुकी हैं।
				9 नए डीएसएनजी	लाइव प्रसारण के लिए कार्यक्रम अंशदान को मजबूत किया जायेगा।	9 नए डीएसएनजी का आर्डर दिया गया है, तीसरी तिमाही में	निविदाएं प्राप्त हो गई हैं जिन्हें पहले तकनीकी खामियों के कारण रद्द कर दिया गया था। मूल्यांकन के तहत ताजा निविदाएं शुरू हो चुकी हैं। हालांकि, इन्हें तकनीकी कारणों के आधार पर खारिज किया जा सकता है।
5	हाई डेफिनेशन टीवी	HDTV का उत्पादन, उत्पादन के पश्चात सुविधा और ट्रांसमिशन।	15.00	दिल्ली में मल्टी कैमरा मोबाइल उपकरण	एचडी प्रारूप में आउटडोर कार्यक्रम निर्माण को मजबूत किया जायेगा।	आर्डर दिए गए हैं। पहली तिमाही। मल्टी कैमरा मोबाइल उत्पादन इकाई की आपूर्ति - चतुर्थ तिमाही में	पहले के आर्डर तकनीकी कारणों से रद्द हो गए थे। मूल्यांकन के तहत नई निविदाएं प्राप्त हो गई हैं
6	सिविल ढांचागत सुविधाओं का संवर्धन, स्टाफ क्वार्टर और विविध योजना।	स्टाफ के लिए आवास की व्यवस्था। ढांचागत सुविधाओं के विभिन्न केन्द्रों पर सुरक्षा में वृद्धि।	2.00	टॉवर-C इमारत में शेष कार्य	प्रसार भारती सचिवालय के लिए स्थायी कार्यालय।	शेष कार्यों को पूरा करना। पहली तिमाही	कुछ मामूली परिष्करण कार्यों को छोड़कर सभी सिविल कार्य पूरे हो गए हैं। इलेक्ट्रिक कार्य प्रगति पर है। काम के अतिरिक्त क्षेत्र के लिए सीसीडब्ल्यू के संशोधित प्रस्ताव को हाल ही में प्रसार भारती द्वारा अनुमोदित किया गया है।
7	दसवीं योजना की जारी अन्य विविध योजनाएं	11 योजना से पहले मंजूर योजनाओं को पूरा करना	17.00	अमृतसर में 300 मीटर टावर पर एंटीना के साथ डीडी 1 और डीडी (न्यूज) एचपीटी चालू करना।	स्थलीय प्रसारण के कवरेज क्षेत्र में वृद्धि होगी।	बचे हुए टावर का कार्य पूरा और डीडी 1 अन्य डीडी (समाचार) HPTs की कमीशनिंग (पीएमटी सेटअप) - तृतीय और चतुर्थ तिमाही	बाकि टावर कार्यों के लिए, निविदा प्राप्त हो गई है, तकनीकी मूल्यांकन और वाणिज्यिक बोलियां शुरू हो गया है। हालांकि, प्रशासनिक कारणों से निविदा को रद्द कर दिया गया। नई एनआईटी को फिर जारी किया जाएगा।

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17	मात्रात्मक लाभ / वास्तविक लाभ	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणियां/ 31-12-15 के अनुसार
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				एचपीटी महबूबनगर (पीएमटी स्थापित)	स्थलीय प्रसारण के कवरेज क्षेत्र में वृद्धि होगी।	150 मीटर के टावर के लिए आर्डर दिया गया है पहली-तिमाही	सीसीडब्ल्यू द्वारा दो बार निविदाएं प्राप्त होने के साथ भेजी जा चुकी हैं। हालांकि, उच्च दर और कीमतों में मोलभाव होने से निविदाएं रद्द होने से कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल सका। आगे की प्रक्रिया जारी है।
				विभिन्न योजनाओं के 10 वीं योजना के हिस्से के रूप डीडिके के लिए कैमरा श्रृंखलाओं का प्रावधान	कार्यक्रम निर्माण की तकनीकी गुणवत्ता में सुधार होगा	कैमरा चेन की आपूर्ति और स्थापना। पहली- तिमाही	निविदाओं के प्राप्त होने के साथ मूल्यांकन और वाणिज्यिक बोलियां शुरू हो गई हैं। खरीद के प्रस्ताव को वित्तीय जांच और व्यवस्था के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है।
	नई योजना						
1	ट्रांसमीटर उपकरण और स्टूडियो का आधुनिकीकरण, वृद्धि और पुराने उपकरणों को बदलना।	सीपीसी दिल्ली का आधुनिकीकरण	73.00	ऑटोमेटेड प्लेबैक सुविधा	कार्यक्रम निर्माण की तकनीकी गुणवत्ता में सुधार और मजबूती आएगी। सिस्टम की विश्वसनीयता में सुधार होगा।	उपकरणों का आदेश, पहली-तिमाही उपकरणों की आपूर्ति और संस्थापन। तीसरी तिमाही	निविदा प्राप्त चौथा चरण मूल्यांकन जारी
		केंद्रों का आधुनिकीकरण		प्रमुख केंद्रों के लिए स्टूडियो उत्पादन उपकरणों का प्रावधान	कार्यक्रम निर्माण की तकनीकी गुणवत्ता में सुधार और मजबूती आएगी। सिस्टम की विश्वसनीयता में सुधार होगा।	उपकरणों के पार्ट के लिए आर्डर, दूसरी तिमाही उपकरण के हिस्से की आपूर्ति और संस्थापना, तृतीय तिमाही	डिजिटल उत्पादन स्विचर और डिजिटल फोन-इन-कंसोल की खरीद का प्रस्ताव वित्तीय जांच के लिए प्रस्तुत किया गया है। राउटर की निविदाएं शुरू हो गई हैं। अधिकांश उपकरण की विशेषता के लिए विनिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जारी किया जा रहा है।

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17	मात्रात्मक लाभ / वास्तविक लाभ	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणियां/ 31-12-15 के अनुसार
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		समाचार मुख्यालय, दिल्ली में सुविधाओं का उन्नयन		एकीकृत समाचार ऑटोमेशन सिस्टम का प्रतिस्थापन	कार्यक्रम निर्माण की तकनीकी गुणवत्ता में सुधार और मजबूती आएगी। सिस्टम की विश्वसनीयता में सुधार होगा।	उपकरणों के पार्ट के लिए आर्डर, दूसरी तिमाही उपकरण के हिस्से की आपूर्ति और संस्थापना, तृतीय तिमाही	एनआईटी जारी हो चुका है।
2	एचडीटीवी	कोलकाता और चेन्नई में एचडीटीवी स्टूडियो	2.00	एचडी निर्माण के लिए डीडीके कोलकाता, चेन्नई में एक-एक स्टूडियो का उन्नयन	कार्यक्रम निर्माण को HD प्रारूप में बढ़ाया जाएगा।	आर्डर जारी, दूसरी तिमाही उपकरण की आपूर्ति और संस्थापना, चौथी तिमाही	विनिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है
3	उपग्रह प्रसारण उपकरणों का आधुनिकीकरण, वृद्धि और प्रतिस्थापन	दो स्थानों पर भू केंद्र इमारत	4.00	कोहिमा और इंफाल में भू केंद्र की इमारत का निर्माण	स्थायी सेट अप के लिए भू केंद्र इमारत का निर्माण	कोहिमा और इंफाल में इमारत का निर्माण. तीसरी तिमाही	1) सी-बैंड अप कनवर्टर और अतिरेक स्विच के लिए खरीद के प्रस्ताव को वित्तीय जांच के लिए प्रस्तुत किया गया है। 2) देहरादून में और मूल्यांकन के तहत अपरिलंक एंटीना प्रणाली के लिए निविदाएं शुरू हो चुकी हैं। 3) श्रीनगर में और मूल्यांकन के तहत कम्प्रेसन शृंखला के प्रतिस्थापन हेतु निविदाएं प्राप्त हो चुकी हैं।
		पुराने उपकरणों की जगह भू केंद्र उपकरणों का प्रतिस्थापन और विश्वसनीयता प्रणाली में सुधार करना		कम्प्रेसन शृंखला, भू केंद्रों पर आरएफ उपकरण और अपरिलंक पीडीए का प्रतिस्थापन	पुराने हो चुके उपकरणों को प्रतिस्थापित किया जाएगा और सिस्टम की विश्वसनीयता में सुधार किया जाएगा।	आर्डर दिए गए हैं, तीसरी-तिमाही। उपकरण पार्ट की आपूर्ति और स्थापना, चौथी-तिमाही	
				13 स्थानों पर भू केंद्रों का उन्नयन	पुराने हो चुके उपकरणों को प्रतिस्थापित किया जाएगा और सिस्टम की विश्वसनीयता में सुधार किया जाएगा।	आर्डर दिए गए हैं, तीसरी-तिमाही। उपकरण पार्ट की आपूर्ति और स्थापना, चौथी-तिमाही	विनिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17	मात्रात्मक लाभ / वास्तविक लाभ	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणियां/ 31-12-15 के अनुसार
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4	सिविल ढांचागत सुविधाओं का संवर्धन, स्टाफ क्वार्टर और अन्य विविध योजना।	चंडीगढ़ में स्टाफ क्वार्टर	1.00	स्टाफ क्वार्टर का निर्माण	स्टाफ कर्माचारियों के लिए आवास	एसक्यू का निर्माण, पहली-तिमाही	निर्माण पूरा हो गया है। ईंट कार्य, पलस्तर और पाइपलाइन का काम प्रगति पर है।
5	दूरदर्शन के नेटवर्क का डिजिटलाइजेशन	स्थलीय प्रसारण का डिजिटलीकरण	7.00	डिजिटल एचपीटी-23 की खरीद	दर्शक मोबाइल रिसीवर के लिए कई टीवी चैनलों को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। ट्रांसमिशन गुणवत्ता में सुधार होगा।	डिजिटल एचपीटी की खरीद के लिए आदेश जारी तीसरी-तिमाही	23 डिजिटल एचपीटी की स्थापना का कार्य शुरू हो गया है। ट्रांसमीटर उपकरणों के लिए विनिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे जल्द ही इसे जारी किए जाने की संभावना है।
		अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन		दिल्ली में केंद्रीय अभिलेखागार का विस्तार	डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया और विरासत सामग्री के संरक्षण को मजबूत किया जायेगा।	उपकरणों की आपूर्ति, चौथी-तिमाही	प्रसार भारती द्वारा विशिष्टताओं को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। गुंजाइश और विशिष्टताओं को अंतिम रूप देने के बाद परियोजना को शुरू किया जाएगा।
6	ओएफसी कनेक्टिविटी	कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के लिए ओएफसी नेटवर्क के माध्यम से दूरदर्शन केंद्रों को जोड़ना	0.50	चुनिंदा दूरदर्शन केंद्रों को ओएफसी कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ना	स्टूडियो के साथ एचडी कार्यक्रम कंटेनर का आदान-प्रदान	ओएफसी नेटवर्क के माध्यम से चयनित दूरदर्शन केंद्रों को जोड़ने का कार्या पूरा चौथी-तिमाही	इसके प्रयोग को परिभाषित करने के लिए इसकी समीक्षा की जा रही है

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17	मात्रात्मक लाभ / वास्तविक लाभ	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणियां/ 31-12-15 के अनुसार
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
7	सीमा कवरेज को सुदृढ़ करना	सीमा कवरेज को सुदृढ़ करना	5.00	टावर को सुदृढ़ करना (रामेश्वरम में 300 मीटर)	टावर की आय में वृद्धि होगी। अन्य सेवाओं के लिए अतिरिक्त एंटीना रखा जा सकता है।	टावर को सुदृढ़ करना, चौथी-तिमाही	निविदाएं शुरू हो चुकी हैं और जांच के दायरे में
8	डीटीएच	डीटीएच प्लेटफार्म का 250 टीवी चैनल तक उन्नयन करना	3.00	खड़ी इमारत के विस्तार से संबंधित सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य	चैनल क्षमता में वृद्धि होने से और अधिक दर्शकों को टीवी चैनलों की उपलब्धता की सुविधा प्राप्त होगी। ग्राहक आधार भी बढ़ने की उम्मीद है।	इमारत का निर्माण कार्य पूरा, दूसरी-तिमाही	सीसीडब्ल्यू ने निविदाओं और जांच के दायरे को शुरू कर दिया है। जल्द ही स्वीकृति जारी होने की संभावना है।
				डीटीएच प्लेटफार्म का 250 टीवी चैनल तक उन्नयन करना		उपकरण का आर्डर, दूसरी-तिमाही	निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है
9	नई मीडिया प्रौद्योगिकीकरण/वैकल्पिक डिलीवरी प्लेटफार्म	इंटरनेट डिवाइसेस पर दूरदर्शन के चैनल उपलब्ध कराना	0.50	वेबकास्टिंग और सामाग्री वितरण शृंखला	डीडी के कार्यक्रमों का सजीव प्रसारण	वेबकास्टिंग और सीडीएन का कार्य पूरा, चौथी-तिमाही	निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है
क्र.स.	किसान चैनल (कुल)		60.00				
10	किसान चैनल (पूजा)	सीपीसी में तकनीकी सुविधा का विस्तार	8.00	बहु-कैमरा स्टूडियो का निर्माण कार्य	देश भर में किसानों के लाभ हेतु कृषि से संबंधित विभिन्न जानकारी के प्रसार के लिए एक समर्पित चैनल की शुरुआत।	आर्डर देना, पहली-तिमाही उपकरण की आपूर्ति और स्थापना, तीसरी-तिमाही	सभी उपकरणों के लिए निविदाएं शुरू हो गई हैं और विभिन्न चरणों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17	मात्रात्मक लाभ / वास्तविक लाभ	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणियां/ 31-12-15 के अनुसार
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				एकीकृत प्लेआउट सुविधा		आर्डर देना, पहली-तिमाही उपकरण की आपूर्ति और स्थापना, तीसरी-तिमाही	
				सहयोगी निर्माण पश्चात् सुविधा		उपकरण की आपूर्ति और स्थापना, दूसरी-तिमाही	
		18 क्षेत्रीय केंद्रों में तकनीकी सेवा का विस्तारीकरण		इंग्लैंड आधारित फ़ील्ड निर्माण सुविधा		आर्डर देना, तीसरी-तिमाही उपकरण की आपूर्ति और स्थापना, चौथी-तिमाह	विनिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है
				निर्माण पश्चात् सुविधा			
				पूर्वावलोकन सुविधा			
	किसान चैनल (सामाग्री)		52.00				
	कुल राजस्व		52.00				
	कुल पूंजी		221.00				
	कुल डीडी		273.00				

मुख्य सचिवालय प्रसारण विंग योजना
(क) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का निर्माण	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम कारक
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
1	2	3	4	5	6	7	8		
			गैर योजना बजट	योजना	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग	<p>“सामुदायिक रेडियो सहयोग स्कीम”</p> <p>नए और मौजूदा सीआर स्टेशनों को संसाधन, क्षमता और प्रौद्योगिकी के साथ मजबूत बनाना, जिससे उनकी सामुदायिक जिम्मेदारियों को पूरा किया जा सके</p> <p>“सामुदायिक रेडियो के लिए आईईसी गतिविधियां”</p> <p>गैर सरकारी संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों में नीति, नए और मौजूदा सीआरएस की क्षमता निर्माण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सहकर्मियों के मूल्यांकन, श्रोता सर्वेक्षण और प्रभाव अध्ययन आदि का संचालन करना</p>	शून्य	4.00	शून्य	<p>1) हर वर्ष 100 नए सीआरएस और 30 मौजूदा सीआरएस को समर्थन प्रदान करना</p> <p>2) वर्ष 2008 से अब तक 63 जागरूकता एवं क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का देश भर में आयोजन किया गया है</p> <p>3) अब तक 5 राष्ट्रीय सम्मेलन, 4 क्षेत्रीय सम्मेलन और 2 सहकर्मि समीक्षाएं आयोजित की गई हैं</p>	<p>सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या में वृद्धि की जाएगी</p> <p>शिक्षा स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जागरूकता, समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक समरूपता के जरिए सामुदायिक विकास</p>	<p>चालू सामुदायिक रेडियो स्टेशनों और न्यू सीआरएस आवेदकों के लिए वित्तीय सहायता</p> <p>1) वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 8 जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा</p> <p>2) छठें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और सीआर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे</p> <p>3) 2 क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा।</p> <p>4) भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के श्रोतागण, पहुंच और प्रभाव पर परामर्श एजेंसी (सीए) के माध्यम से सर्वेक्षण/अध्ययन किए जाएंगे</p> <p>5) भारत भर में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की क्षमता निर्माण के लिए संगठनों की मदद ली जाएगी</p>	

(ख) प्रसारण शाखा का स्वचालितीकरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का निर्माण	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17			मात्रात्मक लाभ/वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणी/जोखिम कारक
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
1	2	3	4			5	6	7	8
			गैर योजना बजट	योजना	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	प्रसारण शाखा का स्वचालितीकरण	मंजूरी देने की प्रक्रिया दुरुस्त करना और इसे पारदर्शी बनाना।	शून्य	4.50	शून्य	टीवी चैनल, सीआरएस, एमएसओ लाइसेंस और एफएम की अनुमति देने की समस्त प्रक्रिया को स्वचालित बनाना।	टीवी चैनल, सीआरएस, एमएसओ लाइसेंस और एफएम की अनुमति देने में पारदर्शिता, दक्षता लाना और त्वरित निपटारा करना।	एक वर्ष	कार्यान्वयन एजेंसी यथा बेसिल के साथ अंतिम रूप देने के बाद आर.ई. अवस्था में अनुमानित व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है।

(ग) मिशन डिजीटलाइजेशन

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का निर्माण	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम कारक
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
1	2	3	4			5	6	7	8
			गैर योजना बजट	योजना	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	“मिशन डिजीटलाइजेशन”	देश में केबिल टी वी डिजीटलाइजेशन के तीसरे एवं चौथे चरण को पूरा करना	शून्य	5.00	शून्य	मंत्रालय की सलाह से बेसिल ने विभिन्न गतिविधियों पर प्रोजेक्ट के स्कोप के अनुसार कार्यवाही की है। इसमें दिल्ली में एक मुख्यालय के साथ साथ देश में 11 क्षेत्रीय इकाइयों की स्थापना है। टोल फ्री हेल्पलाइन (बहुभाषी) संख्या 18001804343 को प्रारम्भ किया जा चुका है। एस टी वी के सीडिंग स्टेटस से सम्बंधित आंकड़ों के संग्रहण के लिए एम आई एस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का विकास कर इसे परिचालित किया जा चुका है। राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों की दो कार्यशालाएं दिल्ली में 3.6.2015 तथा 3.11.2015 को आयोजित हुईं। 3.11.2015 को आयोजित	- एम एस ओ से आंकड़ों का संग्रहण - केबिल टी वी डिजीटलाइजेशन के बारे में जागरूकता का विस्तार करने के लिए राज्य सरकारों एवं एम एस ओ के साथ समन्वय। - एस टी वी तथा अन्य सम्बन्धित गतिविधियों की प्रभावकारी निगरानी।	तीसरे चरण को पूरा किया जा चुका है तथा चौथा चरण 31.12.2016 तक पूरा किया जाने का लक्ष्य है।	तीसरे चरण में केबिल टी वी डिजीटलाइजेशन की डेडलाइन में एक्सटेन्सन के सम्बंध में कुछ स्टेक होल्डरों ने न्यायालय में मामले फाइल किए हैं।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का निर्माण	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17			मात्रात्मक लाभ/वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणी/जोखिम कारक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
						बैठक की अध्यक्षता सचिव (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय) द्वारा की गई। केबिल टी वी डिजीटलाइजेशन पर मंत्रालय ने 11 क्षेत्रीय कार्यशालाएं चंडीगढ़, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, शिलांग, जयपुर, हैदराबाद, पुणे, भुवनेश्वर, बैंगलुरु तथा पटना में आयोजित की। इसमें राज्य तथा जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों तथा एम एस ओ को केबिल टी वी डिजीटलाइजेशन में उनकी भूमिका से अवगत कराने पर चर्चा हुई।			

अध्याय-3

सुधार, उपाय तथा नीतिगत पहल

सूचना क्षेत्र

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

सुधार उपाय तथा नीतिगत पहल

3.1 **परिचय:** पारदर्शिता, सशक्तिकरण, विकेंद्रीकरण, और सरकारी-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए डीएवीपी के सुधार और नीतिगत उपाय नीचे दिए गए हैं। सुधारों और उपायों का लक्ष्य 'सबका साथ सबका विकास', 'साल एक शुरुआत अनेक', जन धन खातों, मुद्रा बैंक, जैसे कार्यक्रमों के जरिए 'सामाजिक-आर्थिक उत्थान', वित्तीय समावेशन, आतंकवादी-विरोधी, साम्प्रदायिक सद्भाव और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में प्रदर्शनियों, समाचारपत्रों, उपग्रह टीवी चैनलों, रेडियो, डिजिटल सिनेमा, बाह्य प्रचार माध्यमों और मुद्रित प्रचार सामग्री आदि के जरिए कार्यक्रमों/स्कीमों का प्रचार करने के लिए भारत सरकार की नोडल विज्ञापन एजेंसी के रूप में विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) की भूमिका को सुदृढ़ बनाना है।

3.2 **मीडिया-सूची सॉफ्टवेयर का निर्माण:** समाचारपत्रों को व्यवस्थित ढंग से विज्ञापन जारी करने के लिए, विभाग के स्तर पर सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है, जो विभिन्न मानदंड, जैसे सर्कुलेशन (प्रसार संख्या), लागत, और अभी तक समावेशनों की संख्या आदि के आधार पर विज्ञापन आवंटित करेगा।

3.3 **इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भुगतान जारी करना:** भुगतानों की गति में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए, डीएवीपी अपने सभी प्रकार के भुगतान एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फाइल ट्रांसफर सिस्टम के जरिए कर रहा है। बिलों की स्थिति की जांच वेबसाइट www.davp.nic.in पर की जा सकती है।

3.4 **श्रव्य-दृश्य और नए मीडिया विंग के लिए उच्च स्तरीय समिति की स्थापना:** टीवी, रेडियो चैनलों और नए मीडिया प्लेटफार्मों का पैनल बनाने के लिए दिशा-निर्देशों की अनुशंसा करने हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

3.5 **नए माध्यम:** हाल के वर्षों में तीव्र प्रौद्योगिकी विषयक प्रगति के कारण नए प्रचार माध्यमों का उदय हुआ है। डीएवीपी ने इन विकासमान 'नए माध्यमों' के साथ गति बनाए रखने का प्रयास किया है ताकि ग्राहक मंत्रालय समूचे स्पेक्ट्रम में अपनी पसंद के संचार प्लेटफार्म प्राप्त कर सकें। डीएवीपी के नए प्रचार माध्यमों में निम्नांकित शामिल हैं:

डिजिटल सिनेमा - वर्तमान पैनल जून 2014 में तैयार किया गया था। इसमें 9 डिजिटल सिनेमा एजेंसियां शामिल हैं, जिनके देश भर में 8418 पर्दे हैं। डिजिटल सिनेमा एजेंसियों को सूचीबद्ध करने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जनवरी, 2014 से प्रभावी हुए हैं।

इंटरनेट विज्ञापन - प्रायोगिक परियोजना के आधार पर 41 वेबसाइट पैनल में शामिल की गईं। इंटरनेट विज्ञापन के लिए पैनल बनाने और दरें निर्धारित करने के लिए 03 अप्रैल, 2013 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में ईएसी यानी प्रभाव मूल्यांकन समिति का गठन किया गया।

बल्क एसएमएस - डीएवीपी ने जून 2013 में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में 9 बल्क एसएमएस एजेंसियों को पैनल में शामिल किया। इस पैनल का विस्तार 20 मार्च, 2016 तक किया गया है। बल्क एसएमएस सेवा के अंतर्गत सफलतापूर्वक वितरित प्रत्येक एसएमएस के लिए 6.3 पैसे की दर निर्धारित की गई है। दर का निर्धारण खुली बोली प्रक्रिया के जरिए किया गया।

3.6 **सरकारी-निजी भागीदारी:** अन्य क्षेत्र जिसमें एक प्रमुख पहल की गई, रचनात्मकता से संबद्ध था, चाहे वह प्रिंट हो या श्रव्य-दृश्य। डीएवीपी द्वारा रिकॉर्ड संख्या में प्राइवेट एजेंसियों को सूचीबद्ध किया गया, ताकि वे डीएवीपी की भागीदारी के साथ ग्राहक मंत्रालयों के लिए रचनात्मक डिजाइन तैयार कर सकें। बहु-प्रचार माध्यम अभियानों के लिए, ए श्रेणी में 18, बी श्रेणी में 3 और सी श्रेणी में 34 एजेंसियां सूचीबद्ध की गईं। प्रिंट रचनात्मक डिजाइनों के लिए 116 एजेंसियां सूचीबद्ध की गईं। प्रोग्रामर्स और डाटा एंट्री आपरेटरों का काम एक प्राइवेट कंपनी को सौंपते हुए आउटसोर्सिंग में और भी इजाफा किया गया।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, मानव श्रम को युक्तिसंगत बनाकर अपनी क्षमता में सुधार के लिए जनशक्ति को पुनर्गठित, पुनर्निर्मित और युक्तिकरण की प्रक्रिया में लगी हुई है। अब जोर आदिवासी, सीमा, दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों की तरह सूचना माध्यमों से वंचित लोगों के लिए उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने पर है।

पारदर्शिता के लिए, निदेशालय का एक वेबसाइट है जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

भारतीय जनसंचार संस्थान

संस्थान की प्रमुख गतिविधियों में युवाओं को, जो विविध मीडिया संस्थानों से जुड़ने की आकांक्षा रखते हैं, को आवश्यक बुनियादी कौशल/तकनीक से लैस करना और क्षेत्र के विभिन्न आयामों की अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। संस्थान का एक प्रयास अपने विद्यार्थियों को समाज के उपयोगी सदस्य के रूप में विकसित करना है। यह पाया गया है कि आम तौर पर आईआईएमसी के विभिन्न स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स में 60% महिलाएं दाखिला लेती हैं, इस प्रकार भारत में मीडिया और संचार के क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तीकरण का लक्ष्य भी पूरा हो रहा है।

विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईआईएमसी ने आइजोल (मिजोरम), अमरावती (महाराष्ट्र), जम्मू (जम्मू-कश्मीर) और कोट्टायम (केरल) में 4 नए क्षेत्रीय केंद्र शुरू किए हैं। ये केंद्र संस्थान के ढेंकनाल (ओड़िशा) और नई दिल्ली में स्थित मुख्यालय के अतिरिक्त हैं।

देश भर में 19 केंद्रों पर एक अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के संचालन के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है और लिखित परीक्षा के सभी परिणाम, साक्षात्कार और अंतिम सूची को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

फोटो प्रभाग

फोटो प्रभाग का प्राथमिक कार्य देश में वृद्धि एवं विकास और राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनों को फोटोग्राफिक रूप में प्रलेखित करना तथा विभिन्न सरकारी संगठनों को विजुवल्स/फोटोग्राफ प्रदान करना है। प्रभाग प्रति संदर्भ के लिए एक मंच तैयार करने के लिए चित्रों को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करता है ताकि चित्र अन्वेषक, अनुसंधानकर्ता और संगठन तथा एजेंसियां फोटो प्रभाग के अभिलेखागार में उपलब्ध चित्रों को एक्सेस कर सकें। पूर्वोत्तर क्षेत्र और अलग-थलग स्थानों जैसे जम्मू-कश्मीर, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में विकास गतिविधियों के दृश्य प्रलेखन के लिए योजना कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष अभियान शुरू किया गया। डिजिटल लाइब्रेरी प्रणाली को अधिक कारगर बनाने और दीर्घावधि तक डिजिटल चित्रों को संरक्षित करने की एक प्रणाली कायम करने के लिए उपाय शुरू किए गए हैं। फोटो प्रभाग की स्वर्ण जयंती

मनाने के अवसर पर, प्रभाग ने देश के विशिष्ट फोटोग्राफरों के लिए लाइफटाइम उपलब्धि पुरस्कारों की शुरुआत की थी। यह सिलसिला जारी है और लाइफटाइम उपलब्धि पुरस्कार के साथ व्यावसायिक और अव्यावसायिक श्रेणी में राष्ट्रीय फोटो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

भारतीय प्रेस परिषद

अर्ध न्यायिक निकाय होने के नाते और नैतिक मानदंडों को संरक्षित करने के लिए प्रेस परिषद ने सुधारात्मक और नीतिगत उपाय किए ताकि अपनी नियमित निम्नांकित गतिविधियों को बढ़ावा दे सके:-

1. सुधार के उपाय

क) प्रेस परिषद अधिनियम में संशोधन के प्रस्तावों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सक्रियता से विचार विमर्श किया जा रहा है। इन प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिए, एक दूरगामी निर्णय के अंतर्गत, प्रेस परिषद के अधिकार क्षेत्र अर्थात् मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में, परिषद ने पत्रकारों पर हमलों/अतिक्रमणों के मामलों में भी संज्ञान लेने का नीतिगत निर्णय किया।

“यह संकल्प किया जाता है कि परिषद किसी भी श्रमजीवी पत्रकार पर घातक या अन्य, सभी प्रकार के हमलों के मामले में कार्रवाई करेगी, क्योंकि परिषद को प्रेस की स्वतंत्रता का काम सौंपा गया है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, भले ही वह किसी भी प्लेटफॉर्म/पत्रकारिता के स्वरूप से सम्बद्ध क्यों न हो”।

ख) कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता की आवश्यकता महसूस करते हुए परिषद समाचार पत्रों से शुल्क वसूली के जरिए राजस्व एकत्र करती है। परिषद ने सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है कि प्रसार संख्या के आधार पर समाचार पत्रों के लिए अधिसूचित शुल्क की दरों में संशोधन किया जाए। इसके अतिरिक्त छोटे अखबारों के वित्तीय दबावों को महसूस करते हुए सरकार से अनुशंसा की गई है कि 25 हजार से कम प्रतियों वाले अखबारों को शुल्क के भुगतान से पूरी तरह मुक्त किया जाए जबकि परिषद उनके हितों की रक्षा करना और उन्हें संवर्धित करना जारी रखेगी।

ग) पिछले 30 वर्षों के शुल्क की बकाया राशियों पर चिंता प्रकट करते हुए, परिषद ने निर्णय किया है कि चूंकि आर.एन.आई. उन अखबारों का ब्यौरा उपलब्ध कराने में विफल रहा है, जो इस अवधि में बंद हो गए, अतः यह मान लिया जाएगा कि जिन अखबारों ने पिछले पांच वर्षों से आर.एन.आई. के साथ अपनी वार्षिक विवरणी नहीं भरी है, वे बंद हो गए हैं, और उनके नाम पर बकाया राशि बट्टे खाते डाल दी जाएगी। ऐसे अखबारों का ब्यौरा आर.एन.आई., डीएवीपी और राज्य सूचना विभागों से साझा करने को कहा जा रहा है ताकि वे अपने स्तर पर जानकारी अद्यतन कर सकें।

घ) **भारत की रैंकिंग** - वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स यानी विश्व में स्वतंत्रता सूचकांक के अंतर्गत भारत की वरीयता 140 निर्धारित किए जाने को देखते हुए परिषद ने इस मामले को पेरिस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बार्डर्स नामक संगठन के साथ उठाया। इस संगठन से यह जानकारी मांगी गई है कि वह अपनी राय के आधार से अवगत कराए। परिषद का यह मानना है कि यह रैंकिंग व्यक्तिगत/व्यक्तियों के समूह की धारणा पर आधारित लगती है, सांख्यिकीय आंकड़ों पर आधारित नहीं है। रिमाइंडर भेजने के बावजूद पेरिस स्थित संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बार्डर्स के महासचिव से कोई उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

2. पारदर्शिता

क) आरटीआई अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन और अद्यतन परिपत्रों/सूचना के साथ अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराना।

ख) विवाचनों, विभिन्न मुद्दों से संबंधित उप-समितियों की रिपोर्टों और वेबसाइट पर अन्य उपायों/कार्रवाई को अद्यतन बनाना।

ग) सार्वजनिक क्षेत्र होने के नाते परिषद में सतर्कता/शिकायत निवारण व्यवस्था/नागरिक घोषणा पत्र की स्थापना।

3. 9, रफी मार्ग नई दिल्ली - 110001 पर पीसीआई और यूएनआई के लिए संयुक्त रूप से भवन का निर्माण

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय प्रेस परिषद और युनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया को 9, रफी मार्ग पर संयुक्त रूप से 5289.59 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन की जानकारी सन 2000 में प्रदान की थी, ताकि वह अपने भवन का निर्माण कर सके। मंत्रालय ने 5289.59 वर्ग मीटर जमीन का कब्जा “जैसी है जहां है” आधार पर संयुक्त भवन के निर्माण के लिए 28.04.2015 को इन संगठनों को सौंप दिया था। इसे वर्तमान में बंगला संख्या 9, रफी मार्ग के नाम से जाना जाता है। भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा।

यह मामला सभी सम्बद्ध पक्षों के सक्रिय विचाराधीन है।

4. राजभाषा - हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करना:

परिषद ने अपने कार्यालयी इस्तेमाल में हिंदी के प्रचार पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। स्टाफ के सभी सदस्य राजभाषा नियम 1976 की धारा 10(4) के अंतर्गत पहले ही हिंदी की कार्यसाधक जानकारी रखने वालों के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं और उन्हें हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आलोच्य अवधि के दौरान एक अनिवार्य कार्यशाला और अन्य तिमाही कार्यशालाएं आयोजित की गईं ताकि कर्मचारियों को राजभाषा संबंधी जानकारी प्रदान की जा सके।

परिषद के अधिनिर्णय और अन्य घोषणाएं द्विभाषी रूप में तैयार की गईं और सार्वजनिक क्षेत्र में प्रकाशित की गईं।

5. स्वयं संज्ञान लेना

क) मानहानिकारक आरोपण - प्रेस की स्वतंत्रता के हनन के बारे में रा.रा. क्षेत्र दिल्ली द्वारा दिनांक 06.05.2015 को जारी परिपत्र पर स्वयं संज्ञान लेना:

विभिन्न समाचार पत्रों में छपी खबरों और “रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रियों और विभिन्न पदाधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 499/500 के अंतर्गत कवर होने वाले मानहानिकारक आरोपण की घटनाओं से निपटने के लिए” रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 06.05.2015 का संज्ञान लेते हुए, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को उक्त परिपत्र जारी करने के लिए अपेक्षित कारण, परिस्थितियों और आवश्यकता बताने के लिए बुलाया गया। बाद में दिल्ली सरकार द्वारा परिपत्र को वापस लेने से समिति संतुष्ट हो गई।

ख) बम्बई उच्च न्यायालय की व्यवस्था को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार द्वारा राजद्रोह के बारे में जारी परिपत्र पर स्वयं संज्ञान लेना:

महाराष्ट्र सरकार से दिनांक 11.09.2015 को अनुरोध किया गया कि वह उपरोक्त परिपत्र जारी करने के कारण, परिस्थिति और आवश्यकता की जानकारी दे। इसके बाद भारत सरकार द्वारा परिपत्र को वापस ले लिया गया।

ग) असम राइफल्स द्वारा नगालैंड मीडिया के बारे में जारी अधिसूचना के संबंध में स्वयं संज्ञान लेना:

असम राइफल्स ने 24.10.2015 को एक अधिसूचना जारी करते हुए समाचार पत्रों पर प्रतिबंधित गुटों के विज्ञापनों/समाचारों/पत्रों को प्रकाशित करने की रोक लगाई। राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ब्लैक सम्पादकीय प्रकाशित किए गए। परिषद ने 11.12.2015 को गुवाहाटी में अपनी विशेष बैठक में इस मामले पर विचार किया। इसमें लिए गए निर्णय के अनुसार इस मुद्दे पर विचार करने और उसका समाधान करने के लिए सम्पादकों, नगालैंड सरकार और असम राइफल्स के प्रतिनिधियों की 14.01.2016 को दीमापुर में बैठक हुई। बैठक में नगालैंड पेज, मोरंग एक्सप्रेस और ईस्टर्न मिरर के सम्पादकों, और असम राइफल्स (उत्तर) के महानिरीक्षक और असम राइफल्स (उत्तर) के कर्नल जनरल स्टाफ हेड क्वार्टर्स इंस्पेक्टर जनरल ने हिस्सा लिया। नगालैंड सरकार से कोई प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं था, परंतु उसमें स्वतंत्र और मुक्त विचार-विमर्श तथा रचनात्मक विचारों का आदान प्रदान किया गया।

बाद में एक संयुक्त बयान तैयार किया गया, जिस पर उपस्थित प्रतिभागियों ने सहमति व्यक्त की और हस्ताक्षर किए।

अगस्त 2015 से जनवरी 2016 के बीच प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति खतरे से संबंधित 15 अन्य घटनाओं का परिषद द्वारा स्वयं संज्ञान लिया गया।

6. उप समितियों/तथ्य तलाश करने वाली टीमों की रिपोर्टें:

क) पत्रकारों की सुरक्षा के बारे में रिपोर्ट

ख) शाहजहांपुर में पत्रकार श्री जोगेंद्र सिंह की हत्या के संबंध में

ग) राज्य सरकार के प्रेस सम्मेलन में साक्षी और नमस्ते तेलंगाना के पत्रकारों को पहुंचने से रोकने के बारे में रिपोर्ट

घ) ओडिशा राज्य के बारे में विज्ञापन जारी करने के मुद्दे की जांच संबंधी उप समिति की रिपोर्ट

ड.) आंध्र प्रदेश में अज्ञात हमलावरों द्वारा अलग अलग हमलों में नवम्बर 2014 और जनवरी 2015 में क्रमशः आंध्र प्रभा दैनिक के अंशकालिक संवाददाता एम.एन.वी. शंकर की हत्या और क्राइम टुडे के सम्पादक श्री जी. स्टीफन बाबू पर हमले के बारे में खबर।

7. परिषद को सौंपे गए मामले

क) मेघालय के मुख्यमंत्री के बहिष्कार के बारे में परिषद को भेजे गए एक मामले की ओर परिषद का ध्यान आकर्षित किया गया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में टिप्पणी की थी कि पत्रकार और प्रकाशन गृह आतंकवादियों और उनके गिरोहों को आश्रय और प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं, जिसके बाद उनका बहिष्कार किया गया था। इस मामले में परिषद ने स्वयं संज्ञान को स्वीकार नहीं किया, और यह राय जाहिर की कि मुख्यमंत्री ने कथित बयान विधानसभा के पटल पर दिया था जहां उन्हें बयान के संदर्भ में किसी कार्रवाई से छूट प्राप्त है।

ख) भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने आईआरडीएआई के नियमों के अंतर्गत एक मीडिया संस्था द्वारा किए गए आवेदन पर विचार करने के दौरान, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से उक्त मीडिया संस्था के बारे में सुनवाई, कार्रवाइयों और दंडों के बारे में जानकारी मांगी। परिषद ने आईआरडीएआई के साथ सहयोग किया और तत्संबंधी अधिनिर्णयों से अवगत कराया।

ग) पत्रकारों की सुरक्षा के बारे में रिपोर्ट

परिषद ने नई दिल्ली में अपनी 07.08.2015 की बैठक में “पत्रकारों की सुरक्षा” और शाहजहांपुर में एक पत्रकार – श्री जोगेंद्र सिंह की हत्या की जांच कर रही तथ्य अन्वेषण टीम के बारे में एक उप समिति की अनुसंशाओं के बारे में विचार किया।

परिषद द्वारा 09.10.2015 को इस मामले में फिर से विचार किया गया। परिषद के दिनांक 06.11.2015 के पत्र के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सभी अधिसूचित असोसिएशनों और सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के सूचना एवं जन सम्पर्क विभागों के निदेशकों को सूचित किया गया कि परिषद ने निर्णय किया है कि प्रेस परिषद सरकारी और राजनीतिक दलों और प्रशासन में लोगों को पत्रकारों की सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। परिषद मीडिया संगठन के साथ सहयोग करने की संभावनाएं भी तलाश करेगी ताकि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में व्यापकतम एवं संभव प्रचार किया जा सके। यह भी संकल्प लिया गया कि हर वर्ष नवम्बर की दूसरी तारीख को संयुक्त राष्ट्र घोषणा के अनुरूप “पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए इम्युनिटी (रक्षिता) का अंत” दिवस मनाया जाएगा।

घ) राष्ट्रीय महिला आयोग ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से भारतीय प्रेस परिषद से पूछा कि महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की जानकारी दी जाए। महिलाओं की सुरक्षा, यानी फील्ड और समाचार पत्र संगठनों में कार्यरत पत्रकारों की सुरक्षा के मुद्दों पर विचार किया गया ताकि कार्यस्थल पर महिला पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और समान अवसरों के लिए वातावरण प्रदान करने के वास्ते आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

पत्र सूचना कार्यालय

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है, जो सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और कार्यकलापों के बारे में जनता को सूचित करती है। ब्यूरो मीडिया प्रतिनिधियों को कार्य करने की सुविधाएं प्रदान करता है। जन साधारण तक पहुंच कायम करने के सरकार के प्रयासों के तहत, पत्र सूचना कार्यालय देशभर में जन सूचना अभियानों (पीआईसी) का आयोजन करता है। जन सूचना अभियानों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, सूचना का अधिकार अधिनियम, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम, समेकित बाल विकास सेवा (आइसीडीसी) योजना, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी कल्याण आदि जैसे सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाना और सूचना का प्रसार करना है।

ब्यूरो ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों को एक ही जगह पर मीडिया सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नयी दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र (नेशनल मीडिया सेंटर) की स्थापना की है। इस कार्य में एनबीसीसी को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शामिल किया गया। परियोजना लागत के बढ़कर 60.00 करोड़ रुपए हो जाने के कारण 15 सितम्बर, 2009 को ईएफसी से नये स्तर पर स्वीकृति प्राप्त की गई। अब तक, 57.41 करोड़ रुपयों का उपयोग किया जा चुका है तथा दिसंबर, 2014 तक 2.25 करोड़ रुपए की राशि खर्च किए जाने के लिए रखी गई। यह भवन बन कर तैयार है और यहां पूरी तरह से काम-काज हो रहा है।

उपरोक्त के अलावा, पत्र सूचना कार्यालय भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह और प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के लिए पत्रकारों को विशेष प्रत्यायन देने के लिए अपने अधिकारियों को तैनात करता है। ये भारत सरकार के प्रतिष्ठित आयोजन हैं जिनके जरिए भारत की गंगा-जमुनी संस्कृति को प्रदर्शित किया जाता है तथा सूचनाओं का प्रसार किया जाता है। इसलिए पीआईबी इन दोनों गतिविधियों के लिए मीडिया सुविधाएं प्रदान करता है।

योजना संघटक “पीआईबी के आधुनिकीकरण” को 12वीं पंचवर्षीय में योजना स्कीम “मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम” के तहत नई योजना के रूप में शामिल किया गया। इस योजना का उद्देश्य पीआईबी में संचार एवं सूचना प्रसार प्रणाली को पूरी तरह से आधुनिक एवं उन्नत बनाना है ताकि पीआईबी में मुख्यालय एवं इसके क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में दक्षता में व्यापक सुधार लाया जा सके और आधुनिक प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके।

प्रकाशन विभाग

नई पहल और सुधार

● संपूर्ण गांधी वांडमय (ई-सीडब्ल्यूएमजी) के 100 खंडों के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को सितम्बर 2015 में माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा जनता को समर्पित किया गया। यह सामग्री दो डीवीडियों में सर्च योग्य पीडीएफफॉर्मेट में उपलब्ध हैं। गुजरात विद्यापीठ के सहयोग से तैयार किया गया ई-संस्करण प्रामाणिक मास्टर कॉपी के रूप में काम करता है, जिसमें वर्ष 1884 से लेकर उनकी शहादत के दिन तक गांधीजी के आलेख और उनके द्वारा कही गई बातों को अगली पीढ़ी के लिए प्रलेखित किया गया है।

● प्रकाशन विभाग ने कई उच्च कोटि की पुस्तकें प्रकाशित कीं, जिनमें राष्ट्रपति भवन की समृद्ध विरासत दर्शाई गई है। दिसम्बर 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विभाग द्वारा प्रकाशित दो पुस्तकों - “द प्रेजिडेंसियल रीट्रीट्स ऑफ इंडिया” और “सेलेक्टेड स्पीचिज ऑफ द प्रेजिडेंट (खंड III)” की प्रथम प्रतियां राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को भेंट कीं। इससे पहले जुलाई 2015 में उपराष्ट्रपति और केन्द्रिय गृह मंत्री ने राष्ट्रपति को प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकें - “द प्रेजिडेंट्स बॉडीगार्ड”, “अबोड अंडर द डोम” और “सेलेक्टेड स्पीचिज ऑफ द प्रेजिडेंट (खंड 1 और 2)”- भेंट की थी।

● राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित और मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा लिखित पुस्तक, “बिलीफइन द बैलेट” की प्रथम प्रति भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भेंट की गई। प्रकाशन विभाग ने “लेजेण्ड्स ऑफ इंडियन सिलवर स्क्रीन” नाम की पुस्तक भी प्रकाशित की, जिसमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेताओं की जीवनीयों को संकलित किया गया है। इसका विमोचन प्रतिष्ठित आईएफएफआई, 2016 के अवसर पर माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा किया। प्रकाशन विभाग ने फरवरी 2016 तक कुल मिलाकर करीब 68 पुस्तकें प्रकाशित कीं इनमें 47 पुस्तकें अंग्रेजी में, 25 हिन्दी में और 7 क्षेत्रीय भाषाओं में थीं।

इंडिया/भारत 2016 के मुद्रित और ई-बुक संस्करण का पहली बार एक साथ लोकार्पण सूचना और प्रसारण, वित्त और कार्पोरेट कार्य मंत्री श्री अरुण जेटली ने 18 फरवरी 2016 को किया। प्रकाशन विभाग ने पहली बार इंडिया/भारत संदर्भ ग्रंथों तथा अपनी कुछ अन्य मुद्रित पुस्तकों की सीधी बिक्री ई-कामर्स प्लेटफार्म के माध्यम से शुरू की। विभाग के प्रतिष्ठित संदर्भ ग्रंथों की ई-पुस्तकों के साथ-साथ कुछ अन्य पुस्तकें भी ऑनलाइन बेची जा रही हैं।

● प्रकाशन विभाग ने 2015 में पहली बार ई-बुक्स के क्षेत्र में प्रवेश किया। वार्षिक संदर्भ ग्रंथ इंडिया और भारत 2015 की प्रतियां डिजिटिकृत की गईं और उन्हें कड़ी प्रक्रिया और उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों का प्रयोग करते हुए ई-बुक्स में बदला गया। यही नहीं पहली बार ये ई-बुक्स प्रमुख ई-कामर्स प्लेटफार्मों पर बेची गईं। ई-बुक्स का विमोचन 7 मई 2015 को माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा किया गया।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत प्रकाशन विभाग ने वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से विकसित भारत कोष भुगतान गेटवे के जरिए अपनी मुद्रित पत्रिकाओं की बिक्री के लिए एक पोर्टल शुरू किया। इम्प्लायमेंट न्यूज का डिजिटाइज्ड संस्करण चंदा देकर ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए भी एक पोर्टल शुरू किया गया। यह पोर्टल ग्राहकों से ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करता है और इसमें इम्प्लायमेंट न्यूज के डिजिटाइज्ड संस्करण में विज्ञापन ढूंढने की भरपूर सुविधा उपलब्ध है। दोनों ही पोर्टलों का उद्घाटन 18 फरवरी, 2016 को सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने किया।

लोकप्रिय पत्रिकाओं (योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल और बाल भारती) के मुद्रित संस्करणों का चंदा अब publicationsdivision.nic.in, yojana.gov.in और bharatkosh.gov.in पर ऑनलाइन जमा कराया जा सकता है। इम्प्लायमेंट न्यूज का डिजिटल संस्करण अब <http://www.en.eversion.in> पर देखा जा सकता है।

● प्रकाशन विभाग अपने प्रकाशनों के लिए डिजिटल अभिलेखागार बनाने जा रहा है। विभाग करीब 300 पुराने प्रकाशनों को डिजिटल फार्मेट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में है, ताकि ऐतिहासिक मूल्य इन पुस्तकों को संरक्षित किया जा सके।

● प्रकाशन विभाग की पत्रिकाओं ने सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों जैसे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज, कौशल विकास आदि के बारे में गहन जानकारी प्रदान की। 13 भाषाओं के संस्करणों और करीब दो लाख मासिक प्रसार संख्या वाली, प्रमुख पत्रिका योजना की भूमिका विकास पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय रही। अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में प्रकाशित एम्प्लायमेंट न्यूज की प्रसार संख्या करीब 3 लाख है और यह लोगों को रोज़गार के अवसरों के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान कर रहा है।

● प्रकाशन विभाग के दिल्ली स्थित मुख्यालय और 8 क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रकाशित और बेची जानेवाली पुस्तकों एवं 21 नियतकालिक पत्रिकाओं का संयुक्त प्रिंट ऑर्डर करीब 46 लाख प्रतियों का रहा।

● डीपीडी ने उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और व्यापार सुविधा में सुधार के लिए, गहन विचार-विमर्श के बाद विस्तृत व्यापार नीति-निर्देश तैयार किए, ताकि प्रकाशन जगत की तेजी से बदलती विपणन पद्धतियों के साथ गति बनाई रखी जा सके। मंत्रालय से अनुमोदन के बाद ये व्यापार नीति-निर्देश 31.12.2015 से लागू किए गए। इनमें वितरण एजेंटों को आकर्षक डिस्काउंट और क्रेडिट सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ये नीति-निर्देश प्रकाशन विभाग को अपने प्रकाशनों की पहुंच में सुधार लाने के लिए, कुछ नियमों और शर्तों के अधीन ई-कामर्स प्लेटफार्मों पर सीधे पुस्तकें बेचने की अनुमति देते हैं।

● प्रकाशन विभाग ने विभिन्न पुस्तक मेलों और प्रदर्शनियों के जरिए अपने प्रकाशनों को प्रचार-प्रसार का प्रयास किया। इनमें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2016 प्रमुख था, जहां कई नए प्रकाशन जारी किए गए और उनकी रिकार्ड बिक्री हुई। प्रकाशन विभाग ने भारत में करीब 24 प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया और फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेले में भी अपने महत्वपूर्ण प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय पाठकों के सामने रखे।

● प्रकाशन विभाग ने अपनी पत्रिकाओं और पुस्तकों के संप्रेषण को देशभर में बेहतर बनाने के लिए डाक विभाग के साथ भागीदारी कायम की।

● योजना के सम्पादकों और बिक्री केन्द्रों के व्यापार प्रबंधकों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित किया गया जिसमें प्रसार संख्या में वृद्धि करने के लिए विषयवस्तु में गुणात्मक सुधार और आईटी कार्यनीतियों के इस्तेमाल की आवश्यकता पर बल दिया गया।

● डीपीडी ने एक सक्रिय सोशल मीडिया प्रोफाइल विकसित किया है। प्रकाशन विभाग मुख्यालय योजना अंग्रेजी और हिन्दी, और रोजगार समाचार के फेसबुक पृष्ठों को देखने वालों की संख्या पिछले कुछ महीनों में दो लाख को पार कर गई थी।

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक

सुधार उपाय और नीति पहल

इन वर्षों में, प्रिंट मीडिया ने प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के दायरे से परे काफी हद तक अपने क्षितिज को बढ़ाया है। तदनुसार, पीआरबी अधिनियम, 1867 और बनाए गए नियमों की प्रिंट मीडिया के वर्तमान परिदृश्य में प्रासंगिक बनाने के दृष्टिकोण से एक समीक्षा की गई है। मौजूदा पीआरबी अधिनियम 1867 में स्पष्ट प्रावधानों के अनुपस्थिति के कारण कई मामलों में कमी है, जिनमें विशेष रूप से शीर्षक सत्यापन, विदेशी प्रकाशनों और प्रसार सत्यापन हैं। इसमें अवैध निवास स्थान से जन्मी समस्या का सामना करने के उपायों की भी कमी है। इसमें जिला प्रशासन द्वारा शीर्षक आवेदनों और घोषणा के प्रमाणीकरण के निपटान के लिए समय सीमा का अभाव है, जो आमतौर पर परिहार्य देरी का कारण होता है। इसलिए, मौजूदा अधिनियम में से कमियों को दूर करने के लिए इसको प्रस्तावित सुधारों द्वारा प्रतिस्थापित करने का सुझाव दिया गया है, जिसका नाम होगा, 'प्रेस और पुस्तक तथा प्रकाशन (पीआरबीपी) विधेयक' है। प्रस्तावित संशोधन कानूनी प्रक्रिया के अंतिम चरण में हैं।

समाचार पत्रों के लिए, शीघ्र, कुशल और पारदर्शी सेवा प्रदान करने, पीआरबी अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और प्रसार संख्या की सटीक जांच व्यवस्था को विकसित करने और उसे लागू करने के विचार से 11वीं योजना अवधि 2007-12 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी में और मध्य क्षेत्र में भोपाल में दो नए क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं। 12वीं योजना अवधि 2,012-2,017 के दौरान तीन गतिविधियों (1) अभिलेखों का डिजिटलीकरण, (2) ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया और (3) वार्षिक विवरणी की ई-फाइलिंग को लागू करने के लिए शामिल किया गया है।

वर्तमान में स्थिति:

- ऑनलाइन शीर्षक सत्यापन आवेदन - वर्तमान में आवेदनों को संबंधित डीएम को डाक द्वारा भेजा जाता है। इस प्रक्रिया में समय लगता है।
- वार्षिक विवरणी की ऑनलाइन ई-फाइलिंग को जारी रखा गया है। इस वर्ष यह पूरी तरह से सफल रहा।
- शीर्षक और पंजीकरण आवेदनों की स्थिति के बारे में स्वचालित एसएमएस और ई-मेल के जरिये जानकारी देने की प्रक्रिया पूरी सफलता के साथ जारी है। इससे होने वाली देरी में कमी आई है और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया गया है।
- शीर्षक सत्यापन पत्र और पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतियों की ऑनलाइन उपलब्धता और डाउनलोड करने की सुविधा।
- हितधारकों के लिए शत प्रतिशत परेशानी मुक्त ऑनलाइन सेवा।

प्रसार जांच (एमआईडीपी के आरसीई के तहत अनुमोदित अतिरिक्त उप-घटक)

आरसीई में डीएवीपी विज्ञापन की दर पुनर्गठन समिति की उच्च स्तरीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय समिति की संस्तुतियों के अनुसार, यह प्रस्तावित किया गया है कि योजना स्कीम के तहत पेशेवर सीए/लेखा परीक्षकों को उनकी विशेषज्ञता का लाभ लेने के लिए पैनल में शामिल किया जाएगा, जिसमें आरएनआई/डीएवीपी के अधिकारियों को भी शामिल किया जा सकता है, जो आरएनआई को सुचारु रूप से प्रसार सत्यापन का कार्य निष्पादन के लिए योग्य बनाता है।

न्यू मीडिया विंग

पहले न्यू मीडिया विंग का कार्य विभिन्न मीडिया इकाइयों को सहयोग करना था। जिसमें विभिन्न विषयों पर जानकारी महत्वपूर्ण विषय, मार्गदर्शन, गवेषणा पृष्ठभूमि नोट तत्कालीन और अन्य विषयों पर उपलब्ध करता है।

सोशल मीडिया में कवरेज: यह विंग परियोजना का 24 घंटे निरीक्षण और उसकी रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट, सारांश व्याख्या, ईएमएमसी की रिपोर्ट, प्रधानमंत्री के दौरों की विशेष रिपोर्ट, बाढ़ और राष्ट्रीय घटनाओं पर रिपोर्ट तैयार कर वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को जून 2014 से लगातार भेजती है।

विश्लेषणात्मक	-	60
सूचनात्मक	-	60
प्रिंट मीडिया की स्थिति सूचना	-	30
राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर विशेष रिपोर्ट	-	15
मंत्रालय के वेबसाइट की स्थिति अद्यतनीकरण	-	4
मंत्रालय की मांग पर रिपोर्ट	-	4

गीत एवं नाटक प्रभाग

गीत एवं नाटक प्रभाग की स्थापना 1954 में संचार उद्देश्यों के लिए प्रचुर लोक परंपरागत स्वरूपों को सामने लाने हेतु एक प्रयोगात्मक इकाई के रूप में की गई। सजीव प्रचार माध्यम, जैसा कि अब बहुत बड़े पैमाने पर पहचाना जाता है, बहुत ही प्रभावशाली साबित हुआ क्योंकि इसने जनसमुदाय के साथ सीधे सम्पर्क के लाभों को अंतर्निहित (inherent) कर लिया और समसामयिक मुद्दों, विचारों एवं तरीकों को प्रतिबद्धता के साथ लागू करने में नम्यता (flexibility) को अपना लिया। दुर्गम पहाड़ी, मरुस्थल, एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों/क्षेत्रों और सीमा क्षेत्र सहित जमीनी स्तर पर संचार स्थापित करने के लिए इसके क्षेत्र में वृद्धि करने, पहुंच और प्रभाव बढ़ाने हेतु इस प्रभाग के प्रयोजन और आकार में बढ़ोतरी की गई थी।

प्रभाग का मुख्य कार्य जैसा कि आधिकारिक वेबसाइट पर दिया गया है, राष्ट्र के विकास के लिए संवहनीय सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक विचारों के बारे में आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाना और भावनात्मक स्वीकार्यता बढ़ाना, सीमा क्षेत्र के लोगों के बीच रक्षा तैयारियों और देश के शेष भागों के साथ सांस्कृतिक एकता

की समझ विकसित करना और सजीव मनोरंजन मीडिया जिसके तहत देश के सभी भागों में फैले नाट्यकला के दोनों स्वरूप - शहरी और लोक, के जरिए सेना के एकांत प्रदेशों में तैनात जवानों का मनोबल बनाए रखना है।

अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रभाग लोक और परंपरागत नाटकों, नृत्यनाटकों (बैलेट), गीतिनाट्य (ओपेरा), नृत्य के साथ अभिनयकर्म, लोक और परंपरागत वृतांत, कठपुतली का तमाशा और यहां तक कि सदियों पुरानी परंपरा के सैकड़ों मदारी के खेल जैसे व्यापक लोक और परंपरागत स्वरूपों का उपयोग करता है। इसके अलावा प्रभाग आधुनिक तकनीकों के साथ ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शनी और सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, धर्म निरपेक्षता, सांस्कृतिक धरोहर का प्रचार, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय थीमों पर अभिनय करने के लिए सैकड़ों कलाकारों का उपयोग करता है।

देश के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले कई लोक और परंपरागत स्वरूपों का उपयोग करते हुए प्रभाग एक ओर इन स्वरूपों के पुनरुद्धार और इन्हें जीवंत बनाए रखने का एक शक्तिशाली जरिया बन गया है तो दूसरी तरफ उद्देश्यपूर्ण संचार के लिए हजारों अभिनयकर्ताओं / कलाकारों को उनके कौशल / क्षमता का उन्हीं की भाषा, लोकोक्ति और बोली में उपयोग करते हुए आजीविका प्रदान करने में सक्षम है।

उच्च पारदर्शिता और विस्तारित प्रचार सुनिश्चित करने के लिए संगीत के साजो - सामान में आधुनिक तकनीकों और “मोडर्नाइजेशन” के तहत स्थानीय पता तंत्र को अद्यतन और कंप्यूटरीकृत करने का प्रस्ताव किया गया है। कार्यक्रम की गुणवत्ता, शोध, विकास, प्रशिक्षण और प्रभाव को सुधारने की दृष्टि से मूल्यांकन किया जाएगा।

मुख्य सचिवालय की सूचना विंग स्कीमें

(क) मीडिया इकाइयों सहित सभी तीन क्षेत्रों के लिए नीतिगत अध्ययन, संगोष्ठी, मूल्यांकन आदि (प्रसार भारती को छोड़कर) (नई योजना)

इस स्कीम में नीतिगत अध्ययन, सेमिनार करने तथा मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र में मंत्रालय की जारी/नई (मध्यावधि अनुशांसा) योजना स्कीमों के मूल्यांकन का प्रावधान है। इन अध्ययनों से इस क्षेत्र में विकास की गतिशीलता को समझने में मदद मिलेगी जिससे उचित नीतिगत सुधारों को प्रारंभ किया जा सके।

(ख) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण

मार्च, 2014 को शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) और क्यूयूटी (क्वींसलैंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया) के बीच सहयोग प्रदान करने से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दोनों संस्थानों के बीच सहयोग करना और आईआईएस अधिकारियों, मंत्रालय के अवर सचिव तथा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कौशल के लिए एक रूपरेखा तैयार करना था।

फिल्म क्षेत्र

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

सुधार के उपाय तथा नीति पहलें

प्रमाणन प्रक्रिया की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन प्रस्तावित है। प्रमाणन प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। इससे फिल्मों के प्रमाणन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी।

बाल चित्र समिति, भारत

मंत्रालय द्वारा सुधार उपाय और नीतिगत पहल

सीएफएसआई की गतिविधियों से संबंधित सभी जानकारी नियमित रूप से सीएफएसआई की वेबसाइट पर अपडेट की जाती है जिससे पारदर्शिता हासिल की जा सके और सभी परिणामों को प्रसारित किया जा सके। सीएफएसआई गतिविधियों के प्रचार और त्वरित संवाद के लिए मौजूदा प्रवृत्ति और प्रौद्योगिकी के मद्देनजर सीएफएसआई का मोबाइल एप्लीकेशन भी विकसित किया गया है। फिल्म निर्माण के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव के आवेदन का कार्य भी शुरू किया गया है। इसी तरह सीएफएसआई द्वारा आयोजित फिल्म समारोहों में भाग लेने के लिए फिल्म प्रविष्टियों को ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है। महोत्सव के लिए प्रतिनिधियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकता है।

सीएफएसआई की वेबसाइट पर बच्चों की फिल्मों की प्रदर्शनी को 'कैलेंडर ऑफ इवेंट्स' से जाना जा सकता है और उस पर संबंधित तस्वीरें/राइट अप्स भी मिल जाते हैं।

सीएफएसआई की फीचर फिल्म 'गट्टू' को 20 जुलाई, 2012 को पहली बार देश के 55 शहरों में 100 स्क्रीन्स पर चार सप्ताह तक प्रदर्शित किया गया था। सीएफएसआई द्वारा उन बच्चों के लिए टिकट शो का आयोजन किया गया, जो टिकट खरीद सकते थे। इसका उद्देश्य नियमित बाजार में फिल्मों के साथ प्रतिस्पर्धा करना था।

जैसा कि पहले बताया गया है, बाल फिल्म परिसर के निर्माण के लिए महाराष्ट्र सरकार से फिल्म सिटी में जमीन देने की अपील की गई है जिससे बाल फिल्मों को लाभ प्राप्त हो। महाराष्ट्र फिल्म, स्टेज और सांस्कृतिक विकास निगम लिमिटेड ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से गोरेगांव, मुंबई में फिल्म सिटी के प्रवेश के स्थान पर 1460 वर्ग मीटर की जमीन की पेशकश की है। सीएफएसआई अब महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रही है। सीएफएसआई द्वारा महाराष्ट्र सरकार के साथ परिसर पर एक आवधिक अनुवर्तन किया जा रहा है।

सीएफएसआई का उद्देश्य राष्ट्रीय महत्व के आधुनिक बाल फिल्म परिसर का निर्माण करना है जिसमें एनीमेशन और कठपुतली स्टूडियो सहित फिल्म निर्माण के सभी पहलुओं को शामिल किया जा सके। गुणवत्तापूर्ण फिल्मों का निर्माण, जिससे एक खजाना तैयार हो और जिसका भारतीय बच्चों सहित सभी आनंद उठा सकें। परिसर में बाल फिल्म अभिलेखागार की स्थापना को भी सुनिश्चित किया जाएगा।

फिल्म समारोह निदेशालय

सुधार के उपाय तथा नीति पहलें

अधिक आकर्षक बनाने तथा गुणवत्ता युक्त समसामयिक फिल्मों को समाहित करने के उद्देश्य से यह प्रस्तावित किया जाता है कि भारतीय पैनोरमा की चयन प्रक्रिया में परिवर्तन लाया जाए।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

सुधार उपाय और एफटीआईआई के मामले

एफटीआईआई को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करने के लिए संसद में एक अधिनियम लाने के एक प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है। संसद के इस अधिनियम के जरिये संस्थान में चल रहे डिप्लोमा पाठ्यक्रम को मान्यता दी जाएगी और संस्थान को अपने अधिदेश को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए विभिन्न उपाय करने में समर्थ बनाएगा। अधिक से अधिक पारदर्शिता बरतने के उद्देश्य से तंत्र में साझेदारी के लिए संस्थान एक नागरिक चार्टर प्रकाशित करता है, जो संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

फिल्म प्रभाग

सुधार, उपाय तथा नीति पहलें

वाह्य निर्माताओं/ एन जी ओ के जरिए बनाए गए वृत्त चित्रों के माध्यम से विभिन्न सामाजिक समस्याओं, मुद्दों को उनके समाधान के साथ उठाने के उद्देश्य के साथ-साथ राष्ट्र-निर्माण में सरकार के प्रयासों को दिखाना शामिल है।

फिल्म प्रभाग, मुम्बई के फिल्म प्रभाग परिसर में भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा अभिलेखागार की स्थापना में शामिल उद्देश्यों में सिनेमा के विकास के माध्यम से सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों तथा इतिहास को एक स्थान पर लाना, समाज पर सिनेमा के प्रभाव पर केंद्रित एक शोध केंद्र विकसित करना, दर्शकों/फिल्म प्रेमियों के लिए चर्चित निर्देशकों, निर्माताओं, संस्थाओं के कार्य को प्रदर्शित करना, भावी फिल्म निर्माताओं के लिए सेमिनार, कार्यशाला आयोजित करना तथा वृत्तचित्र फिल्म आंदोलन के क्षेत्र में भावी पीढ़ी के अंदर रुचि पैदा करना।

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार

पहले और दूसरे चरण में चलचित्र (फिल्म) तहखानों, मुख्य प्रेक्षागृह, डीजी सेट तथा अग्निशमन प्रणाली को बदलने को शामिल करते हुए वर्तमान आधारभूत संरचना के उन्नयन का कार्यवर्ष 2014-15 के दौरान एनएफएआई के लिए पूर्ण बजट के विनियोजन के बाद अगली तिमाही में शुरू किया जा सकेगा।

सत्यजित राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

सुधार उपाय और एसआरएफटीआई के मामले

एसआरएफटीआई को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करने के लिए संसद में एक अधिनियम लाने के एक प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है। संसद के इस अधिनियम के जरिये संस्थान में चल रहे डिप्लोमा पाठ्यक्रम को मान्यता दी जाएगी और संस्थान को अपने अधिदेश को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए विभिन्न उपाय करने में समर्थ बनाएगा।

मुख्य सचिवालय की फिल्म विंग स्कीमें

(क) एंटी पायरेसी पहल

फिल्म सेक्टर एक जीवंत सांस्कृतिक उद्योग है यद्यपि यह व्यापक रूप से निजी सेक्टर में आता है। भारत सबसे ज्यादा संख्या में फिल्मों का निर्माण करता है। प्रौद्योगिकी की उन्नति फिल्म उद्योग के सभी क्षेत्रों जैसे निर्माण, वितरण, प्रदर्शन और विपणन के विकास का मुख्य संचालक बन गया है।

एनीमेशन, गेमिंग और स्पेशल इफेक्ट्स के सेक्टर के उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना:

मानव संसाधन के अध्ययन के आधार पर, सरकार सार्वजनिक और निजी भागीदारी के रूप में एनीमेशन, गेमिंग और स्पेशल इफेक्ट्स के सेक्टर के उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु विचार कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पुरी योजना की सैद्धांतिक रूप में स्वीकृति हेतु योजना आयोग से संपर्क किया था।

एंटी-पायरेसी इनेसिएटिव्स

फिल्म उद्योग पर पायरेसी के प्रभाव के सम्बन्ध पर पिछले अध्याय में चर्चा की जा चुकी है। जबकि, पायरेसी का सामना करने के लिए एक प्रभावी कानूनी प्रक्रिया की अविश्वसनीय आवश्यकता है, वहीं, पायरेसी का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने की भी अविश्वसनीय आवश्यकता है क्योंकि उपभोक्ता पायरेसी के विभिन्न रूपों में निष्क्रिय प्रतिभागी है। अतः, ये अनुसंशा की गयी है कि एक प्रभावी और सम्मिलित मल्टी-मीडिया अभियान 12वीं योजनाकाल के तहत सभी फिल्म और संगीत उद्योग के हितधारकों को सम्मिलित करते हुए प्रारंभ की जाए. साथ ही, भारतीय अर्थव्यवस्था पर पायरेसी के प्रभाव के वास्तविक आंकलन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन और शोध और विकास की आवश्यकता है।

एंटी-पायरेसी योजना का उद्देश्य निम्नलिखित गतिविधियों पर सहयोग प्रदान करना होगा:

आ) पायरेसी से सम्बन्धित मल्टी मीडिया अभियानों का प्रसार।

ब) प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन कॉपीराइट अधिनियम के बारे में पुलिस, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों ने संवेदनशील बनाने के लिए।

स) पायरेसी के प्रभाव पर संसोधन का संचालन और पायरेसी का सामना करने हेतु विकास को सशक्त करना और साथ ही सार्वजनिक-निजी रणनीति का कार्यान्वयन करना।

(ख) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन

सुधार मानक और नीति नेतृत्व

सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस नई 12 वीं योजना अर्थात 'राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन' का भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के माध्यम से फिल्म व फिल्म सामग्री के अभिलेखन के संरक्षण, डिजिटाइज के लिए क्रियान्वयन कर रहा है।

(ग) ऐनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

सुधार संबंधी उपाय तथा नीतिगत पहल

ऐनिमेशन, गेमिंग तथा विजुअल सेक्टर को कुशल श्रमशक्ति मुहैया करने के मद्देनजर ऐनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स (एनसीओई) के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करना।

(घ) फिल्म सुविधा कार्यालय (एफ.एफ.ओ.) की स्थापना

विदेशी फिल्म निर्माताओं द्वारा भारत में फिल्म बनाने के प्रक्रिया को सुगम बनाने तथा इस (भारत को) फिल्म गंतव्य (डेस्टिनेशन) के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म सुविधा केंद्र की स्थापना करना।

प्रसारण क्षेत्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र (ईएमएमसी)

नागरिकों को अवांछनीय सामग्री के प्रसारण से बचाने के लिए 90.00 करोड़ रुपये की कुल लागत से "ईएमएमसी के सुदृढीकरण" के लिए योजना स्कीम की मंजूरी दी गई है। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 में निहित व नियम के तहत बनाए गए कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के अनुसार टीवी चैनलों के लिए कार्यक्रम की सामग्री और विज्ञापनों में उल्लंघन और रेडियो सामग्री में उल्लंघन लाइसेंस दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाता है। 12वीं योजना स्कीम के तहत, 1500 उपग्रह टीवी चैनलों की सामग्री की निगरानी की सुविधा ईएमएमसी की नई अवसंरचना में सूचना भवन पर चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जा रहा है। निजी एफएम और सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) के लिए केंद्रीकृत सामग्री की निगरानी की सुविधा भी स्थापित किया जाएगा।

प्रसार भारती

सुधार, उपाय एवं नीतिगत पहल

प्रसार भारती के पास प्रसारण और टेलीकास्टिंग के क्षेत्र में अवसंरचना, मानवशक्ति और तकनीकी विशेषज्ञता के संदर्भ में संसाधनों का व्यापक भंडार है। अवसंरचना में प्रमुख रूप से भूमि, इमारत, टॉवर, ट्रांसमीटर्स, स्टूडियो, सेटेलाइट अर्थ स्टेशन, अभिलेखकरण की सुविधा, नेशनल अकैडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टी-मीडिया (एनएबीएम), अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठ आदि शामिल हैं। 500 डब्ल्यू मीडियम वेव ट्रांसमीटर्स से साधारण शुरुआत करते हुए आकाशवाणी आज प्रमुख प्रसारक संगठन बन गया है, जिसके पास 584 रेडियो ट्रांसमीटर्स हैं, जो 91.87 प्रतिशत क्षेत्र और 99.20 प्रतिशत आबादी को कवर करते हैं। आकाशवाणी भाषाओं (23) और बोलियों (176) की दृष्टि से विश्व के विशालतम प्रसारण संगठनों में से एक है। इसके अलावा, 21 रेडियो चैनल दूरदर्शन के फ्री-टू-एयर डीटीएच प्लेटफॉर्म पर भी हैं, जो इन चैनलों की कवरेज लगभग पूरे देश में उपलब्ध करवा रहे हैं। दूरदर्शन वर्तमान में 34 सेटेलाइट चैनलों और 67 स्टूडियो एवं विभिन्न क्षमताओं वाले 1416 ट्रांसमीटर्स के विशाल नेटवर्क का संचालन कर रहा है जो देश की करीब 92 प्रतिशत आबादी को टीवी कवरेज उपलब्ध करवा रहा है। इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन फ्री-टू-एयर डीटीएच सेवा- डीडी फ्री डिश उपलब्ध करवा रहा है।

संभावनाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से, प्रसार भारती की विशाल अवसंरचना से राजस्व अर्जित करने के लिए मई 2001 में आकाशवाणी संसाधन (एआईआर रिसोर्सिज) की स्थापना एक स्वतंत्र केंद्र के रूप में की गई।

आकाशवाणी संसाधन अगले 10 से 15 वर्षों के दौरान सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से निम्नलिखित योजनाओं को लागू करके राजस्व जुटा सकता है:-

1. प्रसार भारती (पीबी) की अवसंरचना जैसे टॉवर्स (एसटीएल टॉवर्स, स्व सहायक एस डब्ल्यू टॉवर्स, एकीकृत टीवी/एफएम टॉवर्स), इमारत और भूमि का निजी प्रसारकों, मोबाइल सेवा प्रदाताओं/इग्नू के साथ लाइसेंस शुल्क के आधार पर साझा करके। वर्तमान में पीबी निजी एफएम प्रसारकों के साथ अपनी अवसंरचना को उनके एंटीना लगाकर और उनके ट्रांसमीटर और दूसरे सहायक उपकरणों की संस्थापना के लिए ओपन और कवर्ड स्पेस उपलब्ध करवा कर साझा कर रहा है। भविष्य में और जरूरत पड़ने पर पीपीपी के जरिए हम अपनी अवसंरचना को सुदृढ़ बनाकर उसे और ज्यादा साझा करने की संभावनाएं तलाश सकते हैं।

2. फिलहाल खाली समय में आकाशवाणी स्टूडियो और ट्रांसमीटर्स को आवश्यकता होने पर किराए पर दे दिया जाता है और भविष्य में भी ये सुविधाएं शैक्षणिक संस्थानों/ विश्वविद्यालयों और बाहरी एजेंसियों को सस्ती दरों पर किराये पर उपलब्ध करायी जा सकती हैं।

3. प्रसार भारती ने श्रोताओं को आईवीआरएस और एसएमएस जैसी मूल्य संवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए टेलीकॉम सेवाओं के साथ समझौता किया है। इस प्रकार की लोकप्रिय सेवाएं प्रदान करने से आकाशवाणी को राजस्व प्राप्त होता है। दूरदर्शन ये मूल्य संवर्धित सेवाएं पहले से ही दिल्ली में प्रदान कर रहा है और उसकी योजना इनका विस्तार दूसरे शहरों में भी करने की है।

आकाशवाणी के हार्डवेयर से संबंधित आयाम

चार महानगरों में मीडियम वेव पर कार्यक्रम प्रसारित करने वाली विविध भारती सेवा अब एफएम मोड पर भी उपलब्ध है, और श्रोताओं को कार रेडियो तथा मोबाइल उपकरणों पर उपलब्ध हो रही है।

ईएसडी की उर्दू सेवा के कार्यक्रम फाजिल्का में 20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर से प्रसारित किए जा रहे हैं, जो 25.12.2015 को चालू हुआ था।

हाल ही में, यानी 20 जनवरी 2016 को मेरठ में 10के डब्ल्यू पावर के एफएम ट्रांसमीटर की आधारशिला रखी गयी, जो प्रमुख चैनलों के सिग्नलों को एफएम पर लाने की दिशा में एक और प्रयास है। पूरा होने पर यह स्टेशन, आकाशवाणी लखनऊ के सिग्नलों को फ्रीक्वेंसी मॉड्युलेशन (एफएम) पर ले जाएगा। अंततः आकाशवाणी द्वारा स्थानीय आबादी की अभिरुचियों और रुझानों के मुताबिक सुबह और शाम लोकल कार्यक्रम शुरू करने का प्रयास किया जाएगा।

हाल ही में, ओडिशा के रायरंगपुर में भी एक एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया है जिससे ओडिशा के उस हिस्से में रहने वाले लोगों की काफी असें से लंबित मांग को पूरा करने में मदद मिली है।

पश्चिमी ओडिशा के लोग संभलपुरी समाचार बुलेटिन सुनने के इच्छुक थे, जिसकी शुरुआत 23 जनवरी 2016 को हुई।

बागेश्वर (उत्तराखंड) में, 22 जनवरी, 2016 को 5 केडब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर राष्ट्र को समर्पित किया गया।

एसपीटी, चिन्हसुरा द्वारा विदेश सेवा की विशेष बांग्ला सेवा का प्रसारण किया जाएगा जिसके 21 फरवरी 2016 को प्रारम्भ हो जाने की संभावना है।

दूरदर्शन के हार्डवेयर से संबंधित आयाम

दूरदर्शन का डिजिटलीकरण

उच्च क्षमता वाले 40 डिजिटल ट्रांसमीटर्स की संस्थापना की परियोजनाओं का कार्यान्वयन 11वीं पंचवर्षीय योजना की चालू योजना के रूप में दो चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में, 19 डिजिटल ट्रांसमीटर्स का कार्यान्वयन किया जा रहा है। 16 डिजिटल हाई पावर ट्रांसमीटर्स (एचपीटी) लगाने का कार्य पूरा हो चुका है और ये पहले ही चालू करने के लिए तैयार हैं। शेष 21 डिजिटल हाई पावर ट्रांसमीटर्स, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नयी योजनाओं के तौर पर स्वीकृत 23 अतिरिक्त डिजिटल हाई पावर ट्रांसमीटर्स के साथ लगाए जाएंगे। इन 44 डिजिटल हाई पावर ट्रांसमीटर्स की स्थापना का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। ट्रांसमीटर उपकरण के विनिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और एनआईटी जल्द ही जारी होने की संभावना है। इन 44 डिजिटल हाई पावर ट्रांसमीटर्स को लगभग 2 वर्ष के भीतर चरणबद्ध रूप से स्थापित किए जाने की उम्मीद है।

11वीं पंचवर्षीय योजना में 40 डिजिटल हाई पावर ट्रांसमीटर्स और 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत 23 डिजिटल हाई पावर ट्रांसमीटर्स के स्थानों की मंजूरी दी जा चुकी है।

चौबीसों घंटे प्रसारण वाले नए सेटेलाइट चैनल

चौबीसों घंटे प्रसारण वाला एक नया सेटेलाइट चैनल “डीडी किसान” 26 मई 2015 को प्रारम्भ किया गया। किसानों पर केंद्रित यह चैनल दूरदर्शन की डीटीएच सेवा “डीडी फ्री डिश” पर भी उपलब्ध है।

डीटीएच प्लेटफॉर्म के लिए कंडीशनल एक्ससिस सिस्टम (सीएस)

दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफॉर्म “डीडी फ्री डिश” पर टीवी चैनलों की संख्या 64 से बढ़ाकर 104 तक ले जाने के लिए उन्नत उपकरण की स्थापना का कार्य पूरा हो चुका है। वर्तमान में 64 टीवी चैनल डीडी फ्री डिश (एफटीए) मोड में डीटीएच प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। उन्नत प्लेटफॉर्म का चालू होना कंडीशनल एक्ससिस सिस्टम (सीएस) के कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा।

प्रसार भारती बोर्ड, ने डीडी फ्री डिश पर सीएस का कार्यान्वयन करने के लिए 16 अक्टूबर 2015 को हुई अपनी 129 वीं बैठक में डीआईटीवाई द्वारा अनुमोदित भारतीय सीएस वेंडर, मैसर्स बाईडिजाइन के साथ समझौते को मंजूरी दे दी। भारतीय सीएस वेंडर, मैसर्स बाईडिजाइन के साथ समझौते के लिए कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

हाई डेफिनेशन टेलीविज़न (एचडीटीवी)

एचडीटीवी का आशय ऐसे वीडियो रेजोल्यूशन से है, जो परम्परागत टेलीविज़न सिस्टम्स (स्टैंडर्ड-डेफिनेशन टीवी) से 5 गुणा अधिक होता है। एचडीटीवी की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: इसमें तस्वीर साफ और विचलन रहित होती है, रंग ज्यादा जीवंत दिखाई देते हैं, इसकी वाइड स्क्रीन पिक्चर ज्यादा वास्तविक प्रतीत होती है।

वर्तमान में निम्नलिखित एचडीटीवी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

(1) दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में एचडीटीवी ट्रांसमीटर्स (सभी स्थानों पर ट्रांसमीटर्स संस्थापित करने का कार्य पूरा हो चुका है और चालू होने के लिए तैयार हैं)

(2) दिल्ली में मल्टी-कैमरा मोबाइल निर्माण सुविधा

(3) कोलकाता और चेन्नई में एचडीटीवी स्टूडियो (अभिविन्यास आयोजना और विनिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण और पुराने उपकरणों को बदलना

दूरदर्शन अपने नेटवर्क के आधुनिकीकरण, पुराने उपकरणों को अत्याधुनिक उपकरणों में बदलने और मौजूदा सुविधाओं में सुधार के लिए हमेशा से प्रयासरत रहा है। वर्तमान में, दूरदर्शन नेटवर्क के आधुनिकीकरण और उसकी उन्नति के लिए निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाएं लागू की गई हैं/की जा रही हैं:-

क) कणकवली (महाराष्ट्र) और श्योपुरकलां (मध्य प्रदेश) में 2 पुराने 100 वॉट एलपीटी को 500 वॉट ऑटोमोड (141) एलपीटी से बदल दिया गया है।

ख) निम्नलिखित 15 मौजूदा पुराने ऐनालॉग हाई पॉवर ट्रांसमीटर्स को बदलना:

डिब्रूगढ़	जैसलमेर	जबलपुर	तुरा	कोलकाता (डीडी न्यूज)
रायपुर	पुणे	विशाखापत्तनम	आगरा	फाजिल्का
भुज	मरु	अनंतपुर	डाल्टनगंज	भवानीपटना

13 स्थानों के एचपीटी बदले जा चुके हैं। शेष 2 स्थानों (डिब्रूगढ़ और जैसलमेर) में, ट्रांसमीटर उपकरण लगाना का कार्य पूरा हो चुका है और उसका परीक्षण किया जा रहा है।

ग) जम्मू एवं कश्मीर में स्थलीय नेटवर्क कवरेज के विस्तार के लिए 5 (10के डब्ल्यू) के हाई पॉवर ट्रांसमीटर्स की राजौरी (डीडी1 और डीडी न्यूज), ग्रीन रिज (डीडी1), हिम्बोतिंग्ला टॉप (डीडी1) और पटनी टॉप (डीडी1) में स्थापना।

इमारतों, टॉवर्स, बिजली आपूर्ति आदि जैसी मिश्रित अवसंरचना का विकास आकाशवाणी द्वारा किया जाएगा। दूरदर्शन इन स्थानों पर टीवी एचपीटी की खरीद और स्थापना करेगा। राजौरी में ट्रांसमीटर्स आकाशवाणी की मौजूदा इमारत में लगाए जाएंगे। इमारत में परिवर्तन का कार्य पूरा हो चुका है। राजौरी में ट्रांसमीटर्स की खरीद की कार्रवाई जारी है। इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं, खोली गयी हैं और तकनीकी मूल्यांकन सम्पन्न हो चुका है। खरीद का प्रस्ताव वित्तीय अनुमोदन के लिए दाखिल किया जा चुका है। तीन अन्य स्थानों पर साइट्स की पहचान की जा चुकी हैं और आकाशवाणी ने उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया है। इमारत बनाने का काम जारी है।

दूरदर्शन की 12वीं योजना

दूरदर्शन की 12वीं योजना की स्कीम 'प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास' को दूरदर्शन की पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन हेतु 1893.14 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी जा चुकी है। इसमें जारी योजनाओं के लिए 1215 करोड़ रुपये और नई योजनाओं के लिए 678.14 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है। 12वीं योजना के प्रमुख क्षेत्र हैं: दूरदर्शन नेटवर्क का डिजीटीकरण, डीटीएच का विस्तार, एचडीटीवी का विस्तार, दूरदर्शन के स्टूडियो, ट्रांसमीटर तथा सेटेलाइट ब्रॉडकास्ट उपकरणों का आधुनिकीकरण।

12वीं योजना स्कीम के अंतर्गत उप-योजना-वार ब्यौरा (नई परियोजनाओं का) निम्नलिखित है:

डीटीएच का विस्तार

250 टीवी चैनलों के प्रसारण के लिए डीटीएच प्लेटफॉर्म का उन्नयन

हाई डेफिनेशन टीवी

कोलकाता और चेन्नई में एचडीटीवी स्टूडियो

दूरदर्शन नेटवर्क का डिजीटलीकरण

डिजिटल एचपीटी की स्थापना: 23

आर्काइव्स अभिलेखागार का डिजीटलीकरण: सेंट्रल आर्काइव्स, दिल्ली तथा चार क्षेत्रीय आर्काइव्स की सुविधाओं में वृद्धि

स्टूडियो और ट्रांसमीटर उपकरण का आधुनिकीकरण, संवर्धन तथा स्थापना

1. सीपीसी और केंद्रों का आधुनिकीकरण
2. समाचार मुख्यालय दिल्ली की सुविधाओं में सुधार

सेटेलाइट प्रसारण उपकरण का आधुनिकीकरण, संवर्धन और बदलाव

- 1) 13 अर्थ स्टेशनों का उन्नयन,
- 2) अर्थ स्टेशन उपकरण बदलना,
- 3) 2 अर्थ स्टेशन इमारतों का निर्माण

अवसंरचना का संवर्धन और विविध कार्य

- 1) सुरक्षा और अन्य ढांचागत सुविधाओं का सुदृढीकरण
- 2) चंडीगढ़ में सरकारी आवास

सीमावर्ती कवरेज को सुदृढ करना

1) नेपाल से सटे इलाकों में 8 एचपीटी की स्थापना: प्रसार भारती द्वारा मध्यावधिक समीक्षा के दौरान लिए गए फैसले के अनुसार नेपाल से सटे इलाकों में 8 एचपीटी की स्थापना संबंधी परियोजनाएं रद्द कर दी गईं और इस फैसले का प्रसार भारती बोर्ड ने 16 अक्टूबर 2015 की अपनी 129वीं बैठक में अनुमोदित किया।

2) रामेश्वरम स्थित टावर (300 मीटर) का सुदृढीकरण

न्यू मीडिया प्रौद्योगिकियां/वैकल्पिक डिलीवरी प्लेटफॉर्म

उपरोक्त उपकरणों पर इंटरनेट के माध्यम से चुनिंदा डीडी चैनलों का सीधा प्रसारण और डिलिवरी

ओएफसी कनेक्टिविटी

चुनिंदा डीडी केंद्रों को ओएफसी नेटवर्क के जरिए लिंक करना

प्रशिक्षण

पिछले दो दशकों में दूरदर्शन में व्यापक बदलाव आया है। टेलीविजन प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है। बरसों से चल रहे एनालॉग उपकरण तेजी से पुराने पड़ रहे हैं। वर्तमान दौर डिजिटलीकरण का है। दूरदर्शन भी अपने समूचे नेटवर्क का डिजिटलीकरण कर रहा है। प्रसारण प्रौद्योगिकी में आ रहे बदलावों को देखते हुए उसका जोर अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर है। नए कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और मौजूदा कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के कार्यक्रमों के अलावा प्रबंधन कार्यक्रम इन-हाउस प्रशिक्षण संस्थानों यथा-एनएबीएम दिल्ली, डीटीआई लखनऊ तथा आरएबीएम शिलांग, भुवनेश्वर और मलाड (मुंबई) में चलाए जाते हैं। इनके अलावा आईआईटी कानपुर, आईआईएम शिलांग और कई अन्य बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। इसके अलावा उपकरणों के निर्माता भी कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल पर ही प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं। अप्रैल 2015 से नवम्बर 2015 के दौरान लगभग 250 इंजीनियरिंग अधिकारियों को 16 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण मुहैया कराया गया और 2015 -2016 की शेष अवधि के दौरान करीब 12 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने की सम्भावना

इनके अलावा, उपकरण विनिर्माताओं द्वारा अपने कारखानों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। नेटवर्क में नए उपकरण शामिल किये जाने के कारण अप्रैल 2015 से नवम्बर 2015 के दौरान उपकरण निर्माताओं द्वारा विभिन्न ए/टी में करीब 180 इंजीनियरिंग अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन/एबीयू कार्यशालाएं

वर्ष 2015-16 (नवम्बर 2015 तक) के दौरान विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों/एबीयू कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें डीडी अधिकारियों ने भाग लिया:

1. जेनेवा, स्विटजरलैंड में 27.03.2015 से 02.04.2015 तक डब्ल्यूआरसी-15 के लिए सम्मेलन की तैयारी की बैठक
2. बाली, इंडोनेशिया में 05.05.2015 से 06.05.2015 तक एबीयू टैक्निकल ब्यूरो की मध्य वार्षिक बैठक।
3. कुआलालम्पुर, मलेशिया में 11-15 मई 2015 तक डीवीबी-टी2 ट्रांसमिशन पर उप-क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में डीडी के दो इंजीनियरों ने विशेषज्ञों के तौर पर भाग लिया।
4. डीडीके कोलकाता में डिजिटल ऑडियो/वीडियो आर्काइव पर 06-10 जुलाई, 2015 को एआईबीडी कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 10 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

आकाशवाणी कार्यक्रम सेवाएं

मन की बात

श्रव्य-दृश्य परिदृश्य में आश्चर्यचकित कर देने वाली गति से महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। वैसे तो ये बदलाव प्रौद्योगिकी की बदौलत हो रहे हैं और दुनिया भर में हो रहे हैं, लेकिन एक अन्य क्रांतिकारी बदलाव भारत में उस समय आया, जब भारतीय प्रसारण के इतिहास में पहली बार, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने **मन की बात** के जरिए अनौपचारिक, अंतरंग, सरल, सहज और दो टूक शब्दों में देशवासियों के साथ अपने मनोभावों तथा विचारों के उन्मुक्त आदान-प्रदान के लिए देश के लोक सेवा प्रसारक, आकाशवाणी को चुना। प्रधानमंत्री ने जनता से जुड़ने की अपनी विलक्षण योग्यता से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

अब तक मन की बात के 16 प्रसारण हो चुके हैं जिन्होंने लोगों को सोचने, विचार करने और कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। ऐसे ही एक प्रसारण में प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा के साथ मंच साझा किया। मन की बात को तत्काल जबरदस्त लोकप्रियता मिली है क्योंकि इसमें जोशीले अंदाज में दू-टूक बात कही जाती है और इसकी घरेलू एवं वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विविध मंचों का उपयोग किया जाता है। कार्यक्रम का अधिकतम प्रसार सुनिश्चित करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क, यूट्यूब जैसे नये मीडिया, आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों द्वारा सीधा प्रसारण, आकाशवाणी की वेबसाइट तथा सोशल मीडिया आदि मन की बात का

प्रसारण करते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्षेत्रीय नेटवर्क के जरिए प्रसारित किया जाता है। यहां तक कि निजी रेडियो और टीवी चैनल भी इस कार्यक्रम को प्रसारित करते हैं।

कुल मिलाकर, जन सामान्य से लेकर, मीडिया और सोशल मीडिया तक सभी मन की बात पर मंत्र-मुग्ध हैं। समाज का जो महत्वपूर्ण वर्ग, प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की तरफ बेहद आकर्षित है, वह है - अनगिनत युवक और युवतियां।

मन की बात की प्रत्येक कड़ी 4-5 खंडों में विभाजित होती है और रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत की जाती है। इसके ट्वीट जारी होते हैं तथा इसे फेसबुक पर भी पोस्ट किया जाता है। प्रत्येक कड़ी के लिए हिंदी और अंग्रेजी में करीब पांच टेम्प्लेट तैयार किए जाते हैं, जिनमें मन की बात में चर्चा किए जाने वाले विषय विशेष की जानकारी निहित होती है, फिर त्वरित संदर्भ बिंदु और आकाशवाणी के ऑनलाइन फॉलोअर्स के साथ संपर्क साधने में सहायता की जाती है।

मन की बात लोक सेवा प्रसारण में सर्वश्रेष्ठता का प्रतीक है।

आपदा प्रबंधन

पिछले दो दशकों में बाढ़ जैसी मौसमी और भौगोलिक आपदाओं में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इन सभी को रोक पाना तो संभव नहीं है, लेकिन इनसे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। हाल में आयी बाढ़ के दौरान, जिसने तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और आंध्र प्रदेश के इलाकों को प्रभावित किया था, आकाशवाणी के संबंधित केंद्रों ने बचाव, राहत और पुनर्वास के प्रयासों के बारे में समय पर सूचना का प्रसार करने में उत्कृष्ट भूमिका निभायी। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रभावित लोगों के लिए प्रारंभ किए गए वित्तीय पैकेज और अन्य कार्यकलापों के बारे में कार्यक्रम बनाए गए। इसी तरह के कार्य मणिपुर में आए भूकंप के दौरान वहां के आकाशवाणी केंद्रों द्वारा किए गए। दोनों ही अवसरों पर, जनता को सूचित करने के लिए हैल्पलाइन टेलीफोन नम्बरों और मोबाइल कंट्रोल रूम नम्बरों का बार-बार प्रसारण किया गया।

प्राकृतिक आपदाओं के अलावा, देश को मानवीय कारणों से होने वाली त्रासदियों जैसे आतंकवादी हमलों और बम धमाकों से भी निपटना पड़ता है। परामर्श, संयम, सहिष्णुता और सौहार्द पर आधारित कार्यक्रमों के अलावा तत्काल मदद की गुहार और हैल्पलाइन से संबंधित विवरण प्रसारित किए गए। शांति और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोकप्रिय/प्रमुख नेताओं के संदेशों का भी प्रसारण किया गया।

विदेश सेवा प्रभाग

लगभग 150 देशों को कवर करने वाले और 15 विदेशी एवं 12 भारतीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करने वाले आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग की गिनती, पहुंच और दायरे के लिहाज से विश्व के चुनिंदा विदेश सेवा प्रभागों में होती है। विदेश सेवा प्रभाग मिश्रित कार्यक्रम पद्धति अपनाता है जिसमें सामान्यतया वार्ताओं, संगीत, साक्षात्कार सहित समाचार बुलेटिन, टीकाएं, समसामयिक घटनाएं और भारतीय प्रेस की समीक्षाएं प्रसारित की जाती हैं।

नयी पहल और आधुनिकीकरण के प्रयास

विदेश प्रसारण को मजबूती प्रदान करने के लिए अवाधि के दौरान निम्नलिखित नये कदम उठाए गए:

1. ईएसडी सेवाओं में आमूलचूल बदलाव लाना और उन्हें सशक्त बनाना, विशेषकर नेपाली, तिब्बती, बलूची, दारी, पश्तो, सिंधी और अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान क्षेत्र को लक्षित अन्य सेवाएं शुरू की गयी हैं।
2. भारत-विरोधी प्रचार से निपटने के लिए नेपाल पर केंद्रित कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए।
3. इनके अलावा, अवधारणा प्रबंधन और भारत-विरोधी प्रचार से निपटने से संबंधित कार्यक्रम भी विविध ईएसडी सेवाओं पर और विशेषकर उपमहाद्वीप को लक्षित करने वाली सेवाओं पर गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये गये विषयों पर नियमित रूप से प्रसारित किए जाते हैं।

4. ईएसडी के वार्ता एकांश को मजबूती प्रदान करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं ताकि उसे क्षेत्र विशेष पर आधारित समाचार और समसामयिक मामलों पर आधारित कार्यक्रमों का निर्माण करने में सक्षम बनाया जा सके।

5. ईएसडी के आधुनिकीकरण के प्रयास के तहत अंतरराष्ट्रीय प्रसारकों के समान लाइव इंटरनेट रेडियो और रेडियो ऑन डिमांड जैसी विशेषताओं से युक्त एक मल्टी-मीडिया वैबसाइट airworldservice.org पांच भाषाओं-अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला और नेपाली में प्रारम्भ की गयी है। यह वैबसाइट मोबाइल एप पर भी उपलब्ध है। वर्ष 2016 के अंत तक इसका विस्तार ईएसडी की शेष 22 भाषाओं में भी किया जाएगा। यह ईएसडी सेवाओं को वैश्विक स्तर पर और खासतौर पर उन क्षेत्रों उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, जहां तक अब तक इस सेवा की पहुंच नहीं थी।

6. धरोहर की अहमियत रखने वाली समस्त रिकॉर्डिंग्स के लिए व्यापक डिजिटीकरण कार्य करने की शुरुआत की गयी है, जिसके तहत विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं के लगभग 20,000 टेप्स का समयबद्ध रूप से डिजिटीकरण किया जा चुका है और डिजिटीकरण का शेष कार्य प्रगति पर है।

7. ईएसडी ने अपने कार्यक्रमों के प्रचार और उन्हें ज्यादा संवाद मूलक बनाने के लिए फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करना प्रारम्भ कर दिया है। व्हाट्सअप अनुरोधों पर आधारित कार्यक्रम उर्दू सेवा में शुरू किए गए हैं, जिन पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं।

अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में शिरकत

एबीयू गीत समारोह

आकाशवाणी ने वर्ष 2014 और 2015 में क्रमशः कोलम्बो और यांगून में आयोजित एशिया प्रशांत प्रसारण संघ-एबीयू रेडियो गीत समारोहों में भाग लिया। एबीयू ने रेडियो गीत समारोह के सिलसिले की शुरुआत 2012 में एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों में मौजूद विविध, गुमनाम संगीत प्रतिभागियों को उभारने और उन्हें पहचान दिलाने के उद्देश्य से की थी, ताकि ऐसे कलाकारों की गीत रचनाओं को एक अंतरराष्ट्रीय मंच उपलब्ध हो और इससे क्षेत्र में मौजूद सांस्कृतिक वैविध्य के प्रति समझ, जानकारी फैलायी जा सके और उसे सराहा जा सके।

प्रसारण के माध्यम से भारतीय संस्कृति, धरोहर और संगीत के प्रचार, संवर्धन एवं संरक्षण के उद्देश्य के तहत एबीयू द्वारा आयोजित इन वार्षिक कार्यक्रमों में भाग लिया गया। 2014 और 2015 में क्रमशः कोलम्बो और यांगून में रेडियो एशिया सम्मेलनों के साथ आयोजित ग्रैंड फिनाले में मंच पर प्रस्तुति देने को प्रतिभागी गायको को आमंत्रित किया गया।

एबीयू गीत सम्मेलन में भाग लेने से आकाशवाणी अन्य देशों की संगीत सामग्री प्राप्त करने और अपने अधिदेश को देश की सीमाओं से पार ले जाने में समर्थ हो सका। इस प्रयास से भारतीय संगीत से जुड़े कलाकारों को चुने जाने और कई एबीयू सदस्य देशों में सुने जाने का अवसर मिला। वर्ष 2014 में इस समारोह में भाग लेने वाली इम्फाल, मणिपुर की सुश्री मंगकामायांगलामबाम इसके बाद बेहद लोकप्रिय हो गयीं।

रेडियो कार्यक्रमों की अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाएं

आकाशवाणी के बहुत से कार्यक्रमों ने एशिया प्रशांत प्रसारण संघ-एबीयू, एशिया-प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान (एआईबीडी) और यूआरटीआई, इंटरनेशनल रेडियो फेस्टिवल ऑफ ईरान आदि द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में पुरस्कार जीते हैं। वर्ष 2015 में आकाशवाणी की प्रविष्टि 'निक्रमिवारक्रोप्पम' (उनके साथ खड़े हों....) को एबीयू पुरस्कार 2015 की 'कम्युनिटी सर्विस एनाउंसमेंट' (सीएसए) श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का निर्माण आकाशवाणी तिरुवनंतपुरम में सीबीएस के प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव, श्री बीजू मैथ्यू ने किया था। इस पुरस्कार में ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 2000 डॉलर का नकद इनाम शामिल था। आकाशवाणी नजीबाबाद के कार्यक्रम की प्रविष्टि 'श्री गुरुवे नमः' एआईबीडी रेनहार्डकेनेज स्मारक पुरस्कार-2015 में 'समाज में शिक्षकों पर नज़र डालने' विषय पर सर्वश्रेष्ठ रेडियो कार्यक्रम श्रेणी में उप-विजेता रही।

आकाशवाणी की सोशल मीडिया पहल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 'आकाशवाणीएआईआर' बेहद सक्रिय अकाउंट है। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर नियमित अपडेट्स के साथ हम आकाशवाणी और उसकी गतिविधियों के बारे में लोगों की दिसचस्पी पैदा करने में सफल रहे हैं जिनमें मोबाइल एप, डिजिटल मीडिया पहल और इंटरनेट पर उपलब्ध शास्त्रीय संगीत को समर्पित चैनल 'रागम' शामिल हैं।

आकाशवाणी ने अपने ब्लॉग पेज आकाशवाणीसंवाद को लोकप्रिय बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं।

आकाशवाणी की सेवाओं का एप्प/सीधा प्रसारण

आकाशवाणी अपनी वैबसाइट allindiaradio.gov.in और एंड्रॉयड, आईओएस और विंडोज़ मोबाइल प्लेटफॉर्म पर मोबाइल एप्लीकेशंस के माध्यम से 13 चैनलों को स्ट्रीमिंग के जरिए प्रसारित कर रहा है। ये चैनल विविध भारती, एफएम गोल्ड, एफएम रेनबो, आकाशवाणी-उर्दू, आकाशवाणी-गुजराती, आकाशवाणी-मराठी, आकाशवाणी-पंजाबी, आकाशवाणी-मलयालम, आकाशवाणी-तमिल, आकाशवाणी-तेलुगू, आकाशवाणी-कन्नड़, आकाशवाणी-बांग्ला और रागम हैं।

आकाशवाणी के मोबाइल एप का नाम 'ऑल इंडिया रेडियो लाइव' है। मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध सर्च फीचर में इस नाम का उपयोग किया जा सकता है। इन एप्स को डाउनलोड करने के लिए लिंक्स आकाशवाणी की वैबसाइट के होमपेज पर 'मोबाइल एप्लीकेशन' लिंक के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये हैं। मोबाइल एप्स के लिए डाउनलोड लिंक्स नियमित रूप से आकाशवाणी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए जाते हैं।

दूरदर्शन की कार्यक्रम सेवाएं

डीडी नेशनल

वर्ष 2015-16 में डीडी नेशनल ने प्राइम टाइम के दौरान प्रसारित की जाने वाले कंटेंट या सामग्री में व्यापक बदलाव करते हुए चैनल के स्वरूप और अहसास (लुक एंड फील) में सुधार किया है। शुरू किए गए नए प्राइम टाइम कार्यक्रमों में परिवारिक ड्रामा, सामाजिक ड्रामा, कॉमेडी, ऐतिहासिक, रहस्य/रोमांच और रिएलिटी शो शामिल हैं, जिनका उद्देश्य सभी वर्गों के दर्शकों को सम्पूर्ण मनोरंजन उपलब्ध कराना है। बीएआरसी की रिपोर्ट के अनुसार, नए शो अथवा कार्यक्रम शुरू होने से डीडी नेशनल चैनल की जीवीएम (दर्शकों की कुल संख्या लाखों में) सप्ताह-16 में 10 मिलियन से बढ़कर सप्ताह-34 में 49.84 मिलियन हो गयी। 15 जीईसी चैनलों में भी इसकी स्थिति में सुधार हुआ है और यह 12वें से 9वें नम्बर पर पहुंच गया। इसके अलावा, प्रति दर्शक लगाए गए समय (टीएसवी) के संदर्भ में डीडी नेशनल कई अवसरों पर नम्बर-1 जीईसी- चैनल की स्थिति तक भी पहुंच गया।

इस अवधि के दौरान डीडी नेशनल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं का व्यापक रूप से सीधा प्रसारण किया है, जो निम्नलिखित हैं:

1. 9 जनवरी, 2015 को प्रवासी भारतीय दिवस
2. 25 मई 2015 को सरकार का एक वर्ष और उसकी उपलब्धियां
3. विज्ञान भवन से डीडी किसान चैनल का शुभारम्भ
4. 21 जून, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों पर प्रसारित किया गया और कई देशों में भी वितरित किया गया।
5. 4 सितम्बर, 2015 को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री का स्कूली बच्चों से संवाद

डीडी नेशनल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहे जाने वाले आयोजनों जैसे विएना फिल्लहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा, न्यू ईयर और समर कांसर्ट तथा एबीयू टीवी संगीत समारोह का प्रसारण किया। पुरस्कार से सम्मानित पीएसबीटी और आईडीपीए के वृत्तचित्रों सहित आईटीवीएस द्वारा निर्मित वूमन ऑफ द वर्ल्ड वृत्तचित्र श्रृंखला और डायचे वेले, जर्मनी द्वारा निर्मित मंथन को गंभीर दर्शकों द्वारा सराहा गया। भारतीय महिलाओं की उपलब्धियों की झलक दिखाने वाले पारस्परिक संवाद पर आधारित दो इंटरैक्टिव शो- 'स्त्री शक्ति' और 'अब के बरस बिटिया ही दीजो' महिला सशक्तिकरण और अधिकारों के बारे में दर्शकों पर छाप छोड़ने में सफल रहे।

डीडी नेशनल ने सरकार के पहले वर्ष की उपलब्धियों की झलक दिखाने वाले दो विशेष वृत्तचित्रों – ‘एक मजबूत कदम’ और ‘नए भविष्य की ओर’ का भी प्रसारण किया। डीडी नेशनल ने ‘भारत सरकार का साल एक, काम अनेक’ शीर्षक वाले टीवी स्पोर्ट्स और रेडियो जिंगल्स का भी प्रसारण किया है जिसमें जन धन योजना, नमामी गंगे, बेंटी बचाओ बेंटी पढ़ाओ, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे सरकार के प्रमुख कदमों और भारत को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने वाले विदेश नीति से संबंधित विविध प्रस्तावों को दर्शाया गया है।

डीडी नेशनल ने मन की बात, स्वच्छ भारत मिशन, आर्थिक और सामाजिक पहल एवं कार्यक्रमों का प्रसारण किया है, जो सामाजिक बदलाव को प्रभावित करते हैं और जीवन पर असर डालते हैं।

अच्छी सामग्री और प्रबल प्रचार ने डीडी नेशनल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने की दिशा में बहुत सहायता की है। दूरदर्शन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति में महत्वपूर्ण सुधार किया है। डीडी नेशनल का सीधा स्ट्रीमिंग प्रसारण भी 2 अप्रैल 2015 से शुरू हो गया। डीडी नेशनल के फेसबुक पेज को 1.2 मिलियन लोगों ने पसंद किया है और इसकी पहुंच 1.1 मिलियन से अधिक लोगों तक हो गयी है।

डीडी न्यूज

डीडी न्यूज ने समाचार कार्यक्रमों में वृद्धि की है और उसमें विस्तृत लाइव कवरेज, नए बुलेटिनों और नए कार्यक्रमों सहित गुणात्मक सुधार आया है। डीडी न्यूज सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय है और दर्शक भी इससे व्यापक रूप से जुड़े हुए हैं। डीडी न्यूज की ओर से हाल में की गयी कुछ पहल निम्नलिखित हैं:-

1. वार्तावली: जून 2015 में प्रारम्भ किया गया संस्कृत में आधे घंटे का साप्ताहिक पत्रिका कार्यक्रम है। इसमें साप्ताहिक समाचार और संस्कृत की अंतरराष्ट्रीय पहुंच को कवर किया जाता है।

2. 5 मिनट 15 खबरें: इसमें ताजा समाचारों की त्वरित पुनरावृत्ति की जाती है। यह 5 मिनट का न्यूज शो है जिसमें 15 समाचारों को न्यूज कैप्सूल के रूप में, दिन में 8 बार दिखाया जाता है। इनमें राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, व्यापार और खेल से जुड़े प्रमुख समाचारों को शामिल किया जाता है। इसी की तर्ज पर सुबह 8 बजे खबरें जल्दी जल्दी नाम से करीब 3 मिनट की फ्लैश न्यूज शुरू की गयी है।

3. गुड न्यूज इंडिया: आधे घंटे का साप्ताहिक कार्यक्रम है जिसमें सकारात्मक प्रकृति की राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को दर्शाया जाता है। इसमें लोगों की उपलब्धियों और बेहतरीन पद्धतियों को भी स्थान दिया जाता है।

4. हर घंटे सुर्खियां: हर घंटे हिंदी और अंग्रेजी में ग्राफिक सुर्खियां, करीब दो मिनट में नियमित रूप से ताजा समाचार उपलब्ध कराती हैं।

5. वर्ल्ड कनेक्ट/खबर दुनिया की: अंतरराष्ट्रीय समाचारों पर अंग्रेजी और हिंदी में साप्ताहिक न्यूज शो हैं।

डीडी किसान

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के किसानों को समर्पित डीडी किसान चैनल का शुभारंभ 26 मई 2015 को किया था। यह पहल सरकार और दूरदर्शन, प्रसार भारती द्वारा चैनल के माध्यम से खेती-बाड़ी, बागवानी, पशुपालन और ग्रामीण विकास से संबंधित आधुनिक पद्धतियों के बारे में जागरूकता फैलाकर आम लोगों, विशेष तौर पर कृषक आबादी की सहायता करने, और इस प्रकार समावेशी विकास की दिशा में योगदान देने के उद्देश्य से की गयी है। हाल ही में डीडी किसान के दर्शकों की संख्या 1.31 करोड़ तक पहुंच गयी और यह लगातार लोकप्रिय हो रहा है।

सरकार ने किसान चैनल के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान 100 करोड़ रुपये के प्रावधान वाली योजना को मंजूरी दी। संशोधित अनुमान 2014-15 में इसे घटाकर 26.00 करोड़ रुपये कर दिया गया। संशोधित अनुमान 2015-16 में 36.25 करोड़ रुपये के आवंटन (10.00 करोड़ रुपये का पूंजी संघटक और 26.25 करोड़ रुपये कंटेंट या सामग्री के विकास और प्रसार के लिए) का प्रस्ताव किया गया है। बजट अनुमान 2016-17 में 60 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

दूरदर्शन की डीटीएच सेवा “डीडी फ्री डिश”

दूरदर्शन ने अपनी फ्री-टू-एयर डीटीएच सेवा, दिसम्बर 2004 में 33 टीवी चैनलों के समूह के साथ शुरू की थी। वर्तमान में डीडी फ्री डिश पर 64 चैनल हैं, जिनमें 22 डीडी चैनल, 5 विदेशी लोक प्रसारकों के चैनल और 35 निजी चैनल शामिल हैं जो 3.80 करोड़ रुपये से 7.6 करोड़ रुपये तक की अलग-अलग मूल्य दर में ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित किए गए हैं।

ग्रामीण बीएआरसी रेटिंग्स शुरू होने के बाद ग्रामीण बाजार में डीडी फ्री डिश का वर्चस्व स्थापित हुआ जिससे प्रसार भारती ई-नीलामी के माध्यम से प्रति चैनल 7.6 करोड़ रुपये शुल्क प्राप्त करने में सक्षम हो सका।

डीडी फ्री डिश हाल ही में 1 फरवरी, 2016 को इनसेट-4बी से जीसेट-15 में स्थानांतरित हुआ है। परिवर्तन के साथ ही एमपीईजी-2 चैनलों की संख्या 64 से बढ़कर 80 हो गयी है। इसका आशय है कि अतिरिक्त 16 एमपीईजी-2 चैनल जोड़े गये हैं और ई-नीलामी के लिए उपलब्ध हैं। इन चैनलों की नीलामी की प्रक्रिया जारी है।

उपरोक्त 16 एमपीईजी-2 चैनलों के अलावा, डीडी फ्री डिश में अतिरिक्त 24 एमपीईजी-4 चैनल होंगे, जो डीईआईटीवाई द्वारा चुनी गयी इकाई मैसर्स बाईडिजाइन द्वारा उपलब्ध कराये गये कंडीशनल एक्ससिस्टिबल सिस्टम (सीएएस) के कार्यान्वयन के बाद उपलब्ध होंगे। इन 24 एमपीईजी-4 चैनलों के कार्यान्वयन के बाद डीडी फ्री डिश की कुल क्षमता बढ़कर 104 चैनल की हो जाएगी।

सीएएस समर्थ एमपीईजी-4 चैनलों के प्रसारण से ईपीजी, होम/डिफॉल्ट चैनल, ईपीजी पर अन्य समान सेवाओं पर विज्ञापनों जैसी मूल्य वर्धित सेवाओं (वीएएस) के लिए नए अवसर सामने आएंगे। इन मूल्य वर्धित सेवाओं से दूरदर्शन के लिए अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने की संभावनाएं हैं।

डीडी फ्री डिश ने ई-नीलामी के माध्यम से वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में क्रमशः 100.62 करोड़ रुपये, 135.93 करोड़ रुपये और 114.82 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। इनकी तुलना में दिसम्बर 2015 तक 156.38 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। डीडी फ्री डिश के राजस्व में यह वृद्धि, मुख्यतः ग्रामीण बाजार की नयी बीएआरसी रेटिंग्स की वजह से उसकी मांग में बढ़ने से हुई है।

डीडी स्पोर्ट्स चैनल

डीडी स्पोर्ट्स चैनल 18 मार्च 1999 को प्रारम्भ किया गया देश का अकेला ऐसा चैनल है, जो फ्री टू एयर प्लेटफॉर्म पर घरेलू खेलों को अधिकतम प्रोत्साहन देता है।

डीडी स्पोर्ट्स देश भर में खेले जाने वाले देशी और जनजातीय खेलों के खजाने को योजनाबद्ध रूप से प्रदर्शित करने के लिए खेलों की शैली में नए विचार के साथ सामने आया है।

इस चैनल ने देश भर में खेले जाने वाले देशी खेलों के विभिन्न केंद्रों तक चरणबद्ध रूप से पहुंचने की योजना बनायी, जिसमें क्षेत्र के 7-8 मौलिक खेलों का उनकी टेलीविजन के अनुरूप प्रकृति को अहमियत देते हुए चयन करना और राज्य विशेष की विशिष्ट संस्कृति को दर्शाने वाले रंगारंग उद्घाटन एवं समापन समारोह सहित इन खेल समारोहों को तीन दिन के भीतर आयोजित करना शामिल था। ये समारोह और आयोजन क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए सीधे प्रसारित किए गए।

खेलों का प्रथम संस्करण आइजॉल, मिजोरम में नवम्बर 2015 के प्रथम सप्ताह में, जबकि दूसरा संस्करण दिसम्बर 2015 में इम्फाल, मणिपुर में आयोजित किया गया जिसे देश का स्पोर्टिंग पॉवरहाउस कहा जाता है। इसी शहर ने विश्व को पोलो का आधुनिक खेल दिया है। आयोजन में 7 प्रकार के देशी खेलों का उनके मूल स्वरूप और वेशभूषा में आयोजन किया।

वर्ष 2016 में, डीडी स्पोर्ट्स इन खेलों को झारखंड के रांची, पंजाब और हरियाणा के चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ के रायपुर, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, मेघालय के शिलांग, केरल और महाराष्ट्र ले जाने का इच्छुक है। ‘इंडियन खेल लीग-ये इंडिया का खेल है’ नामक इन खेलों की झलकियों को उत्साहजनक टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स मिले।

दक्षिण एशियाई खेल

पूर्वोत्तर के दो शहरों-गुवाहाटी और शिलांग में पहली बार विविध स्पर्धाओं वाले अंतरराष्ट्रीय खेल समारोह-12वें दक्षिण एशियाई खेल का 5 फरवरी 2016 से 16 फरवरी 2016 तक आयोजन किया जा रहा है। इन खेलों में 8 दक्षिण-एशियाई देश सम्मिलित होंगे, जो स्वर्गीय डॉ. भूपेन हजारिका द्वारा रचित इसके थीम सांग “ये पृथ्वी एक क्रीड़ांगन” के अनुरूप होगा।

दूरदर्शन ने गुवाहाटी में होने वाली 17 खेल स्पर्धाओं और शिलांग में होने वाली 8 खेल स्पर्धाओं को कवर करने और इनका प्रसारण करने की व्यापक योजना बनायी है। समग्र और व्यापक कवरेज और प्रसारण की योजना के अंतर्गत गुवाहाटी में 7 ओ बी वैनस, 7 डीएसएनजी और 12 ईएनजी यूनिट्स तथा शिलांग में 2 ओ बी वैनस, 2 डीएसएनजी, 1 ईपीएफ और 10 ईएनजी यूनिट्स शामिल होंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम, सारूसाजय काम्प्लैक्स में रंगारंग समारोह में एसएजी-2016 के उद्घाटन के बाद खेल प्रारम्भ होंगे।

प्रसार भारती आर्काइव्स

प्रसार भारती आर्काइव्स यानी अभिलेखागार कई दशकों में आकाशवाणी और दूरदर्शन में सृजित की गयी मीडिया सामग्री (कंटेंट) का संरक्षक है। किसी भी मीडिया संगठन का भविष्य उसकी मीडिया परिसम्पत्तियों के कारगर प्रबंधन पर निर्भर करता है क्योंकि एक प्रसारक चैनल होने के नाते समसामयिक घटनाओं को उचित संदर्भ में प्रस्तुत करने के लिए फाइल फूटेज की आवश्यकता पड़ती है। यह बहुमूल्य सामग्री अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनिया भर में सराहे गए भारत जैसे देश की जीवंत संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है।

प्रसार भारती आर्काइव्स ने लगभग 2 लाख घंटों की ऑडियो और 2 लाख घंटों की ऑडियो-वीडियो सामग्री के डिजिटलीकरण और अभिलेखन के लिए दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी में पांच क्षेत्र या ज़ोन बनाए हैं। अब तक 5000 घंटों की वीडियो और 11000 घंटों की ऑडियो सामग्री का डिजिटलीकरण और अभिलेखन किया जा सका है। निर्माण, प्रसारण और अभिलेखन के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन को सामान्य प्रसारण ढांचे की बुनियादी आवश्यकता है। इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। एक साल की अवधि में 60000 घंटों के कार्यक्रमों का डिजिटलीकरण करने के प्रस्ताव की दिशा में प्रगति हो रही है। सामग्री की सूची तैयार करने और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केंद्रों की उच्च पुरालेखीय अहमियत वाली सामग्री की पहचान का कार्य शुरू कर दिया गया है और यह प्रगति पर है। भारत का लोक सेवा प्रसारक होने के नाते, दूरदर्शन की 184 घंटे की सामग्री और 105 घंटे का ऑडियो यूट्यूब पर जनता के देखने के लिए उपलब्ध है।

भक्ति संगीत प्रसारित करने की आकाशवाणी की लम्बी परंपरा रही है, जिससे श्रोताओं को आध्यात्मिक अनुभूति होती है। आकाशवाणी के खजाने में कई अमूल्य निधियां हैं, जिन्हें आकाशवाणी सीडी के माध्यम से सामने लाया है, ताकि जनसाधारण उसका गान कर सके, ध्यान कर सके और उसे प्रत्येक धर्म की शिक्षाओं को आत्मसात करने में सहायता मिल सके। आकाशवाणी द्वारा अब तक 95 ऑडियो सीडी जारी की गयी हैं और इनमें रामचरितमानस सबसे नवीनतम है। रामचरितमानस मूलतः वाल्मीकी के संस्कृत महाकाव्य रामायण पर आधारित है। दूरदर्शन ने अब तक 89 डीवीडी जारी की हैं और इस श्रृंखला में नवीनतम लालगुडी ब्रह्मनादम की ‘वायलिन’ है।

स्वाधीनता सेनानियों और राष्ट्रीय नेताओं के निम्नलिखित भाषणों के संग्रह एलबम के रूप में जारी किए गए हैं: -

1. “अमर वाणी-इमॉर्टल वॉयस”-महात्मा गांधी (ये एलबम देश भर के शैक्षिक संस्थानों में वितरित की गयी है और यूट्यूब पर भी अपलोड की गयी है।)
2. कालजयी स्वर संपदा-श्री अटलबिहारी वाजपेयी,
3. कालजयी स्वर संपदा-राष्ट्रीय नेतागण (नेताजी सुभाषचंद्र बोस, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहर लाल नेहरू, डॉ. भीम राव अंबेडकर, डॉ. सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, श्री लालबहादुर शास्त्री),

4. कालजयी स्वर संपदा-सरदार वल्लभभाई पटेल (उपरोक्त 2,3, और 4 प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और विभिन्न मंत्रालयों को अग्रसारित की गयी हैं और यूट्यूब पर भी, अपलोड की गयी हैं),

राष्ट्रीय नेताओं और स्वाधीनता सेनानियों के 105 ऑडियो कट्स अब तक यूट्यूब पर अपलोड किए गए हैं। इनमें प्रमुख हस्तियां हैं महात्मा गांधी (35 कट्स), सरदार वल्लभभाई पटेल (14 कट्स), डॉ. भीम राव अंबेडकर (4 कट्स) और नेताजी सुभाष चंद्र बोस (4 कट्स)।

कुल मिलाकर दीर्घकालिक योजना पांच साल के भीतर पूरी विरासत सामग्री का डिजिटिकरण और अभिलेखन करने की है, बशर्ते सरकार से ईएफसी प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाए।

किसान चैनल के अतिरिक्त, कंटेंट या सामग्री का सृजन करने संबंधी सभी आवश्यकताओं और प्रयासों के लिए धन की व्यवस्था प्रसार भारती द्वारा खुद अर्जित किए गए राजस्व से की गयी है, क्योंकि सरकार की ओर से आकाशवाणी कार्यक्रम सेवाओं और दूरदर्शन चैनलों यथा डीडी न्यूज, डीडी नेशनल, डीडी भारती, स्पोर्ट्स चैनल आदि को कोई बजटीय सहायता नहीं दी गयी।

मुख्य सचिवालय प्रसारण विंग

(क) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग

पिछले 5 वर्षों में मंत्रालय ने भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। नतीजतन अनुमतियों की संख्या 186 से 432 हो गई जबकि चालू स्टेशनों की संख्या 64 से 188 हो गई है। सामुदायिक रेडियो आंदोलन को मजबूत करने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:

मंजूरी की प्रक्रिया का सरलीकरण: अंतर मंत्रालयी मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने और संचार अंतराल को कम करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ मासिक समन्वय बैठकों को शुरू किया गया है।

सीआर आवेदकों/आगंतुकों की मदद करने के लिए मंत्रालय में एक सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है - एक टोल फ्री नंबर (1800-11-6346) लागू किया गया है।

जागरूकता बढ़ाना: वर्ष 2008 से अब तक 63 कार्यशालाओं का देश भर में आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 8 जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। इन कार्यशालाओं ने जमीनी स्तर पर संगठनों और अन्य को एक अवसर प्रदान किया है जिससे वे आवेदन प्रक्रिया, सीआर के उद्देश्यों और उसके पीछे के दर्शन से संबंधित मुद्दों को समझ सकें।

‘सीआर ऑपरेटर्स का राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन’ नामक पांच वार्षिक राष्ट्रीय कॉन्क्लेव आयोजित किए गए हैं जिससे सरकार के पदाधिकारियों, मीडिया एक्टिविस्ट्स और सीआर ऑपरेटर्स को विचारों का आदान-प्रदान करने और एक दूसरे से सीखने का मौका मिल सके। सीआरएस संग्रह के पांच संस्करण (2011, 2012, 2013, 2014 और 2015) भी प्रकाशित किए गए हैं।

राष्ट्रीय सीआर पुरस्कार: सीआर स्टेशनों की बेहतर प्रोग्रामिंग को बढ़ावा देने, सीआर ऑपरेटर्स को प्रेरित करने और सामुदायिक सशक्तीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से नकद प्रोत्साहन सहित राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों का गठन किया गया है। राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन के दौरान पात्र सीआर स्टेशनों को पुरस्कार प्रदान

किए जाते हैं।

स्थिरता को बढ़ाना: सामुदायिक रेडियो के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 12 वीं योजना में 100 करोड़ रुपये की एक नई योजना स्कीम ' भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग' शुरू किया गया है।

सीआरएस विज्ञापनों के लिए 1 रुपये प्रति सेकंड की दर को 4 रुपये प्रति सेकंड कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सीआरएस पर प्रायोजित कार्यक्रमों के दिशानिर्देश और दरें निर्धारित कर दी गई हैं।

डीएवीपी के साथ सीआरएस की पैनल प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। डीएवीपी के पैनल में लगभग 55 सीआरएस को शामिल कर दिया गया है।

मंत्रालयों/ विभागों के लिए सहयोग: महिला एवं बाल विकास और पंचायती राज मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आदि के साथ लगातार संपर्क से विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में सीआर की क्षमता को समझने में मदद मिली है। इन मंत्रालयों ने सीआर स्टेशनों के साथ स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, बालिकाओं की शिक्षा, उपभोक्ता मामलों, आपदा प्रबंधन आदि पर सार्वजनिक सेवा संदेशों के प्रसारण करने के लिए साझेदारी प्रारंभ कर दी है।

(ख) प्रसारण शाखा का स्वचालितीकरण

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, विविध प्रसारण सेवाओं के लिए अनुमति/पंजीकरण प्रदान करने हेतु प्रसारण शाखा के विभिन्न विभागों को स्वचालित बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया। इस परियोजना में एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल बनाना, उसका परीक्षण और स्थापन किया जाना शामिल है। इस परियोजना का कार्यान्वयन बेसिल के माध्यम से किया जाएगा और इसमें शामिल है:

क. अध्ययन की अवस्था

ख.सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का स्थापन और संचार

ग. प्रणालियों का कार्यान्वयन

- पुराने डाटा का स्थानांतरण

- रिपोर्टिंग सॉल्यूशन

घ. प्रशिक्षण

ङ कार्यान्वयन के बाद की सहायता

नई योजना में सुचारु और निर्बाध रूप से कार्य करने और आवश्यक डाटा बरकरार रखने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने की परिकल्पना की गई है। चैनलों को प्रसारण के मुद्दों और नाम या कम्पनी के पोर्टफोलियो में बदलाव के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अनुमति की जरूरत पड़ती है। वर्तमान में टीवी (इनसेट) प्रभाग में 18 मुख्य प्रक्रियाएं हैं और वे निम्नलिखित हैं:

- टीवी चैनल की अपलिंकिंग

- टीवी चैनल की डाउनलिंकिंग
- टेलीपोर्ट के लिए मंजूरी
- नाम और लोगो में बदलाव
- टेलीपोर्ट में बदलाव
- उपग्रह में बदलाव
- भाषा में बदलाव
- शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव
- निदेशकों की नियुक्ति
- समाचार श्रेणी से गैर-समाचार श्रेणी में और गैर-समाचार श्रेणी से समाचार श्रेणी में बदलाव
- सीधे प्रसारण के लिए गैर-समाचार चैनलों/विदेशी चैनलों से अस्थायी अपलिंकिंग की अनुमति
- डीएसएनजी अनुमति- भाड़े पर लेना/खरीदना
- भारतीय समाचार एजेंसियों द्वारा अपलिंकिंग के लिए अनुमति
- संसदीय प्रश्न
- आरटीआई
- अदालती मामले
- वीआईपी संदर्भ
- अनुरोधों की स्थिति की जानकारी रखना

मंत्रालय में प्रसारण नीति एवं विधान (बीपीएल) विभाग निम्नलिखित प्रसारण वितरण सेवाओं की अनुमति/पंजीकरण/लाइसेंस प्रदान करने के मामले भी देखता है:-

- मल्टी सिस्टम आपरेटर (एमएसओ)
- डायरेक्ट टू होम सर्विसेस (डीटीएच)
- हेडेन्ड इन द स्काई सर्विसेस(एचआईटीएस)
- टीआरपी एजेंसियां
- सीआरएस

इस योजना के अंतर्गत उपरोक्त सेवाओं के लिए स्वचालित अनुमति/लाइसेंस/पंजीकरण प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ग) डिजिटलाइजेशन का मिशन

सुधार उपाय एवं नीति पहलें

प्रोजेक्ट के चरणानुसार पूर्णता की तिथियां निम्नानुसार हैं-

क्रम संख्या	चरण	शहर का नाम	पूर्णता दिनांक
1.	चरण-1	चार मेट्रो शहर दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा चेन्नई	31.10.2012
2.	चरण-2	38 शहर (जिनकी जनसंख्या 1 मिलियन से अधिक है।)	31.03.2013
3.	चरण-3	अन्य शहरी क्षेत्र	31.12.2015
4.	चरण-4	शेष भारत	31.12.2016

पहला चरण 4 शहरों तक विस्तृत था जबकि दूसरे चरण में 38 शहर शामिल रहे। पहले तथा दूसरे चरण पूरे किए जा चुके हैं। तीसरे तथा चौथे चरण में आंकड़ा संग्रहण तथा सीडिंग प्रक्रिया की निगरानी का कार्य बेसिल को दिया गया है। बेसिल ने प्रोजेक्ट प्रारम्भ करने का कार्य पूरा कर लिया है। डिजिटलाइजेशन के तीसरे एवं चौथे चरण को लागू करने के लिए निम्न कार्यवाही की जा चुकी है।

- i. केबिल टी वी डिजिटलाइजेशन के तीसरे एवं चौथे चरण को लागू करने के लिए टाइम लाइन तय की जा चुकी है।
- ii. केबिल टी वी डिजिटलाइजेशन के तीसरे एवं चौथे चरण को लागू करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है। नवम्बर, 2015 तक टास्क फोर्स की 11 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं।
- iii. प्रचार अभियान, एम एस ओ तथा एल सी ओ संगठन पर उप समूह का गठन हो चुका है तथा बैठकें आयोजित हो रही हैं।
- iv. तीसरे चरण के लिए एम एस ओ के पंजीकरण की समयबद्ध योजना तय की जा चुकी है। इस सम्बंध में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन भी जारी किए जा चुके हैं। लगभग 670 एम एस ओ पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं।
- v. डिजिटलाइजेशन के लाभ से सम्बंधित प्रचार अभियान इलेक्ट्रॉनिक, प्रिन्ट, सोशल मीडिया तथा एस एम एस के जरिए प्रारम्भ किए जा चुके हैं।
- vi. डिजिटलाइजेशन योजना के बारे में अवगत कराते हुए राज्यों/संघ क्षेत्रों के रेजीडेन्ट कमिश्नरों के साथ एक बैठक आयोजित हुई।
- vii. राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों की दो कार्यशालाएं दिल्ली में 3.6.2015 तथा 3.11.2015 को आयोजित हुईं। 3.11.2015 को आयोजित बैठक की अध्यक्षता सचिव (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय) द्वारा की गई।
- viii. केबिल टी वी डिजिटलाइजेशन पर मंत्रालय ने 11 क्षेत्रीय कार्यशालाएं चन्डीगढ़, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, शिलांग, जयपुर, हैदराबाद, पुणे, भुवनेश्वर, बेंगलुरु तथा पटना में आयोजित की। इसमें राज्य तथा जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों तथा एम एस ओ को केबिल टी वी डिजिटलाइजेशन में उनकी भूमिका से अवगत कराने पर चर्चा हुई।
- ix. मिशन डिजिटलाइजेशन की संशोधित योजना अनुमोदित की जा चुकी है तथा 12 क्षेत्रीय इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं। 'मिशन डिजिटलाइजेशन' योजना लागू करने के सम्बंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं बेसिल के बीच एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। टोल फ्री हेल्पलाइन (बहुभाषी) संख्या 18001804343 को प्रारम्भ किया जा चुका है। एस टी बी के सीडिंग स्टैटस से सम्बंधित आंकड़ों के संग्रहण के लिए एम आई एस ऑनलाइन साफ्टवेयर का विकास कर इसे परिचालित किया जा चुका है।

अध्याय 4

पिछले कार्य प्रदर्शन की समीक्षा

सूचना क्षेत्र

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

4.1 वर्ष 2014-15 के लक्ष्य एवं उपलब्धियां: 2014-15 के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां वित्तीय और भौतिक, दोनों ही संदर्भों में नीचे के अनुच्छेदों में दी गई है।

4.2 वित्तीय प्रदर्शन: पिछले वर्ष का वित्तीय कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है, जिसमें योजना और गैर-योजना दोनों मदों के अंतर्गत आवंटन का लगभग पूरी तरह इस्तेमाल किया गया।

वित्तीय

(लाख रुपये में)

बजट/अंतिम अनुमान 2014-15			वास्तविक व्यय 2014-15		
योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
16110.00	6507.00	22617.00	16107.73	6470.42	22578.15

वार्षिक योजना 2014-15 पहले से जारी दो कार्यक्रमों के साथ तैयार की गई, अर्थात् (क) विकास संचार (धारणा और संप्रेषण) के जरिए जन-सशक्तिकरण, जिसका कुल स्वीकृत परिव्यय रु. 17800.00 लाख था। संशोधित अनुमान/अंतिम अनुदान के स्तर पर कम/अतिरिक्त धन रुपये 16110.00 लाख प्रदान किया गया और 31 मार्च, 2015 तक रु. 16107.73 लाख व्यय किए गए। वित्तीय लक्ष्य के संदर्भ में उपलब्धियां शत-प्रतिशत रहीं और (ख) “मीडिया ढांचा विकास कार्यक्रम”, जिसका स्वीकृत परिव्यय रु. 400.00 लाख था और अंतिम अनुदान स्तर पर रु. 190.00 लाख अतिरिक्त धन प्रदान किया गया और मार्च 2015 तक रु. 589.18 लाख व्यय किए गए। वित्तीय लक्ष्य के संदर्भ में उपलब्धि शत-प्रतिशत रही। योजना कार्यक्रम बाह्य प्रचार माध्यम, मुद्रित प्रचार, प्रदर्शनी, डिस्प्ले और वर्गीकृत विज्ञापन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सूचना संप्रेषण और डीएवीपी के आधुनिकीकरण के जरिए कार्यान्वित किया गया।

4.3 वित्तीय कार्य निष्पादन: वित्तीय लक्ष्य हासिल करने के साथ ही भौतिक निष्पादन भी उत्कृष्ट रहा, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क) प्रदर्शनी: वार्षिक योजना 2014-15 के दौरान, निम्नांकित प्रतिष्ठित प्रदर्शनियां देश भर में लगाई गईं। जैसे ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’, ‘स्वच्छ भारत’, ‘मेक इन इंडिया’ के बारे में प्रदर्शनी, हॉर्नबिल फेस्टिवल के दौरान प्रदर्शनी, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में फोटो प्रदर्शनी।

ख) डिस्प्ले और वर्गीकृत: वार्षिक योजना 2014-15 के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए योजना निधि के अंतर्गत अभी तक 7950 विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों के लिए 8830 विज्ञापन जारी किए गए।

ग) रेडियो स्पॉट: सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बजट से स्वच्छ भारत के लिए अभियान का संचालन किया गया। अन्य मंत्रालयों के लिए अतुल्य भारत, पूर्वोत्तर को प्रोत्साहन, भारतीय सेना/नौसेना के लिए भर्ती, उपभोक्ता जागरूकता, जनसंख्या स्थिरीकरण आदि के बारे में अभियान चलाए गए।

घ) बाह्य प्रचार: उपभोक्ता मामलों, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), जनगणना, आय कर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, बीईई, महिला और बाल विकास, गृह मंत्रालय (एनडीएमए), स्वच्छ भारत, आई एफएफआई, राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह, ग्रामीण विकास और जन सुविधाओं के बारे में अभियान चलाए गए।

ड) मुद्रित प्रचार: उपलब्धि पुस्तिका “ए न्यू लीप फॉरवर्ड”(एक कदम सफलता की ओर), लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के बारे में फोल्डर, इंडिया इन सार्क एंड ब्रिक्स, एनसीसी और भारतीय वायुसेना के बारे में पुस्तिकाएं, प्रधानमंत्री के भाषण, प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए डॉकट (कार्य-सूची), भारत सरकार का कैलेण्डर और डायरियों सहित विभिन्न भाषाओं में प्रतिष्ठित पुस्तिकाएं मुद्रित की गईं। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विंगों के लिए भी डायरियां और कैलेण्डर तैयार किए गए।

4.4 डीएवीपी का आधुनिकीकरण: कार्यालय व्यय: एमआईडीपी कार्यक्रम के अंतर्गत ऑन लाइन बिलिंग प्रणाली कम्प्यूटरों के लिए आवश्यक हार्ड वेयर और सॉफ्टवेयर वित्तीय वर्ष के दौरान खरीदे जा रहे हैं। डीएवीपी मुख्यालय नये ब्लॉक में स्थानांतरित किया जा रहा है।

4.5 वर्ष 2014-15 के लिए लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा संक्षेप में नीचे दिया गया है:-

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियां

क्र.सं.	ब्यौरा	लक्ष्य	उपलब्धियां (31.03.2015 तक)
1	प्रदर्शनी (प्रदर्शनी के दिनों की संख्या)	1698	1772
2	डिस्प्ले वर्गीकृत (अंतर्वेशनों की संख्या हजार में)	5.00	7.95
3	मुद्रित प्रचार (कार्यों की संख्या)	12.00	12.00
4	बाह्य प्रचार (डिस्प्ले की संख्या लाख में)	5.50	5.70
5	एवी कम्पेन (डिस्प्ले यूनिटों* की संख्या हजार में)	75.00	77.10

* रेडियो स्पॉट की एक डिस्प्ले यूनिट में टीवी चैनलों के लिए 01 अंतर्वेशन, रेडियो में 03 अंतर्वेशन, डिजिटल सिनेमा में 10 अंतर्वेशन, 1000 एसएमएस और इंटरनेट पर 2500 इम्प्रेसिन्स शामिल होंगे।

** 2013-14 की तुलना में उपलब्धियां कम रही हैं क्योंकि 2014-15 के लिए कम धन आवंटित किया गया, जो रु. 155.20 (संशोधित अनुमान) करोड़ था, जबकि 2013-14 में रु. 189.00 करोड़ आवंटित किए गए थे।

2015-16

4.6 वर्ष 2015-16 के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां: चालू वर्ष यानी 2015-16 के लिए लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

4.7 वित्तीय लक्ष्य:

वर्ष के लिए बजट आवंटन नीचे दिया गया है। वित्तीय संदर्भ में, डीएवीपी ने योजना और गैर-योजना दोनों मदों के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन की मांग की है।

(लाख रुपये में)

योजना	गैर-योजना	कुल
15400.00	6739.90	22139.00

4.8 भौतिक कार्य निष्पादन:- वार्षिक योजना 2015-16 दो कार्यक्रमों के साथ तैयार की गई है। ये हैं: (क) विकास संचार के जरिए जन-सशक्तिकरण, जिसके लिए रु. 2000.00 लाख अनुमोदित किया गया है और (ख) “मीडिया ढांचा विकास” नाम से नया कार्यक्रम 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शामिल किया गया, जिसका कुल स्वीकृत परिव्यय वार्षिक योजना 2015-16 में रु. 300.00 लाख निर्धारित किया गया। 31.12.2015 तक योजना और गैर-योजना के अंतर्गत रु. 8267.28 लाख खर्च किए जा चुके थे। उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

4.9 कार्यक्रम: विकास संचार के जरिए जन-सशक्तिकरण

क) प्रदर्शनी: वार्षिक योजना 2015-16 के दौरान, 31 दिसम्बर तक निम्नांकित प्रतिष्ठित प्रदर्शनियां देश भर में लगाई गईं। जैसे ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’, ‘स्वच्छ भारत’, ‘सबका साथ सबका विकास’, ‘विकास की नई उड़ान’, ‘साल एक शुरूआत अनेक’, ‘भारतीय विज्ञान कांग्रेस’, ‘आईएफएफआई प्रदर्शनी’, ‘स्वामी विवेकानंद के बारे में प्रदर्शनी’। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रीय मेलों और पीआईसी आदि के अवसर पर भी प्रदर्शियां लगाई गईं।

ख) डिस्प्ले और वर्गीकृत: वार्षिक योजना 2015-16 के दौरान 31 दिसम्बर तक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए योजना निधि के अंतर्गत अभी तक 4090 विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों के लिए 10050 विज्ञापन जारी किए गए।

ग) रेडियो स्पॉट: सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बजट से स्वच्छ भारत के लिए अभियान संचालित किए गए। अन्य मंत्रालयों के लिए अतुल्य भारत, पूर्वोत्तर को प्रोत्साहन, भारतीय सेना/नौसेना के लिए भर्ती, उपभोक्ता जागरूकता, इंटरनेशनल फ्लोट रिव्यू आदि के बारे में अभियान चलाए गए।

घ) बाह्य प्रचार: उपभोक्ता मामलों, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), जनगणना, आय कर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, स्वच्छ भारत, आईएफएफआई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम, स्थाई कृषि के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन, ग्रामीण विकास और जन सुविधाओं के बारे में अभियान चलाए गए।

ङ) मुद्रित प्रचार: विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित की गई उपलब्धि पुस्तिकाओं में साल एक शुरूआत अनेक के बारे में फोल्डर, लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के बारे में फोल्डर, एनसीसी और भारतीय वायुसेना के बारे में पुस्तिकाएं, आईएफएफआई का कैटलॉग, प्रधानमंत्री के भाषण, डाक विभाग, भूमि संसाधन विभाग के लिए प्रबंधन डायरी, भारत सरकार का कैलेण्डर और डायरियां, शामिल थीं। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विंगों के लिए डायरियां और कैलेण्डर, राजभाषा विभाग का कैलेण्डर आदि भी तैयार किए गए।

4.10 कार्यक्रम: मीडिया ढांचा विकास कार्यक्रम

कार्यालय व्यय: एमआईडीपी कार्यक्रम के अंतर्गत ऑन लाइन बिलिंग प्रणाली कम्प्यूटरों के लिए आवश्यक हार्ड वेयर और सॉफ्टवेयर वित्तीय वर्ष के दौरान खरीदे जा रहे हैं। डीएवीपी मुख्यालय नये ब्लॉक में स्थानांतरित किया जा रहा है।

4.11 वर्ष 2015-16 के लिए भौतिक उपलब्धियों का सारांश नीचे दिया गया है।

योजना/गैर-योजना/अन्य मंत्रालय/विभाग(2015-16)
वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान लक्ष्य एवं उपलब्धियां (भौतिक)
भौतिक लक्ष्य

योजना/गैर-योजना/अन्य मंत्रालय/विभाग (2015-16) - ईएफसी में अनुमोदित अनुसार

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2015-16 के लिए लक्ष्य
1	प्रदर्शनी (प्रदर्शनी दिनों की संख्या)	12928.93 प्रदर्शनी दिन
2	डिस्प्ले वर्गीकृत (अंतर्वेशनों की संख्या हजार में)	5.23
4	टीवी/रेडियो पर विज्ञापन (डिस्प्ले यूनिटों* की संख्या हजार में)	55.27
5	मुद्रित प्रचार (कार्यों की संख्या)	14.77
6	बाह्य प्रचार (डिस्प्ले की संख्या लाख में)	5.20

उपलब्धि (भौतिक)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2015-16 के लिए लक्ष्य	31.12.2015 तक उपलब्धियां
1	प्रदर्शनी (प्रदर्शनी के दिनों की संख्या)	12928.93 प्रदर्शनी दिन	10930.0 प्रदर्शनी दिन
2	डिस्प्ले वर्गीकृत (अंतर्वेशनों की संख्या हजार में)	5.23	4.09
3	टीवी/रेडियो पर विज्ञापन (डिस्प्ले यूनिटों* की संख्या हजार में)	55.27	46.086
4	मुद्रित प्रचार (कार्यों की संख्या)	14.77	12.57
5	बाह्य प्रचार (डिस्प्ले की संख्या लाख में)	5.20	3.92

4.12 वर्ष 2016-17 के लिए लक्ष्य
वित्तीय

योजना परिव्यय

लाख रूपए में

योजना	गैर योजना	कुल
12860.00 (योजना 1 तथा 2)	8456.00	21316.00

भौतिक लक्ष्य

योजना/गैर योजना/अन्य मंत्रालय/विभाग(2016-17)

क्रम संख्या	विवरण	वर्ष 2016-17 के लिए लक्ष्य
1	प्रदर्शनी (प्रदर्शनी दिनों की संख्या)	4309.64 प्रदर्शनी दिन
2	डिस्प्ले वर्गीकृत (अंतर्वेशनों की संख्या हजार में)	5.23
3	टीवी/रेडियो पर विज्ञापन (डिस्प्ले यूनिटों' की संख्या हजार में)	66.97
4	मुद्रित प्रचार (कार्यों की संख्या)	12.92
5	बाह्य प्रचार (डिस्प्ले की संख्या लाख में)	5.20

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

वार्षिक योजना 2015-16 के दौरान प्रदर्शन की समीक्षा
शारीरिक गतिविधियां कार्यक्रम:

	2014-15		2015-16		2016-17
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य जनवरी 2016 तक
एसओपी	1060	921	561	304	300

वार्षिक योजना 2015-16 में, “प्रत्यक्ष संपर्क कार्यक्रम” (डीसीपी) जैसे एकल योजना स्कीमों को लागू करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इस मुख्य योजना के तीन घटक (1) विशेष आउटरीच कार्यक्रम (2) पर्यटन का आयोजन/ कौशल उन्नयन और (3) डीसीपी को अवसंरचनात्मक सहयोग। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से इसके लिए अनुमोदित केवल 3.38 करोड़ ही प्राप्त हुआ। बाद में आरसीई में पर्यटन का आयोजन/ कौशल उन्नयन घटक को हटा लिया गया। फिर संशोधित अनुमान (आरई) में बजट परिव्यय को घटाकर 3.00 करोड़ कर दिया गया।

‘आईएसडीसीपी’ घटक के तहत 31 जनवरी, 2016 तक 22,49,000 रुपये की राशि खर्च हुई। ‘एसओपी’ घटक के तहत 31 जनवरी, 2016 तक 76,23,000 रुपये की राशि खर्च हुई।

निदेशालय के वित्तीय प्रदर्शन निम्न प्रकार से हैं:-

(हजार रुपए में)

	2014-15		2015-16		2016-17
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य
	एसबीजी 31 मार्च, 2015 तक		आरई 31 जनवरी, 2016 तक		बीई
योजना	45000	25007	30000	9872	40000
गैर-योजना	497400	515332	512500	463052	679600
कुल	542400	540339	542500	472924	719600

भारतीय जनसंचार संस्थान

वित्त वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के लिए वास्तविक उपलब्धियां और वर्ष 2016-17 के लिये लक्ष्य (गैर-नियोजित)

योजना/ गतिविधि का नाम	वित्त वर्ष 2014-15		वित्त वर्ष 2015-16		वित्त वर्ष 2016-17	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धियां	भिन्नताओं के कारण	वास्तविक लक्ष्य
जनसंचार में प्रशिक्षण/ शिक्षण और अनुसंधान	पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम: - पत्रकारिता (हिन्दी) (62) - पत्रकारिता (अंग्रेजी) 124 (62 + 62) - विज्ञापन और पब्लिक रिलेशंस (70) - रेडियो और टीवी पत्रकारिता (46) - उपरिलिखित प्रत्येक पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में से प्रत्येक में एनआरआई के लिए 5 सीटें आरक्षित - विकासपरक पत्रकारिता में दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम, प्रत्येक में 30 (25 आईटीईसी के तहत + 5 कोलंबो योजना के तहत) कुल 60 - पत्रकारिता (उड़िया) (23) - उर्दू पत्रकारिता के लिए कोई भी लक्ष्य तय नहीं किया गया	पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम: - पत्रकारिता (हिन्दी) (58) - पत्रकारिता (अंग्रेजी) 102 (56 + 46) - विज्ञापन और पब्लिक रिलेशंस (69) - रेडियो और टीवी पत्रकारिता (46) - एनआरआई सीटें 20 के मुकाबले 9 ही भरी गईं - विकासपरक पत्रकारिता में दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम 49 (24 + 0 + 25 + 0) - मंत्रालय द्वारा किसी उम्मीदवार को प्रायोजित नहीं किया गया - पत्रकारिता (उड़िया) (19) - उर्दू में पीजी डिप्लोमा कोर्स -8	पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम: - पत्रकारिता (हिन्दी) (62) - पत्रकारिता (अंग्रेजी) 124 (62 + 62), योजना के तहत नए क्षेत्रीय केंद्र - विज्ञापन और पब्लिक रिलेशंस (70) - रेडियो और टीवी पत्रकारिता (46) - उपरिलिखित प्रत्येक पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में से प्रत्येक में एनआरआई के लिए 5 सीटें आरक्षित - विकासपरक पत्रकारिता में दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम, प्रत्येक में 30 (25 आईटीईसी के तहत + 5 कोलंबो योजना के तहत) कुल 60 - पत्रकारिता (उड़िया) (23) - उर्दू पत्रकारिता (15)	पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम - पत्रकारिता (हिन्दी) (62) - पत्रकारिता (अंग्रेजी) 120 (60 + 60) योजना के तहत नए क्षेत्रीय केंद्र - विज्ञापन और पब्लिक रिलेशंस (70) - रेडियो और टीवी पत्रकारिता (46) - 10 एनआरआई सीटों पर भर्तियां - विकासपरक पत्रकारिता में दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम, प्रत्येक में 31 (12 + 19) - पत्रकारिता (उड़िया) (21) - उर्दू पत्रकारिता (7)	सभी पाठ्यक्रमों में कुछ सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ शारीरिक रूप से विकलांग और एनआरआई उम्मीदवारों की पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त न होने के कारण रिक्त रह गईं। कुछ विद्यार्थियों ने संस्थान छोड़ दिया। विकासपरक पत्रकारिता पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवारों को विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया जाता है।	पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम: - पत्रकारिता (हिन्दी) (62) - पत्रकारिता (अंग्रेजी) 124 (62 + 62) - विज्ञापन और पब्लिक रिलेशंस (70) - रेडियो और टीवी पत्रकारिता (46) - उपरिलिखित प्रत्येक पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में से प्रत्येक में एनआरआई के लिए 5 सीटें आरक्षित - विकासपरक पत्रकारिता में दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम, प्रत्येक में 30 (25 आईटीईसी के तहत + 5 कोलंबो योजना के तहत) कुल 60 - पत्रकारिता (उड़िया) (23) - उर्दू पत्रकारिता (10)

नोट 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों से विद्यार्थियों की संख्या का संकेत मिलता है

2. 2014-15 में उर्दू पत्रकारिता के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था, लेकिन 8 उम्मीदवारों के लिए पाठ्यक्रम संचालित किया गया था

	<p>लघु अवधि के कार्यक्रम - लघु अवधि के पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं 12 - आईआईएस के ग्रुप ए और बी अधिकारियों के लिए फाउंडेशन/ अभिविन्यास/ सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित और भेजा गया है - अनुसंधान अध्ययन (4-5 अध्ययन के लिए)। - पत्रिकाओं (अंग्रेजी में कम्युनिकेटर और हिंदी में संचार माध्यम) का प्रकाशन</p>	<p>लघु अवधि के कार्यक्रम - लघु अवधि के पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं 12 - 13 - आईआईएस के ग्रुप ए और बी अधिकारियों के लिए फाउंडेशन/ अभिविन्यास/ सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित और भेजा गया है - अनुसंधान अध्ययन (6 अध्ययन के लिए)। - पत्रिकाओं (अंग्रेजी में कम्युनिकेटर, 2009 और हिंदी में संचार माध्यम, 2008) का प्रकाशन</p>	<p>लघु अवधि के कार्यक्रम - लघु अवधि के पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं 12 - आईआईएस के ग्रुप ए और बी अधिकारियों के लिए फाउंडेशन/अभिविन्यास/ सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित और भेजा गया है - अनुसंधान अध्ययन (4-5 अध्ययन के लिए)। - पत्रिकाओं (अंग्रेजी में कम्युनिकेटर और हिंदी में संचार माध्यम) का प्रकाशन</p>	<p>लघु अवधि के कार्यक्रम - लघु अवधि के पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं 12 - आईआईएस के ग्रुप ए और बी अधिकारियों के लिए फाउंडेशन/अभिविन्यास/ सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित और भेजा गया है - अनुसंधान अध्ययन (4-5 अध्ययन के लिए)। - पत्रिकाओं (अंग्रेजी में कम्युनिकेटर और हिंदी में संचार माध्यम) का प्रकाशन</p>		<p>लघु अवधि के कार्यक्रम - लघु अवधि के पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं 12 - आईआईएस के ग्रुप ए और बी अधिकारियों के लिए फाउंडेशन/अभिविन्यास/ सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित और भेजा गया है - अनुसंधान अध्ययन (4-5 अध्ययन के लिए)। - पत्रिकाओं (अंग्रेजी में कम्युनिकेटर और हिंदी में संचार माध्यम) का प्रकाशन</p>
--	---	--	--	--	--	--

12 वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय जनसंचार संस्थान के योजनाबद्ध वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(करोड़ रुपये में)

योजना	2014-15				2015-16			2016-17		
	बी ई 2014-15	वास्तविक खर्च 2014-15	लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धियां	बीई 2015-16	वास्तविक खर्च 2015-16	लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धियां	बीई 2016-17	लक्ष्य
1. अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार आईआईएमसी का उन्नयन	8.00	06.27	अंग्रेजी में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम 60 (15 + 15 + 15 + 15) नई दिल्ली में नई इमारत का निर्माण और क्षेत्र विकास, जोकि डीडीए, डीयूएसी और दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा निर्माण की योजना के अनुमोदन का विषय है	4 नए क्षेत्रीय केंद्रों में अंग्रेजी में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम 40 नई दिल्ली में नई इमारत का निर्माण और क्षेत्र विकास, जोकि डीडीए, डीयूएसी और दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा निर्माण की योजना के अनुमोदन का विषय है	5.00	1.44	4 नए क्षेत्रीय केंद्रों में अंग्रेजी में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम 40 नई दिल्ली में नई इमारत का निर्माण और क्षेत्र विकास, जोकि डीडीए, डीयूएसी और दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा निर्माण की योजना के अनुमोदन का विषय है	4 नए क्षेत्रीय केंद्रों में अंग्रेजी में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम 35 नई दिल्ली में नई इमारत का निर्माण और क्षेत्र विकास शुरू नहीं किया जा सका, क्योंकि डीडीए, डीयूएसी और दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा स्वीकृति नहीं मिली	6.00	4 नए क्षेत्रीय केंद्रों में अंग्रेजी में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम 40 नई दिल्ली में नई इमारत का निर्माण और क्षेत्र विकास, जोकि डीडीए, डीयूएसी और दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा निर्माण की योजना के अनुमोदन का विषय है
2. आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्रों का उद्घाटन	15.00	7.20	निर्माण का शेष काम पूरा हो जाएगा आईजोल में स्थायी परिसर हेतु भवन का निर्माण प्रारंभ कोट्टायम में निवेश पूर्व गतिविधियों का प्रारंभ, जोकि राज्य सरकार द्वारा भूमि हस्तांतरण का विषय है	शेष काम 2014-15 में पूरा हो जाएगा आईआईएमसी ने आईजोल में भवन निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और धन का स्थानांतरण किया गया है। इसका निर्माण 2014-15 में शुरू होने की संभावना है। कोट्टायम में भवन निर्माण संबंधी निवेश पूर्व गतिविधियों का प्रारंभ हो गया है	10.00	7.56	आईजोल में स्थायी परिसर के निर्माण के लिए समय सीमा का संकेत सीपीडब्ल्यूडी ने दिया है कोट्टायम में निर्माण गतिविधियों की शुरुआत	निर्माण कार्य प्रारंभ निर्माण संबंधी गतिविधियां मार्च 2016 में शुरू हो जाएंगी	13.00	अनुमोदन का विषय है सीपीडब्ल्यूडी द्वारा आईजोल में निर्माण कार्य 80% पूरा सीपीडब्ल्यूडी द्वारा कोट्टायम में निर्माण कार्य 50% पूरा जम्मू में स्थायी परिसर के निर्माण के लिए पूर्व निवेश गतिविधियों का प्रारंभ
कुल	23.00	13.47			15.00	9.00				

भारतीय जनसंचार संस्थान
नई दिल्ली

वित्त एवं वास्तविक लक्ष्य तथा 2012-13 के दौरान ग्यारहवीं योजना की उपलब्धियां

(करोड़ रुपये में)

योजना का नाम	उद्देश्य	वित्तीय लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1. अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार आईआईएमसी का उन्नयन	- जम्मू-कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम में आईआईएमसी के चार नए क्षेत्रीय केंद्रों का उद्घाटन एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम को दो वर्षीय उन्नत पीजी डिप्लोमा में तब्दील करना जोकि एमए की डिग्री के समकक्ष होगा	4.60	3.97	आईआईएमसी नई दिल्ली में अतिरिक्त इमारत के निर्माण की शुरुआत, जोकि डीडीए और अन्य नागरिक प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदन पर निर्भर करता है आईआईएमसी ढेंकनाल में भवन के निर्माण का प्रारंभ	डीडीए और अन्य नागरिक प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदन न किए जाने के कारण भवन का निर्माण शुरू नहीं हो सका निर्माण जुलाई 2012 में शुरू किया गया
2. आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्रों का उद्घाटन	नए क्षेत्रीय केंद्रों के लिए स्थायी परिसर का निर्माण	0.10	0.04	जम्मू-कश्मीर और केरल में क्षेत्रीय केंद्रों का संचालन, जोकि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अस्थायी आवास और स्थायी परिसर के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने पर निर्भर करता है आईजोल और अमरावती में स्थायी परिसर के लिए निवेश पूर्व गतिविधियों का प्रारंभ	जम्मू-कश्मीर और केरल के क्षेत्रीय केंद्रों को अगस्त 2012 से संचालित किया जा रहा है आईजोल में निवेश पूर्व गतिविधियों को शुरू किया गया अमरावती में निवेश पूर्व गतिविधियों को प्रारंभ नहीं किया जा सका, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार द्वारा भूमि हस्तांतरण नहीं किया गया

भारतीय जनसंचार संस्थान
नई दिल्ली

वित्त एवं वास्तविक लक्ष्य तथा 2013-14 के दौरान ग्यारहवीं योजना की उपलब्धियां

(करोड़ रुपये में)

योजना का नाम	उद्देश्य	वित्तीय लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1. अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार आईआईएमसी का उन्नयन	<ul style="list-style-type: none"> - जम्मू-कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम में आईआईएमसी के चार नए क्षेत्रीय केंद्रों का उद्घाटन - एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम को दो वर्षीय उन्नत पीजी डिप्लोमा में तब्दील करना जोकि एमए की डिग्री के समकक्ष होगा 	3.00	2.81	<p>आईआईएमसी नई दिल्ली में अतिरिक्त इमारत के निर्माण की शुरुआत</p> <p>आईआईएमसी डेकनाल में भवन के निर्माण का कार्य पूरा</p>	<p>डीडीए और अन्य नागरिक प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदन न किए जाने के कारण भवन का निर्माण शुरू नहीं हो सका</p> <p>90% निर्माण पूरा किया गया।</p>
2. आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्रों का उद्घाटन	<ul style="list-style-type: none"> - नए क्षेत्रीय केंद्रों के लिए स्थायी परिसर की संरचना का निर्माण 	0.70	0.59	आईजोल में निवेश पूर्व गतिविधियों का प्रारंभ	आईजोल में निवेश पूर्व गतिविधियां शुरू

भारतीय जनसंचार संस्थान
नई दिल्ली

वित्त एवं वास्तविक लक्ष्य तथा 2014-15 के दौरान ग्यारहवीं योजना की उपलब्धियां

(करोड़ रुपये में)

योजना का नाम	उद्देश्य	वित्तीय लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1. अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार आईआईएमसी का उन्नयन	- जम्मू-कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम में आईआईएमसी के चार नए क्षेत्रीय केंद्रों का उद्घाटन	23.00	13.47	महाराष्ट्र और मिजोरम में आईआईएमसी के दो नए क्षेत्रीय केंद्रों का उद्घाटन आईआईएमसी नई दिल्ली की मौजूदा इमारत में अतिरिक्त मंजिल का निर्माण। एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम को दो वर्षीय उन्नत पीजी डिप्लोमा में तब्दील करना जोकि एमए की डिग्री के समकक्ष होगा आईजोल में स्थायी परिसर की इमारत के निर्माण की शुरुआत	मिजोरम (आईजोल) और महाराष्ट्र (अमरावती) में आईआईएमसी के दो नए केंद्रों को शुरू किया गया और उनका काम शुरू हो गया। हासिल किया गया दो साल पहले एडमिशन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश या आईआईएमसी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के लिए संसद द्वारा पारित अधिनियम, जिससे उसे डिग्री देने की शक्ति मिल जाए, के कारण दो वर्षीय उन्नत पीजी डिप्लोमा में दाखिले की शुरुआत नहीं हुई
2. आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्रों का उद्घाटन	नए क्षेत्रीय केंद्रों के लिए स्थायी परिसर का निर्माण			कोट्टायम में निवेश पूर्व गतिविधियां प्रारंभ	कोट्टायम में स्थायी परिसर के निर्माण के लिए निवेश पूर्व गतिविधियां शुरू हो गईं

फोटो प्रभाग
वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियां

लक्ष्य और उत्पादन

2014-15

(लाख रुपये में)

स्वीकृत बजट अनुदान			वार्षिक व्यय		
योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
36.25	399.95	436.20	35.09	395.56	430.65

2015-16

(लाख रुपये में)

	योजना	गैर-योजना	कुल
स्वीकृत बजट अनुदान	52.00	417.00	469.00
संशोधित अनुमान	170.00	368.00	538.00

2016-17

(लाख रुपये में)

योजना	गैर-योजना	कुल
112.00	547.00	659.00

निष्पादन

क्र.सं.		2014-15		2015-16		2016-17
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	12/2015 तक उपलब्धियां	लक्ष्य
1.	कवर किए गए समाचार और फीचर कार्य	3500	3579	3500	3032	3500
2.	पीआईबी वेबसाइट में अपलोड किए गए चित्र	7000	7750	7000	9930	7000
3.	फोटो प्रभाग वेबसाइट में अपलोड किए गए चित्र	10000	10580	10000	9648	10000
4.	विभाग में प्राप्त किए गए डिजिटल चित्र	100000	313496	150000	269647	150000
5.	मुद्रित/आपूर्ति किए गए डिजिटल प्रिंट	70000	62172	70000	40037	70000
6.	अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए तैयार किए गए फोटो एलबम	100	94	100	54	100

भारतीय प्रेस परिषद

पिछले कार्य निष्पादन की समीक्षा

प्रेस परिषद के लक्ष्य और उसके कार्य अर्ध-न्यायिक किस्म के हैं। यह नैतिक मानदंडों के जरिए प्रेस को नियंत्रित करती है। अतः भौतिक संदर्भ में निर्धारित लक्ष्यों के परिमाण और हासिल उपलब्धियों को मापना संभव नहीं है। परिमाण योग्य गतिविधि केवल अर्ध-न्यायिक गतिविधि है। 2015-16 और 2016-17 के दौरान प्राप्त शिकायतें और निपटाई गई शिकायतें, संलग्न विवरण में दर्शाई गई हैं। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र में मीडिया की संभावित भूमिका के विश्लेषण के बारे में वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाए जाने के हिस्से के रूप में मीडिया को सूचना के लिए लोगों द्वारा संपर्क की जाने वाली एजेंसी के रूप में देखा गया, जो वर्षभर देश के विभिन्न भागों में करोड़ों लोगों के विचारों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2015 में राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय था “राय व्यक्त करने के माध्यम के रूप में कार्टूनिंग और कैरीकैचर का प्रभाव”। इस विषय पर बहुमूल्य आलेखों का समूह और वरिष्ठ व्यक्तियों के विचार एक स्मारिका के रूप में प्रकाशित किए गए। ज्यादातर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में उचित ढंग से यह दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न श्रेणियों में पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। देशभर से प्राप्त किए गए नामांकनों में से चयन की उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई गई थी और पुरस्कार माननीय भारत के राष्ट्रपति ने प्रदान किए। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भी उपस्थित थे। इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति के चित्रों की प्रदर्शनियां भी लगाई गईं।

बांग्लादेश प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मोहम्मद ममताजुद्दीन अहमद और परिषद के सदस्यों ने 15-18 नवम्बर, 2015 के दौरान भारत का दौरा किया। 17 नवम्बर, 2015 को उन्होंने भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री सी.के. प्रसाद और परिषद के सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया। शिष्टमंडल ने प्रेस परिषद के संघटन, कार्य प्रणाली और अधिकारों तथा वित्त पोषण व्यवस्था के बारे में विचार विमर्श किया। उन्होंने पेड न्यूज़ यानी धन देकर समाचार छपवाने, पत्रकारों की सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अधिकार क्षेत्र तथा उसके कार्यों और विषयवस्तु जैसे मुद्दों पर भी व्यापक विचार विमर्श किया। यह विचार विमर्श परस्पर लाभकारी था और दोनों पक्षों ने भविष्य में भी इस तरह का विचार विमर्श करने में सहमति व्यक्त की।

पत्र सूचना कार्यालय

वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान योजनागत कार्य निष्पादन

वार्षिक योजना 2014-15 के दौरान योजनागत व्यय का वक्तव्य

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजनाओं का नाम	योजना परिव्यय			31.3.15 तक वास्तविक व्यय	पूर्वोत्तर क्षेत्र		कमी के कारण (अगर कोई हो तो)
		एसबीजी	आर.ई	अंतिम अनुदान		2013-14 का आवंटन	31.3.2014 तक व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नई दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र की स्थापना	2.50	2.50	2.50	1.6545	नई दिल्ली में स्थित यह इमारत पूरे देश के लाभ के लिए है इसलिये पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कोई निधि निश्चित नहीं की गई।		2.25 करोड़ रुपये की अंतिम आवश्यकता में से एनबीसीसी को भुगतान के लिए 1.6545 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई। एनएमसी में एचवीएसी परिशोधित किए जाने तक 50.00 लाख रुपये की राशि रोक कर रखी गई।
2.	मीडिया आउटरीच कार्यक्रम एवं विशेष आयोजनों के लिए प्रचार इस योजना में निम्नलिखित घटक शामिल हैं : (क) मीडिया आउटरीच कार्यक्रम	9.88	5.38	5.38	5.3395 (पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित)	0.40	0.682	अवधि के दौरान 56 जन सूचना अभियान, 2 मीडिया विचार-विमर्श सत्र, 1 वार्तालाप, 6 प्रेस दौरे आयोजित किए गए और 5.34 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया। क्योंकि आर.ई. वर्ष 2014-15 में बजट आवंटन 9.88 करोड़ से घटाकर 5.38 करोड़ किया गया था, इसलिए पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी।

(करोड़ रुपये में)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(ख) भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह एवं प्रवासी भारतीय दिवस समारोह	0.12	0.12	0.12	0.1050			आईएफएफआई और पीबीडी का नवम्बर-दिसम्बर, 2014 और जनवरी 2015 में सफल आयोजन हुआ।
3.	पीआईबी का आधुनिकीकरण	5.00	1.5	1.91	1.91	-	-	मामूली कमी
	कुल	17.50	9.50	9.91	9.0190	0.40	0.682	

पत्र सूचना कार्यालय

वार्षिक योजना (2015-16) के प्रारम्भिक 9 महीनों के दौरान योजनागत व्यय का वक्तव्य

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजनाओं का नाम	योजना परिव्यय			31.12.15 तक वास्तविक व्यय	पूर्वोत्तर क्षेत्र		कमी के कारण (अगर कोई हो तो)
		एसबीजी	आर.ई	अंतिम अनुदान		2015-16 का आंबटन	31.12.2015 तक व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केंद्र की स्थापना	-	-	-	-			
2.	मीडिया आउटरीच प्रोग्राम एवं विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रचार। इस योजना में निम्नलिखित संघटक शामिल हैं:- (1) मीडिया आउटरीच प्रोग्राम (2) भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह प्रवासी भारतीय दिवस समारोह	7.75	7.12	-	5.2185 (पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित)	2.00 (आर.ई. आवंटन के लिए 0.40 लाख)	0.3857	दिसम्बर तक 44 जन सूचना अभियानों, 58 वार्तालाप, 4 प्रेस दौरों का आयोजन किया गया। 1 और 2 फरवरी, 2016 को जयपुर में अखिल भारतीय क्षेत्रीय सम्पादक सम्मेलन का आयोजन किया गया। आर.ई. स्तर पर, पी.आई.बी. के लिए केवल 7.12 करोड़ रुपयों (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 2.00 करोड़ रुपये सहित) का आवंटन किया गया है। इसलिए पहले से निर्धारित किए गए लक्ष्यों में तदनुसार संशोधन किया जाएगा। नवम्बर-दिसम्बर, 2015 में आईएफएफआई का सफल आयोजन किया गया
3.	पीआईबी का आधुनिकीकरण	4.00	4.00	-	2.7536	-	-	
	कुल	12.00	11.37	-	8.1666	2.00	0.3857	

प्रकाशन विभाग

वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के दौरान लक्ष्य और कार्यनिष्पादन

वित्तीय

(रु. लाख में)

वास्तविक व्यय 2014-15			वास्तविक व्यय 2015-16			बजट अनुमान 2016-17		
योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
			फरवरी 2016 तक	फरवरी 2016 तक				
449.65	2894.76	3344.41	389.22	2946.65	3335.87	500.00	3715.00	4215.00

भौतिक

	2014-15		2015-16		2016-17	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
पत्रिकाएं	18	18	18	18	18	-
पुस्तकें	75	90	75	फरवरी 2016 तक 79	75	-

वर्ष 2016-17 में निदेशालय ने योजना के अंतर्गत निम्नांकित गतिविधियां प्रस्तावित की हैं

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	घटक	वित्तीय	भौतिक लक्ष्य
1	पुस्तकों का प्रकाशन	0.94	1. 61 पुस्तकों का प्रकाशन। 2. कार्मिक अनुबंधित करना
2.	व्यापार संवर्द्धन गतिविधियां	0.40	1. 4 अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भागीदारी। 2. 5 घरेलू प्रदर्शनियों/मेलों में भागीदारी। 3. मोबाइल वैनों के ज़रिए प्रदर्शनी
3.	प्रकाशन विभाग के प्रकाशनों का डिजिटल अभिलेखागार बनाना	0.50	1. 500 पुस्तकों का डिजिटीकरण। 2. कार्मिकों का आउटसोर्सिंग 3. वेबसाइट रखरखाव
4	वस्तु सूची प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण	2-30	1. माल-सूची प्रबंधन के कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना अनुमोदन विकास। 2. ई-कामर्स सक्षमता के लिए वेबसाइट का रीडिजाइन 3. भंडार कम्प्यूटरीकरण और 4. माल-सूची प्रबंधन। 5. लेखा प्रणाली का स्वचालन। 6. लेखक प्रबंधन प्रणाली का विकास। 7. शिकायत निवारण प्रणाली। 8. डेस्कटॉप और अनुषंगी उपकरणों जैसे हार्डवेयर की खरीद। 9. एनआईसी द्वारा प्रशिक्षण और हैंडहोल्डिंग।
5.	कार्यालय ढांचे का आधुनिकीकरण	0.60	1. सूचना भवन में कार्यालय स्थल का रखरखाव। 2. दो आउटस्टेशन यूनितों का आधुनिकीकरण। 3. सूचना भवन के 7वें तल (रो.स.) पर कार्यालय स्थल का रखरखाव।
	रोज़गार समाचार का डिजिटीकरण और उसे डिजिटल रूप में उपलब्ध करना	0.26	1. रोज़गार समाचार का डिजिटीकरण। 2. रोज़गार समाचार की इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट डिलिवरी के लिए सॉफ्टवेयर। 3. हार्डवेयर और संबद्ध वस्तुएं। 4. डिजिटल अभिलेखागार, रीट्रिवल आदि के लिए कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। 5. वेबसाइट के कार्मिक रखरखाव की आउटसोर्सिंग।
	कुल	5.00	

वर्ष 2015-16 के दौरान उन पुस्तक प्रदर्शनियों/मेलों की सूची जिनका आयोजन प्रकाशन विभाग ने किया जा जिनमें विभाग ने हिस्सा लिया

1. न्येवेली पुस्तक मेला	न्येवेली
2. इरोड पुस्तक मेला	इरोड (तमिलनाडु)
3. दिल्ली पुस्तक मेला	नई दिल्ली
4. कानपुर पुस्तक मेला	कानपुर
5. फैजाबाद पुस्तक मेला	फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)
6. इलाहाबाद पुस्तक मेला	इलाहाबाद
7. राष्ट्रीय पुस्तक मेला	वाराणसी
8. राष्ट्रीय पुस्तक मेला	रांची
9. कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला	कोच्चि
10. राजधानी पुस्तक मेला	भुवनेश्वर
11. चेन्नई पुस्तक मेला	चेन्नई
12. राष्ट्रीय पुस्तक मेला	लखनऊ
13. हैदराबाद पुस्तक मेला	हैदराबाद
14. विशेष पुस्तक मेला	पुणे
15. देवघर पुस्तक मेला	देवघर
16. पुदुच्चेरि पुस्तक मेला	पुदुच्चेरि
17. राष्ट्रीय पुस्तक मेला	नागपुर
18. राष्ट्रीय पुस्तक मेला	जयपुर
19. राष्ट्रीय पुस्तक मेला	देहरादून
20. त्रिवेन्द्रम पुस्तक मेला	तिरुअनंतपुरम
21. गांधी साहित्योत्सव	नई दिल्ली
22. विजयवाड़ा पुस्तक मेला	विजयवाड़ा
23. राष्ट्रीय पुस्तक मेला	पटना
24. कोलकाता पुस्तक मेला	कोलकाता
25. विश्व पुस्तक मेला	नई दिल्ली
26. पूर्वोत्तर पुस्तक मेला	पूर्वोत्तर

इसके अलावा विभाग ने 2015-16 में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भी हिस्सा लिया. विभाग ने 2015-16 में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं के अवसर पर संबंधित स्थान पर अपने सेल्स इंपोरिया और बिक्री काउंटर्स में पुस्तक प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया।

1.	विश्व पुस्तक दिवस पुस्तक प्रदर्शनी	अप्रैल 2015	(अपने 10 बिक्री केन्द्रों में)
2.	ग्रीष्मकालीन पुस्तक प्रदर्शनी	जून 2015	(अपने 10 बिक्री केन्द्रों में)
3.	स्वतंत्रता दिवस पुस्तक प्रदर्शनी	अगस्त 2015	(अपने 10 बिक्री केन्द्रों में)
4.	शिक्षक दिवस पुस्तक प्रदर्शनी	सितंबर 2015	(अपने 10 बिक्री केन्द्रों में)
5.	हिंदी पखवाड़ा पुस्तक प्रदर्शनी	सितंबर 2015	(अपने 10 बिक्री केन्द्रों में)
6.	गांधी जयंती पुस्तक प्रदर्शनी	अक्तूबर 2015	(अपने 10 बिक्री केन्द्रों में)
7.	राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह पुस्तक प्रदर्शनी	नवंबर 2015	(अपने 10 बिक्री केन्द्रों में)
8.	क्रिसमस और नव वर्ष पुस्तक प्रदर्शनी	दिसंबर 2015	(अपने 10 बिक्री केन्द्रों में)
9.	गणतंत्र दिवस पुस्तक प्रदर्शनी	जनवरी 2015	(अपने 10 बिक्री केन्द्रों में)
10.	उपभोक्ता अधिकार दिवस पुस्तक प्रदर्शनी	मार्च 2016	(अपने 10 बिक्री केन्द्रों में)

विभाग वर्ष 2017-17 में जिन प्रमुख पुस्तक प्रदर्शनियों/मेलों में हिस्सा लेने पर विचार कर रहा है वे इस प्रकार हैं (तारीख और समय तय होना अभी बाकी है।)

1.	न्येकवेली पुस्तक मेला	न्ये वेली
2.	इरोड पुस्तक मेला	इरोड (तमिल नाडु)
3.	दिल्ली पुस्तक मेला	दिल्ली
4.	राष्ट्रीय पुस्तक मेला	जयपुर
5.	फैजाबाद	फैजाबाद
6.	इलाहाबाद पुस्तक मेला	फैजाबाद
7.	कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला	कोच्चि
8.	पटना पुस्तक मेला	पटना
9.	राजधानी पुस्तक मेला	भुवनेश्वर
10.	चेन्नई पुस्तक मेला	चेन्नई
11.	राष्ट्रीय पुस्तक मेला	लखनऊ
12.	हैदराबाद पुस्तक मेला	हैदराबाद
13.	कोलकाता पुस्तक मेला	कोलकाता

14.	विजयवाड़ा पुस्तक मेला	विजयवाड़ा
15.	राष्ट्रीय पुस्तक मेला	पटना
16.	कोलकाता पुस्तक मेला	कोलकाता
17.	विश्व पुस्तक मेला	नई दिल्ली
18.	तिरुवनंतपुरम पुस्तक मेला	तिरुवनंतपुरम
19.	राष्ट्रीय पुस्तक मेला	कानपुर
20.	राष्ट्रीय पुस्तक मेला	देहरादून
21.	देवघर पुस्तक मेला	देवघर
22.	पुणे पुस्तक मेला	पुणे
23.	पूर्वोत्तर पुस्तक मेला	गुवाहाटी
24.	राष्ट्रीय पुस्तक मेला	भोपाल

विभाग 2016-17 में भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं के अवसर पर संबंधित स्थान पर अपने सेल्स इंपोरिया और बिक्री काउंटर्स में पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन कर रहा है।

1.	विश्व पुस्तक दिवस पुस्तक प्रदर्शनी	अप्रैल 2016 (अपने 10 बिक्री केन्द्रों में)
2.	ग्रीष्मकालीन पुस्तक प्रदर्शनी	जून 2016 (अपने 10 बिक्री केन्द्रों में)
3.	स्वतंत्रता दिवस पुस्तक प्रदर्शनी	अगस्त 2016 (अपने 10 बिक्री केन्द्रों में)
4.	शिक्षक दिवस पुस्तक प्रदर्शनी	सितंबर 2016 (अपने 10 बिक्री केन्द्रों में)
5.	हिंदी पखवाड़ा पुस्तक प्रदर्शनी	सितंबर 2016 (अपने 10 बिक्री केन्द्रों में)
6.	गांधी जयंती पुस्तक प्रदर्शनी	अक्तूबर 2016 (अपने 10 बिक्री केन्द्रों में)
7.	राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह पुस्तक प्रदर्शनी	नवंबर 2016 (अपने 10 बिक्री केन्द्रों में)
8.	क्रिसमस और नव वर्ष पुस्तक प्रदर्शनी	दिसंबर 2016 (अपने 10 बिक्री केन्द्रों में)
9.	गणतंत्र दिवस पुस्तक प्रदर्शनी	जनवरी 2016 (अपने 10 बिक्री केन्द्रों में)
10.	उपभोक्ता अधिकार दिवस पुस्तक प्रदर्शनी	मार्च 2016 (अपने 10 बिक्री केन्द्रों में)

इसके अलावा प्रकाशन विभाग ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों जैसे अप्रैल 2016 में होने वाले लंदन पुस्तक मेले में भाग लेने की भी योजना बनायी है।

विभाग की वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान पीआईसी अभियानों में हिस्सा लेने की योजना है।

अप्रैल 2015 से जनवरी 2016 तक निदेशालय ने कुल 559.64 लाख रुपये का राजस्व अपनी पुस्तकों, पत्रिकाओं और विज्ञापनों से अर्जित किया। इसमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार का राजस्व शामिल नहीं है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार को इस अवधि में 3729.64 लाख रुपये की आमदनी हुई।

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक

2014-15 और 2015-16 (12.02.16 तक) और 2016-17 के दौरान लक्ष्य और प्रदर्शन

वित्तीय

(लाख लाख में)

गतिविधि का नाम	वर्ष	योजना	गैर-योजना	कुल
बजट अनुमान (आरई)	2014-15	25.00	474.00	499.00
वास्तविक व्यय	2014-15	25.00	473.52	498.52
बजट अनुमान (आरई)	2015-16	50.00	499.00	549.00
वास्तविक व्यय*	2015-16	17.89	433.98	451.78
बजट अनुमान	2016-17	50.00	736.00	786.00

* 12.02.16 तक

भौतिक

क्र. सं.	कार्यक्रम/गतिविधियां	2014-15		2015-16		2016-17
		लक्ष्य/प्राप्त	उपलब्धियां/मंजूरी	लक्ष्य/प्राप्त	उपलब्धियां/मंजूर दिसंबर 2015 तक	लक्ष्य/गतिविधियां
	गतिविधियां				दिसंबर, 2015 तक	
1.	दिया गया शीर्षक		9595		9272	
2.	शीर्षक को अवरोध मुक्त करना		5774		5365	
3.	पंजीकरण		5013		5737	
4.	मुद्रण मशीनरी और संबंधित सामग्री					
(क)	मुद्रण मशीनरी के आयात के लिए जारी किए गए अनिवार्यता प्रमाणपत्रों की संख्या		00		01	
5.	एफसी.आर.ए 1976. के तहत कोई अखबार प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया		02		02	
6.	अखबारी कागज के आयात के लिए प्रकाशकों को जारी किए गए पात्रता प्रमाण पत्रों की संख्या		1293		1311	
7.	आरटीआई के तहत मंजूर किए गए आवदनों की संख्या		667		672	
8.	प्राप्त वार्षिक विवरणों की संख्या बी. कार्यक्रम आरएनआई की वार्षिक		19755		23394	
9.	आर.एन.आई की वार्षिक रिपोर्ट (भारत में प्रेस)	2013-14 रिपोर्ट		2014-15 रिपोर्ट	2014-15 रिपोर्ट	2015-16 रिपोर्ट

नोट:- 1. प्रकाशकों से प्राप्त आवेदन/निवेदन पर निर्भर। इन श्रेणियों में कोई लक्ष्य तय नहीं किया जा सकता है।

क्र.सं.	योजना कार्यक्रम	उद्देश्य परिणाम	परिव्यय 2015-16		परिणामात्मक उत्पाद/	अनुमानित	समाबद्धता
			योजना बजट बजटीय संसाधन	पूरक अतिरिक्त भौतिक उत्पादन			
-	मीडिया के बुनियादी ढांचे विकास कार्यक्रम, उप योजना आरएनआई मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण	समाचार पत्रों के लिए, शीघ्र कुशल और पारदर्शी सेवा प्रदान करने और पीआरबी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा प्रसार की जांच को सख्ती के साथ लागू करने के लिए विकसित हो रहा है। आरएनआई मुख्यालयों के सुदृढ़ीकरण की योजना एक साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया और इसका उद्देश्य (1) आरएनआई के दस्तावेजों की डिजिटलीकरण, (2) वार्षिक विवरणी की ई-फाइलिंग, और (3) इस तरह के शीर्षक के प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन/पंजीकरण	0.50	शून्य	<p>आरएनआई के दस्तावेजों/रिकॉर्डों का डिजिटलीकरण: लगभग 94,000 पंजीकृत प्रकाशनों की जानकारी से युक्त प्रेस रजिस्टर, शीर्षक आवेदनों/ प्रकाशकों की ओर से दायर घोषणाओं जैसे दस्तावेज आदि, महत्वपूर्ण अदालती फैसले, समय-समय पर महत्वपूर्ण मुद्दों आदि पर जारी होने वाले दिशा निर्देशों की पहचान डिजिटल रूप से संरक्षित करने के लिए की गई है, जिससे पारदर्शिता और प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप हितधारकों को बेहतर सेवा मुहैया हो पाएगी।</p> <p>वार्षिक विवरणी की ई-फाइलिंग: वार्षिक विवरणों को ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया वित्त वर्ष 2013-14 से शुरू हुई है और 100 प्रतिशत वार्षिक विवरण ऑनलाइन प्राप्त हुए। हितधारकों को अपने अपने वैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने में आसानी होगी। चूंकि ऑनलाइन जमा कराने की प्रक्रिया इन विवरणों को मैन्युअल जमा कराने के साथ ही होगा अतः यह उम्मीद है कि अधिक रिटर्न होगा जमा होंगे।</p> <p>शीर्षकों का ऑनलाइन सत्यापन/इस तरह के प्रमाण पत्र के शीर्षक का पंजीकरण: एनआईसी के सहयोग से ऑनलाइन शीर्षक सत्यापन/पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करके, यह आरएनआई के मुख्य वैधानिक कार्यों को सुविधाजनक बना देगा। इस प्रणाली के तहत लगभग 600 डीएम को उन्हें शीर्षक आवेदनों/दस्तावेजों को पंजीयन प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने, प्रक्रियाबद्ध करने और अग्रेसित करने के लिए अलग विंडोज देकर उन्हें एकीकृत किया गया है।</p>	इससे आम जनता को विशेष लाभ होगा क्योंकि वे सभी नई दिल्ली में आरएनआई के मुख्यालय का दौरा किए बिना शीर्षक सत्यापन, शीर्षक के पंजीकरण, प्रसार दावों का सत्यापन आदि से संबंधित मामलों में क्षेत्रीय कार्यालयों पर संपर्क कर सकते हैं।	नागरिक चार्टर में तय मानदंडों के अनुसार

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय

वर्ष 2014-15 के लिए योजना परिव्यय:	25.00 लाख
वर्ष 2014-15 के लिए योजना प्रदर्शन:	25.00 लाख
वर्ष 2015-16 के लिए योजना परिव्यय:	20.00 लाख
वर्ष 2015-16 के लिए संशोधित अनुमान:	50.00 लाख
वर्ष 2015-16 के लिए योजना प्रदर्शन:	17.89 लाख
वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमान:	50.00 लाख

12वीं योजना में स्कीम का नाम: मीडिया के अवसंरचनात्मक विकास कार्यक्रम: आरएनआई मुख्यालय का सुदृढीकरण

कुल योजना परिव्यय (प्रारंभिक) :	100.00 लाख रुपये
कुल योजना परिव्यय (आरएफसी) :	287.71 लाख रुपये

12वीं योजना में स्कीम: मीडिया के अवसंरचनात्मक विकास कार्यक्रम

उप स्कीम : आरएनआई मुख्यालय का सुदृढीकरण

समाचार पत्रों के लिए, शीघ्र कुशल और पारदर्शी सेवा प्रदान करने और पीआरबी अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 12वीं पंचवर्षीय योजना '2012-17' में स्कीम के तहत मीडिया के अवसंरचनात्मक विकास कार्यक्रम और उप स्कीम के तहत आरएनआई मुख्यालय का सुदृढीकरण के लिए 1.00 करोड़ रुपए के कुल योजना परिव्यय के साथ तीन गतिविधियों (1) दस्तावेजों की डिजिटलीकरण /आरएनआई के रिकॉर्ड्स (2) वार्षिक विवरणी की ई-फाइलिंग (3) शीर्षक का ऑनलाइन सत्यापन/इस प्रकार के शीर्षकों का प्रमाण पत्र का पंजीकरण शुरू किया गया है।

इस कार्य के लिए वर्ष 2013-14 के दौरान 22.52 लाख रुपये, 2014-15 - 25.00 लाख रुपये, 2015-16 - 17.89 लाख रुपये (12-02-16 तक) उपयोग किया गया है और वर्ष 2016-17 के लिए 50.00 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना स्कीम के मध्यावधि मूल्यांकन के बाद एक संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) प्रस्ताव तैयार किया गया और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया। एमआईडीपी आरसीई के तहत 25-02-2015 को 100 लाख रुपए के मूल आवंटन को बढ़ाकर 2012-2017 से 287.71 लाख रुपये कर दिया गया है।

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय ने 2014-15 और 2015-16 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों की भी शुरुआत की है

कम्प्यूटरीकरण

कम्प्यूटरीकृत शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण की प्रक्रिया के अलावा सत्यापित शीर्षकों का विवरण और शीर्षक सत्यापन पत्रों पंजीकरण प्रमाण पत्र आरएनआई की वेबसाइट <http://mi.nic.in> पर डाले जा रहे हैं और वे आवेदकों द्वारा डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस सुविधा की शुरुआत के साथ, कोई भी व्यक्ति/भावी प्रकाशक, मौजूदा शीर्षक डेटा बेस प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार उन्हें अपनी पसंद के उपलब्ध शीर्षकों को चुनने में आसानी होगी। डेटा राज्य/भाषा के आधार पर उपलब्ध है।

पीआरबी अधिनियम की समीक्षा

प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 और इसके नियमों की समीक्षा मौजूदा मीडिया परिदृश्य में इसे प्रासंगिक बनाने के दृष्टिकोण के साथ की गई है। तदनुसार, 'प्रेस और पुस्तकों के पंजीकरण और प्रकाशन (पीआरबीपी) विधेयक' का मसौदा तैयार किया हो गया है और यह कानूनी प्रक्रिया के अंतिम चरण में है।

आधिकारिक भाषा

आरएनआई कार्यालय ने 14-28 सितम्बर, 2015 के दौरान एक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया, जिसमें सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। भारत सरकार की राजभाषा नीति की अनुवाद, कार्यान्वयन और निगरानी में आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु एक सहायक निदेशक (राजभाषा) और एक अनुवादक को इस कार्यालय में तैनात किया गया है।

लोक शिकायत

इस कार्यालय में एक लोक शिकायत प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। इस कार्यालय के उप प्रेस रजिस्ट्रार को आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के प्रमुख के रूप में नामित किया गया है। प्रकाशकों और आवेदकों ईमेल के माध्यम से प्रश्नों के जवाब देने के लिए एक सार्वजनिक प्रश्न और प्रतिक्रिया प्रकोष्ठ (पीक्यूआरसी) बनाया गया है। हितधारक ई-मेल <http://mi.nic.in> के माध्यम से अपने प्रश्नों को आरएनआई को भेज सकते हैं।

पूर्वोत्तर पहल

आरएनआई ने स्वयं को सुदृढ़ करने की 11वीं योजना स्कीम के तहत अपने कार्यों को बल देने के लिए एक विशेष पहल की है। इसके तहत उत्तर-पूर्वी राज्यों और मध्य क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए वर्ष 2007-08 के दौरान गुवाहाटी में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया। चूंकि गुवाहाटी आरएनआई कार्यालय सक्रिय नहीं है अतः गुवाहाटी के लिए योजना स्कीम के तहत मंजूर की गई निधि मंत्रालय को वापस कर दिया गया है। अब तक, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र से संबंधित कार्य कोलकाता में स्थित आरएनआई के क्षेत्रीय कार्यालयों और उत्तर पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में स्थित पीआईबी कार्यालयों के माध्यम से किया जा रहा है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पूर्वोत्तर राज्यों में 'मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम' के मुख्य योजना के उप-योजना के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में आरएनआई मुख्यालय के सुदृढ़ीकरण के लिए 10.00 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। जहां तक 12वीं पंचवर्षीय योजना के लागू करने का सवाल है, स्कीम का नाम ही आरएनआई मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण है। हालांकि, हम पूरे भारत के लिए इस योजना को लागू कर रहे हैं, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य भी शामिल है।

न्यू मीडिया विंग
पिछले कार्य निष्पादन की समीक्षा
'क' गतिविधिवार वर्गीकरण

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	गतिविधि विभाजन	2014-15 (बी.ई.आर.ई. और अंतिम अनुमान)		2015-16 (बी.ई.आर.ई. और अंतिम अनुमान)		बजट अनुमान 2016-17
		3	4	5	6	
		गैर योजना (बीई)	गैर योजना (आरई)	गैर योजना (बीई)	गैर योजना (आरई)	गैर योजना (बीई)
1	शोध संदर्भ और दस्तावेजीकरण, डाक्यूमेंटेशन	249.00	232.00	231.00	187.00	294.00
	कुल	249.00	232.00	231.00	187.00	294.00

गीत एवं नाटक प्रभाग

लोक और परंपरागत माध्यम या सजीव माध्यम जैसा कि आम तौर पर प्रचलित है, न केवल भाषा संबंधी, भौगोलिक और सांस्कृतिक जुड़ाव एवं पहचान के लिए बल्कि ग्रामीण भारत में वर्तमान सामाजिक - आर्थिक परिस्थितियों में भी यह सर्वाधिक प्रभावशाली है। वास्तव में यह एक बहुत ही लाभकारी परिस्थिति है कि हमारे देश में लोक और परंपरागत माध्यमों का विशाल भंडार मौजूद है, जिसकी सहायता से जनसमुदाय द्वारा तत्क्षण पहचाने, प्राप्त और क्रियान्वित किए जा सकने वाले तरीके से लक्षित लोगों तक सूचना या जागरूकता फैलाई जा सकती है। यह गरीबी उन्मूलन तथा राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई और पर्यावरण आदि जैसे क्षेत्रों में ग्रामीण जनजीवन के सामान्य हितों के लिए विकासात्मक नियोजित योजनाओं के संबंध में विशेष रूप से उपयोगी है।

अतः विशेष रूप से ग्रामीण, बिजली की अनुपलब्धता और दुर्गम क्षेत्रों में जनसमुदाय के बीच आम आदमी विशेषकर गरीबों के हित में सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों के बारे में जागरूक करने के लिए लोक और परंपरागत मीडिया का उपयोग उपलब्ध अन्य माध्यमों के साथ उसके प्रभावी और अभिन्न अंग के रूप में जारी रहेगा।

विभागीय दल, सूचीबद्ध कलाकार और निजी रूप से पंजीकृत दल सहित लगभग 10,000 लोक और परंपरागत कलाकार प्रभाग के लिए पूरी तरह से नियमित कार्य कर रहे हैं। शायद गीत एवं नाटक प्रभाग मॉडल सरकारी संगठनों में से एक है जिसके पास कार्य के क्षेत्रों को बढ़ाने के साथ ही गैर - नियोजित खर्च को बढ़ाए बिना ही और इस प्रकार स्थायी रूप से लंबे समय के लिए खर्च उठाते हुए कार्यों की तादाद में बढ़ोतरी करने की अतिवृहत समायोजन क्षमता है, प्रभाग के केवल लगभग 8 प्रतिशत कार्य बल ही प्रभाग के नियमित रॉल पर हैं। इसके साथ ही यह एक अविवादित तथ्य है कि आईईसी गतिविधियों के लिए परंपरागत माध्यम या सजीव माध्यम इसकी पहुंच, प्रभाव और समायोजन क्षमता के आधार पर सर्वाधिक मितव्ययी माध्यम है।

इस प्रभाग के अध्यक्ष निदेशक होते हैं, यह तीन स्तरों पर कार्य करता है जैसे—(i) दिल्ली का मुख्यालय, (ii) बंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, पुणे और रांची स्थित दस क्षेत्रीय कार्यालय। (iii) दरभंगा, गुवाहटी, इम्फाल, जम्मू, जोधपुर, नैनीताल और शिमला स्थित सहायक निदेशक की अध्यक्षता में सात सीमा केंद्र और (iv) भुवनेश्वर, दिल्ली, हैदराबाद, पटना, पुणे और श्रीनगर (जम्मू) स्थित प्रबंधकों की अध्यक्षता में छह विभागीय ड्रामा दल।

(1) वर्ष 2014-15 के लिए लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ : परिव्यय, और परिणाम/लक्ष्य/परिणाम (बजट 2014-15 के अनुसार) तथा वास्तविक उपलब्धि (योजना तथा गैर योजना):

वित्तीय

(लाख रुपये में)

	प्रस्तावित बजट 2014-15		वास्तविक व्यय		
योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
240.00	2419.50	2659.50	212.21	2382.83	2595.04

वार्षिक योजना 2014-15 का भौतिक निष्पादन इस प्रकार है :

क्र.सं.	परियोजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य परिणाम	परिव्यय 2014-15 (लाख रुपये में)	मात्रात्मक प्रदेय	31.3.2015 को डब्ल्यू, आर ही कॉल (5) के अनुसार	टिप्पणियां (वित्तीय उपलब्धि)
1	2	3	4	5	6	7
1.	ग्रामीण भारत के लिए जीवन्त कला और संस्कृति	प्रचार कार्यक्रम	800	10500	3954	640.68
घटक के अनुसार विच्छेद						
1.	पहाड़ी/जनजातीय/रेगिस्तानी/संवेदनशील तथा सीमा क्षेत्रों में आईसीटी गतिविधियां	प्रचार कार्यक्रम	270	5400	1642	
2.	एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में गतिविधियां/106 चिह्नित जिले	उपर्युक्त	100	2000	1121	
3.	भारत निर्माण कार्यक्रम का प्रचार	उपर्युक्त	70	1400	536	
4.	उत्तर-पूर्व में विशेष गतिविधियां	उपर्युक्त	80	1600	648	
5.	राष्ट्रीय और सामाजिक थीम पर थिएटर शो (लाइट तथा साउंड)	उपर्युक्त	250	100	07	
6.	शोध विकास तथा प्रशिक्षण	उपर्युक्त	20	-	-	
7.	प्रभाव मूल्यांकन	उपर्युक्त	10	-	-	
8.	एस तथा डीडी का आधुनिकीकरण (पूंजी)	उपर्युक्त	-	-	-	
	कुल		800	10500	3954	

(2) योजना गैर योजना/अन्य मंत्रालय/विभाग :

2014-15 के दौरान भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ नीचे दी गई हैं :

क्र.सं.	विवरण	लक्ष्य विकास	उपलब्धि विकास	टिप्पणियाँ
क.	(2014-15 के दौरान सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के लिए कार्यक्रम)			
1.	गैर योजना	-	4610	-
2.	योजना	3338	3964	
2.	(2014-15 के दौरान अन्य मंत्रालयों/विभागों के लिए कार्यक्रम)			
1.	एच तथा एफडब्ल्यू (आईआईटीएफ, प्रगति मैदान नई दिल्ली)	143	143	-
2.	बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के लिए जागरूकता कार्यक्रम	3191	4309	-

वर्ष 2015-16 (आर.ई.) के लिए बजट आवंटन :

योजना (लाख रु. में)	गैर योजना (लाख रु. में)	कुल (लाख रु. में)
300.00	2478.00	2778.00

1. भौतिक निष्पादन योजना

परिव्यय तथा परिणाम का वक्तव्य/लक्ष्य (2015-16) (बजट परिणाम 2015-16 के अनुसार) तथा वास्तविक उपलब्धियां

(लाख रु. में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य परिणाम	परिव्यय 2015-16 (रु. लाख में)	कार्यक्रम का मात्रात्मक प्रदेय	मार्च 2016 को उपलब्धियां	डब्ल्यूआरटी कॉल 5 के अनुसार	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ग्रामीण भारत के लिए जीवंतकला और संस्कृति	प्रचार कार्यक्रम	300.00	6000	2015/16	6068 (जनवरी 2016 तक)	रु. 200 लाख तक प्रतिबंधित कोष
1.	पहाड़ी/जनजातीय/रेगिस्तानी/संवेदनशील तथा बीमा क्षेत्रों में आईटीसी गतिविधियों	प्रचार कार्यक्रम	174.00	3480	2015-16	3568	
2.	एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में गतिविधियां/106 चिह्नित जिले	उपर्युक्त	68.00	1360	2015-16	1506	
3.	भारत निर्माण कार्यक्रम का प्रचार	उपर्युक्त	58.00	1160	2015-16	994	
4.	उत्तर-पूर्व में विशेष गतिविधियों	उपर्युक्त	0.00	0	2015-16	0	
5.	थिएटर शो (लाइट तथा साउंड) की प्रस्तुति	उपर्युक्त	0.00	0	2015-16	0	
6.	शोध विकास तथा प्रशिक्षण	उपर्युक्त	0.00	-	-	-	
7.	प्रभाव मूल्यांकन	उपर्युक्त	0.00	-	-	-	
8.	एस और डीडी का आधुनिकीकरण (पूजी)	उपर्युक्त	0.00	-	-	-	
	कुल		300.00	6000	2015-16	6068	

(2) योजना/गैर योजना/अन्य मंत्रालय/विभाग (2015-16)

क्र.सं.	विवरण	लक्ष्य विकास	उपलब्धि विकास
1.	गैर योजना		3750
2.	योजना	6000	6068
3.	एच तथा एफडब्ल्यू (आईआईटीएफ, प्रगति मैदान, नई दिल्ली)	154	154
4.	'बेते बचाओ, बेटी बचाओ' के लिए जागरूकता अभियान	7400	7056 जनवरी 2016 तक 3/2016 तक पूरा होगा

**(क) मीडिया इकाइयों सहित सभी तीन क्षेत्रों के लिए नीतिगत अध्ययन, संगोष्ठी, मूल्यांकन आदि
(प्रसार भारती को छोड़कर) (नई योजना)**

12 वीं योजना (2012-17) के दौरान निम्नलिखित अध्ययन किए गए :

- (i) सूचना एवं फिल्म के क्षेत्र में निम्नलिखित योजनाओं का मूल्यांकन
 - (क) नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केंद्र की स्थापना
 - (ख) अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार आईआईएमसी का उन्नयन
 - (ग) सूचना भवन का निर्माण
 - (घ) भारतीय सिनेमा पर राष्ट्रीय संग्रहालय
 - (ई) एसआरएफटीआई को सहायता अनुदान
- (ii) 11 वीं योजना के दौरान ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) की स्कीमों का मूल्यांकन
- (iii) 11 वीं योजना के दौरान दूरदर्शन (डीडी) की योजनाओं का मूल्यांकन
- (iv) एफटीआईआई, पुणे की योजनाओं का मूल्यांकन।
- (v) 11 वीं योजना के दौरान पीआईबी की कार्यान्वित स्कीमों के मूल्यांकन के लिए भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) नई दिल्ली को अध्ययन का दायित्व।
- (vi) 'विकास संचार और प्रसार' स्कीम के तहत डीएवीपी स्कीम के मूल्यांकन के लिए भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) नई दिल्ली को अध्ययन का दायित्व।
- (vii) 'ईएमएमसी की स्थापना' नामक योजना स्कीम के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा अध्ययन का निर्णय।
- (viii) दूरदर्शन के लिए सॉफ्टवेयर स्कीमों के मूल्यांकन के लिए एक अध्ययन का निर्णय।
- (ix) 11 वीं योजना के दौरान फिल्म प्रभाग, सीएफएसआई, एनएफएआई और एनएफडीसी द्वारा 'विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों और वृत्तचित्रों का निर्माण' के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ समिति को अध्ययन का दायित्व।

(ख) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण

मीडिया इकाई का नाम : मुख्य सचिवालय

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	परिव्यय (2014-15)	परिव्यय (2015-16)	गणना योग्य प्रदेश/ वास्तविक परिणाम	टिप्पणियां/जोखिम
1.	मानव संसाधन विकास: मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण (प्रसार भारती को छोड़कर) (मुख्य सचिवालय)	2.00	2.00	वर्ष 2014-15 में कुल 95 अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए नामित किया गया और आलोच्य वित्त वर्ष में क्यूयूटी, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया और काठमांडू में दो विदेशी प्रशिक्षण संचालित किए गए। वर्ष 2015-16 में कुल 8 अधिकारियों को विभिन्न घरेलू प्रशिक्षणों के लिए नामित किया गया है।	कोई विशेष जोखिम नहीं है।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम

2012-13, 2013-14, 2014-15 के लिए भौतिक उपलब्धियां और 2014-15 के लिए लक्ष्य

योजना का नाम/कार्यक्रम	वर्ष 2013-14		वर्ष 2014-2015		2015-2016		वर्ष 2016-2017	टिप्पणीयां / जोखिम कारक
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (दिसंबर 2014 तक	लक्ष्य	
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम	18*	08*	20*	05*	20*	01*	20*	विदेश में अधिकारियों की यात्रा निमंत्रण/ नामांकन प्राप्त होने और अनुमोदन/उसी के लिए सक्षम प्राधिकारी के नामांकन के अधीन है

* लक्ष्य ऐसे सेमिनारों / कार्यशालाओं / संयुक्त समिति बैठकों / सार्क और यूनेस्को में प्रशिक्षण के रूप में गतिविधियों में भागीदारी से संबंधित हैं।

(घ) सोशल मीडिया प्लेटफार्म
सोशल मीडिया प्लेटफार्म में भौतिक उपलब्धियां

(करोड़ रुपये में)

स्कीम का नाम	वर्ष 2012-13		वर्ष 2013-14		वर्ष 2014-15		वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17	टिप्पणी/ जोखिम
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य उपलब्धियां	
सोशल मीडिया प्लेटफार्म			विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मस में सरकार की मौजूदगी दर्ज कराना	राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में सोशल मीडिया संचार केंद्र स्थापित किया गया जिसे नई दिल्ली स्थित सूचन भवन के न्यू मीडिया स्कंध में स्थानान्तरित किया गया	विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मस में सरकार की मौजूदगी दर्ज कराना	क. यूट्यूब : मंत्रालय के यूट्यूब चैनल को करीब 27,83,201 लोगों ने देखा और 16,536 ग्राहक बने ख. ट्विटर: मंत्रालय के इस प्लेटफार्म पर करीब 3,19,000 फालोवर्स हैं ग. फेस बुक और ब्लॉग: इसे 2013 में चालू किया गया और साइबर सैवी लोगों ने इसकी प्रशंसा की है। फेस बुक को 7.5 लाख दर्शकों ने पसंद किया है। मंत्रालय के ब्लॉग को	विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मस में सरकार की मौजूदगी दर्ज कराना	क. यूट्यूब : मंत्रालय के यूट्यूब चैनल को करीब 45,78,619 लोगों ने देखा ख. ट्विटर: मंत्रालय के इस प्लेटफार्म पर करीब 4,51,000 फालोवर्स हैं ग. फेस बुक और ब्लॉग: फेस बुक पेज को 11,66,009 दर्शकों ने पसंद किया है। घ. गूगल प्लस: मंत्रालय के गूगल प्लस फोरम के करीब 12,19,738 फालोवर्स हैं और इसे	विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मस में सरकार की मौजूदगी दर्ज कराना	

स्कीम का नाम	वर्ष 2012-13		वर्ष 2013-14		वर्ष 2014-15		वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17	टिप्पणी/ जोखिम
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य उपलब्धियां	
						9,46,543 लोग देख चुके हैं। घ. गूगल प्लस: मंत्रालय के गूगल प्लस फोरम के करीब 9,58,938 फालोवर्स हैं और इसे 2,47,08,695 लोग देख चुके हैं		22,36,514 लोग देख चुके हैं। इसके अलावा मीडिया सेल विभिन्न मुद्दों पर कुल 13 टॉकाथोन अर्जित कर चुका है। न्यू मीडिया सेल ने आईएफएफआई 2015, गणतंत्र दिवस परेड, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को कवर किया।		

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

भौतिक उपलब्धियां

योजना का नाम	भौतिक लक्ष्य (2014-15)	भौतिक उपलब्धियां (2014-15)	भौतिक लक्ष्य (2015-16)	भौतिक उपलब्धियां (2015-16)
फिल्म आवेदनों एवं प्रमाणनों की प्रोसेसिंग के लिए सी बी एफ सी का उन्नयन	<p>फिल्म आवेदनों एवं प्रमाणनों की प्रोसेसिंग के लिए साफ्टवेयर का विकास, वेबसाइट उन्नयन, हार्डवेयर प्राक्योरमेन्ट</p> <p>चार कार्यालयों के लिए प्रोजेक्शन सिस्टम तथा सभी कार्यालयों के लिए डिजीटल थिएटर का डिजीटलीकरण</p> <p>सी बी एफ सी, मुम्बई तथा इसके अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अतिरिक्त स्थानों को हासिल करना</p>	<p>एक आर एफ पी के विकास के लिए एन आई सी एस आई की सेवाएं वाहयस्रोत आधार पर जिससे वेबसाइट का उन्नयन कर ऑनलाइन प्रमाणन का कार्य प्रारम्भ किया जा सके</p> <p>क्षेत्रीय कार्यालयों हैदराबाद को डिजीटल प्रोजेक्शन सिस्टम उपलब्ध कराया जा चुका है। सी बी एफ सी, मुम्बई, चेन्नई के लिए डिजीटल प्रोजेक्शन सिस्टम प्रोसेस किया जा रहा है।</p> <p>सी बी एफ सी, हैदराबाद के लिए सिविल एवं इलेक्ट्रिकल कार्यों का प्रारम्भ किया जा चुका है।</p>	<p>साफ्टवेयर विकास, ऑनलाइन प्रासेसिंग, डिबगिंग तथा हार्डवेयर भुगतान</p> <p>सी बी एफ सी, मुम्बई, चेन्नई तथा तिरुवनन्तपुरम में डिजीटल प्रोजेक्शन सिस्टम उपलब्ध कराया जाना</p> <p>सी बी एफ सी, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता तथा कटक क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराना</p>	<p>1) आर एफ पी का विकास हो चुका है तथा निविदा प्रक्रिया जारी है।</p> <p>2) हैदराबाद कार्यालय के लिए डिजीटल प्रोजेक्शन के लिए एक्शन प्रारम्भ हो गया है।</p> <p>3) मुम्बई कार्यालय के लिए स्थान चिन्हित किया जा चुका है तथा सिविल एवं इलेक्ट्रिकल कार्य जारी हैं।</p>

भौतिक उपलब्धियां

योजना का नाम	भौतिक लक्ष्य (2015-16)	भौतिक उपलब्धियां (2015-16)
मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण (योजना)	<p>ए) बोर्ड सदस्यों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए त्रैमासिक कार्यशालाओं/ सेमिनारों का आयोजन</p> <p>बी) प्रत्येक क्षेत्र के सलाहकारी पैनल सदस्यों के लिए प्रशिक्षण/ सेमिनारों का आयोजन</p> <p>सी) समूह ए, बी तथा सी स्टाफ के लिए प्रशिक्षण/ सेमिनारों का आयोजन</p> <p>डी) समूह ए अधिकारियों के लिए विदेश में प्रशिक्षण</p>	बोर्ड सदस्यों के लिए कार्यशालाएं तथा बैठकें आयोजित हुईं।

बाल चित्र समिति, भारत
पिछली उपलब्धियों की समीक्षा (वास्तविक उपलब्धियां)

	उपलब्धियां 2014-15	लक्ष्य 2015-16	उपलब्धियां		लक्ष्य 2015-16
			वास्तविक (अप्रैल 2015 से दिसं. 2015 तक)	लक्ष्य 2016-17	
	योजना : विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों और वृत्तचित्रों का निर्माण- बाल फिल्मों का निर्माण (सीएफएसआई)				
क. निर्माण	3 फीचर फिल्मों को पूरा किया। 3 फीचर फिल्मों और 1 लघु लाइव एक्शन फिल्म का निर्माण जारी है।	3 फीचर फिल्म + 2 लघु फिल्म	शून्य- वर्ष के दौरान फिल्मों की नई खरीद न होने या आवश्यकता न होने के कारण।	6 पुरस्कार विजेता फिल्मों की खरीद के अधिकार	
ख. डबिंग	सीएफएसआई की विभिन्न डीसीपी और एलटीओ प्रारूप की 54 फिल्में, डीवीसी प्रो की 12 फिल्में, 1 एचडीकैम, 18 ब्लू रे की 2406 डीवीडी बिक्री के लिए		3 फीचर फिल्में और 1 लघु फिल्म पूरी कर ली गई। 6 फीचर फिल्में प्री- प्रोडक्शन के चरण में हैं	तीन भाषाओं में 9 फिल्में	
ग. उप शीर्षक	शून्य- वर्ष के दौरान फिल्मों की नई खरीद न होने या आवश्यकता न होने के कारण।	शून्य	सीएफएसआई की विभिन्न 2 डीसीपी, 22 डीवीसी प्रो, 583 डीवीडी बिक्री के लिए	3 फीचर फिल्म + 2 लघु फिल्म	
घ. खरीद	योजना स्कूलों में बच्चों की फिल्मों की प्रदर्शनी	स्कूलों में बच्चों की फिल्मों की प्रदर्शनी	21,34,054 बच्चों को कवर करते हुए 7502 प्रदर्शन 2200 प्रदर्शनों का आयोजन, 7 लाख से अधिक बच्चों को कवर करते हुए	लगभग 11760 प्रदर्शनों की व्यवस्था और 35 लाख बच्चों को लाभ प्रदान करना	
ड. प्रिंट लागत	डीसीपी एवं एलटीओ फॉर्मेट में 97 शीर्षक, डीवीसी प्रो के 14 शीर्षक, बिक्री के लिए सीएफएसआई के विविध शीर्षकों की 5732 डीवीडी	2 फिल्में 3 प्रिंट	डीसीपी, 18 ब्ल्यू रे डिस्क, 1एचडी कैम, 11डीवीसी प्रो, 1 डिजी बीट, बिक्री के लिए सीएफएसआई के विविध शीर्षकों की 2033 डीवीडी	30 प्रिन्ट्स	

योजना भारत और विदेशों में फिल्म समारोहों और फिल्म बाजार के माध्यम से भारतीय सिनेमा को बढ़ावा

i) अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन	पहला राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव- नई दिल्ली के सिरी फोर्ट सभागार में 14 से 16 नवंबर के दौरान राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का विषय साफ-सफाई था। 3 सभागारों में 12 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। 7 कार्यशालाओं, बच्चों का एक मेला व 3 स्कूली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में 10 हजार बच्चों ने भाग लिया।	19 वां अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव	हैदराबाद में 14-21 नवंबर, 2015 को 19 वां अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। 80 देशों से 1204 फिल्म प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। 40 देशों से 286 फिल्मों को 13 थियेट्रों में 1.75 लाख दर्शकों ने देखा। महोत्सव के दौरान तेलंगाना के 8 जिलों में फिल्मों के एक अलग पैकेज को 24 थियेट्रों में लाखों बच्चों ने देखा। भिन्न क्षमताओं वाले बच्चों के लिए फिल्मों का विशेष प्रदर्शन किया गया। सीएफएसआई गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन भी जारी किया गया।	2 एनसीएफएफ का आयोजन होगा
ii) अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में भागीदारी	67	27	27	15

फिल्म समारोह निदेशालय

2014-15 और 2015-16

योजना बजट के अतिरिक्त भौतिक प्रदर्शन की समीक्षा

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2014-15 के लिए लक्ष्य	उपलब्धियां 2014-15	घाटे के कारण	2015-16 के लिए लक्ष्य	उपलब्धियां 2015-16	वास्तविक प्रदर्शन की समीक्षा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	विदेशी यात्रा खर्च	-	-	-	-	-	प्रशासनिक व्यय
2.	(i) भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह	01	01	शून्य	01	01	शून्य
	(ii) विदेशी फिल्म समारोहों में भागीदारी	55	45	फिल्म समारोहों में भागीदारी आवंटित कोष के अनुसूचित तथा उपलब्ध होने पर निर्भर करती है।	55	30 जनवरी 2016 तक	
	(iii) भारतीय पैनोरमा	01	01	शून्य	01	01	शून्य
3.	सीरीफोर्ट कॉम्प्लेक्स का उन्नयन	सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में सुविधाओं में निरंतर सुधार के साथ-साथ इस योजना में सीरी फोर्ट सांस्कृतिक परिसर के समग्र परिवेश के उन्नयन, प्रोजेक्शन प्रणाली, ध्वनि तथा प्रकाश के सुधार/ उन्नयन तथा इस प्रकार संचार प्रणाली में सुधार से सम्बंधित	वर्ष 2014-15 के लिए तय कार्य पूरे किए जा चुके हैं।	शून्य	सिविल तथा इलेक्ट्रिकल उन्नयन कार्यों को पूरा किया जा चुका है।	सिविल तथा इलेक्ट्रिकल कार्यों को तय कार्यक्रमानुसार पूरा किया जा चुका है।	शून्य

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे
योजना बजट के अंतर्गत भौतिक प्रस्तुति की समीक्षा

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	योजना/ कार्यक्रम का नाम	2015-16 के लिये लक्ष्य	2015-16 की उपलब्धियां			कमी का कारण
			4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन	
1	2	3	4			5
(क)	भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे के लिए सहायता अनुदान (गैर-योजना)	शिक्षकों, तकनीकी और अन्य कर्मचारियों को वेतन और भत्ते का भुगतान करना, बुनियादी सुविधाओं और उपकरणों का रखरखाव और संस्थान के शैक्षिक गतिविधियों का संचालन। संस्थान से विभिन्न दीर्घकालिक/लघु अवधि के पाठ्यक्रमों के 102 छात्रों का उत्तीर्ण होना।	16.30			जटिल परिस्थितियों के जारी रहने के कारण एफटीआईआई में अव्यवस्था फैल गई है जो कि विगत वर्षों में हुई घटनाओं और किए गए कार्रवाई का नतीजा है। संस्थान व्यवस्था के अनुरूप छात्रों को उत्तीर्ण करना सुनिश्चित करने के लिए, अव्यवस्था को दूर कर रहा है। एफटीआईआई पाठ्यक्रम और प्रौद्योगिकी में संशोधन की प्रक्रिया में है। वर्ष 2013 के दौरान डिप्लोमा/ पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पर 102 छात्र उत्तीर्ण हुए।

						वर्तमान शैक्षिक वर्ष में, दो सत्रों 2008-09 और 2009-10 के साथ-साथ अभिनय, पटकथा लेखन, कला निर्देशन, टेलीविजन में सर्टिफिकेट कोर्स के नियमित छात्रों को मिलाकर कुल 160 छात्रों के एफटीआईआई से उत्तीर्ण होने की उम्मीद है।
(ख)	एफटीआईआई के अद्यतन और आधुनिकीकरण के लिए एफटीआईआई, पुणे को अनुदान सहायता (योजना)	छायांकन, संपादन और ध्वनि विभाग और आईटी अवसंरचना के विकास के लिए उपकरणों की खरीद। योजनाओं और वास्तुशिल्प डिजाइन को पूरा कर लिया गया है। कक्षा कक्ष थिएटर, स्टूडियो फर्श, आवास, कला कार्यशाला आदि से संबंधित निर्माण कार्य के लिए ठेका देने की स्वीकृति।		20.00		शून्य
(ग)	सहायता अनुदान सामान्य - फिल्म मीडिया के लिए मानव संसाधन।	वार्षिक कैलेंडर के अनुसार छात्रों और शिक्षकों के कौशल विकास के लिए सेमिनार का आयोजन, मास्टर कक्षा का संचालन।		0.45		शून्य
		कुल		16.30	20.45	

फिल्म प्रभाग

निर्माण (गतिविधि)

(रुपये लाख में)

2014-15 के लिए वास्तविक			2015-16 के लिए बजट आकलन			2015-16 के लिए संशोधित आकलन			2016-17 के लिए बजट आकलन		
योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
99.77	1439.53	1539.30	268.20	1539.18	1807.38	342.00	1451.16	1793.16	218.70	2140.56	2359.26

ए) डॉक्यूमेन्टरी (आर्काइवल पत्रिकाओं सहित)

	उपलब्धियां 2014-15	लक्ष्य 2015-16	उपलब्धियां 2015-16 (दिसंबर 2015 तक)	अनुमानित 2015-16 1.1.16) से 31.3.16)	लक्ष्य 2016/17
1	2	3	4	5	6
(I) इन हाउस प्रोडक्शन					
(A) गैर-योजना					
(i) थिएटरिकल रिलीज, नॉन थिएटरिकल रिलीज के लिए समाचार पत्रिका	3	**	3	5	**
(ii) डॉक्यूमेन्टरी का निर्माण जिसमें 4-6 एनीमेशन फिल्मों थिएटरिकल रिलीज के लिए शामिल हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन हाउस निर्देशकों के साथ-साथ तदर्थ आधार पर भी निर्देशकों की नियुक्ति की जाती है तथा फिल्म प्रभाग के गैर निर्देशक इकाइयों की भी मदद ली जाती है तथा कुछ विशेष मामलों में बाह्य निर्माताओं की भी मदद ली जाती है।	18	26	8	3	26
(iii) नॉन थिएटरिकल रिलीज के लिए डॉक्यूमेन्टरी (इन हाउस)	27	10	19	21	10
(iv) रक्षा मंत्रालय के लिए नॉन थिएटरिकल रिलीज के लिए इन्स्ट्रक्शनल शिक्षा तथा प्रशिक्षण फिल्मों	-	-	-	-	-
(II) बाह्य निर्माताओं के जरिए निर्माण					
(A) गैर योजना - डॉक्यूमेन्टरीज्	2	-	1	3	-

2. भुगतान आधार पर फिल्म प्रभाग द्वारा निर्मित फिल्मों अथवा बाह्य प्रोड्यूसर इन हाउस के जरिए सीधे भुगतान आधार पर निर्मित फिल्मों	-	-	-	-	-
योजना स्कीम के तहत: डॉक्यूमेन्टरी फिल्मों का निर्माण	19	50	19 (एनटीआर)	25	50
कुल	69	86	69	57	86

** महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों की विदेशों की यात्राओं के लिए फिल्म प्रभाग समाचार पत्रिकाओं का निर्माण करता है। इस प्रकार समाचार पत्रिकाओं के निर्माण के लिए कोई तय लक्ष्य नहीं है।

(III) वितरण:

फिल्म प्रभाग डॉक्यूमेन्टरीज तथा आर्काइवल पत्रिकाओं के थिएटरिकल तथा नॉन थिएटरिकल वितरण का कार्य भी करता है। थिएटरिकल वितरण भारत में सिनेमा हाउस के जरिए किया जाता है जो अनुमोदित फिल्मों (609 मीटर अर्थात् 2001 फीट से अधिक नहीं) का प्रदर्शन अनिवार्य प्रदर्शन योजना के अंतर्गत करते हैं।

वित्तीय

(रुपये लाख में)

2014-15 के लिए वास्तविक			2015-16 के लिए बजट आकलन			2015-16 के लिए संशोधित आकलन			2016-17 के लिए बजट आकलन		
योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
141.34	2039.33	2180.67	379.95	2180.51	2560.46	484.50	2055.81	2540.31	309.82	3032.46	3342.28

(भौतिक)

प्रिंट्स और कैसेट्स की संख्या	उपलब्धियां 2015-16 (दिसंबर तक, 2015)	लक्ष्य 2016-17
थियेटर रिलीज	52	52
नॉन-थियेटर रिलीज	10360	10260
एच डी	-	14
डीवीडी	-	150
स्टॉक शॉट्स	29	45
रॉयल्टी	2	-
डीवीडी	3239	4652
वीसीडी	242	119

- थियेट्रिकल वितरण के लिए फिल्म प्रभाग एक आर्काइवल पत्रिका अथवा एक डॉक्यूमेन्टरी फिल्म को एक वर्ष छोड़ कर अगले वर्ष पूरे देश को एक सर्किट मानते हुए जारी करता है। वर्ष 2015-16 के दौरान थियेट्रिकल वितरण के लिए प्रत्येक सप्ताह 200 प्रिंट तैयार किए गए।
- एन एफ डी सी तथा अन्य एजेंसी के जरिए फिल्म प्रभाग विदेशों में अपनी फिल्मों का व्यावसायिक वितरण सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, फिल्म प्रभाग स्टॉक शॉट को व्यावसायिक तथा गैर-व्यावसायिक प्रयोग के लिए समय समय पर सरकार द्वारा तय दरों पर बेचता है।
- विदेश मंत्रालय के लिए फिल्म प्रभाग डॉक्यूमेन्टरीज तथा आर्काइवल पत्रिकाओं के प्रिंट विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को आपूर्ति किए जाते हैं जो इन्हें सरकारी, गैर सरकारी संगठनों, शिक्षण संस्थानों आदि का मुफ्त प्रदर्शन के लिए प्रदान करते हैं। इन प्रिंट्स को विदेशों में गैर व्यावसायिक प्रयोग के लिए भी बेचा जाता है। कुछ डॉक्यूमेन्टरीज को व्यावसायिक आधार पर टेलीविजन पर रायल्टी आधार पर फिल्म प्रभाग द्वारा सीधे साथ ही राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के जरिए बेचा जाता है।
- भारत में फिल्मों के व्यावसायिक प्रदर्शन, स्टॉक के प्रिंट्स तथा बेस्ट फिल्मों की बिक्री के जरिए वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान फिल्म प्रभाग द्वारा की गई आय निम्नानुसार है -

(रुपये लाख में)

लघु मद	2014-15 के लिए वास्तविक	बी.ई. 2015-16	आर.ई. 2015-16	बी.ई. 2016-17
1. किराया	758.10	555.00	555.00	555.00
2. प्रिंट और शॉट्स का विक्रय	15.33	27.00	27.00	27.00
3. अन्य प्राप्तियां	41.26	23.00	23.00	23.00
कुल	814.69	605.00	605.00	605.00

1. विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायलयों में लंबित डब्ल्यू पी एस/ डब्ल्यू ए एस के कारण 1995-1999 की अवधि के लिए मांगी गई राशि का ज्यादातर प्रदर्शकों ने भुगतान नहीं किया है।
2. उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, पंजाब के 500 से अधिक सिनेमा ने फिल्म प्रभाग द्वारा अनुमोदित फिल्मों का प्रदर्शन रोक दिया है।

(V) प्रशासनिक व्यय

(रुपये लाख में)

2014-15 के लिए			बजट आकलन 2015-16			आकलन 2015-16			बजट अनुमान 2016-17		
योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
36.03	519.83	555.86	96.85	555.82	652.67	123.50	524.03	647.53	78.98	772.98	851.96

विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में फिल्मों की संख्या

	समारोहों की संख्या	प्रविष्ट फिल्मों की संख्या
राज्य फिल्म समारोह	10	20
राष्ट्रीय फिल्म समारोह	15	40
अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह	25	60
कुल	50	120

भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार

	योजना का नाम व कार्यक्रम	भौतिक लक्ष्य 2015-16	31.12.2015 तक भौतिक उपलब्धियां	कमी के कारण यदि कोई हों तो
	नई योजना			
1.	अभिलेखीय फिल्मों तथा फिल्म सामग्री को हासिल करना	70 फिल्मों / डी वी डी तथा एन्सीलरी सामग्री को हासिल करना	99 फिल्में तथा 4502 एन्सीलरी सामग्री को हासिल करना	कोई कमी नहीं देखी गई
2.	जयकार बंगला सहित एन एफ ए आई की अवसंरचना का उन्नयन तथा डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना	वर्तमान अवसंरचनाओं का उन्नयन जिसमें शामिल है- डी जी सेट, एयर कन्डीशनिंग सिस्टम, फायर एलार्म सिस्टम का रिप्लेसमेन्ट, डिजिटल डॉल्बी सिस्टम उपलब्ध कराना, मुख्य थिएटर तथा कार्पेट का रिप्लेसमेन्ट आदि।	डिजिटल डॉल्बी ध्वनि सिस्टम लागू किया जाना, फेस-1 ऑडिटोरियम में कुर्सियों तथा कार्पेट उपलब्ध कराई जा चुकी हैं तथा डी जी सेट पूरा किया जा चुका है। वॉल्ट, ऑडिटोरियम के लिए एयर कन्डीशनिंग, फायर फाइटिंग सिस्टम का रिप्लेसमेन्ट जिसके लिए निर्धारित समय में कार्य प्रारम्भ होना है।	सरकारी औपचारिकताओं यथा ई-टेन्डरिंग आदि को पूरा किया जाना

सत्यजित राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान
योजना बजट के तहत भौतिक प्रदर्शन की समीक्षा

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/ कार्यक्रम का नाम	2015-16 के लिए लक्ष्य	2015-16 की उपलब्धियां			कमी का कारण
			4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन	
1	2	3	4			5
(क)	एसआरएफटीआई, कोलकाता के लिए सहायता अनुदान (गैर-योजना)	शिक्षकों, तकनीकी और अन्य कर्मचारियों को वेतन और भत्ते का भुगतान करना, बुनियादी सुविधाओं और उपकरणों का रखरखाव और संस्थान के शैक्षिक गतिविधियों का संचालन। विभिन्न पाठ्यक्रमों के कुल 37 छात्रों का उत्तीर्ण होना।	12.37			शून्य
(ख)	एसआरएफटीआई, कोलकाता को अनुदान सहायता एसआरएफटीआई का अद्यतन और आधुनिकीकरण (योजना)	मूल उद्देश्य फिल्म और प्रौद्योगिकी में प्रगति को ध्यान में रखकर संस्थान के अवसरचरणात्मक प्रारूप का विकास करना है। इससे संस्थान के पास बेहतर भौतिक सुविधाएं और प्रगत प्रौद्योगिकी उपलब्ध होंगे, परिणामतः शिक्षा में सुधार होंगे। मानव श्रम में छात्र, शिक्षक और कर्मचारियों को नए विकास के साथ तालमेल बैठाकर प्रशिक्षित किया जाएगा।		10.00		शून्य
(ग)	सहायता अनुदान सामान्य - फिल्म मीडिया के लिए मानव संसाधन।	वार्षिक कैलेंडर के अनुसार छात्रों और शिक्षकों के कौशल विकास के लिए सेमिनार का आयोजन, मास्टर कक्षा का संचालन।		0.30		शून्य
		कुल	12.37	10.30		

मुख्य सचिवालय की फिल्म विंग स्कीमें

(क) फिल्म सामग्री का विकास, संप्रेषण और प्रसार

योजना बजट के तहत वर्ष 2013-14 और 2014-15 के भौतिक प्रदर्शन की समीक्षा

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	2013-14 के लक्ष्य	2013-14 की उपलब्धियां	घाटे के कारण	2014-15 के लिए लक्ष्य	2014-15 की उपलब्धियां	भौतिक प्रदर्शन की समीक्षा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	विदेश यात्रा खर्च	-		प्रशासनिक खर्च			
2.	फिल्म समारोहों और फिल्म बाजारों के जरिये भारतीय सिनेमा का संवर्धन	संबंधित मीडिया इकाइयों के प्रासंगिक खंडों में प्रस्तुत			संबंधित मीडिया इकाइयों के प्रासंगिक खंडों में प्रस्तुत		
3.	विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों और वृत्तचित्रों का निर्माण						
4.	भारतीय सिनेमा का शताब्दी समारोह						
5.	फिल्म अभिलेखागार की वेबकास्टिंग						
6.	अभिलेखीय सामग्री का अधिग्रहण						

(ख) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन

“राष्ट्रीय फिल्म हेरिटेज मिशन” (एन एफ एच एम) जिसका उद्देश्य फिल्मों तथा फिल्म सामग्रियों को एन एफ ए आई के जरिए संरक्षित, डिजीटाइजेशन तथा जीर्णोद्धार मिशन मोड रूप में करना है। वर्ष 2015-16 के दौरान उद्देश्य तथा प्रदर्शन इस प्रकार रहे-

क्र.सं.	योजना का नाम	भौतिक लक्ष्य 2015-16	भौतिक उपलब्धि 2015-16
1	2	3	4
1.	राष्ट्रीय फिल्म हेरिटेज मिशन	मिशन कार्यालय की स्थापना। राष्ट्रीय फिल्म हेरिटेज मिशन प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट तथा आर एफ पी के लिए सर्विस प्रोवाइडर को चिन्हित करने के उद्देश्य से कन्सलटेन्सी फर्म को नियुक्त करना	टेन्डर प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिया जा रहा है

(ग) राष्ट्रीय एनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

एनसीओई की स्थापना तथा फिल्म मार्केट में इनकी भागीदारी

योजना बजट 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान भौतिक निष्पादन की समीक्षा

क्रम सं.	योजना का नाम	2014-15 के लिए लक्ष्य	2014-15 में उपलब्धियां	कमी के कारण	वर्ष 2015-16 के लक्ष्य	वर्ष 2015-16 की उपलब्धियां	कमी के कारण
1.	एनिमेशन, गेमिंग तथा विजुअल इफेक्ट्स सेक्टर में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र	योजना की मंजूरी तथा पहल	कार्य शुरू करने के लिए एम ई एस सी की पहचान	योजना की मंजूरी तथा पहल	अनुमोदन और योजना हेतु पहल	डीपीआर तैयार कर लिया गया है	पहली बार शुरू प्रोजेक्ट पर विस्तृत परामर्श
2.	फिल्म बाजार में भागीदारी	02	02	-	2	1	बजटीय बाधाएं और मुद्दा

प्रसारण क्षेत्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केन्द्र

पिछले निष्पादन की समीक्षा

योजना स्कीम के तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केन्द्र का वास्तविक व्यय “ईएमएमसी के सुदृढीकरण” वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान क्रमशः 0.86 करोड़ रुपये और 11.00 करोड़ रुपये हैं। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए, बजट अनुमान (बीई) आबंटन 20.00 करोड़ रुपये था, जिसे संशोधित अनुमान (आरई) में बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये किया गया। ईएमएमसी ने सफलतापूर्वक 24.80 करोड़ रुपए का उपयोग किया है और 20 लाख रुपये की नाममात्र की बचत की है।

प्रसार भारती
आकाशवाणी

अध्याय-IV

परिव्यय तथा परिणाम/लक्ष्यों का विवरण (2015-16)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2015-16 योजना बजट	31.12.2015 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 के अनुसार उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4		5	6		7
	योजना-1- प्रसार ढांचा नेटवर्क विकास							
1.1	ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण							
a	MW ट्रांसमीटर (जारी योजना)		15.00	29.48				
i	कावारती में 1 kw MW ट्रांसमीटर को 10 kw MW उपयुक्त डिजिटल ट्रांसमीटर से बदलना				5. कावारती- 10 KW MW ट्रांसमिशन की स्थापना पूरी	Q4-लंबित कार्य और भुगतान	काम पूरा	
					कावारती में हॉस्टल आवास निर्माण कार्य पूरा	Q4-लंबित कार्य और भुगतान	काम पूरा	
ii	100 kw -12 संख्या में. [विजयवाड़ा (आं.प्र.), पटना(बिहार), पणजी (गोवा),रांची(झार.), मुंबई ए (महा.), मुंबई बी (महा.), पुणे (महा.),तिरुचापल्ली(तमि.), वाराणसी (उ.प्र.), कोलकाता ए (पं.बं.), मुंबई सी (50 KW) एवं पासीघाट (10 KW का परिवर्तन 100KW से)]				1.100 kw MW किलोवाट ट्रांसमीटरों की प्राप्ति, स्थापना और कमीशनिंग DRM ट्रांसमीटर	Q-4 पासीघाट ट्रांसमीटर के अलावा सभी ट्रांसमीटर चालू	आंशिक पूरा	
iii	200 KW-10 संख्या में,दिल्ली ए, अहमदाबाद (गुज.), बंगलुरु और धारवाड़ (कर्ना),जबलपुर (म.प्र.), अजमेर(राज.),चेन्नई ए(तमि.), सिलिगुड़ी, कोलकाता बी(पं.बं.), एवं इटानगर (100kw MW को 200kwMW DRM से बदलना)				200kw MW DRM ट्रांसमीटरों की प्राप्ति, स्थापना और कमीशनिंग पूरी	Q-4 इटानगर ट्रांसमीटर के अलावा सभी ट्रांसमीटरों की जाँच की गई व चालू	आंशिक पूरा	

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16 योजना बजट	31.12.2015 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 समयबद्धता उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4		5	6		7
iv	300 KW-6 संख्या में [डिब्रूगढ़ (असम), राजकोट (गुज.), जम्मू (ज.एवं क.), जालंधर (पंजाब), सूरतगढ़. (राज.), लखनऊ (उ.प्र.)				300kW MW DRM ट्रांसमीटर की प्राप्ति, स्थापना और कमीशनिंग का कार्य पूरा	Q4 जालंधर, सूरतगढ़. व डिब्रूगढ़ ट्रांसमीटर जाँच पूरी व चालू	आंशिक कार्य पूरा	सीमित स्टाफ के कारण कुछ स्थानों (खासकर उत्तर-पूर्व) में ट्रांसमीटरों की कमीशनिंग इस वर्ष पूरी नहीं हो पायगी विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में
v	36 DRM सक्षम MW ट्रांसमिशन को DRM में परिवर्तित करना				36 DRM सक्षम MW ट्रांसमिशन को परिवर्तित करने के लिए SITC के लिए आर्डर देना	Q-1 to Q-4- उपकरणों के लिए आदेश जारी, चालू करना	कार्य पूरा नहीं	परियोजना निरस्त
vi	MW ट्रांसमीटर परिवर्तन के तहत अन्य अधिप्राप्तियां				DRM रिसीवर प्राप्त (36 पेशेवर)-144 सामान्य उद्देश के लिए	Q-4-DRM रिसीवर प्राप्त	आंशिक रूप से पूरा	सप्लायर द्वारा जनरल प्राप्त प्रस्ताव के सप्लाय नहीं किए जा सके
b	SW ट्रांसमीटर (कुल)		1.01	0.07				
i	SW ट्रांसमीटर (जारी योजना) SW DRM ट्रांसमीटर को 5 SW ट्रांसमीटरों से बदलना (दिल्ली-2, अलीगढ़-2, बंगलुरु-1)			0.07	250 kw SW ट्रांसमीटर की प्राप्ति	Q-1-उपकरणों के आदेश NIT जारी Q-2 स्थल का निरीक्षण Q-1 उपकरणों की प्राप्ति	कार्य पूरा नहीं	परियोजना स्थगित

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2015-16 योजना बजट	31.12.2015 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 समयबद्धता उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4		5	6		7
					100 kw SW ट्रांसमीटर की प्राप्ति	(2) ट्रांसमीटर प्राप्त किंगस्वे कैंप	कार्य पूरा	एचपीटी खामपुर में ट्रांसमीटर स्थापन प्रसार भारती से अनुमोदन पर निर्भर
C	FM ट्रांसमीटर (कुल)		90.00	24.23				
	FM ट्रांसमीटर (जारी योजना)							
(i)	FM विस्तार योजना (जारी योजना)		30.00	22.24				
	FM विस्तार योजना स्कीम (जारी योजना)				हल्द्वानी, रायबरेली और चंपावत में FM ट्रांसमीटर स्थापित करने की परियोजना (a) स्थल का अधिग्रहण (b) चाहरदीवारी का कार्य पूरा (c) अंतिम रूप देना और		आकलन की स्वीकृति अंतिम रूप से पूरा रायबरेली में निर्माण कार्य पर	FM ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए LPTV स्थल की पहल की गई।
					फाजिल्का, अमृतसर और चौटनहिल में FM ट्रांसमीटरों की स्थापना (a) 20 KW FM ट्रांसमीटर की प्राप्ति (3) b) उपकरणों की स्थापना और कमीशनिंग (c) ऑक्जिलरी उपकरणों की स्थापना और प्राप्ति	Q-4 ट्रांसमीटर की जाँच और चालू किया गया	आंशिक कार्य पूरा	फाजिल्का FM ट्रांसमीटरों चालू अमृतसर में 300 मी. टॉवर पूरा न होने के कारण पैनल एंटीना चालू नहीं हुआ।
					गैरसेण और नये टिहरी में 1 KW FM ट्रांसमीटर की स्थापना (a) टॉवर की स्थापना (b) ट्रांसमीटरों की स्थापना / टेस्टिंग / कमीशनिंग	न्यू टेहरी में 50 मीटर टॉवर खड़ा किया गया	आंशिक कार्य पूरा कार्य चल रहा है।	स्टेशन चालू करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16 योजना बजट	31.12.2015 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 समयबद्धता उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4		5	6		7
					बागेश्वर और उज्जैन में 5 KW FM ट्रांसमीटर की स्थापना	Q-4-ट्रांसमीटर चालू	कार्य पूरा	
					दार्जिलिंग, कूचबिहार, धनबाद, बर्धमान और सूर्यपेट में 10 KW FM ट्रांसमीटर की स्थापना (a) 10 KW FM ट्रांसमीटर की प्राप्ति (4) b) उपकरणों की स्थापना और कमीशनिंग (c) ऑक्जिलरी उपकरणों की स्थापना और प्राप्ति (d) सिविल कार्य पूरा (e) सूर्यपेट में विद्युत टॉवर लगाना	स्थापित	आंशिक पूरा	बलूरघाट और दार्जिलिंग में FM ट्रांसमीटर स्थापित, बर्धमान व कूचबिहार को दिल्ली, चैन्नई व कोलकाता में डाइवर्ट किया गया वीबी सेवाओं के लिए।
					गंगटोक में 10 KW FM ट्रांसमीटर और सिलचर में 5 kw FM की ट्रांसमीटर लगाना	सिलचर में टेस्टिंग व कमीशनिंग	कार्य पूरा	STL में STC कार्य आरंभ
					टी अनीनी (अरुणाचल) में और तामेगलंग तथा उखरुल मणिपुर में KW FM ट्रांसमीटर की स्थापना (a) स्थल का अधिग्रहण (b) PSF कार्य पूरा (c) भवन कार्य पूरा	Q-4-उखरुल में सुरक्षा चारदीवारी व निर्माण कार्य	कार्य पूरा नहीं	अनीनी-राज्य सरकार द्वारा कोई उपयुक्त भूमि की पेशकश नहीं। स्थल को LPTV में बदला जा रहा है। तामेलांग: राज्य सरकार को भुगतान दिया गया है।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16 योजना बजट	31.12.2015 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 समयबद्धता उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4		5	6		7
					पूर्वोत्तर में 16 स्थानों पर 1 KW FM ट्रांसमीटर की स्थापना (a) कायमनगर और जुनेहबेटो में भवन कार्य पूरा (b) टॉवर का कार्य पूरा (c) सेट अप की स्थापना और कमीशनिंग का कार्य पूरा (d) सभी स्थानों पर स्टाफ क्वार्टर का निर्माण	जुनेहबेटो में ट्रांसमीटर भवन पूरा और होस्टल आवास का कार्य प्रगति पर	आंशिक कार्य	चम्पई फेक ट्रांसमीटर तैयार, गोलपाड़ा, कोलासिब ट्रांसमीटर स्थापित किए जा रहे हैं।
	ग्यारवीं योजना के तहत वर्तमान 24 आकाशवाणी/दूरदर्शन के स्थलों पर एफ एम विस्तार तथा आकाशवाणी के 100 एलपी पर 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर लगाना				1 KW FM ट्रांसमीटर की 2 स्थानों पर स्थापना (a) ऑक्जिलरी उपकरणों की प्राप्ति और 1 KW FM ट्रांसमीटरों की स्थापना और कमीशनिंग	Q -1/Q-2- ऑक्जिलरी उपकरणों की रसीद, स्थापना और कमीशनिंग	कार्य पूरा	ट्रांसमीटर दिसंबर, 2012 में प्राप्त
1 KW FM ट्रांसमीटर की 2 स्थानों पर स्थापना (a) ऑक्जिलरी उपकरणों की प्राप्ति और कमीशनिंग (b) भवन निर्माण का कार्य पूरा					Q -1/Q2-भवन कार्य पूरा ऑक्जिलरी उपकरणों प्राप्त, स्थापना और कमीशनिंग	कार्य पूरा नहीं	अक्टूबर 2012 में ट्रांसमीटर प्राप्त भवन में C/o में विलम्ब के कारण, ट्रांसमीटरों तथा अन्य उपकरणों की स्थापना नहीं की जा सकी।	
1 KW FM ट्रांसमीटर की (a) उपकरणों की कमीशनिंग (b) व्यय की पुनरावृत्ति						कार्य पूरा	ट्रांसमीटर स्थापित	
ii	FM/MW ट्रांसमीटरों का परिवर्तन							

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16 योजना बजट	31.12.2015 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 समयबद्धता उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4		5	6		7
	XI योजना के तहत FM/MW ट्रांसमीटरों को 40 वर्तमान स्टेशनों पर उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटरों से बदलना				27 की संख्या में 5/6 KW FM ट्रांसमीटरों को बदलना (a) FM ट्रांसमीटरों की प्राप्ति (b) डिपलेक्सर की प्राप्ति (c) पैनल एन्टेना की प्राप्ति (d) क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति	Q-1 से Q-2 एफएम ट्रांसमीटर और डिपलेक्सर संस्थापित प्राप्त Q-3 से Q-4 ट्रांसमीटर पैनल एंटीना संस्थापित	आंशिक पूरा	ट्रांसमीटर प्राप्त किए गए पैनल एंटीना संस्थापित प्राप्त डिपलेक्सर संस्थापित प्राप्त
					7 स्थानों पर 10 KW FM ट्रांसमीटरों को बदलना तथा 6 स्थानों पर 1KW FM ट्रांसमीटर से बदलना। (a) एसआईटीसी के 100 ट्रांसमीटरों की प्राप्ति (b) डिपलेक्सर की प्राप्ति (c) पैनल एन्टेना की प्राप्ति (d) क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति	Q-1 से Q-2 एफएम ट्रांसमीटर और डिपलेक्सर संस्थापना SITC टॉवर का आदेश प्राप्त Q-3 से Q-4 उपस्कर की स्थापना कार्य पूरा और टावर कार्य चल रहा है।	आंशिक कार्य	टेंडर न मिलने के कारण टावर कार्य नहीं दिया जा सका।
	FM ट्रांसमीटर (नई योजना)		60.00	1.99				
	118 स्थानों पर विभिन्न क्षमता वाले ट्रांसमीटरों की स्थापना से FM विस्तार का प्रस्ताव							
	XII योजना के तहत दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में 77 स्थानों पर 6 पुराने MW के स्थान पर एफएम ट्रांसमीटरों को बदलने का प्रस्ताव				योजना का अनुमोदन, वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार के लिए सिविल आकलन की तैयारी आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT तथा उपकरणों की विनिर्देशनों की प्राप्ति	Q-4 उपकरणों का ऑर्डर	आंशिक कार्य पूरा	NIT ट्रांसमीटर जारी, निविदा और मूल्यांकन प्राप्त, निविदा खोलना

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16 योजना बजट	31.12.2015 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 समयबद्धता उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4		5	6		7
1.2	स्टूडियो एवं नेटवर्क (कुल)		58.00	7.52				
(i)	स्टूडियो में (जारी स्कीम)-बी		51.00	7.52				
	X योजना के तहत 48 स्थानों पर उच्च सीमा वाले सर्वर की स्थापना				उच्च सीमा वाले सर्वर का 48 स्टेशनों पर कार्य पूरा (ऑर्डर मूल्य रु. 29.00 करोड़) (a)शेष कार्य व भुगतान	Q-4 पर उपकरण जाँच और उपकरण कमीशनिंग का कार्य पूरा	लक्ष्य की उपलब्धि हुई	कार्य पूरा
	योजना के तहत 98 स्टूडियो का डिजिटलीकरण के स्टूडियो,नेटवर्क, RNU का सृजन, दिल्ली में अभिलेख सुविधाओं का संवर्धन				केंद्रीय स्टोरेज और सिस्टम साफ्टवेयर सहित सर्वर dh SITC (डाटा कंटेंट सर्वर 38+10, डिजिटल वर्क स्टेशन 643+138+ 94), अपेक्षित ऑर्डर मूल्य रु.23.30करोड़	Q-1- उपकरणों के आदेश Q-4 उपकरणों की पावती	लक्ष्य की उपलब्धि नहीं हुई	RNU37 पूरा 14 के लिए हार्डवेयर प्रदान किया गया, साफ्टवेयर उपलब्ध
					ढाँचे की प्राप्ति	Q-1- उपकरणों के आदेश Q-4- उपकरणों की पावती	लक्ष्य नहीं हासिल हुआ।	ऑर्डर दिया गया और उपकरणों की आपूर्ति की जा रही है।
					सर्वर की SITC RNU- के लिए वर्क स्टेशन और सिस्टम साफ्टवेयर (a)कार्य और भुगतान क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति और विभागीय कार्य का आरंभ	Q-1- Q-2 कार्य और शेष भुगतान Q-1- Q-4- सभी क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति तथा विभागीय कार्य का आरंभ	कार्य प्रगति पर	क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों ने सभी कार्यवाही की। ट्रांसमीटर प्राप्त होने के बाद विभागीय कार्य आरंभ होंगे।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16 योजना बजट	31.12.2015 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 समयबद्धता उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4		5	6		7
					स्टूडियो की नेटवर्किंग	Q-1-NIT जारी Q-2 निविदा खुलना और तकनीकी मूल्यांकन Q-3- उपकरणों के आदेश Q-4- उपकरणों की प्राप्ति	लक्ष्य नहीं हासिल हुआ।	विनिर्देशनों को अंतिम रूप नहीं दिया गया
					स्टूडियो की सज्जा	Q-1- Q-4- कार्य की प्रगति और कार्य पूरा	आंशिक कार्य पूरा	स्टूडियो की सज्जा का कार्य किया जा रहा है।
ii	स्टूडियो (नई योजना)							
	XII योजना के तहत 29 स्टूडियो का डिजिटलीकरण, 1 नये RNU की स्थापना, गुवाहाटी में अभिलेखीय सुविधाओं का सृजन एवं स्टूडियों की पुनर्सज्जा		7.00		योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिए विशिष्टता जारी	Q-1- योजना को अनुमोदन Q-2- आकलन को स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3- सिविल कार्य सौंपा Q-4 NIT जारी, सिविल कार्य आरंभ	कार्य पूरा	हैंडलड रिकॉर्ड प्राप्त तथा आपूर्ति की गई। फोन का कंट्रोल प्रापण कार्य चल रहा है।
1.3	कनेक्टिविटी		47.50	25.73				
(i)	कनेक्टिविटी (जारी योजना)		45.00	25.73				
	82 STL बदलना और 35 नये STL की प्राप्ति				STL कनेक्टिविटी को बदलना	Q-4 उपकरणों का निरीक्षण। उपकरणों की पावती व स्थापना	कार्य पूरा नहीं	दिल्ली व चैन्नई में उपकरणों के दो कॉनसाइगमेंट्स प्राप्त

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16 योजना बजट	31.12.2015 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 समयबद्धता उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4		5	6		7
	कैप्टिव अर्थ स्टेशन की स्थापना				5 स्थानों पर CES बदलना	Q -3- उपकरणों की पावती Q-4- स्थापना कार्य आरंभ	कार्य पूरा नहीं	निविदा आमंत्रित मूल्यांकन किया जा रहा है।
	आर एन टर्मिनल				आर एन टर्मिनल की प्राप्ति	Q -3- उपकरणों की पावती Q-4- स्थापना कार्य आरंभ	कार्य पूरा	
(ii)	कनेक्टिविटी (नई योजना)							
	टेलीकॉम सुविधाओं का संवर्धन: 2 पोल फीड को 4- पोल फीड और 24 डिशों से बदलना SCPC को MCPC से बदलना-32		2.50		योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिवल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिए विनिर्देशनों की तैयारी	उपकरणों का आदेश	कार्य पूरा	प्रापण कार्य चल रहा है।
1.4	कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान को मजबूत बनाना (कुल)		3.10	0.04				
	प्रशिक्षण सुविधा का संवर्धन (जारी योजना)		2.50	0.04				
	क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों सहित STI(T) STI (P) तथा का संवर्धन				STI(T) दिल्ली में मेडीटेशन हॉल और लायब्रेरी का निर्माण	Q-1- कार्य प्रगति पर Q-2- कार्य प्रगति पर Q-3- कार्य पूरा	कार्य पूरा नहीं	आकलन स्वीकृत है। कार्य प्रगति सिविक एजेंसी के अनुमोदन पर निर्भर
					STI(T) दिल्ली में अतिरिक्त कार्यालय का निर्माण तथा ई-लर्निंग सुविधा	Q-1- कार्य प्रगति पर Q-3- कार्य पूरा	कार्य पूरा	आकलन स्वीकृत

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2015-16 योजना बजट	31.12.2015 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 समयबद्धता उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4		5	6		7
					योजना के तहत विभिन्न उपकरणों की प्राप्ति	Q-1- से Q-4-योजना के तहत विभिन्न उपकरणों की प्राप्ति कुछ उपकरण दूसरी योजनाओं के तहत दूसरे उपकरणों के साथ प्राप्त होंगे, जिसके लिए प्राप्ति के कार्यवाही जारी है।	आंशिक कार्य पूरा	
	प्रशिक्षण सुविधा का संवर्धन (नयी योजना)		0.60					
	बारहवीं योजना के तहत दिल्ली एवं भुवनेश्वर के लिए DRM+ तथा ट्रांसमीटर सहित डिजिटल प्रसारण उपकरण की अधिप्राप्ति				योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिए विनिर्देशनों की तैयारी	Q-1- योजना को अनुमोदन Q-2- आकलन को स्वीकृति, विनिर्देशनों की तैयारी Q-3- सिविल कार्य सौंपा Q-4 NIT जारी, सिविल कार्य आरंभ	कार्य पूरा	2.9.2013 को ईएफसी मीटिंग हुई। कैबिनेट नोट तैयार। मार्च 2014 में समक्ष प्राधिकारी द्वारा
1.5	शोध एवं विकास को मजबूत करना (कुल)	डिजिटल ट्रांसमिशन जैसे DRM*, DVB, FM,VHF, UHF, CW आदि पर प्रसार संबंधी अध्ययन करना डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए निगरानी तंत्र विकसित करना	1.30	0.01				2.9.2013 को ईएफसी मीटिंग हुई। कैबिनेट नोट तैयार। मार्च 2014 में समक्ष प्राधिकारी द्वारा
	शोध एवं विकास को मजबूत करना (जारी योजना)		1.00	0.01				

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16 योजना बजट	31.12.2015 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 समयबद्धता उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4		5	6		7
					DRM+ उपकरणों की प्राप्ति	Q-1- उपकरणों के आदेश Q-2 उपकरणों का निरीक्षण Q-4 उपकरणों की प्राप्ति	कार्य पूरा नहीं हुआ	प्राप्त किया जाना है।
					उपकरणों की प्राप्ति तथा अन्य कार्य।	Q-1से Q-4 योजना के अंतर्गत विभिन्न उपस्कर प्राप्त किए, योजना के अंतर्गत उपस्करों के साथ कुछ उपस्कर प्राप्त होंगे, जिसके लिए प्रापण कार्यवाही चल रही है।	आंशिक कार्य पूरा	
	शोध एवं विकास को मजबूत करना (नई योजना)		0.30					
	XIIवीं योजना के तहत R&D के लिए नए प्रस्ताव		0.50		योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिए विनिर्देशनों की तैयारी	सिविल कार्य सौंपना तथा उपस्करण का ऑर्डर		
	सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करना (कुल)		35.00	2.24				
	सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत बनाना (जम्मू और कश्मीर) (जारी योजना)		35.00	2.24				

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16 योजना बजट	31.12.2015 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 समयबद्धता उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4		5	6		7
i	जम्मू और कश्मीर में HPT /LPT की स्थापना:- 3 की संख्या में 10 kW FM ट्रांसमीटर 3 की संख्या में 10 kW TV ट्रांसमीटरों की स्थापना वर्तमान डीडी स्थल पर 10 kW FM ट्रांसमीटर की स्थापना आकाशवाणी स्थल पर 5 kW के 2 टीवी ट्रांसमीटर के और 100 Watt के 4 FM ट्रांसमीटर				100 Watt FM ट्रांसमीटर की प्राप्ति (4)	कार्य पूरा	कार्य पूरा	
					नौसेरा में 10 kW FM T (1+1) की प्राप्ति	Q-1-उपकरणों का आदेश Q-2- उपकरणों का निरीक्षण Q-3- Q-4 संस्थापना और चालू करना	आंशिक कार्य पूरा	उपकरण भेजने के लिए तैयार
					राजौरी में 2 की संख्या में 5 kW टीवी	ट्रांसमीटर Q-1- उपकरणों का आदेश Q-2- उपकरणों का निरीक्षण Q-3- Q-4 संस्थापना और चालू करना	आंशिक कार्य पूरा	उपकरणों का निरीक्षण जारी
					(i)सिविल कार्य प्रगति पर (ii) 10 kW FM ट्रांसमीटर की प्राप्ति (1+1) और 10 kW T1 ट्रांसमीटर (1+1) डीडी के लिए 3 स्थानों पर	Q-1- उपकरणों के आदेश। सिविल कार्यों की प्रगति Q-2- उपकरण का निरीक्षण, सिविल कार्यों की प्रगति Q-3- Q-4-तकनीकी क्षेत्र पूरा व उपकरण की संस्थापना	आंशिक रूप से	प्रतिभोगी मूल्यों पर निविदाएं प्राप्त न होने के कारण सिविल कार्यों में तेजी नहीं आई।
	सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूती (भारत-नेपाल सीमा) (नई योजना)		0.00	0.00				

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2015-16 योजना बजट	31.12.2015 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 समयबद्धता उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4		5	6		7
	भारत-नेपाल सीमा (i)भारत-नेपाल सीमा पर 8 FM प्रसारण की स्थापना (ii) 2 स्थानों पर प्रस्तुति केंद्र (iii) 2 स्थानों पर अनलिकिंग						कार्य पूरा नहीं	स्कीम छोड़ दी गई
3	वैकल्पिक प्लेटफॉर्म पर प्रसारण (नई योजना)	इंटरनेट उपभोक्ताओं को आकाशवाणी चैनलों तक पहुँच की सुविधा देना, आकाशवाणी चैनलों के लिए बहुमुखी माध्यम उपलब्ध करना	2.00	0.68	योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिए विनिर्देशनों की तैयारी	Q-1- योजना को अनुमोदन Q-2- आकलन को स्वीकृति, विनिर्देशनों की तैयारी Q-3- सिविल कार्य सौंपा Q-4 NIT जारी, सिविल कार्य आरंभ	कार्य पूरा	
4	ढाँचे का एकीकरण (कुल)	जहाँ भी अपेक्षित हो, कॉरपोरेट कार्य माहौल प्रदान करने के लिए मौजूदा सुविधाओं को बदलकर व उनमें सुधार लाकर प्रारूप की प्रतिस्थापना, दक्षता की गुणवत्ता में सुधार लाना	1.00	0.67			कार्य पूरा	
	ढाँचे का एकीकरण (जारी योजना)		0.50	0.67				
	बारहवीं योजना के तहत वर्तमान केंद्रों पर I-O-F-				आपात स्थिति के लिए 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में 5 FM मोबाइल	ट्रांसमीटर का प्रावधान Q-1-उपकरणों का आदेश Q-2- उपकरणों का	निरीक्षण	कार्य पूरा नहीं तकनीकी मूल्यांकन चल रहा है।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2015-16 योजना बजट	31.12.2015 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 समयबद्धता उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4		5	6		7
					स्टूडियो में मापक उपकरणों का प्रावधान	Q-1-उपकरणों का आदेश Q-2- उपकरणों का निरीक्षण Q-3- स्थापना और चालू करना Q-4- परीक्षण और मापन	कार्य पूरा नहीं	खरीद प्रक्रियाधीन है।
					23 स्थानों पर रिमोट कंट्रोल के लिए टेलीमेट्री MW ट्रांसमीटरों का प्रावधान	Q-1-उपकरणों का आदेश Q-2- उपकरणों का निरीक्षण Q-3- Q-4 परीक्षण और मापन	आंशिक कार्य पूरा	
					80 स्थानों पर वर्तमान FM स्टेशनों पर PS का प्रावधान	Q-1- शेष कार्य और भुगतान	आंशिक तौर पर कार्य पूरा	कार्य प्रगति पर है
					श्रीनगर में हॉस्टल कार्य के लिए अक्टूबर 2010 में स्वीकृति मिली (रु. 3.68 करोड़)। लेकिन CCW ने कार्य आरंभ नहीं कराया क्योंकि, वर्तमान भवन को तोड़ने के अनुमोदन में देरी हुई। जून 2011 में ध्वंस का अनुमोदन मिला। कार्य अब आरंभ होगा।	Q-1-कार्य प्रगति पर Q-2- कार्य पूरा	आंशिक तौर पर कार्य पूरा श्रीनगर लंबित	कार्य सौंप दिया गया और चल रहा है।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2015-16 योजना बजट	31.12.2015 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 समयबद्धता उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4		5	6		7
					19.02.2010 को गुवाहाटी में स्टाफ क्वार्टर स्वीकृति (रु.7.14 करोड़) फरवरी 2011 में कार्य दे दिया गया।	Q-1- शेष कार्य और भुगतान	कार्य पूरा नहीं	
					गुवाहाटी में क्षेत्रीय कार्यालय-स्वीकृत 03.03.2011 को जारी (रु.7.14 करोड़ आकाशवाणी द्वारा तथा 1 करोड़ डीडी द्वारा)	Q-1-कार्य प्रगति पर और परियोजना पूरी		
	ढांचे का एकीकरण (नई योजना)		0.50					
	दिल्ली तथा मुंबई में सामुदायिक केंद्र				योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिवल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिए विनिर्देशनों की तैयारी	सिविल कार्य सौंपे गए	आंशिक कार्य पूरा	भवन योजना को अंतिम रूप दिया जाना है।
	सुरक्षा चारदीवारी को मजबूत करना आदि				योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिवल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिए विनिर्देशनों की तैयारी	सिविल कार्य सौंपे गए	आंशिक कार्य पूरा	भवन योजना को अंतिम रूप दिया जाना है।
5	ई- गवर्नेंस (नई योजना)	नेटवर्क आधारित ऑन लाइन प्रबंध तंत्र के माध्यम से मीडिया इकाइयों को तीव्र गति से सूचनाओं का प्रसार तथा आकाशवाणी और	6.00	0.00	योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिवल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिए विनिर्देशनों की तैयारी	Q-4- आकलनों की स्वीकृति, विनिर्देशन तैयार करना	आंशिक कार्य पूरा	विनिर्देशनों को अंतिम रूप दिया गया।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2015-16 योजना बजट	31.12.2015 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 समयबद्धता उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4		5	6		7
		दूरदर्शन के व्यापक नेटवर्क हेतु प्रबंधन को ERP समाधान मुहैया कराना आकाशवाणी के सभी स्टेशनों और शिकायत निवारण तंत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-टेंडरिंग, वेबसाइट से परिपूर्ण करना						
	योजना II: अवयव विकास एवं प्रसार (जारी योजना)		0.00	0.00				
(i)	सॉफ्टवेयर (DBS)							
	स्कीम III: विशेष परियोजनाएं		0.10	0.00				
(i)	दिल्ली में ऑडिटोरियम का पुनरुद्धार (नई योजना)	आकाशवाणी के पास दिल्ली में ऑडिटोरियम नहीं है, उसके लिए ऑडिटोरियम का निर्माण, कार्यक्रम आयोजन के लिए आमंत्रित श्रोताओं को सुविधा उपलब्ध कराना व्यापक समूहों की भागीदारी से लाइव कार्यक्रम करना	0.10	0.00	योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिए विनिर्देशनों की तैयारी	Q-1- योजना को अनुमोदन Q-2- आकलन को स्वीकृति, विनिर्देशनों की तैयारी Q-3- सिविल कार्य सौंपा Q-4 NIT जारी, सिविल कार्य आरंभ	कार्य पूरा नहीं	योजना का अनुमोदन होना शेष है प्रसार भारती बोर्ड द्वारा स्कीम को अनुमोदित कर दिया गया है। प्रसार भारती को निदेश दिया गया कि वे इसका पुनः विलोकन करें।
	कुल (आकाशवाणी)		260.01	90.67				

**प्रसार भारती
आकाशवाणी
वार्षिक योजना की समीक्षा (2014-15)**

अध्याय-IV

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 (योजना बजट)		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक आउटपुट	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
			(i)	(ii)				
1	2	3	4		5	6	7	8
			योजना-1 प्रसार ढांचा नेटवर्क विकास					
1	मौजूदा नेटवर्क का डिजिटलीकरण (पूंजी)	डिजिटलीकरण के माध्यम से प्रसारण, रिकॉर्डिंग की गुणवत्ता और कनेक्टिविटी में सुधार। डिजिटलीकरण के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त सुविधाओं को किराए पर देकर दक्षता, स्वचालन और अतिरिक्त राजस्व करना।						
	मौजूदा नेटवर्क का डिजिटलीकरण (राजस्व)							
1.1	ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण							
a	मेगावॉट ट्रांसमीटर (जारी)		90.00	115.92				
i	राजकोट में 1000 किलोवाट मेगावाट DRM ट्रांसमीटर को 1000 किलोवाट मेगावाट से प्रतिस्थापन (बदलना)				लंबित कार्यों का भुगतान और लंबित भुगतान	Q1-लंबित भुगतान	हासिल किया	
ii					5. कावाराती- 10 KW MW ट्रांसमिशन की स्थापना पूरी	Q 1- लंबित कार्य और भुगतान	हासिल किया	

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 (योजना बजट)		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक आउटपुट	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
			(i)	(ii)				
1	2	3	4		5	6	7	8
	कावारती में 1kW MW ट्रांसमीटर को 10Kw MW उपयुक्त डिजिटल ट्रांसमीटर में बदलना				कावारती में छात्रावास	Q 1- लंबित कार्य और भुगतान	हासिल नहीं किया	कवारती को मुख्य भूमि से माल की दुलाई की सीमित अवधि के कारण
iii	चिनसुराह (पश्चिम बंगाल) में 1000 kW MW ट्रांसमीटर को 1000Kw MW डीआरएम द्वारा बदलना				चिनसुरा-1000 KW MW ट्रांसमीटर की स्थापना पूरी	Q 1- लंबित कार्य और भुगतान	हासिल नहीं किया	कंपनियों ने पुर्जों को उपलब्ध नहीं कराया। मामलों को कंपनियों द्वारा देखा जा रहा है।
iv	6 स्थानों पर 20 Kw MW ट्रांसमीटर (दिल्ली बी, बाड़मेर और बीकानेर (राज), चेन्नई (तमिलनाडु) वी, गुवाहाटी बी तवांग)				लंबित भुगतान और मामूली कार्यों का समापन।	Q1/Q-2- लंबित कार्य और भुगतान	आंशिक रूप से हासिल	दिल्ली ट्रांसमीटर के रिजेक्टर सर्किट की खरीद की जानी है।
v	• 100 Kw -12 संख्या में [विजयवाड़ा (एपी), पटना (बिहार), पणजी (गोवा), रांची (झारखंड), मुंबई ए (महाराष्ट्र), मुंबई बी (महाराष्ट्र), पुणे (महाराष्ट्र), तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु), वाराणसी (उत्तर प्रदेश), कोलकाता ए (पश्चिम बंगाल), मुंबई सी (50 KW) और पासीघाट (100 Kw से 10kW)				1. 100 Kw MW DRM ट्रांसमीटर की खरीद, स्थापना और चालू करना (आदेश मूल्य: 43.00 रुपये करोड़)	Q1-शेष ट्रांसमीटरों का निरीक्षण। स्थापना की प्रगति Q2;- सभी ट्रांसमीटरों की प्राप्ति और स्थापना की प्रगति Q-3 से Q4- सभी ट्रांसमीटरों को शुरू करना	आंशिक रूप से हासिल	इस वर्ष के दौरान कुछ स्थानों पर ट्रांसमीटर की शुरूआत नहीं की जा सकी, सीमित मात्रा में कर्मचारी होने के कारण अधिकतर पूर्वोत्तर क्षेत्र में।
vi	• 200 KW -10 संख्या में, [दिल्ली ए, अहमदाबाद (गुजरात), बंगलौर और धारवाड़ (कर्नाटक), जबलपुर (मध्य प्रदेश), अजमेर (राज), चेन्नई ए (तमिलनाडु), सिलीगुड़ी, कोलकाता बी (पश्चिम बंगाल) और ईटानगर (200 KW MW DRM से 100 KW MW से बदलना)				1. 100 Kw MW DRM ट्रांसमीटर की खरीद, स्थापना और चालू करना (आदेश मूल्य: 49.51 रुपये करोड़)	Q1-शेष ट्रांसमीटरों का निरीक्षण। स्थापना की प्रगति Q2- सभी ट्रांसमीटरों की प्राप्ति और स्थापना की प्रगति Q-3 से Q4- सभी ट्रांसमीटरों को शुरू करना	आंशिक रूप से हासिल	इस वर्ष के दौरान कुछ स्थानों पर ट्रांसमीटर की शुरूआत नहीं की जा सकी, सीमित मात्रा में कर्मचारी होने के कारण अधिकतर पूर्वोत्तर क्षेत्र में।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 (योजना बजट)		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक आउटपुट	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
			(i)	(ii)				
1	2	3	4		5	6	7	8
			(i)	(ii)				
vii	• 300 KW -6 संख्या [दिब्रूगढ़ (असम), राजकोट (गुजरात), जम्मू (जम्मू-कश्मीर), जालंधर (पंजाब), सूरतगढ़ (राज), लखनऊ (उत्तर प्रदेश)]				1. 100 Kw MW DRM ट्रांसमीटर की खरीद, स्थापना और चालू करना (आदेश मूल्य: 38.00 रुपये करोड़)	Q1-शेष ट्रांसमीटरों का निरीक्षण। स्थापना की प्रगति Q2- सभी ट्रांसमीटरों की प्राप्ति और स्थापना की प्रगति Q-3 से Q4- सभी ट्रांसमीटरों को शुरू करना	आंशिक रूप से हासिल	इस वर्ष के दौरान कुछ स्थानों पर ट्रांसमीटर की शुरूआत नहीं की जा सकी, सीमित मात्रा में कर्मचारी होने के कारण अधिकतर पूर्वोत्तर क्षेत्र में।
viii	36 DRM अनुकूल MW ट्रांसमीटर का रूपांतरण				36 DRM अनुकूल एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर और चालू करने हेतु रूपांतरण के लिए एसआईटीसी में रखने के आदेश	Q-1 to Q-4 :-आदेश, चालू करना	हासिल नहीं किया	इस परियोजना को टाल दिया गया है।
ix	MW ट्रांसमीटर के प्रतिस्थापन के तहत अन्य खरीद				DRM रिसेवर की खरीद (36 प्रोफेशनल) व 144 सामान्य प्रयोजन।	Q2 - उपकरण के आदेश, Q4 - उपकरणों की प्राप्ति। के रखने	आंशिक रूप से हासिल	सामान्य प्रयोजन प्राप्तकर्ता को आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति नहीं कर सकता।
(b)	SW ट्रांसमीटर (कुल)		20.00	14.45				
(i)	SW ट्रांसमीटर (जारी योजना)		20.00	14.45				
	5 SW ट्रांसमीटरों के स्थान पर SW DRM ट्रांसमीटर (दिल्ली-2 सं, अलीगढ़-2 सं, बंगलौर-1 सं.)				250 किलोवाट SW ट्रांसमीटर की खरीद।	Q1 - एनआईटी के उपकरण जारी करने का आदेश, Q3 - स्थल पर निरीक्षण, Q-3 - उपकरणों की प्राप्ति।	हासिल नहीं	परियोजना हट गई 100 किलोवाट SW ट्रांसमीटर की खरीद
					(अनुमानित आदेश मूल्य 17.00Crरुपये)	Q-2- स्थल पर निरीक्षण Q-3-उपकरण की प्राप्ति Q-3/Q-4 - उपकरणों की स्थापना	हासिल	मूल स्थल पर ट्रांसमीटर स्थापना प्रसार भारती से अनुमोदन पर निर्भर करती हैं।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिचय 2014-15 (योजना बजट)		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक आउटपुट	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
			4					
1	2	3	(i)	(ii)	5	6	7	8
					सहायक उपकरणों/क्षेत्रीय उपकरणों की खरीद और विभागीय कार्यों की शुरुआत	Q-1 to Q-4 - क्षेत्रीय उपकरणों की पूर्ण खरीद और विभागीय कार्यों की शुरुआत	हासिल	क्षेत्रीय उपकरणों की खरीद पर सभी कार्रवाई क्षेत्रीय कार्यालयों ने कार्य किया है। विभागीय कार्य ट्रांसमीटरों की प्राप्ति के बाद शुरू होगा
(ii)	SW ट्रांसमीटर (नई योजना)							
	बारहवीं योजना के तहत 38 एसडब्ल्यू ट्रांसमीटर का प्रतिस्थापन और उन्नयन		-	-				
(C)	एफएम ट्रांसमीटर (संपूर्ण)		43.50	64.12				
	एफएम ट्रांसमीटर (सतत योजना)							
(i)	एफएम विस्तार योजना (जारी योजनाएं)		37.00	62.27				
	एफएम ट्रांसमीटर (संपूर्ण)		43.50	64.12				
	एफएम ट्रांसमीटर (जारी योजना)							
	एफएम विस्तार योजना (जारी योजनाएं)		37.00	62.27				
	एफएम विस्तार योजनाएं (जारी)				हल्द्वानी व चंपावत में कम से कम एफएम ट्रांसमीटर स्थापित करने की परियोजना। (क) साइटों का अधिग्रहण (ख) सी / ओ चारदीवारी © odf LOP और अनुमान को अंतिम रूप देने की मंजूरी	Q 1- हल्द्वानी और चम्पावत में साइट का अधिग्रहण, रायबरेली में सिविल कार्य जारी Q 2- निर्माण कार्यों के अनुमान की स्वीकृति और हल्द्वानी तथा चंपावत में कार्य शुरू और रायबरेली में कार्य चालू Q- 3 / Q-4 - सभी तीन स्थानों पर सिविल कार्य की प्रगति	आंशिक रूप से हासिल,	रायबरेली में निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। हल्द्वानी कार्यक्षेत्र (साइट) के लिए डिमांड नोट्स पिछले वर्ष प्राप्त और मंजूर हो गया था। लेकिन राज्य सरकार ने भू प्रीमियम 1% से बढ़ाकर 10% कर दिया जो सीमा से अधिक था। मामला राज्य सरकार के

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 (योजना बजट)		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक आउटपुट	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
			(i)	(ii)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
								समक्ष उठाया जा रहा है। चम्पावत - राज्य सरकार से डिमांड नोट प्राप्त किया जा रहा है।
					फाजिल्का, अमृतसर, चौतानहिल में एफएम ट्रांसमीटर स्थापित करने की परियोजना (A) 20 KW DM ट्रांसमीटर की खरीद। संख्या 3) (B) उपकरणों की स्थापना और चालू करना © सहायक उपकरणों की खरीद और स्थापना	Q1-ट्रांसमीटरों की प्राप्ति, पैनल एंटीना की स्थापना Q-2 -स्थापना का कार्य पूरा Q3- ट्रांसमीटर का परीक्षण और चालू	आंशिक रूप से हासिल	अमृतसर में शुरू पैनल एंटीना, डीडी के 300 मीटर टॉवर के पूरा नहीं होने की वजह से पूरा हो सका है
					गैरसैण और नई टिहरी में 1 KW MW ट्रांसमीटर की स्थापना (A) टावर की स्थापना (B) ट्रांसमीटर की स्थापना / परीक्षण / शुरूआत	Q1-निर्माण कार्यों का समापन, टॉवर कार्य, सहायक उपकरण और ट्रांसमीटर की स्थापना कार्य Q2-ट्रांसमीटर का परीक्षण और शुरूआत	हासिल	स्टेशनों की शुरूआत के लिए ओ एंड एम स्टार् आवश्यक हैं
					बागेश्वर और उज्जैन में 5kW एफएम ट्रांसमीटर पर स्टूडियो सुविधा की स्थापना	Q1 निर्माण कार्यों की स्पर्धा और स्टूडियो उपकरणों की खरीद। Q2-स्टूडियो उपकरणों का परीक्षण और शुरूआत	हासिल	

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 (योजना बजट)		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक आउटपुट	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
			(i)	(ii)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
					<p>दार्जिलिंग, कूचबिहार, धनबाद, बर्धमान, सूर्यापेट पर 10 KW एफएम ट्रांसमीटर की स्थापना (क) 10 किलोवाट के 4 एफएम ट्रांसमीटर की खरीद। (ख) उपकरणों की खरीद और स्थापना। उ खरीद और सहायक उपकरणों की स्थापना (घ) सिविल कार्यों का समापन। (ई) सूर्यापेट में टावर का निर्माण</p>	<p>Q1- सूर्यापेट को छोड़कर सभी स्थानों पर सिविल प्रतियोगिता, धनबाद और बर्धमान में टावरों के लिए एसआईटीसी का आदेश, ट्रांसमीटरों की स्थापना। Q2- टॉवर कार्य की प्रगति, कूचबिहार परियोजनाओं की शुरुआत Q3-टॉवर कार्य की प्रगति और स्थापना, Q4-सूर्यापेट पर छोड़कर ट्रांसमीटर की स्थापना पूर्ण</p>	<p>आंशिक रूप से हासिल</p>	<p>बोली प्रक्रिया में किसी भी कंपनियों की कोई भागीदारी नहीं होने के कारण टावर कार्य पूरा नहीं हो सका। कूचबिहार टॉवर चक्रवात में नीचे गिर गया इसे फिर से खड़ा किया जा रहा है। दार्जिलिंग में कंपनियों के साथ काफी चर्चा के बाद भी टावर नहीं बन सका है।</p>
					<p>देहरादून, पटना में 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर की स्थापना (क) एसटीएल की खरीद और स्थापना (ख) देहरादून में सिविल कार्यों का समापन</p>	<p>Q1-एसटीएल की रसीद और देहरादून में सिविल कार्यों का समापन Q2-उपकरणों का परीक्षण और स्थापना Q3-सेटअप की शुरुआत।</p>	<p>हासिल</p>	
					<p>देहरादून में 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर और सिलचर में 5 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर की स्थापना (क) एसटीएल की खरीद और स्थापना (ख) देहरादून में सिविल कार्यों का समापन</p>	<p>Q1- एसटीएल की प्राप्ति Q-2 उपकरणों की स्थापना और परीक्षण Q-3 सेटअप की शुरुआत।</p>	<p>हासिल नहीं</p>	<p>एल/सी के उद्घाटन में देरी के कारण देरी उपकरणों की प्राप्ति में देरी</p>

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 (योजना बजट)		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक आउटपुट	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
			(i)	(ii)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
					कोहिमा पटना में 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर की स्थापना (क) एक टीवी साईट पर परियोजना की शुरूआत	Q-1- परियोजना की शुरूआत ..	हासिल	
					अनिनी (अरुणाचल), तामेगलांग और उखरूल (मणिपुर) में 1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर की स्थापना (क) साइट का अधिग्रहण (ख) C/O पीएसएफ (ग) C/O निर्माण कार्य	Q-1 Q-2 - साइट का अधिग्रहण और सुरक्षा बाड़ लगाने का निर्माण कार्य शुरू Q-1, Q-3 और Q-4 - निर्माण कार्य की प्रगति	हासिल नहीं	साइटों (कार्यक्षेत्र) का आवंटन अभी तक राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया है। इस मामले को आगे बढ़ाया गया है। अनिनी में वैकल्पिक साइट के विवरण की पेशकश की जा रही है राज्य सरकार की प्रतीक्षा की जा रही है। तामेगलांग और उखरूल में क्षेत्रीय कार्यालय की टीम जल्द से जल्द दौरा कर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में सुधार की का मुआयना करेगी। इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है ..
					उत्तर पूर्व के 16 स्थानों पर 1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना (क) करीमनगर और जुलहेबोटो में निर्माण कार्य प्रतियोगिता (ख) टॉवर संबंधी कार्य पूर्ण	Q1 - करीमनगर में सिविल कार्य पूर्ण और जुनेहबोटो में जारी। सभी स्थानों पर छात्रावास / कर्मचारियों के लिए आवास की स्वीकृति। एसआईटीसी टावर की		

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 (योजना बजट)		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक आउटपुट	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
			(i)	(ii)				
1	2	3	4		5	6	7	8
					<p>उ सेटअप की स्थापना और शुरूआत (घ) सभी स्थानों पर स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण</p>	<p>प्रगति और सहायक उपकरणों की स्थापना। Q2 & 3- करीमगंज में सिविल कार्य पूर्ण और जुनेहबोटो में सिविल कार्य जारी। टावर निर्माण कार्य पूरा और अन्य में 6 सेटअप की शुरूआत तथा अन्य में जारी। सभी स्थानों पर सी/ ओ छात्रावास आरंभ। Q4- जुनेहबोटो में ट्रांसमीटर का कार्य पूर्ण और छात्रावास का निर्माण जारी</p>	<p>आंशिक रूप से हासिल</p>	<p>संबंधित राज्य सरकारों चंपाई, फेक, गोलपाड़ा, कोलासिब, चांगलांग, खोंसा और दापोरिजो में स्थित आकाशवाणी साइट्स के लिए संबंधित राज्य सरकारों को संपर्क मार्ग का निर्माण करना है। इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है।</p>
					<p>1 K एफएम ट्रांसमीटर संस्थापना पूर्ण। 6 स्थानों पर कार्य जारी।</p>	<p>Q1 - 6 स्थानों पर 50 मीटर वाले टॉवर की स्थापना। 10 स्थानों पर कार्य। 10 स्थानों पर 1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर की स्थापना। Q2. 10 स्थानों में संस्थापन प्रगति .. Q3.संस्थापन पूर्ण Q4- सभी 16 स्थानों पर निरीक्षण और माप।</p>	<p>आंशिक रूप से हासिल</p>	<p>स्टेशनों के निर्माण के लिए ओ एंड एम स्टाफ स्वीकृति आवश्यक है।</p>

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 (योजना बजट)		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक आउटपुट	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
			(i)	(ii)				
1	2	3	4		5	6	7	8
					शेष 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर की संस्थापना और शुरूआत	परियोजना पूर्ण		मणिपुर सरकार ने 100 डब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर की स्थापना के लिए जगह उपलब्ध नहीं कराई है। वैकल्पिक स्थानों का पता लगाया जा रहा है।
	मौजूदा 24 आकाशवाणी/ टीवी साइटों पर एफएम और 100 वाट एफएम ट्रांसमीटर का विस्तारीकरण। ग्यारहवीं योजना के तहत मौजूदा डीडी / आकाशवाणी के 100 एलपीटी का विस्तारीकरण.				12 स्थानों पर 1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर की स्थापना	सहायक उपकरणों की प्राप्ति, स्थापना और शुरूआत	हासिल	दिसम्बर, 2012 में ट्रांसमीटर प्राप्त किया गया।
(ए) 12 स्थानों पर 1 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर के सहायक उपकरणों की खरीद व स्थापना तथा शुरूआत					Q 1/Q-2 इमारत निर्माण कार्य पूर्ण। सहायक उपकरणों की प्राप्ति, स्थापना और शुरूआत	हासिल नहीं	अक्टूबर, 2012 में ट्रांसमीटर प्राप्त हो चुके हैं। अल्मोड़ा को छोड़कर सभी निर्माण कार्य मंजूर हो चुके हैं। सी/ ओ इमारत में में देरी की वजह से, ट्रांसमीटरों और अन्य उपकरणों की स्थापना नहीं हो सकी है	
100 वाट एफएम ट्रांसमीटर की खरीद (ए) उपकरण की शुरूआत (बी) आवर्ती व्यय					Q1/Q-2/Q-3/Q-4- शेष भुगतान और आवर्ती व्यय	हासिल	ट्रांसमीटर लगाए गए हैं।	
	एफएम / ट्रांसमीटर का प्रतिस्थापन		-	-				
	ग्यारहवीं योजना के तहत 40 मौजूदा स्टेशनों पर एफएम /एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर उच्च क्षमता में परिवर्तन				5/6 किलोवाट एफएम के 27 ट्रांसमीटर की अदला बदली (ए) एफएम ट्रांसमीटर की खरीद	Q1- Q-2-ट्रांसमीटरों का निरीक्षण और पैनल एंटीना की प्राप्ति तथा डीप्लेक्सर की स्थापना।	हासिल	(a)ट्रांसमीटरों आदेश दिया गया है। (b)पैनल एंटेना का आदेश दिया गया है

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 (योजना बजट)		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक आउटपुट	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
			(i)	(ii)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
					(बी) डीपलेक्सर की खरीद © पैनल एंटीना की खरीद (डी) जोनल उपकरणों की खरीद	Q3 to Q-4 -ट्रांसमीटर, पैनल एंटीना की स्थापना		(c) डिप्लेक्सर का निरीक्षण किया गया है और 2013 फरवरी में प्राप्त हो जाएगा,
					7 स्थानों पर 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटरों की अदला बदली और 6 स्थानों पर 1 किलोवाट ट्रांसमीटरों की अदला बदली। (ए) एफएम ट्रांसमीटर की खरीद (बी) डीपलेक्सर की खरीद © पैनल एंटीना की खरीद (डी) जोनल उपकरणों की खरीद) (ई) आदिलाबाद और क्यॉंज़र से कम 100 मीटर टॉवर का एसआईटीसी	Q1 to Q-2 एफएम ट्रांसमीटर और डिप्लेक्सर का प्रतिस्थापन, एसआईटीसी टावर का आदेश। Q3to Q4- उपकरण की प्रतिस्थापना कार्य पूरा और टॉवर का निर्माण कार्य जारी।	आंशिक रूप से हासिल	कोई भी निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण टॉवर कार्य शुरू नहीं हो सका है।
	एफएम ट्रांसमीटर नई योजना)		6.50	1.85				
	118 स्थानों पर विभिन्न क्षमता के ट्रांसमीटरों की प्रस्तावित स्थापना से एफएम का विस्तार				योजना का अनुमोदन. मौजूदा इमारत के नवीकरण के लिए सिविल आंकलन की तैयारी, गणना की स्वीकृति, कार्यों की शुरूआत, उपकरणों और एनआईटी की खरीद के लिए विनिर्देशों की तैयारी	Q-1 - परियोजना का अनुमोदन Q-2 -अनुमानों की स्वीकृति, विनिर्देशों की तैयारी Q-3 - सिविल कार्यों पर विचार. Q-4. एनआईटी का मुद्दा, सिविल कार्य की शुरूआत	हासिल	02.09.2013 को ईएफसी की बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट नोट तैयार किया गया है। प्रस्ताव को सीसीईए से मंजूरी मिलनी है।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 (योजना बजट)		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक आउटपुट	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
			(i)	(ii)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
	बारहवीं योजना के तहत मेगावॉट ट्रांसमीटर एफएम ट्रांसमीटर द्वारा 7 की संख्या में 77 स्थानों पर दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में पुराने एफएम ट्रांसमीटर के प्रतिस्थापन का प्रस्ताव।				योजना का अनुमोदन. मौजूदा इमारत के नवीकरण के लिए सिविल आंकलन की तैयारी, गणना की स्वीकृति, कार्यों की शुरूआत, उपकरणों और एनआईटी की खरीद के लिए विनिर्देशों की तैयारी	Q-1 - परियोजना का अनुमोदन Q-2 - अनुमानों की स्वीकृति, विनिर्देशों की तैयारी Q-3 - सिविल कार्यों पर विचार. Q-4. एनआईटी का मुद्दा, सिविल कार्य की शुरूआत	हासिल	02.09.2013 को ईएफसी की बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट नोट तैयार किया गया है। प्रस्ताव को सीसीईए से मंजूरी मिलनी है।
	स्टूडियो और नेटवर्किंग (कुल)		21.00	7.29				
	स्टूडियो (सतत योजना)		20.00	7.29				
	दसवीं योजना के तहत 48 स्थानों पर उच्च क्षमता के सर्वरों की स्थापना				48 स्टेशनों पर उच्च क्षमता के सर्वरों की स्थापना। (आदेश मूल्य 29.00 करोड़ रुपये) (ए) शेष कार्य और भुगतान	Q 1- परीक्षण की समाप्ति और उपकरणों की शुरूआत	हासिल	नवंबर, 2012 आदेश जारी हो चुका है
	ग्यारहवीं योजना के तहत 4 स्थानों पर 98 स्टूडियो, नेटवर्किंग, आरएनयू का स्वचालन, 7 नए आरएनयू का सृजन, दिल्ली में अभिलेखीय सुविधा का विस्तार और निर्माण				केंद्रीकृत भंडारण और सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ सर्वर का एसआईटीसी (डाटा सामग्री सर्वर 38 + 10, डिजिटल कार्य केंद्र 643 + 138 + 94), अनुमानित आदेश मूल्य 23.30 करोड़ रुपये	Q1- उपकरणों का आदेश Q4- उपकरणों की प्राप्ति	हासिल नहीं	ताजा विनिर्देश को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है।
					कंसोल की खरीद	Q1- उपकरणों का आदेश Q4- उपकरणों की प्राप्ति	हासिल नहीं	खरीद प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है। प्रोसेस में है।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 (योजना बजट)		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक आउटपुट	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
			(i)	(ii)				
1	2	3	4		5	6	7	8
					आरएनयू के लिए सर्वर का एसआईटीसी, कार्यस्थल और सिस्टम सॉफ्टवेयर। (ए) शेष कार्य और भुगतान	Q1/Q2-शेष कार्य और भुगतान	हासिल	
					जोनल उपकरणों की खरीद और विभागीय कार्यों की शुरुआत	Q-1 to Q-4 - सभी जोनल उपकरणों की पूर्ण खरीद और विभागीय कार्यों की शुरुआत	आंशिक रूप से हासिल	क्षेत्रीय कार्यालयों ने जोनल उपकरणों के लिए कार्य कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रांसमीटरों की प्राप्ति के बाद विभागीय कार्य शुरू होंगे।
					स्टूडियों की नेटवर्किंग Q1- NIT का मुद्दा	Q-2 - आरंभिक निविदा और तकनीकी मूल्यांकन Q-3 - उपकरणों का आदेश Q-4 - उपकरणों की प्राप्ति	हासिल नहीं	विशिष्टता को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।
					स्टूडियों का नवीनीकरण	Q-1 to Q-4 - कार्य की प्रगति और समापन	आंशिक रूप से हासिल	स्टूडियों के नवीनीकरण का कार्य जारी है
	स्टूडियों (नई योजना)		1.00	-				
	बारहवीं योजना के तहत, 29 स्टूडियो का डिजिटलीकरण, गुवाहाटी में 1 नए आरएनयू, अभिलेखीय सुविधा का निर्माण और स्टूडियो का नवीनीकरण				योजना का अनुमोदन. मौजूदा इमारत के नवीकरण के लिए सिविल आंकलन की तैयारी, गणना की स्वीकृति, कार्यों की शुरुआत, उपकरणों और एनआईटी की खरीद के लिए विनिर्देशों की तैयारी	Q-1 - परियोजना का अनुमोदन Q-2 - अनुमानों की स्वीकृति, विनिर्देशों की तैयारी Q-3 -सिविल कार्यों की तैयारी। Q-4. हड़्डल का मुद्दा, सिविल कार्यों की शुरुआत	हासिल	ईएफसी की बैठक 02.09.2013 को आयोजित की गई। कैबिनेट नोट तैयार किया गया है। परियोजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा मार्च 2014 में अनुमोदित किया गया।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 (योजना बजट)		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक आउटपुट	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
			(i)	(ii)				
1	2	3	4		5	6	7	8
	कनेक्टिविटी		16.00	1.68				
	कनेक्टिविटी (जारी स्कीम)		15.00	1.68				
	82 एसटीएल का प्रतिस्थापन और 35 नए एसटीएल खरीद				एसटीएल कनेक्टिविटी का प्रतिस्थापन	Q1 to Q-4 - उपकरणों का निरीक्षण, उपकरणों की प्राप्ति और संस्थापन	हासिल नहीं	उपकरण की एसआईटीसी के लिए आदेश जुलाई 2013 में जारी हुआ। एलसी से उद्घाटन में देरी हुई
	कैप्टिव भू स्टेशनों की स्थापना				पांच जगहों पर सीईएस	Q 3-उपकरणों की प्राप्ति Q 4-संस्थापन कार्यों की शुरूआत।	हासिल नहीं	निविदाओं का मूल्यांकन किया गया था। खरीद के प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। फिर से निविदाएं निकाली गईं
	आरएन टर्मिनल				आर.एन. टर्मिनल की खरीद	Q 3-उपकरणों की प्राप्ति Q 4-संस्थापन कार्यों की शुरूआत।	हासिल	
	कनेक्टिविटी (नई स्कीम)		1.00	-				
	दूरसंचार की सुविधा का विस्तार 2 पोल फीड का 4-पोलों में प्रतिस्थापन- MCPC-32 द्वारा 24 एससीपीसी का प्रतिस्थापन				योजना का अनुमोदन. मौजूदा इमारत के नवीकरण के लिए सिविल आंकलन की तैयारी, गणना की स्वीकृति, कार्यों की शुरूआत, उपकरणों और एनआईटी की खरीद के लिए विनिर्देशों की तैयारी	Q-1 - परियोजना का अनुमोदन Q-2 - अनुमानों की स्वीकृति, विनिर्देशों की तैयारी Q-3 -सिविल कार्यों की तैयारी। Q-4. NIT का मुद्दा, सिविल कार्यों की शुरूआत	हासिल	ईएफसी की बैठक 02.09.2013 को आयोजित की गई। कैबिनेट नोट तैयार किया गया है। परियोजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा मार्च 2014 में अनुमोदित किया गया।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 (योजना बजट)		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक आउटपुट	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
			(i)	(ii)				
1	2	3	4	5	6	7	8	
	कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण (संपूर्ण)		2.10	0.52				
	प्रशिक्षण की सुविधा का विस्तार (सतत योजना)		2.00	0.52				
	क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों सहित एसटीआई (टी) और एसटीआई (पी) का विस्तार				एसटीआई (टी), दिल्ली में ध्यान कक्ष, पुस्तकालय का निर्माण	Q-1 - कार्य की प्रगति Q-2 - कार्य की प्रक्रिया. Q-3- कार्य का समापन	हासिल नहीं	आंकलन पहले ही मंजूर हो चुका है। कार्यों की प्रगति सिविक एजेंसी से अनुमोदन के अधीन है।
					एसटीआई (टी) दिल्ली में अतिरिक्त कार्यालय आवास का निर्माण और ई-लर्निंग की सुविधा	Q-1 - कार्य की प्रगति Q-2 - कार्य का समापन	हासिल	आंकलन को मंजूरी मिल गई है
					इस योजना के तहत विभिन्न उपकरणों की खरीद	Q-1 to Q-4 - इस योजना के तहत विभिन्न उपकरणों की प्राप्ति, कुछ उपकरणों को अन्य योजना के तहत उपकरणों के साथ प्राप्त किया जा रहा है जिसके लिए खरीदीदारी जारी है। अन्य के लिए, खरीद प्रक्रिया जारी है।	आंशिक रूप हासिल	
	प्रशिक्षण की सुविधा का विस्तार (नई योजना)		0.10	-				

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 (योजना बजट)		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक आउटपुट	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
			4					
1	2	3	(i)	(ii)	5	6	7	8
	डीआरएम + और ट्रांसमीटरों सहित, दिल्ली और भुवनेश्वर के लिए बारहवीं योजना के तहत डिजिटल प्रसारण उपकरणों की खरीद				योजना का अनुमोदन. मौजूदा इमारत के नवीकरण के लिए सिविल आंकलन की तैयारी, गणना की स्वीकृति, कार्यों की शुरूआत, उपकरणों और एनआईटी की खरीद के लिए विनिर्देशों की तैयारी	Q-1 - परियोजना का अनुमोदन Q-2 - अनुमानों की स्वीकृति, विनिर्देशों की तैयारी Q-3 -सिविल कार्यों की तैयारी। Q-4. NIT का मुद्दा, सिविल कार्यों की शुरूआत	हासिल	ईएफसी की बैठक 02.09.2013 को आयोजित की गई। कैबिनेट नोट तैयार किया गया है। परियोजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा मार्च 2014 में अनुमोदित किया गया।
	अनुसंधान एवं विकास का सुदृढ़ीकरण(कुल)	DRM / DRM, डीवीबी, एफएम, VHF, UHF, सीडब्ल्यू आदि जैसे डिजिटल प्रसारण पर प्रचार का अध्ययन। डिजिटल प्रसारण के लिए निगरानी प्रणाली विकसित करना विकास के लिए व्यापक सहभागी प्रसारण सेवा	2.10	0.29				ईएफसी की बैठक 02.09.2013 को आयोजित की गई। कैबिनेट नोट तैयार किया गया है। परियोजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा मार्च 2014 में अनुमोदित किया गया।
	अनुसंधान एवं विकास का सुदृढ़ीकरण (सतत योजना)		2.00	0.29				
					डीआरएम + उपकरणों की खरीद	Q1- उपकरणों का आदेश Q2-उपकरणों का निरीक्षण Q4-उपकरणों की प्राप्ति और प्रतिस्थापन	हासिल नहीं	पुन निविदाएं जारी

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 (योजना बजट)		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक आउटपुट	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
			(i)	(ii)				
1	2	3	4		5	6	7	8
					अन्य कार्य और उपकरणों की खरीद	इस योजना के तहत विभिन्न उपकरणों की प्राप्ति, कुछ उपकरणों को अन्य योजना के तहत उपकरणों के साथ प्राप्त किया जा रहा है जिसके लिए खरीदीदारी जारी है। अन्य के लिए, खरीद प्रक्रिया जारी है।	आंशिक रूप से हासिल	
	अनुसंधान एवं विकास का सुदृढ़ीकरण (नई योजना)		0.10	-				
	बारहवीं योजना में अनुसंधान एवं विकास के लिए नया प्रस्ताव				योजना का अनुमोदन. मौजूदा इमारत के नवीकरण के लिए सिविल आंकलन की तैयारी, गणना की स्वीकृति, कार्यों की शुरूआत, उपकरणों और एनआईटी की खरीद के लिए विनिर्देशों की तैयारी	Q-1 - परियोजना का अनुमोदन Q-2 - अनुमानों की स्वीकृति, विनिर्देशों की तैयारी Q-3 -सिविल कार्यों की तैयारी। Q-4. NIT का मुद्दा, सिविल कार्यों की शुरूआत	हासिल	
	सीमा क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण (संपूर्ण)		18.00	4.50				
	सीमा क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण (जम्मू-कश्मीर सीमा (जारी योजना)		15.00	4.50				
	जम्मू एवं कश्मीर में एचपीटी / एलपीटी की स्थापना - 10 किलोवाट एफएम के 3 ट्रांसमीटरों की स्थापना और 10 किलोवाट टीवी के 3				100 वाट को चार एफएम ट्रांसमीटरों की खरीद	पूर्ण	हासिल	

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 (योजना बजट)		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक आउटपुट	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
			(i)	(ii)				
1	2	3	4		5	6	7	8
	ट्रांसमीटरों की स्थापना। मौजूदा डीडी साइट पर 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर की स्थापना आकाशवाणी साईट पर 5 किलोवाट टीवी के 2 ट्रांसमीटरों की स्थापना। 100 वाट एफएम के 4 ट्रांसमीटरों की स्थापना				नौशेरा में 10 किलोवाट एफएम T& की खरीद (1 + 1)	Q1- उपकरणों का आदेश Q2-उपकरणों का निरीक्षण Q3 &4- उपकरणों की प्राप्ति और प्रतिस्थापन	आंशिक रूप से हासिल	उपकरण का निरीक्षण किया जाना है
					राजौरी में 5 किलोवाट के दो टीवी ट्रांसमीटर की खरीद	Q1- उपकरणों का आदेश , Q2-उपकरणों का निरीक्षण Q3 ×4- उपकरणों की प्राप्ति और शुरूआत	आंशिक रूप से हासिल	उपकरण का निरीक्षण किया जाना है
					(I) सिविल कार्य की प्रगति (II) 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर की खरीद (1 + 1) और तीन स्थानों पर डीडी के लिए 10 किलोवाट टीवी ट्रांसमीटर (1 + 1)	Q1- उपकरणों का आदेश, सिविल कार्यों की प्रगति Q2- उपकरणों का निरीक्षण, सिविल कार्यों की प्रगति Q-3&Q-4 तकनीकी क्षेत्र पूर्ण और उपकरणों का संस्थापन	आंशिक रूप से हासिल	प्रतिस्पर्धी कीमतों पर निविदाएं नहीं प्राप्त होने से सिविल कार्य गति नहीं पकड़ सके हैं। उपकरणों का निरीक्षण किया जाना है।
	सीमा क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण (भारत-नेपाल सीमा (नई योजना)		0.00	0.00				
	भारत-नेपाल सीमा (I) डीडी सेटअप की साइट पर भारत-नेपाल सीमा सहित 8 एफएम प्रसारण की स्थापना (II) 2 स्थानों पर प्रोडक्शन केंद्र (III) 2 स्थानों पर अनलिक।						हासिल नहीं	योजना को हटा दिया गया है

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 (योजना बजट)		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक आउटपुट	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
			(i)	(ii)				
1	2	3	4		5	6	7	8
			(i)	(ii)				
	वैकल्पिक प्लेटफार्मों पर प्रसारण (नई योजना)	इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को आकाशवाणी के चैनलों का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना; आकाशवाणी चैनलों को प्राप्त करने के विविध साधन उपलब्ध कराना	0.10	0.00	योजना का अनुमोदन. मौजूदा इमारत के नवीकरण के लिए सिविल आंकलन की तैयारी, गणना की स्वीकृति, कार्यों की शुरूआत, उपकरणों और एनआईटी की खरीद के लिए विनिर्देशों की तैयारी	Q-1 - परियोजना का अनुमोदन Q-2 - अनुमानों की स्वीकृति, विनिर्देशों की तैयारी Q-3 सिविल कार्यों की तैयारी। Q-4. NIT का मुद्दा, सिविल कार्यों की शुरूआत	हासिल	
	बुनियादी ढांचे का समेकन (संपूर्ण)	मौजूदा सुविधाओं में सुधार और बदलाव द्वारा दक्षता, प्रभावशीलता और प्रसारण की गुणवत्ता में सुधार करना जरूरत पड़ने पर कॉर्पोरेट माहौल प्रदान करना; कर्मचारियों के कल्याण के लिए सुविधाएं प्रदान करना	4.10	1.86				
	बुनियादी ढांचे का समेकन (जारी योजना)		4.00	1.86				
	ग्यारहवीं योजना के तहत मौजूदा केन्द्रों पर I.O.F.				आपात स्थिति के लिए 5 जोनल कार्यालयों में 5 मोबाइल एफएम ट्रांसमीटर का प्रावधान।	Q1- उपकरण का आदेश, Q4-उपकरण का निरीक्षण	हासिल नहीं	फिर से टेंडर

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 (योजना बजट)		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक आउटपुट	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
			(i)	(ii)				
1	2	3	4		5	6	7	8
					स्टूडियो के लिए उपकरणों को मापने का प्रावधान	Q1- उपकरणों का आदेश, सिविल कार्यों की प्रगति Q2- उपकरणों का निरीक्षण, Q-3 उपकरणों की प्राप्ति और संस्थापन सिविल कार्यों की प्रगति Q-4 परीक्षण एवं मापन	हासिल नहीं	ऑडियो विश्लेषक की निविदाएं तकनीकी मूल्यांकन के तहत होती हैं
					23 स्थानों पर रिमोट कंट्रोल के लिए मेगावाट ट्रांसमीटरों पर टेलीमेटरी का प्रावधान	Q1- उपकरणों का आदेश, सिविल कार्यों की प्रगति Q2- उपकरणों का निरीक्षण, Q-3 उपकरणों की प्राप्ति और संस्थापन सिविल कार्यों की प्रगति Q-4 परीक्षण एवं मापन	आंशिक रूप से हासिल	
					मौजूदा 80 स्थानों पर एफएम स्टेशनों में यूपीएस का प्रावधान।	Q1- शेष राशि और भुगतान	आंशिक रूप से हासिल	
	श्रीनगर में छात्रावास आवास सहित गुवाहाटी में कार्यालय आवासीय/ स्टाफ क्वार्टर				श्रीनगर में छात्रावास की स्वीकृति अक्टूबर 2010 (3.68 करोड़ रुपये) में मंजूर की गई है। सीसीडब्ल्यू द्वारा मौजूदा इमारत के विध्वंस की मंजूरी देने में देरी के कारण कार्य शुरू नहीं हो सका। अब जून 2011 में इमारत के विध्वंस को मंजूरी दे दी गई है। कार्य शुरू हो जाएगा।	Q-1 - कार्यों की प्रगति Q-2 -कार्य पूर्ण	हासिल	कार्य का निर्णय हो चुका है और प्रगति में है

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 (योजना बजट)		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक आउटपुट	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
			(i)	(ii)				
1	2	3	4		5	6	7	8
					19 नवंबर, 2010 में गुवाहाटी में आवासों (7.14 करोड़ रुपए) को मंजूरी दी गई है। कार्य फरवरी 2011 में शुरू हो गया है।	Q-1 - शेष कार्य और भुगतान	हासिल	
					गुवाहाटी में क्षेत्रीय कार्यालय - 03.03.2011 को स्वीकृति जारी की गई (डीडी को 1 करोड़ रुपये और आकाशवाणी को 7.67 करोड़ रुपये)।	Q-1 - शेष कार्य और परियोजना का समापन	हासिल नहीं	स्थानीय निकाय प्राधिकरण से मंजूरी नहीं मिलने के कारण स्टूडियो साइट का निर्माण कार्य नहीं हो सका
	बुनियादी ढांचा के समेकन (नई योजना)		0.10	-				
	दिल्ली और मुंबई में सामुदायिक केंद्र				योजना का अनुमोदन. मौजूदा इमारत के नवीकरण के लिए सिविल आंकलन की तैयारी, गणना की स्वीकृति, कार्यों की शुरूआत, उपकरणों और एनआईटी की खरीद के लिए विनिर्देशों की तैयारी	Q-1 - परियोजना का अनुमोदन Q-2 - अनुमानों की स्वीकृति, विनिर्देशों की तैयारी Q-3 -सिविल कार्यों की तैयारी। Q-4. NIT का मुद्दा, सिविल कार्यों की शुरूआत	आंशिक रूप से हासिल	निर्माण योजना को अंतिम रूप दिया जाना है
	डीडीजी (ई) कार्यालय ब्लॉक का पुनर्निर्माण और इंदौर में विद्युत तारों का प्रतिस्थापन				योजना का अनुमोदन. मौजूदा इमारत के नवीकरण के लिए सिविल आंकलन की तैयारी, गणना की स्वीकृति, कार्यों की शुरूआत, उपकरणों और एनआईटी की खरीद के लिए विनिर्देशों की तैयारी	Q-1 - परियोजना का अनुमोदन Q-2 - अनुमानों की स्वीकृति, विनिर्देशों की तैयारी Q-3 - सिविल कार्यों की तैयारी। Q-4. NIT का मुद्दा, सिविल कार्यों की शुरूआत	अनुमोदित नहीं	

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 (योजना बजट)		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक आउटपुट	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
			(i)	(ii)				
1	2	3	4		5	6	7	8
	सुरक्षा बाड़ लगाने आदि का सुदृढीकरण				योजना का अनुमोदन. मौजूदा इमारत के नवीकरण के लिए सिविल आंकलन की तैयारी, गणना की स्वीकृति, कार्यों की शुरूआत, उपकरणों और एनआईटी की खरीद के लिए विनिर्देशों की तैयारी	Q-1 - परियोजना का अनुमोदन Q-2 - अनुमानों की स्वीकृति, विनिर्देशों की तैयारी Q-3 -सिविल कार्यों की तैयारी। Q-4 -NIT का मुद्दा, सिविल कार्यों की शुरूआत	आंशिक रुप से हासिल	निर्माण योजना को अंतिम रूप दिया जाना है
	रोहतक में स्टूडियो-सह-कार्यालय की इमारत का पुनर्निर्माण				योजना का अनुमोदन. मौजूदा इमारत के नवीकरण के लिए सिविल आंकलन की तैयारी, गणना की स्वीकृति, कार्यों की शुरूआत, उपकरणों और एनआईटी की खरीद के लिए विनिर्देशों की तैयारी	Q-1 -परियोजना का अनुमोदन Q-2 - अनुमानों की स्वीकृति, विनिर्देशों की तैयारी Q-3 -सिविल कार्यों की तैयारी। Q-4. NIT का मुद्दा, सिविल कार्यों की शुरूआत	अनुमोदित नहीं	अनुमोदन प्राधिकरण ने नई योजना के लिए बजट 1000 करोड़ रुपये से घटाकर 393 करोड़ रुपये कर दिया है इसलिए इस आइटम को हटाया जा रहा है।
	ई-गवर्नेंस (नई योजना)	ऑन लाइन प्रबंधन प्रणालियों पर आधारित नेटवर्क को उपलब्ध कराकर मीडिया इकाइयों को जानकारी देने की सुविधा का तेजी से प्रचार-प्रसार और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन स्टेशनों के विशाल नेटवर्क प्रबंधन के लिए ईआरपी समाधान। आकाशवाणी के सभी स्टेशनों और शिकायत निवारण प्रणाली के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-टैडरिंग, वेबसाइट उपस्थिति प्रदान करना।	0.10	0.05	योजना का अनुमोदन. मौजूदा इमारत के नवीकरण के लिए सिविल आंकलन की तैयारी, गणना की स्वीकृति, कार्यों की शुरूआत, उपकरणों और एनआईटी की खरीद के लिए विनिर्देशों की तैयारी	Q-1 - परियोजना का अनुमोदन Q-2 - अनुमानों की स्वीकृति, विनिर्देशों की तैयारी Q-3 -सिविल कार्यों की तैयारी। Q-4. NIT का मुद्दा, सिविल कार्यों की शुरूआत	आंशिक रुप से हासिल	विशिष्टता को अंतिम रूप दिया जा रहा है

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 (योजना बजट)		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक आउटपुट	प्रक्रियाएं/समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
			(i)	(ii)				
1	2	3	4		5	6	7	8
	द्वितीय योजना- सामग्री विकास और प्रसार (जारी योजना)		10.00	10.34				
	सॉफ्टवेयर (डीबीएस)	उच्च गुणवत्ता के सॉफ्टवेयर तैयार करना जिससे आकाशवाणी के एक प्रतिस्पर्धी मीडिया वातावरण में श्रोतागण आकर्षित हो सकें।	-		1. नई और ताजा सामग्री निर्माण 2. रेडियो कार्यशालाएं, संगीत सम्मेलन, संगीत आदि 3. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की कवरेज 4. प्रमुख कार्यक्रमों का निर्माण 5. आकाशवाणी अभिलेखागार का डिजिटलीकरण	सामग्री निर्माण, प्रमुख कार्यक्रमों, अभिलेखागार के डिजिटलीकरण की निधियों का उपयोग करने के लिए सॉफ्टवेयर निर्माण/अधिग्रहण में निधियों का उपयोग	हासिल	
	योजना III- विशेष परियोजना		0.01	0.00				
	दिल्ली में सभागार का नवीकरण (नई योजना)	एक सभागार का निर्माण, क्योंकि आकाशवाणी के पास दिल्ली में कोई सभागार नहीं है, जिसमें दर्शकों को आमंत्रित करने से पहले कार्यक्रम करने की व्यवस्था करने के साथ बड़े समूहों की भागीदारी के साथ लाइव कार्यक्रम आयोजित करना।			योजना का अनुमोदन. मौजूदा इमारत के नवीकरण के लिए सिविल आंकलन की तैयारी, गणना की स्वीकृति, कार्यों की शुरूआत, उपकरणों और एनआईटी की खरीद के लिए विनिर्देशों की तैयारी	Q-1 - परियोजना का अनुमोदन Q-2 - अनुमानों की स्वीकृति, विनिर्देशों की तैयारी Q-3 -सिविल कार्यों की तैयारी। Q-4. NIT का मुद्दा, सिविल कार्यों की शुरूआत	हासिल नहीं	अभी तक इस योजना को मंजूरी दी जानी है। योजना को प्रसार भारती बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। प्रसार भारती ने योजना पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया और दूरदर्शन के साथ परामर्श के तहत संशोधित प्रस्ताव पर भी विचार किया गया।
	कुल (राजस्व) डीबीएस		10.00	10.34				
	कुल पूंजी		217.01	210.68				
	कुल (एआईआर)		227.01	221.02				

दूरदर्शन

अध्याय-IV

वार्षिक योजना 2015-16

परिव्यय और परिणाम/लक्ष्य (2015-16) का लेखाजोखा

(रु. करोड़ में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16 बीई	व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणी (31.12.15 तक उपलब्धियां)
1	2	3	4		5	6	7
	योजना जारी						
1	ट्रांसमीटरों और स्टूडियो का डिजिटलीकरण।		75.00	20.97			
	(क) ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण।	टैरेस्ट्रियल ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण।			21 डिजिटल एचपीटी	21 डिजिटल एचपीटी की आपूर्ति जारी-तीसरी तिमाही।	प्रसार भारती बोर्ड की 16.10.15 को हुई 129वीं बैठक में स्वीकृत बारहवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार 63 मूल स्थानों में डिजिटल ट्रांसमीटरों की स्थापना की जाती है, इनमें से 40 (19+24) की मंजूरी 11वीं योजना में और 23वीं 12वीं योजना में हो गई है। तदनुसार 11वीं योजना के बाकी 21 डिजिटल एचपीटी और 12वीं के 23 डिजिटल एचपीटी ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए कार्रवाही की जा रही है।
					डीटीटी नेटवर्क का भूकेंद्रीकरण	आर्डर जारी-तीसरा चरण	इस परियोजना को डीवीबी-टी2 ट्रांसमीटरों के बिजनेस मॉडल को प्रसार भारती द्वारा अंतिम रूप दिए जाने तक के लिए रोककर रखा गया है। प्रसार भारती द्वारा बिजनेस मॉडल को अंतिम रूप देने पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी।
	(ख) स्टूडियो का डिजिटलीकरण	निर्माण, निर्माण के बाद और संपादन के लिए पूर्ण डिजिटलीकरण			39 स्टूडियो का पूर्ण डिजिटलीकरण	कैमरा खरीदने हेतु ऑर्डर पारित-दूसरा चरण कैमरे का सप्लाय और स्थापना-चौथा चरण	कैमरा चैन के लिए टेंडर प्राप्त हुए और निपटाए गए। लेकिन टेंडरों को तकनीकी कारणों से रद्द करना पड़ा, नए टेंडर प्राप्त हुए, उनका मूल्यांकन किया गया और वाणिज्य निविदाएं खोली गईं। खरीद प्रस्ताव वित्तीय छानबीन और आदेश देने से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के लिए प्रस्तुत।

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16 बीई	व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणी (31.12.15 तक उपलब्धियां)
1	2	3	4		5	6	7
2	ट्रांसमीटर और स्टूडियो उपकरण का आधुनिकीकरण, संवर्धन और पुराने उपकरणों को बदलना।		30.00	18.03			
	(क) ट्रांसमीटर और स्टूडियो उपकरण का आधुनिकीकरण, संवर्धन और पुराने उपकरणों को बदलना।	अपनी उपयोगिता पूरी कर चुके ट्रांसमीटर उपकरण का तकनीकी अनिवार्यता के कारण आधुनिकीकरण, संवर्धन और पुराने उपकरणों को बदलना।			कैमरा चैन की खरीद	कैमरा चैन के लिए ऑर्डर दिया गया-दूसरा चरण कैमरा चैन की सप्लाई और स्थापना-चौथा चरण	कैमरा चैन के लिए निविदा प्राप्त हुआ और निबटाई गए लेकिन तकनीकी कारणों से निविदा रद्द कर दिया गया है नए टेण्डर प्राप्त हुए उनका मूल्यांकन किया गया और तकनीकी बोलियां खोली गईं। खरीद प्रस्ताव वित्तीय छानबीन और आदेश के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।
	(ख) ट्रांसमीटर और स्टूडियो उपकरण का आधुनिकीकरण, संवर्धन और पुराने उपकरणों को बदलना।				डिब्रूगढ़ में नया टॉवर	आदेश जारी-पहला चरण	एकमात्र निविदा मिला और निपटाया गया, उंची लागत की वजह से फर्म के साथ कीमत तय करने के लिए बातचीत की गई आगे की कार्रवाई चल रही है।

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16 बीई	व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणी (31.12.15 तक उपलब्धियां)
1	2	3	4		5	6	7
3	डीटीएच	देश में सुदूर क्षेत्रों, आदिवासी एवं सीमावर्ती क्षेत्र के लिए डीटीएच की खरीद	23.00	3.93	30000 डीटीएच सेट की खरीद	ऑर्डर जारी-तीसरा चरण डीटीएच की सप्लाई-चौथा चरण	30,000 डीटीएच सेट की खरीद के लिए कार्रवाई डीटीएच के विस्तारित बूके के लिए कंडीशनल एक्सेस प्रणाली लागू होने पर शुरू की जाएगी। प्रसार भारती बोर्ड ने 16.10.15 को हुई अपनी 129वीं बैठक में डीडी फ्री डिश पर कैस प्रणाली लागू करने के लिए डीटी द्वारा स्वीकृत भारतीय सीएस वेंडर में बाय डिजायन को लगाने की स्वीकृति दी। आगे की कार्रवाई चल रही है।
4	(क) ट्रांसमीटर और स्टूडियो उपकरण का आधुनिकीकरण, संवर्धन और पुराने उपकरणों को बदलना।	अपनी उपयोगिता पूरी कर चुके ट्रांसमीटर उपकरण का तकनीकी अनिवार्यता के कारण आधुनिकीकरण, संवर्धन और पुराने उपकरणों को बदलना।	22.00	4.26	भूकेंद्रीयकरण का उन्नयन (नं. 4)	आरएफ उपकरण का सप्लाई-तीसरा चरण चार भूकेंद्र की स्थापना-चौथा चरण	चंडीगढ़, हिसार, पणजी और पोर्ट ब्लेयर में आरएफ उपकरण को छोड़कर भू-केन्द्र के अन्य सभी उपकरणों की स्थापना तथा परीक्षण का कार्य पूरा, आरएफ उपकरणके टेंडर प्राप्त किए और निपटाए गए। खरीद प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्तुत।
					नया भूकेन्द्र (गोरखपुर)-1	ऑर्डर जारी-दूसरा चरण उपकरण की सप्लाई और स्थापना-चौथा चरण	भू-केंद्र उपकरण के लिए टेंडर आमंत्रण नोटिस पहले ही जारी इसलिए टेंडर रद्द, सब स्टेशन के लिए नए टेंडर प्राप्त हुए जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है।
					भूकेन्द्र के कम्प्रेसन उपकरण को बदला गया (देहरादून) एक स्थान	ऑर्डर जारी-दूसरा चरण उपकरण की सप्लाई और स्थापना-चौथा चरण	भवन निर्मित, कम्प्रेसन उपकरण के लिए निविदा खोली गई और आंकलन का कार्य जारी

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16 बीई	व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणी (31.12.15 तक उपलब्धियां)
1	2	3	4		5	6	7
					मौजूदा आई आर डी को बदलकर डी वी बी-S2 आधारित आई आर डी लगाना	ऑर्डर जारी- पहला चरण उपकरण का सप्लाइ- तीसरा चरण	पूर्व में प्राप्त निविदा तकनीकी कारणों से रद्द किए गए। नए निविदाएं खोली गईं और आंकलन का कार्य जारी।
					नया डी एस एन जी-9	9 डी एस एन जी के लिए ऑर्डर जारी-तीसरा चरण	पहले का आदेश तकनीकी आधार पर रद्द, नई निविदाएं प्राप्त, आंकलन जारी
5.	हाई डेफिनेशन टी वी	एच डी टी वी का निर्माण की बात की सुविधा और ट्रांसमीशन	14.00	0.14	दिल्ली में बहु-कैमरा मोबाईल उपकरण	ऑर्डर जारी-पहला चरण बहु-कैमरा मोबाईल निर्माण केन्द्र की सप्लाइ- चौथा चरण	निविदा तकनीकी कारणों से रद्द-नई निविदाओं का मूल्यांकन जारी
6.	सिविल ढांचागत सुविधाओं को मजबूत करना, स्टाफ क्वार्टर और अन्य विविध स्कीम।	स्टाफ के लिए आवास की व्यवस्था, ढांचागत सुविधाओं/विभिन्न केन्द्रों पर सुरक्षा को मजबूत करना	6.00	2.21	दो स्थानों पर आवासीय कार्य, गेस्ट हाऊस एक स्थान पर और टॉवर सी का निर्माण कार्य	आवासीय कार्य पूर्ण- पहला चरण	एस क्यू में आवासीय, गेस्ट हाऊस कार्य पूर्ण, टॉवर सी का निर्माण कार्य पूर्ण कुछ छुट पुट और विद्युत काम चल रहा है। सी सी डब्ल्यू के आधुनिकीकरण के कार्य को प्रसार भारती ने अनुमोदित कर दिया है।
7.	दसवीं योजना की अन्य जारी विविध योजनाएं	ग्याहरवीं योजना से पहले मंजूर परियोजना भी पूर्ण	20.00	2.93	अमृतसर में 300 मीटर टॉवर पर एंटीना के साथ डीडी 1 और डीडी न्यूज आरंभ करना	डीडी 1, डीडी न्यूज एचपीटी का बाकी बचा टॉवर कार्य पूर्ण करना- तीसरा और चौथा चरण	तकनीकी रूप से निविदा का मूल्यांकन और व्यवसायिक बोली खुली जबकि कुछ प्रशासनिक कारणों से निविदा रद्द, नई एनआईटी जारी

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16 बीई	व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणी (31.12.15 तक उपलब्धियां)
1	2	3	4		5	6	7
					एचपीटी महबूबनगर	150 मीटर टॉवर का आदेश जारी-पहला चरण	निविदा प्राप्त किया गया और निपटाया गया, लेकिन ऊंची दर तथा कीमत को लेकर मौलभाव तय न होने के कारण और कोई लाभदायक नतीजा न आने से इसे रद्द करना पड़ा। आगे की कार्रवाई जारी।
					59 कैमरा की खरीददारी	कैमरा चैन के लिए आदेश जारी-दूसरा चरण कैमरा चैन की सप्लाई और स्थापना-चौथा चरण	कैमरा चैन के लिए निविदाएं प्राप्त हुईं और निपटाई गईं, मगर तकनीकी कारणों से इस रद्द करना पड़ा, नए टेंडर प्राप्त, मूल्यांकन जारी और व्यापारिक बोलियां खोली गईं, खरीद प्रस्ताव वित्तीय तथा आदेश देने के पूर्व सक्षम अधिकारी की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया
	नई स्कीम						
1.	ट्रांसमीटर और स्टूडियो उपकरण का परिवर्तन, आधुनिकीकरण और संवर्धन	सीपीसी का आधुनिकीकरण	10.00	0.00	प्लेबैक सुविधा	उपकरण के लिए आदेश जारी-दूसरा चरण उपकरण की सप्लाई और स्थापना-चौथा चरण	4 प्लेआउट सुविधा की निविदा प्राप्त और मूल्यांकन जारी
		केंद्रों का आधुनिकीकरण			स्टूडियो उपकरण की खरीद	कुछ उपकरण के लिए आदेश जारी-दूसरा चरण उपकरण की सप्लाई और स्थापना-तीसरा चरण	डिजिटल प्रोडक्शन स्विचर और डिजिटल फोन-इन कन्सोल के लिए खरीद प्रस्ताव, वित्तीय छानबीन के लिए प्रस्तुत। रूटर्स के लिए निविदा खोली गई और आंकलन जारी। अधिकतर उपकरणों के आकार-प्रकार को अंतिम रूप दिया गया और निविदा आमंत्रण हेतु नोटिस जारी।

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16 बीई	व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणी (31.12.15 तक उपलब्धियां)
1	2	3	4		5	6	7
		दिल्ली समाचार प्रभाग मुख्यालय की सुविधा का उन्नयन			आधुनिकीकरण की सुविधाएं	कुछ उपकरणों का आदेश पारित-दूसरा चरण कुछ उपकरण की सप्लाई और स्थापना का कार्य जारी-तीसरा चरण	एनआईटी जारी
2.	एचडी टीवी	कोलकाता और चेन्नई में एचडी टीवी स्टूडियो की स्थापना	15.00	00.00	कोलकाता और चेन्नई में एचडी टीवी स्टूडियो की स्थापना	एनआईटी जारी-प्रथम चरण आदेश जारी-तीसरा चरण उपकरण की सप्लाई एक स्थान पर-चौथा चरण	अंतिम प्रारूप तैयार हो रहा है।
3.	प्रसारण उपकरण के परिवर्तन, आधुनिकीकरण और संवर्धन	दो स्थानों पर भूकेंद्र के लिए बिल्डिंग	10.00	00.00	कोहिमा और इम्फाल में भू-केंद्र बिल्डिंग का निर्माण	कोहिमा और इम्फाल में भू-केंद्र बिल्डिंग का निर्माण-चौथा चरण	सीडब्लूसी से प्राप्त प्राथमिक अनुमानों में लागत बहुत ज्यादा, संशोधित एलओपी/अनुमानों को निपटाया जा रहा है।
		भू-केन्द्र में पुराने उपकरणों की जगह नए और उन्नत उपकरण लगाए जा रहे हैं।			भू-केन्द्र आरएफ उपकरण और अपलिंग पीडीए को परिवर्तित किया जा रहा है।	उपकरण के लिए आदेश पारित-दूसरा चरण उपकरण की सप्लाई और स्थापना-चौथा चरण	1. सी-बैंड अपकंडक्टर और रूडीमेंटरी स्विच के लिए खरीद प्रस्ताव वित्तीय छानबीन के लिए भेज दिया गया। 2. देहरादून में एंटेना प्रणाली के लिए टेंडर प्राप्त तथा मूल्यांकन जारी। 3. श्रीनगर में कम्प्रेसन चैन को बदलने के लिए टेंडर प्राप्त हुए और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है।
4.	सिविल ढांचागत सुविधाओं को मजबूत करना, स्टाफ क्वार्टर और अन्य विविध स्कीम।	चंडीगढ़ में स्टाफ क्वार्टर	2.00	0.43	स्टाफ क्वार्टर का निर्माण	चंडीगढ़ स्टाफ क्वार्टर का निर्माण-चौथा चरण	ढांचा खड़ा हो गया है, चिनाई, प्लास्टर करने और नलसाजी का काम चल रहा है।

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16 बीई	व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणी (31.12.15 तक उपलब्धियां)
1	2	3	4		5	6	7
5.	दूरदर्शन नेटवर्क का डिजिटलीकरण	टेस्ट्रीयल ट्रांसमिशन का डिजिटलीकरण	61.00	0.00	23 एचपीटी डिजिटल	डिजिटल एचपीटी के लिए आदेश जारी।	23 डिजिटल एचपीटी की स्थापना की कार्रवाई शुरू की गई। ट्रांसमीटर उपकरणके आकार-प्रकार के ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जा चुका है और शीघ्र ही निविदा आमंत्रण नोटिस जारी होने की संभावना
		डिजिटलीकरण की प्राप्ति			दिल्ली में केन्द्रीय अचीवमेंट	निविदा जारी-प्रथम चरण आदेश जारी-तीसरा चरण लिंक की सप्लाय-चौथा चरण	आकार-प्रकार के ब्यौरे को अंतिम रूप देने के लिए प्रसार भारती द्वारा कमेटी का गठन। यह कार्य पूरा होने के बाद ही परियोजना शुरू होगी।
6.	ओएफसी संपर्क	दूरदर्शन के केन्द्रों से ओएफटी नेटवर्क द्वारा लिंक प्राप्त कर कार्यक्रमों का आदान प्रदान	1.02	0.00	दूरदर्शन के केन्द्रों से ओएफटी नेटवर्क द्वारा लिंक प्राप्त कर कार्यक्रमों का आदान प्रदान	निविदा जारी-प्रथम चरण आदेश जारी-तीसरा चरण दूरदर्शन के केन्द्रों से ओएफटी नेटवर्क द्वारा लिंक प्राप्त कर कार्यक्रमों का आदान प्रदान-चौथा चरण	इसकी अनुकूलतम उपयोगिता के दायरे को परिभाषित करने के लिए समीक्षा की जा रही है।
7.	सीमावर्ती कवरेज को सुदृढ़ बनाना	सीमावर्ती कवरेज को सुदृढ़ बनाना	5.00	0.00	सीमावर्ती कवरेज को सुदृढ़ बनाना (300 मीटर रामेश्वर में)	आदेश जारी-दूसरा चरण	निविदा खोले गए और उनकी जांच का काम जारी

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16 बीई	व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	टिप्पणी (31.12.15 तक उपलब्धियां)
1	2	3	4		5	6	7
8.	डीटीएच	250 टीवी चैनल को डीटीएच में उन्नयन	5.00	0.00	नागरिक एवं विद्युत कार्य	नागरिक एवं विद्युत कार्य पूर्ण-चौथा चरण	सीसीडब्ल्यू ने निविदा खोली और उनकी जांच का काम जारी। स्वीकृति शीघ्र ही दे दिए जाने की संभावना।
9.	नई मीडिया तकनीक/ वैकल्पिक सेवा प्रदाता प्लेटफार्म	दूरदर्शन चैनल का इंटरनेट डिवाइस पर प्रसारण	1.00	0.00	वेबकास्टिंग और विषय वितरण नेटवर्क (सीबीएन)	वेबकास्टिंग पूर्ण और सीडीएन-चौथा चरण	आकार-प्रकार के ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
10.	किसान चैनल (कुल)		45.00	2997		वेबकास्टिंग पूर्ण और सीडीएन-चौथा चरण	
	1) पूंजी		10.00	0.00			
	2) विषय का विकास		35.00	2997			
	कुल राजस्व		35.00	2997			
	कुल पूंजी		310.00	52.90			
	कुल डीडी		345.02	8287			

वार्षिक योजना 2014-15

परिव्यय और परिणाम/लक्ष्य (2014-15) का लेखाजोखा

(रु. करोड़ में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 बीई	व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.15 तक उपलब्धियां	टिप्पणी 13.12.15 की स्थिति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	स्कीम-I प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास							
1	ट्रांसमीटरों और स्टूडियो का डिजिटलीकरण।		84.00	59.40				
	(क) ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण।	टेलीस्ट्रियल ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण।			19 डिजिटल एचपीटी।	चरणबद्ध तरीके से 5 डिजिटल एचपीटी लगाने की शुरुआत-पहली तिमाही। चरणबद्ध तरीके से 7 डिजिटल एचपीटी लगाने की शुरुआत-दूसरी तिमाही। चरणबद्ध तरीके से 7 डिजिटल एचपीटी लगाने की शुरुआत-तीसरी तिमाही। चरणबद्ध तरीके से 19 डिजिटल एचपीटी लगाने की शुरुआत-तीसरी और चौथी तिमाही।	15 स्थलों पर टॉवरों के सुदृढीकरण का काम पूरा। शेष जगहों पर काम प्रगति पर। 19 डिजिटल HPT के लिए ऑर्डर दिए गए और सभी की आपूर्ति की गई। 13 HPT लगाए गए और परीक्षण कार्य चल रहा है। अन्य स्थानों पर इन्हें लगाने का काम चल रहा है।	15 स्थलों पर टॉवरों के सुदृढीकरण का काम पूरा। शेष जगहों पर काम प्रगति पर। 16 डिजिटल एचपीटी चालू करने के लिए तैयार

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 बीई	व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.15 तक उपलब्धियां	टिप्पणी 13.12.15 की स्थिति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					21 डिजिटल एचपीटी।	21 डिजिटल एचपीटी के लिए ऑर्डर दिए गए-तीसरी तिमाही।	डीवीबी-टी2 लाइट मानकों के लिए विनिर्देशनों को अंतिम रूप दिया गया। एनआईटी जारी करने के लिए प्रसार भारती के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है। प्रसार भारती के निर्णयों के अनुसार डिजिटल एचपीटी की स्थापना क्लस्टर मोड में की जाएगी। क्लस्टर की योजना हेतु मंत्रालय के सिद्धांत रूप में अनुमोदन की प्रतीक्षा है।	प्रसार भारती बोर्ड की 16.10.15 को हुई 129वीं बैठक में स्वीकृत। बारहवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार 63 मूल स्थानों में डिजिटल ट्रांसमीटरों की स्थापना की जानी है। तदनुसार 11 वीं योजना के बाकी 21 डिजिटल एचपीटी और 12वीं के 23 डिजिटल एचपीटी ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए कार्यवाही चल रही है।
					डीटीटी की नेटवर्किंग के लिए भूकेंद्र	ऑर्डर देना-दूसरी तिमाही आपूर्ति और स्थापना- चौथी तिमाही	तकनीकी कारणों से पूर्व में प्राप्त की गई निविदाओं को रद्द करना पड़ा। नए एनआईटी डाले जाने हैं।	प्रसार भारती द्वारा डीवीबी टी2 ट्रांसमीटरों के बिजनेस मॉडल को अंतिम रूप दिए जाने तक के लिए इस परियोजना को रोक कर रखा गया है। प्रसार भारती द्वारा इसे अंतिम रूप देने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 बीई	व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.15 तक उपलब्धियां	टिप्पणी 13.12.15 की स्थिति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	(ख) स्टूडियो का डिजिटलीकरण।	उत्पादन, उत्पादन पश्चात् और संपादन सुविधाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण।			39 स्टूडियो का पूर्ण डिजिटलीकरण।	कैमरा श्रृंखला की आपूर्ति एवं स्थापना-चौथी तिमाही	कैमरा श्रृंखला को छोड़कर बाकी उपकरणों की आपूर्ति की गई और लगाए गए। कैमरा श्रृंखला के लिए निविदाएं प्राप्त और मूल्यांकन पूरा। तथापि निविदाओं को तकनीकी कारणवश रद्द करना पड़ा। नए एनआईटी जारी किए जाने हैं।	नई निविदाएं प्राप्त हुईं और उनका मूल्यांकन किया गया। वाणिज्यिक बोलियां खोली गईं। खरीद प्रस्ताव को वित्तीय पड़ताल के लिए भेजा गया और आदेश देने से पहले सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रतीक्षित है।
					कोलकाता में मीडिया असेट मैनेजमेंट प्रणाली की स्थापना	आपूर्ति और स्थापना-तीसरी तिमाही	परियोजना पूरी हो गई।	-
2	ट्रांसमीटर और स्टूडियो उपकरण का आधुनिकीकरण, संवर्धन और पुराने उपकरणों को बदलना।		50.00	48.64				

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 बीई	व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.15 तक उपलब्धियां	टिप्पणी 13.12.15 की स्थिति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	(क) ट्रांसमीटर उपकरण का आधुनिकीकरण, संवर्धन और पुराने उपकरणों को बदलना।	अपनी उपयोगिता पूरी कर चुके ट्रांसमीटर उपकरण का तकनीकी अनिवार्यता के कारण आधुनिकीकरण, संवर्धन और पुराने उपकरणों को बदलना।			15 एचपीटी को बदलना।	चरणों में ट्रांसमीटरों की आपूर्ति और स्थापना कार्य पूरा - पहली तिमाही। 12 एचपीटी की स्थापना प्रगति पर - दूसरी और तीसरी तिमाही। 15 एचपीटी को लगाने का काम शुरू - तीसरी और चौथी तिमाही।	सभी ट्रांसमीटरों की आपूर्ति की गई। 8 जगहों पर इन्हें लगाया गया तथा परीक्षणधीन।	13 स्थानों पर पुराने एचपीटी की जगह नए ट्रांसमीटर लगाए गए और चालू किए गए। बाकी दो स्थानों (डिब्रूगढ़ और जैसलमेर) में ट्रांसमीटर उपकरण की स्थापना का काम पूरा कर लिया गया है और परीक्षण जारी है।
	(ख) स्टूडियो उपकरण का आधुनिकीकरण, संवर्धन और पुराने उपकरणों को बदलना।	अपनी उपयोगिता पूरी कर चुके उत्पादन से संबंधित उपकरणों का तकनीकी अनिवार्यताओं के कारण आधुनिकीकरण, संवर्धन और पुराने उपकरणों को बदलना।			कैमरा श्रृंखला का प्रापण।	कैमरा श्रृंखला की आपूर्ति और स्थापना- चौथी तिमाही	कैमरा श्रृंखला के लिए निविदाएं प्राप्ती और मूल्यांकन पूरा। तथापि निविदाओं को तकनीकी कारणवश रद्द करना पड़ा। नए एनआईटी जारी किए जाएंगे।	नई निविदाएं प्राप्त हुईं और उनका मूल्यांकन किया गया। वाणिज्यिक बोलियां खोली गईं। खरीद प्रस्ताव को वित्तीय पड़ताल के लिए भेजा गया और आदेश देने से पहले सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रतीक्षित है।
					अनिवार्य सेवा उपकरण जैसे पावर सप्लाई, एसी प्लांट, लाइटिंग ग्रिड, एकास्टिक तथा फ्लोरिंग को बदलना	विभिन्न दूरदर्शन केंद्रों के अनिवार्य सेवा उपकरण को चरणों में बदलना- दूसरी और तीसरी तिमाही	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा काम शुरू। ज्यादातर केंद्रों में प्रकाश ग्रिड और एसी संयंत्र बदले गए। कुछ केंद्रों में एसी संयंत्र, एकास्टिक्स और फ्लोरिंग पूरी। अन्य केंद्रों में काम प्रगति पर तथा कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में।	आंचलिक कार्यालयों ने काम शुरू किया। लाइटनिंग ग्रिड, एसी प्लांट, एकास्टिक्स और फ्लोरिंग का कार्य अधिकतर केंद्रों में पूरा। अन्य स्थानों पर कार्य जारी और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में।

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 बीई	व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.15 तक उपलब्धियां	टिप्पणी 13.12.15 की स्थिति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3	डीटीएच ।	डीटीएच प्लेटफॉर्म पर चैनलों की संख्या 59 से बढ़ा कर 97	36.00	33.71	डीटीएच प्लेटफॉर्म पर चैनलों को 59 से बढ़ा कर 97 करना ।	उपकरण सप्लाई-पहली तिमाही । डीटीएच प्लेटफॉर्म का उन्नयन- दूसरी तिमाही ।	दूरदर्शन डीटीएच प्लेटफॉर्म के इस समय के 59 टी वी चैनलों की क्षमता को बढ़ाकर 97 करने के लिए उपकरण लगाने का कार्य पूरा किया गया । डीटीएच प्लेटफॉर्म की शुरुआत कैस के कार्यान्वयन पर निर्भर ।	दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफॉर्म पर चैनलों की संख्या 59 से 112 करने के लिए उपकरणों के उच्चीकरण का कार्य पूरा किया गया । उच्चीकृत डीटीएच प्लेटफॉर्म का चालू होना कैस के लागू होने पर निर्भर
					दूरदर्शन की डीटीएच सेवा के लिए कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (कैस)	ऑर्डर दिया-दूसरी तिमाही कैस का एसआईटीसी-तीसरी तिमाही	कैस के लिए निविदाएं प्राप्त और तकनीकी मूल्यांकन पूरा । निविदाओं को तकनीकी कारणवश रद्द करना पड़ा । निविदाएं दुबारा प्राप्त की गईं और उनका आकलन किया गया । वित्तीय मंजूरी के लिए खरीद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।	प्रशासनिक कारणों से निविदाएं रद्द की गईं । अब प्रसार भारती बोर्ड ने 16.10.15 को अपनी 129वीं बैठक में डीटी द्वारा स्वीकृत भारतीय कैस वितरक मैसर्स बाई डिजाइन को लगाने की स्वीकृति दी है । मैसर्स बाई डिजाइन को कार्य सौंपने की प्रक्रिया जारी है ।
					दूरदर्शन डीटीएच सेवा के लिए कॉल सेंटर की लीजिंग	ऑर्डर देना- दूसरी तिमाही एसआईटीसी का कॉल सेंटर- तीसरी तिमाही	निविदाएं प्राप्त की गईं और उनका आकलन किया गया । वित्तीय मंजूरी के लिए खरीद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।	वित्तीय मंजूरी के लिए खरीद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 बीई	व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.15 तक उपलब्धियां	टिप्पणी 13.12.15 की स्थिति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4	उपग्रह प्रसारण उपकरण का आधुनिकीकरण, संवर्धन और पुराने उपकरणों को बदलना।	अपनी प्रतियोगिता पूरी कर चुके उपग्रह प्रसारण से संबंधित उपकरणों का तकनीकी अनिवार्यताओं के कारण आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण और पुराने उपकरणों को बदल कर डिजिटल उपकरण लगाना। समाचार संकलन सुविधाओं को मजबूत करना।	16.00	9.82	चार भूकेन्द्रों का उन्नयन।	आरएफ उपकरण की आपूर्ति- तीसरी तिमाही 4 भूकेन्द्रों को चालू करना- चौथी तिमाही	चंडीगढ़, हिसार, पणजी, और पोर्टब्लेअर में आरएफ उपकरण के अलावा सभी भूकेन्द्र उपकरण स्थापित तथा परीक्षित।	आरएफ उपकरणों के लिए खरीद प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत
					नया भूकेन्द्र (गोरखपुर)- 1	ऑर्डर दिए गए -दूसरी तिमाही उपकरण की आपूर्ति और स्थापना- चौथी तिमाही	भूकेन्द्र भवन का निर्माण किया गया। भूकेन्द्र उपकरणों के लिए एनआइटी जारी किए गए, बोली प्रस्तुत करने के लिए कई बार समय बढ़ाये जाने पर भी कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। निविदा रद्द कर दी गई। एनआइटी दोबारा जारी किया गया इस बार भी कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई तथापि रद्द किया गया नई निविदाएँ आमंत्रित करने का कार्य प्रगति पर है।	उपप्रणालियों के लिए नई निविदाएं प्राप्त हुईं जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 बीई	व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.15 तक उपलब्धियां	टिप्पणी 13.12.15 की स्थिति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					एक स्थान पर (देहरादून) भूकेन्द्र कंप्रेशन उपकरण को बदलना	एनआईटी जारी करना - दूसरी तिमाही ऑर्डर करना - चौथी तिमाही	भवन निर्मित। कंप्रेशन उपकरण के लिए एनआईटी जारी किया जाएगा।	कंप्रेशन उपकरण के लिए निविदाएं खोली गईं और मूल्यांकन जारी
					मौजूदा आईआरडी की जगह डीवीबी- एस 2 आधारित आई आरडी लगाना।	ऑर्डर करना दूसरी तिमाही मौजूदा आईआरडी की जगह डीवीबी- एस 2 आधारित आई आरडी लगाना तीसरी तिमाही	निविदाएं प्राप्त और मूल्यांकन पूरा। तथापि निविदाओं को तकनीकी कारणवश रद्द करना पड़ा। नए एनआईटी जारी किए गए।	निविदाएं खोली गईं और मूल्यांकन जारी
					नया डीएसएनजी- 9	9 डीएसएनजी के लिए ऑर्डर दिए गए तीसरी तिमाही।	पहले प्राप्त निविदाओं को तकनीकी कारणों से रद्द किया गया। नये एनआईटी जारी किए गए।	एकमात्र निविदा प्राप्त हुई और उसका मूल्यांकन किया गया मगर तकनीकी कारणों से रद्द करनी पड़ी
5.	हाई डेफिनीशन टी वी	एचडीटीवी में प्रोडक्शन, पोस्टप्रोडक्शन और प्रसारण की सुविधा	41.00	35.51	दिल्ली और मुंबई में आउटडोर उत्पादन सुविधाओं के लिए मल्टी कैमरा मोबाइल उपकरण।	एचडीटीवी ओबी वैनो की आपूर्ति-पहली तिमाही।	एचडीटीवी ओबी वैनो की आपूर्ति की गई।	-

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 बीई	व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.15 तक उपलब्धियां	टिप्पणी 13.12.15 की स्थिति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	सिविल ढांचागत सुविधाओं को मजबूत करना, स्टाफ क्वार्टर और अन्य विविध स्कीम।	स्टाफ के लिए आवास की व्यवस्था। विभिन्न केंद्रों पर ढांचागत सुविधाओं/सुरक्षा को मजबूत करना	9.00	6.70	1. चार स्थानों पर स्टाफ क्वार्टरों, 2. दो स्थानों पर अतिथि गृहों, 3. दूरदर्शन भवन परिसर में टॉवर सी का निर्माण	चार चरणों में चार स्थानों पर स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण- तीसरी और चौथी तिमाही दो स्थानों पर अतिथिगृह का निर्माण तीसरी और चौथी तिमाही लिफ्ट, फायर फाइटिंग, एसी और सुसज्जीकरण आदि समेत टॉवर सी भवन का कार्य पूरा करना चौथी तिमाही।	एक स्थान पर स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण पूरा किया गया तथा दो स्थानों पर प्रगति पर। एक स्थान पर अतिथिगृह का निर्माण चल रहा है। सभी सिविल कार्य पूरे किए गए। लिफ्ट का काम चल रहा है।	तीन स्थानों पर स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण पूरा एक स्थान पर अतिथिगृह का निर्माण पूरा टावर सी-कुछ छुटपुट सजावटी कार्यों को छोड़कर अन्य सभी सिविल कार्य पूरे, बिजली के कार्य जारी। प्रसार भारती ने हाल में अतिरिक्त कार्य के लिए सीसीडब्ल्यू के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी
7.	दसवीं योजना की अन्य अधूरी योजनाएं जो बारहवीं योजना में चल रही हैं	11 वीं योजना से पहले की परियोजनाएं पूरी की गईं	24.00	6.62	एचपीटी कण्णूर चालू करना (पीएमटी स्थापना) अमृतसर में डीडी 1 और डीडी (न्यूज) का 300 मीटर का टॉवर एन्टीना एचपीटी चालू करना	एचपीटी चालू करना एचपीटी चालू करना (पीएमटी स्थापना) - पहली तिमाही शेष टॉवर कार्य पूरा करना तीसरी और चौथी तिमाही डीडी 1 और डीडी (न्यूज) एचपीटी चालू करना (पीएमटी स्थापना)- चौथी तिमाही।	अप्रैल 2014 में एचपीटी कण्णूर चालू किया गया। अमृतसर में शेष टॉवर कार्यों के लिए निविदाएं प्राप्त की गईं तथा आंकलन जारी है।	निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन पूरा और वाणिज्यिक बोलियां खोली गईं। लेकिन प्रशासनिक कारणों से निविदाएं रद्द कर दी गईं। नए एनआईटी जारी किया जाएगा।

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 बीई	व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.15 तक उपलब्धियां	टिप्पणी 13.12.15 की स्थिति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					एचपीटी महबूबनगर (पीएमटी स्थापित)	150 मीटर टॉवर के लिए ऑर्डर दिया गया -दूसरी तिमाही	150 मी. ऊंचे टॉवर के लिए पहले दिया गया ऑर्डर रद्द किया गया क्योंकि फर्म ने कार्य करने से मना कर दिया दोबारा प्राप्त निविदाएँ भी उच्च लागत की वजह से रद्द की गई। नये एनआइटी जारी किए जाने हैं।	नई निविदाएं प्राप्त हुईं और उनका मूल्यांकन किया गया। लेकिन इस बार भी उन्हें रद्द करना पड़ा क्योंकि दाम और दरें बहुत ऊंची थीं और बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला। आगे की कार्यवाही जारी।
					59 कैमरा श्रृंखलाओं की खरीद	कैमरा श्रृंखला की आपूर्ति व संस्थापना-चौथी तिमाही	कैमरा श्रृंखलाओं के लिए निविदाएँ प्राप्त और आकलन पूरा। तथापि तकनीकी कारणों से निविदाएँ रद्द की गईं। नये एनआइटी जारी किए जाने हैं।	नई निविदाएं प्राप्त हुईं, उनका मूल्यांकन किया गया और वाणिज्यिक बोलियां खोली गईं। खरीद प्रस्ताव वित्तीय पड़ताल के लिए भेजा गया। आदेश के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी अपेक्षित।
					देहरादून स्टूडियो (पीएमटी)	देहरादून स्टूडियो चालू करना-चौथी तिमाही	तकनीकी क्षेत्र प्राप्त किया गया। अन्य विभागीय कार्य जारी।	भवन निर्माण पूरा, विभागीय कार्य जारी। मुख्य स्टूडियो के लिए उपकरण खरीदे गए। दूसरे स्टूडियो के उपकरणों की खरीद का काम विभिन्न चरणों में। विभागीय कार्य पूरा होने के करीब

(रु. करोड़ में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 बीई	व्यय	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.15 तक उपलब्धियां	टिप्पणी 13.12.15 की स्थिति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	स्कीम-II सामग्री विकास और प्रसार		10.00	9.57				
	नए स्कीम							
1.	स्कीम I - प्रसारण इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क विकास	सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करना	8.00	0.03	नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में 8 एचपीटी (एआइआर एफएम और डीडी)	जगह की पहचान- दूसरी तिमाही	मध्यवर्ती समीक्षा में प्रसार भारती द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार परियोजना को खत्म किया गया।	-
2.	स्कीम III विशेष परियोजनाएं		0.02	0.00				
	किसान चैनल		100.00	23.11				
	कुल राजस्व		110.00	32.68				
	कुल पूंजी		268.02	200.43				
	दूरदर्शन का कुल		378.02	233.11				

मुख्य सचिवालय की प्रसारण विंग की स्कीमें

(क) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग

12 वीं पंचवर्षीय योजना में 100 करोड़ रुपये की नई योजना स्कीम ' भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग ' की शुरुआत सामुदायिक रेडियो को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। इस योजना के दो घटक हैं, सामुदायिक रेडियो समर्थन योजना (सीआरएसएस) और सामुदायिक रेडियो के लिए आईईसी गतिविधियां।

इस योजना को लागू करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार किए गए। मंत्रालय द्वारा गठित एक तकनीकी समिति ने सीआरएस के संचालन के लिए अनिवार्य उपकरणों को छांटा और छांटे गए प्रत्येक उपकरण की विशिष्टताओं को अंतिम रूप दिया। यह इस योजना के तहत सीआरएस द्वारा खरीदे गए उपकरण के लिए बेंचमार्क होगा। 12 वीं योजना स्कीम को लागू करने के लिए एक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) को भी स्थापित किया गया।

आईईसी गतिविधियों के तहत मंत्रालय विभिन्न हितधारकों के साथ राज्य और क्षेत्रीय कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से सामुदायिक रेडियो योजना को प्रचारित कर रहा है जिससे अधिक-से-अधिक समुदाय आधारित संगठन आगे आएँ और सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करें। वर्ष 2007 से देश भर में 63 जागरूकता एवं क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त पांच राष्ट्रीय सम्मेलनों का भी आयोजन किया गया है।

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान वडोदरा, जोधपुर, नागपुर, वाराणसी, रांची, शिलांग, तिरुपति और अमृतसर में 8 जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन निश्चित किया गया। ये विचार-विमर्श और कार्यशालाएं दिशानिर्देशों, आवेदन प्रक्रिया, सीआरएस की सामग्री और स्थिरता के मुद्दों को संबोधित करने में सफल रही हैं।

16 से 18 मार्च, 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 5 वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 175 सीआर स्टेशनों, संबंधित मंत्रालयों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए गए और सीआर संग्रह के 5 वें संस्करण को भी प्रकाशित किया गया।

सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के बीच आत्म मूल्यांकन और सह-शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा सहकर्मि समीक्षा प्रक्रिया को अपनाया गया। इसमें तीन अलग अलग हितधारकों जैसे कॉमनवैल्थ एजुकेशन मीडिया सेंटर फॉर एशिया (सीईएमसीए), सामुदायिक मीडिया पर यूनेस्को चेयर और यूनिसेफ द्वारा तीन टूलकिट डिजाइन की गईं।

इस प्रक्रिया के दो चरणों में 68 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों ने स्वेच्छ से भाग लिया। सभी स्टेशनों को टूलकिट का उपयोग करते हुए अपने स्टेशनों का मूल्यांकन करना था। प्रत्येक स्टेशन के एक प्रतिनिधि ने 2 अन्य सीआर स्टेशनों का दौरा किया। 13-15 मई, 2014 के दौरान नई दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें रेडियो स्टेशनों ने पहले चरण के अपने अनुभव साझा किए। इसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की गई। दूसरे चरण के लिए दिसंबर 2014 में दूसरी कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में सभी 68 सीआरएस ने, जिन्होंने इस प्रक्रिया में भाग लिया था, सूचित किया कि उन्होंने अपने और दूसरों के स्टेशनों की ताकत और चुनौतियों को समझा है और लघु, मध्य और लंबी अवधि के लिए स्वयं में सुधार करने की योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त एक दूसरे से सीखने के लिए अनौपचारिक नेटवर्क भी तैयार किए हैं। उदाहरण के लिए प्रलेखन प्रक्रिया, सॉफ्टवेयर को लॉगिंग करने, संग्रहण की पुनर्प्राप्ति प्रणाली और विचारों के आदान प्रदान से संबंधित कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 के दौरान देश में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए 2 क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया। दरअसल राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन के दौरान सामुदायिक रेडियो स्टेशनों ने इस संबंध में इच्छा जताई थी जिससे क्षेत्रीय सीआरएस को बेहतर प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। क्षेत्रीय सम्मेलन चालू सीआरएस को एक मंच प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी जमीनी हकीकत, सफलताओं, मुद्दों और अच्छी कार्यप्रणाली को साझा कर सकें।

चालू वित्त वर्ष के दौरान भी सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए 2 क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया। सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का पहला क्षेत्रीय सम्मेलन 7-9 फरवरी, 2016 को भोपाल में आयोजित किया गया। इसमें उत्तरी राज्यों जैसे बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडीशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ने भाग लिया।

मंत्रालय द्वारा समर्थित तीन दिवसीय दूसरा क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन 15-16 फरवरी, 2016 के दौरान पुणे में आयोजित किया गया। सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन (सीआरए) की मेजबानी में आयोजित इस सम्मेलन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, दिल्ली जैसे राज्यों ने भाग लिया।

(ख) प्रसारण शाखा का स्वचालितीकरण

‘प्रसारण शाखा का स्वचालितीकरण’ योजना को बेसिल के माध्यम से कार्यान्वित करने का फैसला किया गया है और मंत्रालय और बेसिल के बीच सहमति पत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) मिशन डिजिटलाइजेशन

“मिशन डिजिटलाइजेशन” योजना से सम्बंधित संशोधित एस एफ सी का अनुमोदन 21 अप्रैल 2015 को कुल लागत रु. 1302.22 लाख पर हुआ। दिनांक 17.11.2015 को “मिशन डिजिटलाइजेशन” प्रोजेक्ट लागू करने से सम्बंधित एम ओ यू पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं बेसिल के बीच हस्ताक्षर हुआ। डिजिटलाइजेशन के तीसरे तथा चौथे चरण को लागू करने से सम्बंधित निम्न कार्य बेसिल द्वारा पूरा किया जा चुका है:

- i. “मिशन डिजिटलाइजेशन” प्रोजेक्ट लागू करने से सम्बंधित एम ओ यू पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं बेसिल के बीच हस्ताक्षर हो चुके हैं तथा 12 क्षेत्रीय इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है।
- ii. टोल फ्री हेल्पलाइन (बहु भाषी) संख्या 18001804343 को प्रारम्भ किया जा चुका है।
- iii. एस टी बी के सीडिंग स्टैटस से सम्बंधित आंकड़ों के संग्रहण के लिए एम आई एस ऑनलाइन साफ्टवेयर का विकास कर इसे परिचालित किया जा चुका है।
- iv. राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों की दो कार्यशालाएं दिल्ली में 3.6.2015 तथा 3.11.2015 को आयोजित हुईं। 3.11.2015 को आयोजित बैठक की अध्यक्षता सचिव (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय) द्वारा की गई।
- v. केबिल टी वी डिजिटलाइजेशन पर मंत्रालय ने 11 क्षेत्रीय कार्यशालाएं चन्डीगढ़, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, शिलांग, जयपुर, हैदराबाद, पुणे, भुवनेश्वर, बेंगलुरु तथा पटना में आयोजित की। इसमें राज्य तथा जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों तथा एम एस ओ को केबिल टी वी डिजिटलाइजेशन में उनकी भूमिका से अवगत कराने पर चर्चा हुई।

अध्याय-5

मांग संख्या 53-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय वित्तीय समीक्षा 2013-2014

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2013-14			संशोधित अनुमान 2013-14			वास्तविक 2013-14		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
राजस्व खंड									
प्रमुख शीर्ष '2251' - सचिवालय सामाजिक सेवाएं									
1. मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	980000	457000	1437000	370200	427000	797200	324249	417959	742208
प्रमुख शीर्ष - '2205' - सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का कला और संस्कृति से संबंधित प्रमाणन									
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	0	68700	68700	0	63150	63150	0	62050	62050
3. फिल्म प्रमाणन अपीलिय ट्रिब्यूनल	0	1700	1700	0	1250	1250	0	906	906
कुल प्रमुख शीर्ष '2205'	0	70400	70400	0	64400	64400	0	62956	62956
प्रमुख शीर्ष - '2220' - सूचना, फिल्म और प्रचार									
4. फिल्म प्रभाग	10000	387600	397600	8000	379600	387600	7835	376357	384192
5. फिल्म समारोह निदेशालय	0	93300	93300	0	112000	112000	0	111325	111325
6. भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	20000	46200	66200	12900	38000	50900	12897	38914	51811
7. सत्यजीत रे फिल्म और टेली. सं., कोलकाता को अनुदान सहायता	150000	101100	251100	150000	99000	249000	150000	99000	249000
8. बाल फिल्म समिति को अनुदान सहायता	0	26300	26300	0	22000	22000	0	22000	22000
9. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को अनुदान सहायता	150000	187200	337200	150000	192700	342700	150000	192700	342700
10. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र	0	49400	49400	35000	36700	71700	34996	33824	68820
11. गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग पुर्ननामित न्यू मीडिया विंग	0	21600	21600	0	20900	20900	0	21326	21326
12. आईआईएमसी को अनुदान सहायता	68000	88900	156900	35500	102700	138200	37000	102700	139700
13. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	1685000	705600	2390600	1790000	626000	2416000	1923443	621517	2544960

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2013-14			संशोधित अनुमान 2013-14			वास्तविक 2013-14		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
14. पत्र सूचना कार्यालय	130000	426400	556400	94000	430500	524500	101968	428538	530506
15. भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहायता	0	57100	57100	0	51100	51100	0	51100	51100
16. व्यवसायिक (नवीन पूल सेल) सेवाओं के लिए भुगतान	0	100	100	0	0	0	0	0	0
17. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	72000	458000	530000	18900	464200	483100	10642	467063	477705
18. गीत एवं नाटक प्रभाग	72000	238000	310000	59000	232900	291900	64280	229318	293598
19. प्रकाशन विभाग	10000	248000	258000	28900	242700	271600	14146	263323	277469
20. रोजगार समाचार	0	255200	255200	0	220900	220900	0	204422	204422
21. भारत का समाचारपत्र पंजीयक	3000	44200	47200	3000	40400	43400	2252	40736	42988
22. फोटो प्रभाग	3500	41000	44500	4000	42600	46600	4011	42486	46497
23. संचार के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान	0	1700	1700	0	1500	1500	0	0	0
24. एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के लिए योगदान	0	2000	2000	0	2500	2500	0	2433	2433
कुल : प्रमुख शीर्ष '2220'	2373500	3478900	5852400	2389200	3358900	5748100	2513470	3349082	5862552
कुल : प्रमुख शीर्ष 2251, 2205 और 2220	3353500	4006300	7359800	2759400	3850300	6609700	2837719	3829997	6667716

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2013-14			संशोधित अनुमान- 2013-14			वास्तविक 2013-14		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
प्रसारण (प्रमुख शीर्ष-2221) ध्वनि प्रसारण (उप प्रमुख शीर्ष) निर्देशन और प्रशासन (लघु शीर्ष) वेतन	0	100	100	0	0	0	0	0	0
टेलीविजन (उप प्रमुख शीर्ष) वेतन	0	100	100	0	0	0	0	0	0
सामान्य (उप प्रमुख शीर्ष) प्रसार भारती (लघु शीर्ष) अनुदान सहायता	4503500	17300000	21803500	3595600	17300000	20895600	4100000	17300000	21400000
कुल-प्रसारण	4503500	17300200	21803700	3595600	17300000	20895600	4100000	17300000	21400000
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के फायदे के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र अन्य व्यय योजना एकमुश्त प्रावधान (प्रमुख शीर्ष-2552)	905000	0	905000	740000	0	740000	0	0	0
कुल-राजस्व खंड	8762000	21306500	30068500	7095000	21150300	28245300	6937719	21129997	28067716

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2013-14			संशोधित अनुमान- 2013-14			वास्तविक 2013-14		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
ए) पूंजी खंड									
क. मशीन एवं उपकरण									
1. फिल्म प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हेतु उपकरण का अधिग्रहण	7500	0	7500	7500	0	7500	9959	0	9959
3. फिल्म समारोह निदेशालय में अधिवृद्धि और संशोधन	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र-मशीनरी तथा उपकरण मशीनरी तथा उपकरण	100000	0	100000	100000	0	100000	75000	0	75000
बी- भवन									
5. फिल्म प्रभाग हेतु बिल्डिंग का उन्नयन	30000	0	30000	19900	0	19900	12511	0	12511
6. चलचित्र संग्रहालय की स्थापना (फिल्म प्रभाग)- प्रमुख कार्य	10000	0	10000	5000	0	5000	0	0	0
7. एनएफएआई परिसर हेतु दूसरे चरण का भवन निर्माण जयकर बंगलों तथा डिजिटल पुस्तकालय स्थापना के लिए	30000	0	30000	20000	0	20000	18245	0	18245
8. फिल्म समारोह परिसर - अतिरिक्त और वैकल्पिक - प्रमुख कार्य	20000	0	20000	20000	0	20000	14851	0	14851
9. सूचना भवन का निर्माण - प्रमुख कार्य	40000	0	40000	64000	0	64000	62991	0	62991
10. केन्द्रीय सूचना सदन का डीएफपी में स्थापना	8000	0	8000	100	0	100	0	0	0
11. पत्र सूचना कार्यालय हेतु राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र और मिनी मीडिया केन्द्र की स्थापना	5000	0	5000	21000	0	21000	20961	0	20961
12. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में ढांचागत सुविधाओं में सुधार	7500	0	7500	2500	0	2500	0	0	0
13. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र - प्रमुख कार्य	20000	0	20000	35000	0	35000	0	0	0
कुल - पूंजी खंड प्रमुख शीर्ष '4220'	288000	0	288000	305000	0	305000	214518	0	214518
कुल	9050000	21306500	30356500	7400000	21150300	28550300	7152237	21129997	28282234

मांग संख्या 53-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

वित्तीय समीक्षा

2014-15

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2014-15			संशोधित अनुमान- 2014-15			संशोधित अनुमान- 2014-15		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
राजस्व खंड									
प्रमुख शीर्ष '2251' - सचिवालय सामाजिक सेवाएं									
1. मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	769400	496100	1265500	415599	512500	928099	368404	468412	836816
प्रमुख शीर्ष - '2205' - सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का कला और संस्कृति से संबंधित प्रमाणन									
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	0	70100	70100	0	71200	71200	0	67801	67801
3. फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल	0	1700	1700	0	900	900	0	617	617
कुल प्रमुख शीर्ष '2205'	0	71800	71800	0	72100	72100	0	68418	68418
प्रमुख शीर्ष - '2220' - सूचना, फिल्म और प्रचार									
4. फिल्म प्रभाग	10000	401800	411800	5001	401700	406701	3371	399873	403244
5. फिल्म समारोह निदेशालय	0	123800	123800	0	121300	121300	0	114597	114597
6. भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	20000	46500	66500	15900	43400	59300	15196	42364	57560
7. सत्यजीत रे फिल्म और टेली. सं., कोलकाता को अनुदान सहायता	160000	108900	268900	160000	114900	274900	160000	114900	274900
8. बाल फिल्म समिति को अनुदान सहायता	0	27000	27000	0	27400	27400	0	27000	27000
9. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को अनुदान सहायता	250000	210100	460100	190000	204400	394400	190000	204400	394400
10. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र	96800	40700	137500	98800	26400	125200	96341	24300	120641
11. गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग का नया नाम न्यू मीडिया विंग	0	24900	24900	0	23200	23200	0	21501	21501
12. आईआईएमसी को अनुदान सहायता	215000	95500	310500	119700	101900	221600	134700	101900	236600

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2014-15			संशोधित अनुमान- 2014-15			संशोधित अनुमान- 2014-15		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
13. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	1606000	697700	2303700	1450600	654200	2104800	1609309	645104	2254413
14. पत्र सूचना कार्यालय	140000	453000	593000	66000	527286	593286	73499	521906	595405
15. भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहायता	0	61300	61300	0	61400	61400	0	61400	61400
16. व्यवसायिक सेवाएं (नवीन पूल सेल)	0	100	100	0	25	25	0	0	0
17. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	45000	497400	542400	40400	498389	538789	25597	515270	540867
18. गीत एवं नाटक प्रभाग	72000	243600	315600	22000	243100	265100	22341	239778	262119
19. प्रकाशन विभाग	50000	260500	310500	45000	285000	330000	44964	289827	334791
20. रोजगार समाचार	0	251900	251900	0	215800	215800	0	208031	208031
21. भारत का समाचारपत्र पंजीयक	2000	46500	48500	2500	47400	49900	2499	47054	49553
22. फोटो प्रभाग	4500	46700	51200	3500	42000	45500	3508	39363	42871
23. संचार के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान	0	1700	1700	0	1900	1900	0	0	0
24. एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के लिए योगदान	0	2500	2500	0	2500	2500	0	2401	2401
कुल : प्रमुख शीर्ष '2220'	2671300	3642100	6313400	2219401	3643600	5863001	2381325	3620969	6002294
कुल : प्रमुख शीर्ष 2251, 2205 और 2220	3440700	4210000	7650700	2635000	4228200	6863200	2749729	4157799	6907528

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2014-15			संशोधित अनुमान- 2014-15			संशोधित अनुमान- 2014-15		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
प्रसारण (प्रमुख शीर्ष-2221) ध्वनि प्रसारण (उप प्रमुख शीर्ष) निर्देशन और प्रशासन (लघु शीर्ष) वेतन	0	0	0	0	0	0	0	0	0
टेलीविजन (उप प्रमुख शीर्ष) वेतन	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सामान्य (उप प्रमुख शीर्ष) प्रसार भारती (लघु शीर्ष) अनुदान सहायता	5315800	18900000	24215800	3812400	20019800	23832200	4360000	20019800	24379800
कुल-प्रसारण	5315800	18900000	24215800	3812400	20019800	23832200	4360000	20019800	24379800
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के फायदे के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र अन्य व्यय योजना एकमुश्त प्रावधान (प्रमुख शीर्ष-2552)	1005000	0	1005000	752000	0	752000	0	0	0
कुल-राजस्व खंड	9761500	23110000	32871500	7199400	24248000	31447400	7109729	24177599	31287328

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2014-15			संशोधित अनुमान- 2014-15			संशोधित अनुमान- 2014-15		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
ए) पूंजी खंड									
क. मशीन एवं उपकरण									
1. फिल्म प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	10000	0	10000	13000	0	13000	4896	0	4896
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हेतु उपकरण का अधिग्रहण	10000	0	10000	5010	0	5010	4334	0	4334
3. फिल्म समारोह निदेशालय में प्रिंट इकाई के स्तर में सुधार	0	0	0	100	0	100	0	0	0
4. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र-मशीनरी तथा उपकरण	93200	0	93200	93200	0	93200	93135	0	93135
बी) भवन									
5. फिल्म प्रभाग की ढांचागत भवन सुविधाओं में सुधार	20000	0	20000	22000	0	22000	18775	0	18775
6. चलचित्र संग्रहालय की स्थापना (फिल्म प्रभाग)- प्रमुख कार्य	10000	0	10000	100	0	100	0	0	0
7. एनएफएआई परिसर हेतु दूसरे चरण का भवन निर्माण सहित जयकर बंगला और डिजिटल पुस्तकालय स्थापना हेतु	50000	0	50000	48000	0	48000	46815	0	46815
8. फिल्म समारोह परिसर - अतिरिक्त और वैकल्पिक - प्रमुख कार्य	50000	0	50000	53900	0	53900	53656	0	53656
9. सूचना भवन का निर्माण - प्रमुख कार्य	300	0	300	300	0	300	0	0	0
10. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के राज्यों में केन्द्रीय सूचना भवन	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. पत्र सूचना कार्यालय हेतु राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र और मिनी मीडिया केन्द्र की स्थापना	25000	0	25000	25000	0	25000	16545	0	16545
12. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की ढांचागत सुविधाओं में सुधार	10000	0	10000	1990	0	1990	1819	0	1819
13. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र - - प्रमुख कार्य	10000	0	10000	58000	0	58000	57999	0	57999
कुल - पूंजी खंड प्रमुख शीर्ष '4220'	288500	0	288500	320600	0	320600	297974	0	297974
कुल	10050000	23110000	33160000	7520000	24248000	31768000	7407703	24177599	31585302

वित्तीय समीक्षा 2015-16

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2015-16			बजट अनुमान-2015-16		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
राजस्व खंड						
प्रमुख शीर्ष '2251' - सचिवालय सामाजिक सेवाएं						
1. मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	1769000	583300	2352300	428400	486000	914400
प्रमुख शीर्ष - '2205' - सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का कला और संस्कृति से संबंधित प्रमाणन						
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	0	75100	75100	0	65870	65870
3. फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल	0	1700	1700	0	7730	7730
कुल प्रमुख शीर्ष '2205'	0	76800	76800	0	73600	73600
प्रमुख शीर्ष - '2220' - सूचना, फिल्म और प्रचार						
4. फिल्म प्रभाग	10000	431000	441000	10000	404700	414700
5. फिल्म समारोह निदेशालय	0	124300	124300	0	11320	113200
6. भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	20000	47500	67500	20000	43400	63400
7. सत्यजीत रे फिल्म और टेली. सं., कोलकाता का अनुदान सहायता	100000	123700	223700	90000	121400	211400
8. बाल फिल्म समिति को अनुदान सहायता	0	29800	29800	0	29800	29800
9. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को अनुदान सहायता	200000	220600	420600	18000	215800	395800
10. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मनीटरिंग केंद्र	90000	14100	104100	90000	10400	100400
11. गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग का नया नाम न्यू मीडिया विंग	0	23100	23100	0	18700	18700
12. आईआईएमसी को अनुदान सहायता	130000	109500	239500	75000	118200	193200

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2015-16			बजट अनुमान-2015-16		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
13. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	170000	740200	910200	1480000	669990	2149990
14. पत्र सूचना कार्यालय	100000	548100	648100	93700	509500	603200
15. भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहायता	0	66300	66300	0	64700	64700
16. व्यवसायिक सेवाएं (न्यू पूल सेल)	0	100	100	0	10	10
17. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	29800	532800	562600	26000	512500	538500
18. गीत एवं नाटक प्रभाग	30000	247800	277800	20000	980000	1000000
19. प्रकाशन विभाग	45000	285400	330400	50600	303200	353800
20. रोजगार समाचार	0	242100	242100	0	303200	353800
21. भारत का समाचारपत्र पंजीयक	2000	52200	54200	5000	49900	54900
22. फोटो प्रभाग	5200	41700	46900	17000	36800	53800
23. संचार के विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान	0	1700	1700	0	1700	1700
24. एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के लिए योगदान	0	2500	2500	0	2600	2600
कुल : प्रमुख शीर्ष '2220'	932000	3884500	4816500	2157300	4405000	6562300
कुल : प्रमुख शीर्ष 2251, 2205 और 2220	2701000	4544600	7245600	2585700	4964600	7550300

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2015-16			बजट अनुमान-2015-16		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
प्रसारण (प्रमुख शीर्ष-2221) ध्वनि प्रसारण (उप प्रमुख शीर्ष) निर्देशन और प्रशासन (लघु शीर्ष) वेतन	0	0	0	0	0	0
टेलीविजन (उप प्रमुख शीर्ष) वेतन	0	0	0	0	0	0
सामान्य (उप प्रमुख शीर्ष) प्रसार भारती (लघु शीर्ष) अनुदान सहायता	5274300	23421200	28695500	3924200	13458800*	138513000
कुल-प्रसारण	5274300	23421200	28695500	3924200	13458800*	138513000
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के फायदे के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र अन्य व्यय योजना एकमुश्त प्रावधान (प्रमुख शीर्ष-2552)	920000	0	920000	750000	0	750000
कुल-राजस्व खंड	8895300	27965800	36861100	7259900	139553400	146813300

* इसमें 11116.76 करोड़ का प्रसार भारती को कर्ज दिया गया जिसे मंत्रिमंडल के निर्णय पर अनुदान में परिवर्तित किया गया।

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2015-16			बजट अनुमान-2015-16		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
ए) पूंजी खंड						
क. मशीन एवं उपकरण						
1. फिल्म प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	5000	0	5000	7000	0	7000
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हेतु उपकरण का अधिग्रहण	20000	0	20000	14000	0	14000
3. फिल्म समारोह निदेशालय में अतिरिक्त और वैकल्पिक प्रमुख	100	0	100	100	9	100
4. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र-मशीनरी तथा उपकरण	75000	0	75000	75000	0	75000
बी) भवन						
5. फिल्म प्रभाग की ढांचागच भवन सुविधाओं में सुधार	20000	0	20000	16000	0	16000
6. चलचित्र संग्रहालय की स्थापना (फिल्म प्रभाग)- प्रमुख कार्य	5000	0	5000	3100	0	3100
7. एनएफएआई परिसर हेतु दूसरे चरण का भवन निर्माण डिजिटल पुस्तकालय स्थापना हेतु	40000	0	40000	40000	0	40000
8. फिल्म समारोह परिसर - अतिरिक्त और वैकल्पिक	19900	0	19900	19900	0	19900
9. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की ढांचागत सुविधाओं में सुधार	20000	0	20000	20000	0	20000
10. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र - - प्रमुख कार्य	45000	0	45000	45000	0	45000
निवेश						
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	0	0	0	0	0	0
कुल - पूंजी खंड प्रमुख शीर्ष '4220'	250000	0	250000	240100	0	240100
कुल - मांग संख्या - 61	9145300	27965800	37111100	7500000	139553400	147053400

वित्तीय समीक्षा 2016-17

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2016-17		
	योजना	गैर योजना	कुल
राजस्व खंड			
प्रमुख शीर्ष '2251' - सचिवालय सामाजिक सेवाएं			
1. मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	0	703200	703200
प्रमुख शीर्ष - '2205' - सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का कला और संस्कृति से संबंधित प्रमाणन			
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	0	90000	90000
3. फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल	0	3200	3200
कुल प्रमुख शीर्ष '2205'	0	93200	93200
प्रमुख शीर्ष - '2220' - सूचना, फिल्म और प्रचार			
4. फिल्म प्रभाग	10000	594600	604600
5. फिल्म समारोह निदेशालय	0	131200	131200
6. भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	20000	59200	79200
7. निजी एफ एम रेडियो स्टेशन	0	38500	38500
8. फिल्म विंग योजना स्कीम	639100	0	639100
9. सूचना विंग योजना स्कीम	78000	0	78000
10. प्रसारण विंग योजना स्कीम	133000	0	133000
11. सत्यजीत रे फिल्म और टेली. सं., कोलकाता का अनुदान सहायता	70000	134700	204700
12. बाल फिल्म समिति को अनुदान सहायता	0	31000	31000
13. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को अनुदान सहायता	200000	246600	446600
14. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र	100000	14200	114200

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2016-17		
	योजना	गैर योजना	कुल
15. गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग का नया नाम हुआ न्यू मीडिया विंग	0	29400	29400
16. आईआईएमसी को अनुदान सहायता	170000	133700	303700
17. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	1153500	845600	1999100
18. पत्र सूचना कार्यालय	110000	704100	814100
19. भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहायता	0	73800	73800
20. विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	100	100
21. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	35000	679600	714600
22. गीत एवं नाटक प्रभाग	20000	427000	447000
23. प्रकाशन विभाग	50000	371500	421500
24. रोजगार समाचार	0	223500	223500
25. भारत का समाचारपत्र पंजीयक	5000	73600	78600
26. फोटो प्रभाग	10700	54700	65400
27. संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान	0	2100	2100
28. एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के लिए योगदान	0	2600	2600
कुल : प्रमुख शीर्ष '2220'	2804300	4871300	7675600
कुल : प्रमुख शीर्ष 2251, 2205 और 2220	2804300	5667700	8472000

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2016-17		
	योजना	गैर योजना	कुल
प्रसारण (प्रमुख शीर्ष-2221) ध्वनि प्रसारण (उप प्रमुख शीर्ष) निर्देशन और प्रशासन (लघु शीर्ष) वेतन	0	0	0
टेलीविजन (उप प्रमुख शीर्ष) वेतन	0	0	0
सामान्य (उप प्रमुख शीर्ष) प्रसार भारती (लघु शीर्ष) अनुदान सहायता	3920000	27168600	31088600
कुल-प्रसारण	3920000	27168600	31088600
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के फायदे के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र अन्य व्यय योजना एकमुश्त प्रावधान (प्रमुख शीर्ष-2552)	800000	0	800000
कुल-राजस्व खंड	7524300	32836300	40360600

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2016-17		
	योजना	गैर योजना	कुल
ए) पूंजी खंड			
क. मशीन एवं उपकरण			
1. फिल्म प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	2800	0	2800
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हेतु उपकरण का अधिग्रहण	30000	0	30000
3. राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन	2000	0	2000
4. फिल्म समारोह निदेशालय में प्रिंट इकाई के स्तर में सुधार	100	0	100
5. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र-मशीनरी तथा उपकरण	100	0	100
बी) भवन			
6. फिल्म प्रभाग की ढांचागच भवन सुविधाओं में सुधार - प्रमुख कार्य	14000	0	14000
7. चलचित्र संग्रहालय की स्थापना (फिल्म प्रभाग)- प्रमुख कार्य	286900	0	286900
8. एनएफएआई परिसर हेतु दूसरे चरण का भवन निर्माण डिजिटल पुस्तकालय स्थापना हेतु	50000	0	50000
9. फिल्म समारोह परिसर - अतिरिक्त और वैकल्पिक	9900	0	9900
10. राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन	50000	0	50000
11. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की ढांचागत सुविधाओं में सुधार	10000	0	10000
12. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र - - प्रमुख कार्य	19900	0	19900
निवेश			
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	0	0	0
कुल - पूंजी खंड प्रमुख शीर्ष '4220'	475700	0	475700
कुल - मांग संख्या - 61	8000000	32836300	40836300

मांग संख्या 53
वित्तीय समीक्षा
विषय-शीर्षानुसार वर्गीकरण

(हजार रुपये में)

विवरण	बजट अनुमान 2013-2014		संशोधित अनुमान 2013-2014		वास्तविक 2013-2014		बजट अनुमान 2014-2015		संशोधित अनुमान 2014-2015		वास्तविक बजट 2014-2015		बजट अनुमान 2015-2016		संशोधित अनुमान 2015-2016		बजट अनुमान 2016-2017	
	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना
राजस्व खंड																		
वेतन	10000	2117200	0	2042800	0	2057779	0	2226700	0	2305700	0	2257043	0	2467100	0	2297700	0	3520300
लागत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737000	0	0
मजदूरी	32872	7340	1630	7476	971	7275	100	17800	0	10600	0	10609	400	11100	800	8700	2000	13050
समयोपरि भत्ता	0	5925	50	4635	0	3594	50	5875	0	3530	0	2518	0	4555	0	1810	0	1995
चिकित्सा व्यय	0	29600	0	33355	0	28564	0	29690	0	29008	0	28201	0	30010	0	37795	0	38430
घरेलू यात्रा व्यय	13900	58500	7550	62220	6568	60239	20600	67961	12161	56088	9618	53673	10392	68080	8122	63055	9300	66235
विदेशी यात्रा व्यय	12000	8400	7250	7020	2585	2549	16100	8500	10572	8240	9451	7433	12500	8500	11500	6500	22600	7800
कार्यालय व्यय	86770	205245	140270	229505	78024	241385	91600	239845	38259	295050	41951	304258	86765	284295	83570	282592	126580	312435
किराया, महसूल और कर स्वीकृत	0	51813	0	48467	0	37053	0	48689	0	50733	0	48397	0	56206	0	54448	5000	55985
स्वीकृत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रकाशन	50	54250	0	50600	0	59326	15500	55110	2100	58123	2091	64142	5000	57000	9601	66190	8500	66450
अन्य प्रशासनिक व्यय	31350	27620	17150	23100	15045	19632	95600	27700	120107	23532	116560	18356	1364830	26900	41680	22290	135700	24550
आपूर्ति एवं सामग्री	40552	215900	33700	188700	25231	166139	30200	212900	5408	174350	2321	165429	1080	197000	1080	157000	790	161900
पी.ओ.एल.	0	20300	0	14720	0	15256	0	16800	0	21720	894	20649	1764	21800	0	16800	0	16800
विज्ञापन और प्रचार	1754850	487400	1783900	420200	1973241	402829	1681850	470270	1466168	408420	1608092	403771	213556	441300	1513052	386340	1189300	436200
लघु कार्य	0	85140	5000	101410	5000	116631	52900	112150	80910	134770	87231	132114	43000	136100	59500	125000	29600	137350
व्यावसायिक सेवाएं	569950	90255	128450	68560	108547	68822	383340	77335	159287	62520	140799	63569	244761	101000	205935	67040	404370	99500
सहायता अनुदान	1034500	1423020	783000	1421504	916217	1421531	1411000	1455060	529950	1464395	620080	1464136	494500	1626260	419998	11.2798505	667000	104805
पूँजी सृजन के लिए अनुदान	4018500	10900	3228100	9460	3604000	9460	4797800	9160	3827350	8200	4326750	8200	5301300	9160	3956100	9160	3859000	9160
वेतन अनुदान	0	16327500	0	16337500	0	16337500	0	17939700	0	19058200	0	19057800	0	22336800	0	22336800	0	27675300
अंशदान	0	3700	0	4000	0	2433	0	4200	0	4400	0	2401	0	4200	0	4300	0	4700
आर्थिक सहायता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एकमुश्त प्रावधान	905000	0	740000	0	0	0	1005000	0	752000	0	0	0	920000	0	750000	1000	800000	600
अन्य प्रभार	246344	58587	217050	53500	200352	52615	145800	68800	180231	57106	128218	52283	180352	61609	185162	63330	256760	66550
सूचना और प्रौद्योगिकी केंद्रीय अनुश्रवण सेवाएं	5362	17905	1900	21568	1938	19385	14060	15755	14897	13315	15673	12617	15100	16825	13800	15045	7800	16205
कुल	8762000	21254686	7095000	21150300	6937719	21129997	9761500	23110000	7199400	24248000	7109729	24177599	8895300	27965800	7259900	139553400	7524300	32836300

मांग संख्या 53
वित्तीय समीक्षा
विषय-शीर्षानुसार वर्गीकरण

(हजार रुपये में)

विवरण	बजट अनुमान 2013-2014		संशोधित अनुमान 2013-2014		वास्तविक 2013-2014		बजट अनुमान 2014-2015		संशोधित अनुमान 2014-2015		वास्तविक 2014-2015		बजट अनुमान 2015-2016		संशोधित अनुमान 2015-2016 2016-2017		बजट अनुमान		
	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	
<i>पूँजी भाग</i>																			
मशीन और उपस्कर	117500	0	117500	0	84959	0	114200	0	111310	0	102365	0	100100	0	96100	0	35000	0	
मुख्य निर्माण कार्य	170500	0	187500	0	129559	0	174300	0	209290	0	195609	0	149900	0	144000	0	440700	0	
निवेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ऋण एवं अग्रिम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ऋण प्रसार भारती	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
उत्तर पूर्वी व सिक्किम के लाभ के लिए	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
योग	288000	0	305000	0	214518		288500	0	320600	0	297974	0	250000	0	240100	0	475700	0	
कुल योग	9050000	2154687	7400000	21150300	7152237	21129997	10050000	23110000	7520000	24248000	7407703	241177599	9145300	27965800	7500000	139553400	8000000	32836300	
प्राप्त	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111167600	0	0	
कुल	9050000	2154687	7400000	21150300	7152237	21129997	10050000	23110000	7520000	24248000	7407703	241177599	9145300	27965800	7500000	28385800	8000000	32836300	

मांग संख्या 53

वित्तीय समीक्षा

स्वायत्त संस्थानों के आधार पर वर्गीकरण

(हजार रुपये में)

विवरण	बजट अनुमान		संशोधित अनुमान		वास्तविक		बजट अनुमान		संशोधित अनुमान		बजट अनुमान		संशोधित अनुमान		बजट अनुमान		संशोधित अनुमान	
	2013-2014		2013-2014		2013-2014		2014-2015		2014-2015		2014-2015		2015-2016		2015-2016		2016-2017	
	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना
बाल फिल्म समिति (R)	0	26300	0	22000	0	22000	0	27000	0	27400	0	27000	0	29800	0	29800	0	31000
भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे	150000	187200	150000	192700	150000	192700	0	152500	190000	204400	190000	204400	200000	220600	170000	215800	200000	246600
सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान कोलकाता	150000	101100	150000	99000	150000	99000	160000	108900	160000	114900	160000	114900	100000	123700	90000	121400	70000	134700
भारतीय जनसंचार संस्थान	70000	88900	37000	102700	37000	102700	230000	95500	134700	101900	134700	101900	150000	109500	90000	118200	190000	133700
भारतीय प्रेस परिषद	0	57100	0	51100	0	51100	0	61300	0	61400	0	61400	0	66300	0	64700	0	73800
प्रसार भारती (R)	5140000	17300000	4100000	17300000	4100000	17300000	6050300	18900000	4360000	20019800	4360000	20019800	6050300	23421200	4537700	134588800*	4500000	27168600

* इसमें 11116.76 करोड़ का प्रसार भारती को कर्ज दिया गया जिसे मंत्रिमंडल के निर्णय पर अनुदान में परिवर्तित किया गया।

उपभोग शेष के समेत विभिन्न निकायों को जारी अनुदान

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	नाम	अवधि में जारी अनुदान				अप्रयुक्त शेष (यदि कोई हो)			
		2013-2014		2014-2015		2013-2014		2014-2015	
		योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना
1.	बाल चित्र समिति	----	220.00	0.00	270.00	----	NIL	----	N I L
2.	भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे	1500	1927	1900	2044	Nil	NIL	NIL	N I L
3.	सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता	1500	990	1600	1149	0.66	NIL	239.97	N I L
4.	भारतीय जनसंचार संस्थान	370	1027	1347	1019	37.13	0.04	0.14	0 . 0 0 4 4
5.	भारतीय प्रेस परिषद	----	511	----	614.00	----	0.16	----	0.53
6.	प्रसार भारती	41000	173000.00	43600.00	20019800.00	145300.00	----	123600.00	----

अध्याय-6

स्वायत्तशासी निकायों की समीक्षा और प्रदर्शन सूचना क्षेत्र

भारतीय जनसंचार संस्थान

जनसंचार में प्रशिक्षण, शिक्षण और अनुसंधान के संदर्भ में आईआईएमसी का प्रदर्शन उच्च स्तरीय है जोकि अपने पाठ्यक्रमों को संचालित करने पर पर्याप्त ध्यान देने के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों, सेना और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। मंत्रालयों और सरकार के संबंधित विभागों की ओर से किए गए शोध कार्यों के संबंध में भी संस्थान ने अच्छा प्रदर्शन किया है।

आईआईएमसी योजना स्कीम के तहत अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार अपने उन्नयन का कार्य भी कर रहा है। इस दिशा में, आईआईएमसी ने, पहले चरण में, यह प्रस्ताव किया है कि उसे संसदीय अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया जाए है जिससे वह मास्टर्स और डॉक्टरेट का डिग्री कार्यक्रम शुरू करने में सक्षम हो।

भारतीय प्रेस परिषद

परिषद का कार्य निष्पादन

भारतीय प्रेस परिषद एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है। मंत्रालय में ईआरसी की अनुशंसाओं के बारे में विचार विमर्श के दौरान यह महसूस किया गया कि भारतीय प्रेस परिषद, जो प्रेस का स्वःनियामक निकाय है, के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए ऐसी समीक्षा करना न तो उचित है, और न ही कोई ऐसा 'जोड़ीदार निकाय' उपलब्ध है जो ऐसी समीक्षा कर सके। इस मंत्रालय के स्वायत्त संस्थानों के बारे में ईआरसी रिपोर्ट पर मंत्रालय की अनुक्रिया की जानकारी देते समय वित्त मंत्रालय को भी उपरोक्त निर्णय से अवगत कराया गया।

परंतु, प्रेस परिषद के कार्य निष्पादन की समीक्षा सीधे संसद द्वारा इसकी स्थायी समिति के जरिए उस समय की गई जब परिषद के अध्यक्ष ने मार्च 2011 में समिति के समक्ष अपना बयान दिया था। समिति ने पेड न्यूज के बारे में भी समीक्षा की, जिसने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें भी कीं जो वर्तमान में भारत सरकार के विचाराधीन हैं।

मामलों का ब्यौरा

क्रम संख्या	विवरण	2014-15	2015-16	अप्रैल 15 से मार्च 16 (अनुमानित)
1	बकाया मामले	942	1261	1070
2	दर्ज किए गए मामले	1249	751	1200
3	परिषद द्वारा अधिनिर्णीत मामले	81	256*	375
4	अध्यक्ष द्वारा निर्णीत मामले	849	दिसम्बर 2015 तक 686	750
5	31.03.2014 को बकाया मामले	1261	1070	-

* मार्च 2016 में होने वाली परिषद की बैठक में 107 मामले अधिनिर्णीत/ पुष्टि किए जाने की संभावना है।

फिल्म क्षेत्र

बाल चित्र समिति, भारत

विगत पांच वर्षों के दौरान बनायी गई फिल्मों की संख्या और बाल दर्शकों तक पहुंच निम्नलिखित है :

2011-12

निर्माण -3 फीचर फिल्मों और एक लघु फिल्म बनकर तैयार हुईं।

विपणन- 7444 प्रदर्शनों का आयोजन, जिनमें लगभग 30.65 लाख बाल दर्शकों को कवर किया गया।

व्यय - 654.00 लाख रुपये का व्यय।

2012-13

निर्माण -2 फीचर फिल्मों बनकर तैयार हुईं और 6 फीचर फिल्मों और एक लघु फिल्म निर्माणाधीन रही।

विपणन- 9,833 प्रदर्शनों का आयोजन, जिनमें लगभग 29 लाख बाल दर्शकों को कवर किया गया।

व्यय - 1136.00 लाख रुपये का व्यय।

2013-14

निर्माण -वर्ष के दौरान कोई भी फिल्म पूर्ण नहीं हुई। हालांकि 6 फीचर फिल्मों और एक लघु फिल्म निर्माण की विविध स्तरों पर हैं।

विपणन- 277 प्रदर्शनों का आयोजन, जिनमें लगभग 75,241 लाख बाल दर्शकों को कवर किया गया।

व्यय - 379.00 लाख रुपये का व्यय।

2014-15

निर्माण -वर्ष के दौरान 3 फीचर फिल्मों बनकर तैयार हुईं, हालांकि 3 फीचर फिल्मों और एक लघु फिल्म निर्माण की विविध स्तरों पर हैं।

विपणन- 7502 प्रदर्शनों का आयोजन, जिनमें लगभग 21,34,054 लाख बाल दर्शकों को कवर किया गया।

व्यय - 604.00 लाख रुपये का व्यय।

2015-16

निर्माण - 2 फीचर फिल्म और एक लघु फिल्म पूर्ण हुईं। 6 फीचर फिल्म, फिल्म निर्माण के विविध स्तरों पर हैं।

विपणन- 2200 प्रदर्शनों का आयोजन, 7 लाख से अधिक बच्चे इसके दर्शक रहे।

व्यय - 31.12.2015 तक 522.27 लाख रुपये का व्यय।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

स्वायत्त संस्थाओं की समीक्षा और प्रदर्शन

भारत के फिल्म संस्थान की स्थापना 1960 में की गई थी जिसे 1974 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में ' भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे ' में बदल दिया गया। सोसाइटी में फिल्म, टीवी, संचार, संस्कृति, संस्थान के पूर्व छात्र और सरकारी पदेन सदस्यों से जुड़े प्रख्यात हस्तियां शामिल हैं। संस्थान चेयरमैन की अध्यक्षता में एक शीसी परिषद् द्वारा संचालित होता है। संस्थान निर्देशन, छायांकन (फिल्म और टेलीविजन), संपादन (फिल्म और टेलीविजन), ऑडियोग्राफी (फिल्म और टेलीविजन) में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा, अभिनय, कला निर्देशन और निर्माण डिजाइन में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, एनीमेशन और कंप्यूटर ग्राफिक्स में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम प्रदान करता है। आधारभूत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अलावा संस्थान कार्यरत पेशेवरों और संबंधित क्षेत्र में रुचि रखने वाले कर्मियों के लिए विभिन्न अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है।

संस्थान फिल्म और टीवी उद्योग को अत्यधिक कुशल विशेषज्ञों और तकनीशियन को प्रदान करता है। एफटीआईआई के छात्र भारतीय फिल्म और टेलीविजन उद्योग में एक अलग छाप छोड़ते हैं। इस संस्थान के ज्यादातर पूर्व छात्र इस उद्योग जगत के प्रख्यात हस्तियों में शामिल हैं। डिप्लोमा छात्रों की फिल्में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में शामिल किए जाते हैं जिनकी काफी सराहना होती है। संस्थान की कार्यप्रणाली पर समय-समय पर सरकार द्वारा नजर रखी जाती है, जबकि अनुदान सहायता की किस्त जारी करने, शासी परिषद की बैठक के दौरान, स्थाई वित्त समिति आदि के साथ ही अन्य कई मामलों में सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वार्षिक रिपोर्ट और संस्थान के खातों का लेखा परीक्षण विवरण के प्रकाश में, पूरे तौर पर इसके प्रदर्शन को संतोषजनक पाया गया है।

सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

स्वायत्त संस्थाओं की समीक्षा और प्रदर्शन

सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत 1995 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। संस्थान पश्चिम बंगाल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकृत है। सोसाइटी में फिल्म, टीवी, संचार, संस्कृति, संस्थान के पूर्व छात्र और सरकारी पदेन सदस्यों से जुड़े प्रख्यात हस्तियां शामिल हैं। संस्थान चेयरमैन की अध्यक्षता में एक शीसी परिषद् द्वारा संचालित होता है। संस्थान निर्देशन और पटकथा लेखन, संपादन, छायांकन, ऑडियोग्राफी, फिल्म और टीवी प्रोडक्शन और एनिमेशन में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करता है। आधारभूत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अलावा संस्थान, विभिन्न संगठनों और फिल्म उद्योग की मांग पर विभिन्न अल्पकालिक पाठ्यक्रम चलाता है और परियोजनाओं का संचालन करता है।

संस्थान फिल्म और टीवी उद्योग को अत्यधिक कुशल विशेषज्ञों और तकनीशियनों को प्रदान करता है। एसआरएफटीआई के छात्र भारतीय फिल्म और टेलीविजन उद्योग में एक अलग छाप छोड़ते हैं। छात्रों के डिप्लोमा फिल्म विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों शामिल किए जाते हैं जिनकी काफी सराहना होती है। संस्थान की कार्यप्रणाली पर समय-समय पर सरकार द्वारा नजर रखी जाती है, जबकि अनुदान सहायता की किस्त जारी करने, शासी परिषद की बैठक के दौरान, स्थाई वित्त समिति आदि के साथ ही अन्य कई मामलों में सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वार्षिक रिपोर्ट और संस्थान के खातों का लेखा परीक्षण विवरण के प्रकाश में, पूरे तौर पर इसके प्रदर्शन को संतोषजनक पाया गया है।

प्रसारण क्षेत्र

प्रसार भारती

स्वायत्त निकायों की समीक्षा और कार्य निष्पादन

प्रसार भारती देश का लोक सेवा प्रसारक है, जिसके दो संघटक आकाशवाणी और दूरदर्शन हैं। इसका गठन 23 नवंबर, 1997 को किया गया था। इसे जनता को सूचना देने, उसे शिक्षित बनाने और उसका मनोरंजन करने के लिए लोक प्रसारण सेवाओं के आयोजन और संचालन का दायित्व सौंपा गया है। उसके कामकाज में देश में प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करना भी शामिल है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिए प्रसार भारती की 2014-15 और 2015-16 के वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादनों का विवरण अध्याय-4 में दिया गया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय योजनाओं/परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी दो स्तरों पर करता है: (1) मीडिया इकाई स्तर पर और (2) मंत्रालय स्तर पर। प्रसार भारती को जारी योजना कोष के व्यय की गति की निगरानी के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मंत्रालय स्तर पर नियमित रूप से योजना समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। प्रगति की निगरानी वित्तीय और वास्तविक, दोनों मापदंडों पर की जाती है। योजना परिव्यय के उपयोग के उद्देश्य से मंत्रालय तीव्र विकास प्रक्रिया तथा योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयनों को प्रभावित करने वाली अड़चनों को दूर करने पर निरंतर जोर देता रहा है।